बंदी बनाया गया। यह आंदोलन केवल नमक सत्याग्रह तक सीमित नहीं रहा। विदेशी वस्त्रों की दुकाने और शराब की दुकानों पर पहरा लगा दिया गया और जला दिया गया । हाथ से कपड़ा बुनने का आंदोलन आरम्भ हुआ। अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय कालेज और सेवाएँ बहिष्कृत कर दिए गए विशाल स्तर पर लोगो ने इस आंदोलन में भाग लिया ।

सरकार ने इसके बदले में कठोर दमन नीतियाँ लाठी चार्ज और असचेत महिलाओं और पुरुषों की भीड़ पर गोलियाँ चलाई गई। लगभग 90,000 सत्याग्रही जिसमें गाँधीजी और अन्य कांग्रेसी नेताओं को बंदी बनाया गया। पुलिस की गोली बारी में 110 लोग मारे गये और लगभग 300 लोग घायल हुए । अंग्रेजों ने भारतीयों को विभाजित करने के लिए मुसलमानों, जमींदारों और अन्य अल्पसंख्यकों पर जीत पाने की कोशिश की। परन्तु नेताओं ने रचनात मक कदम उठाए जैसे खद्दर पहनना, सारे देश से अस्पृश्यता को दूर करना चाहा जिससे आंदोलन में सामाजिक संस्कृति लाई जा सके। गाँधीजी की पुकार पर असंख्य महिलाओं ने परदा छोड़कर आंदोलन में भाग लिया ।

जब सरकार ने 1935 में भारतीय सरकार अधिनियम पारित किया तो भारत के सामुहिक संघर्ष कर्ताओन ने फल प्राप्त किए। सरकार ने प्रांतीय स्वशासन को घोषित किया और 1937 में प्रान्तीय विधान परिषदों में चुनावों की घोषणा की। 11 में से 7 प्रान्तों मे कांग्रेस नें सरकार बनाई। प्रान्तों में कांग्रेस के दो वर्षों के शासन के बाद ही 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध फूट पड़ा। हिटलर, के आलोचक कांग्रेस के नेताओं ने अंग्रेजों के युद्ध प्रयास को सहयोग देना चाहा।इसके बदले में वे युद्ध के बाद भारत की स्वतंत्रता चाहते थे। अंग्रेजों ने माँग को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेसी मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिए ।

भारत छोड़ो आंदोलन-1942 ''करो या मरो''

इंग्लैंड द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों और भारत के धन का उपयोग करना चाहता था। कांग्रेस ने युद्ध में सहायता के बदले में स्वशासन चाहा परन्तु सरकार इस माँग को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थी। 8 अगस्त1942 को मुंबई में कांग्रेस सक्रीय समिति मिली है और प्रस्ताव पारित किया और स्पष्ट रूप से कहा कि भारत में अंग्रेजी शासन शीघ्र समाप्त किया जाय। भारत छोड़ो प्रस्ताव के पारित किए जाने

द्वितीय विश्व युद्ध खख (1939-45)

जर्मनी में हिटलर और उसकी नाजी पार्टी सारे विश्व पर अधिकार करना चाहती थी और ब्रिटेन, फ्रान्स, सोवियत संघ रूस और अन्य देशों से युद्ध की घोषणा की(मित्र देश कहलाते थे) जापान और इटली नें जर्मनी की मदद की। मानव इतिहास में सबसे भयंकर युद्ध 1939 में आरंभ हुआ जो 1945 में समाप्त हुआ जब सोवियत संघ की सेना ने बर्लिन पर अधिकार कर लिया और और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जापान और हिरोशिमा नागासाकी पर बम वर्षा की। जो व्यक्ति प्रजातंत्र के मूल्यों और स्वतंत्रता को संजो रखना चाहते थे। उन्होंने हिटलर का विरोध किया और युद्ध में मित्र देशों का साथ दिया। भारत में दुविधाजनक स्थिति बन गई क्योंकि उसी समय भारतीय अंग्रेजों से युद्ध कर रहे थे।

की संध्या बेला में गाँधीजी ने भारतीयों को यादगार शब्दों से संबोधित किया कि “इस आंदोलन द्वारा आप में से प्रत येक स्त्री या पुरुष स्वयं को स्वतंत्रत माने तथा उसी प्रकार कार्य करे..............मैं किसी भी तरह से आंशिक स्वतंत्रता से संतुष्ट नहीं होऊँगा। **हम करेंगे या मरेंगे।** हम भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इसे पाने में मर जाएंगे।”

9 अगस्त 1942 को सबेरे ही सरकार ने कई कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया जैसे गाँधीजी, पटेल, नेहरू, मौलाना, आजाद, आचार्य क्रिपलानी, राजेन्द्र प्रसाद और अन्य। लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन हड़ताल, स्ट्राइक जुलूस द्वारा सारे देश में किया।दुर्भाग्य से आंदोलन ने हिंसा का रूप ले लिया। कारखानों में मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया और विद्यार्थियों ने पुलिस स्टेशन, डाक घर, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थलों पर आक्रमण किया। उन्होंने तारघर और टेलीफोन के तार तोड़ दिये, रेल लाईने उखाड़ दी। उहोंने सरकारी इमारते, वाहन सेना, मालगाड़ी आदि को जला दिया । इसका अधिक प्रभाव मुंबई और मद्रास में हुआ। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश में इसका प्रभाव अधिक हुआ। मिदनापूर में लोगों ने 1942-44 में समानांतर सरकार की स्थापना की। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप लगभग 10 लाख पाउण्ड की जितनी संपत्ति नष्ट हुई। तीस व्यक्तिगत पुलिस और सैनिको ने अपनी जान गँवाई, कई लोग मारे गए, सरकारी जेलों में हजारों लोग बंदी बनाए गए। 1943 के अंत में 90,000 लोग बंदी बनाये गये। लगभग 1,000 लोग पुलिस गोलीबारी में मारे गए । कई

सुभाष चन्द्र बोस और (भा.रा.से)

सुभाष चन्द्र बोस स्वराजी और क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) की स्थापना बर्मा और अंडमान में रास बिहारी बोस की सहायता से की। INA में ६० हजार से अधिक सिपाही थे। इस युद्ध में उन्होंने जापानियों की सहायता ली। 21 अक्टूबर 1943 में स्वतंत्र भारत में प्रान्तीय सरकार (आजाद हिन्द) की स्थापना सिंगापूर में की।18 मार्च 1944 के दिन INA ने बर्मा की सरहद को पार कर **दिल्ली चलो** नारे के साथ भारत में प्रवेश किया।

1944 को कोहिमा में भारतीय झण्डा फहराया था। युद्ध में भाग्य परिवर्तन के कारण 1944-45 की शीत ऋतु में अंग्रेजों की प्रतिकारी दमन नीति के कारण द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार से INA आंदोलन खत्म हो गया। 23 अगस्त 1945 के दिन बेकांक से टोकियो जाते समय सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु हो गई ।

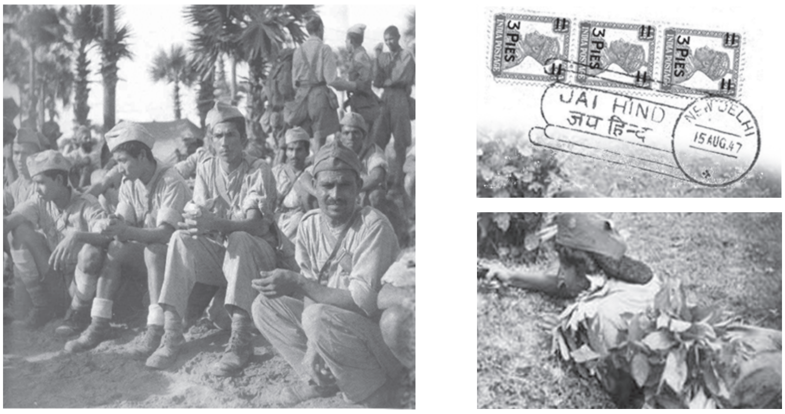

चित्र 11 B.3: बाएँ-INA सैनिक (नीचे दाएँ) झाँसी के सिपाही सतर्क (दाएँ उपर) डाक चिह्न

सुभाष चन्द्र बोस

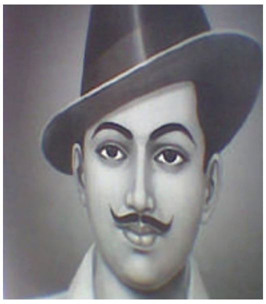
भगत सिंह

जे.बी. कृपलानी

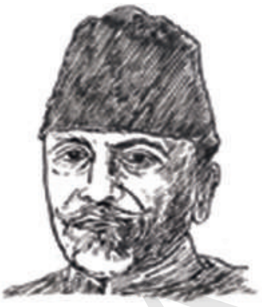
अब्दुल कलाम आजाद

क्षेत्रों में भीड़ को तीतर-बीतर करने के लिए मशीनगन का उपयोग करने का आदेश दिया गया । अंत में क्रांतिकारियों ने शासन(राज) को अपने घुटनों में झुका दिया।

स्वतंत्रता की ओर और विभाजन

1940 के मध्य मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए देश के उत्तरी पश्चिमी और पूर्वी भागों में स्वतन्त्र राज्य स्थापना की माँग का प्रस्ताव पारित किया। माँग की। लीग ने प्रायद्वीप के मुसलमानों का सशक्त समझौता क्यो चाहा? 1930 वर्षो के अंतिम काल में लीग मुसलमानों के लिए हिन्दुओं से अलग राष्ट्र चाहने लगा। 1920 अैर 1930 के वर्षों में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच ऐतिहासिक तनाव उत्पन्न हुआ। सबसे महत्वपूर्ण था 1937 के प्रान्तीय चुनावों में लीग ने मुसलमानों को अल्पसंख्यक बताया और कहा कि प्रजातांत्रिक ढाँचे में उनका स्थान द्वितीय रहता

उग्रवादी संस्थाओं के वर्ष

1940 के बाद का काल गहन गतिविधियों का उग्रवादी संस्थाओं जैसे साम्यवादी दल, व्यापारिकसंघ, महिला संस्थाओं का माना जाता है। उन्होने गरीबी और मध्यवर्गीय किसानों और श्रमिकों, जनजाति और दलित वर्गों में सैन्यीकरण स्थापित किया। केवल वे अंग्रेजों का विरोध करना ही उनका लक्ष्य नहीं था बल्कि स्थानीय शोषण कर्ता जैसे साहूकार, मिल मालिक और उच्च वर्गीय भूपतियों का विरोध करना भी था। वे नए स्वतंत्र भारत में अपनी रूचियों का बारिकी से ध्यान रखते थे और उनके लंबे समय का संघर्ष को समाप्त करना और उन्हें समान अधिकार और अवसर मिले। अब तक राष्ट्रीय आंदोलन उच्च वर्ग के अधीन था। उन्हें एक नया विस्तृत एवं शक्तिशाली उपाय मिला जिससे उन्हें अंग्रेजी शासन को निकाल फेंकने में सहायता मिली। विशेषतः गरीब, बाहरी जाति और पूर्वी भारत के श्रमिकों मे सक्रीय भाग लिया। मलाबार के अधीन किरायेदार , तेभागा के किरायेदार, वेट्टी जाति और तेलंगाना के छोटे किसान इस आंदोलन के सक्रिय भागीदार थे। कांग्रेस इस आंदोलन को सक्रीय रूप से चलाने में असमर्थ थी क्योंकि वह पूरी तरह से स्वतंत्रता समझौता में डूबी हुई थी। खाद्यान्न अभाव और भूमि की माँग ने उन्हें फिर से द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व पहुचा दिया। साम्यवादी जो अखिल भारत किसान सभा किसान मोर्चे और बुद्धिजीवियों में अखिल भारतीय जन नाटक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी संघ के द्वारा सक्रिय थे, ने इसे परिप्रेक्ष्य से चलाया।

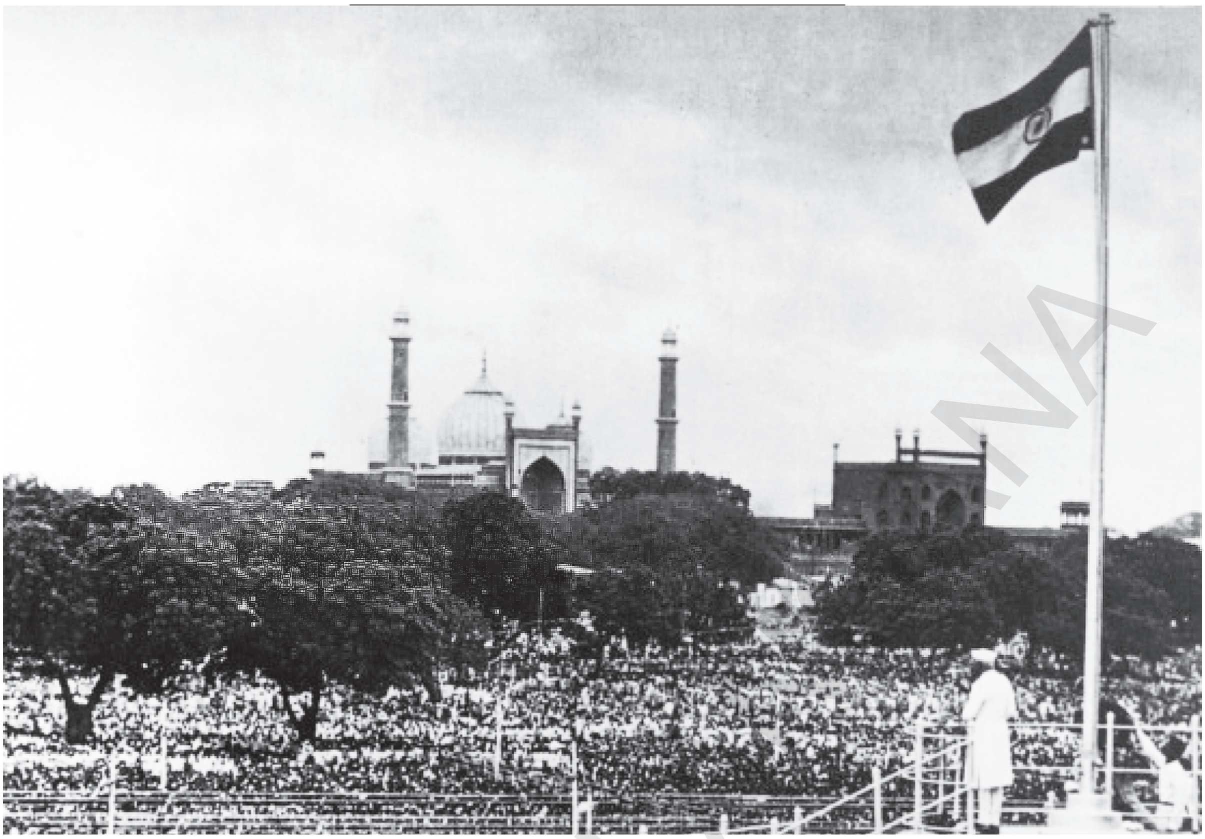

चित्र 11B.3 : स्वतंत्रता के बाद लाल किले से लोगों को संबोधित करते हुए जवाहरलाल नेहरू

है। उन्हें भय था कि कहीं मुसलमानों का प्रतिनिधित्व ही समाप्त न हो जाए। 1937 में कांग्रेस लीग सरकार में संघो की एकता को कांग्रेस द्वारा तिरस्कृत किए जाने पर लीग क्रोधित हो गई ।

कांग्रेस की असफलता का प्रमुख कारण था 1930 में मुसलमान समुह को लीग द्वारा सामाजिक सहयोग पाने में अनुमति देना। 1940 के आरंभिक काल में जब कांग्रेसी नेता जेल मे थे तब इसे प्रचार का अवसर मिला । 1945 के अंतिम चरण में अंग्रेजों और लीग के समक्ष भारत की स्वतंत्रता के लिए आपसी वार्तालाप का उपाय रखा। यह वार्तालाप असफल रही क्योकि लीग ने भारतीय मुसलमानों के लिए अकेले बातचीत की। कांग्रेस ने इस माँग को अस्वीकार किया जब तक कि अधिक संख्या में मुसलमानों का सहयोग मिले। 1946 में अंगेजी मंत्रिमंडल ने तीन मंत्रियों का संघ (स्ट्रार्फोड, क्रिप्स, पेथिक लारेन्स, अलगजेंडर) ने इस माँग की जाँच करने और स्वतंत्र भारत के लिए उचित आकार बनाने के लिए दिल्ली भेजा। इस मिशन ने भारत की एकता का सुझाव रखा तथा जिस क्षेत्र में मुसलमान अधिक है, वहाँ अस्थाई राज्यों की स्थापना का सुझाव दिया। परन्तु कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को इस उपाय में कोई दिलचस्पी नही थी। विभाजन थोडा या ज्यादा अब आवश्यक बन गया। 1946 में अंग्रेज केबिनेट मिशन के अधिकारियों ने दीर्घकाल के लिए भारत में स्वतंत्र संघों की स्थापना का उपाय सुझाया वे संसक्त प्रान्तीय का साथ में विकास चाहते थे। यह उपाय भी असफल हुआ

और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की माँग के लिए एक सामुहिक जुलूस निकालना चाहा। 16 अगस्त1946 को इन्होंने प्रत्यक्ष क्रिया दिवस घोषित किया। इस दिन कलकत्ता में भीड़ का क्रोध भड़क उठा, जो कुछ दिन चला और इसका परिणाम हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हुआ। मार्च 1947 तक भारत के उत्तरी भागों में भी यह फैल गया ।

लार्ड माउन्ट बेटन जो 1947 में भारत में वायसराय के पद पर नियुक्त किए गए थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच के विचारों के भेद को मिटाने में असमर्थ रहे। अंत में उन्होंने पाकिस्तान को मुसलमानों के अधिकार में तथा भारत को हिन्दुओं के अधीन दे दिया । भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र किया गया जबकि पाकिस्तान ने 14 अगस्त के दिन अपनी आजादी मनाई। विभाजन के बाद भी लाखों लोग मारे गए और महिलाओं को न बताने वाले दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पर विवश किया गया। अपनी मातृभूमि को आँसुओं के साथ त्याग और उन्हें अन्य स्थलों में शरणार्थी माना गया। इस कारण हमारी स्वतंत्रता की प्रसन्नता हिंसा के कारण दर्द और खुशी का मिश्रित रूप बन गई।

मुख्य शब्द

1. राष्ट्रीयता
2. लौकिक
3. आतंकवाद
4. अतिवाद
5. सत्याग्रह
6. असहयोग आंदोलन
7. अवज्ञा आंदोलन
8. उपमहाद्वीप

शिक्षा में सुधार

1. तालिका बना कर उसमें राष्ट्रीय आंदोलन में विभिन्न प्रयासों को दशाईए । (AS$_3$)

घटना	गाँधीजी की भूमिका

2. राष्ट्रीय आंदोलन ने अंग्रेजी सरकार के सभी प्रयासों को विफल कर प्रजातांत्रिक स्वतंत्रता और लोगों के अधिकार के लिए संघर्ष किया । अधिकारों के कुछ उदाहरण दीजिए जिसमें सरकार को सीमित करने और उसके विरोध में आरम्भ किए गए आंदोलन। (AS$_1$)
3. कहाँ तक नमक सत्याग्रह अपने उद्देश्यों को पाने में सफल रहा? अपना मूल्यांकन दीजिए। (AS$_2$)

4. निम्न में से कौन-सा राष्ट्रीय आंदोलन का भाग था । (AS_1)

   a. विदेशी वस्त्रों की दुकानों के बाहर पहरेदारी

   b. कपड़ा बुनने के लिए हाथ से बना धागा

   c. आयातित कपड़ों को जलाना ।

   d. खद्दर पहनना

   e. उपरोक्त सभी

5. कौन-कौन सी घटनाओं से देश का विभाजन हुआ? (AS_1)

6. पहला अनुच्छेद पढिए जिसका शीर्षक है-1922-1929' की घटनाएँ और इसका उत्तर दीजिए- हिंसा के बाद गाँधीजी ने आंदोलन वापस ले लिया। आप कैसे इसका समर्थन करेंगे ? (AS_2)

7. भारत छोड़ो आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । (AS_1)

8. 1885 से 1947 तक के स्वतंत्रता संघर्ष का समय चार्ट तैयार कीजिए । (AS_3)

9. क्या स्वतंत्रता आंदोलन में महान नेताओं के बलिदान का फल हर मनुष्य तक पहुँचा है? इस पर अपने विचार साझा करें? (AS_6)

अध्याय 12

हैदराबाद में स्वतंत्रता आंदोलन

Freedom Movement in Hyderabad

दक्षिण भारत में अंग्रजों की सर्वोच्च सत्ता में सबसे महत्वपूर्ण राजवंशी क्षेत्र हैदराबाद था। यहाँ निजाम का शासन था जो अंग्रेजी वायसराय से संबंधित था और उनकी योजनाओं का पालन करना अनिवार्य था।

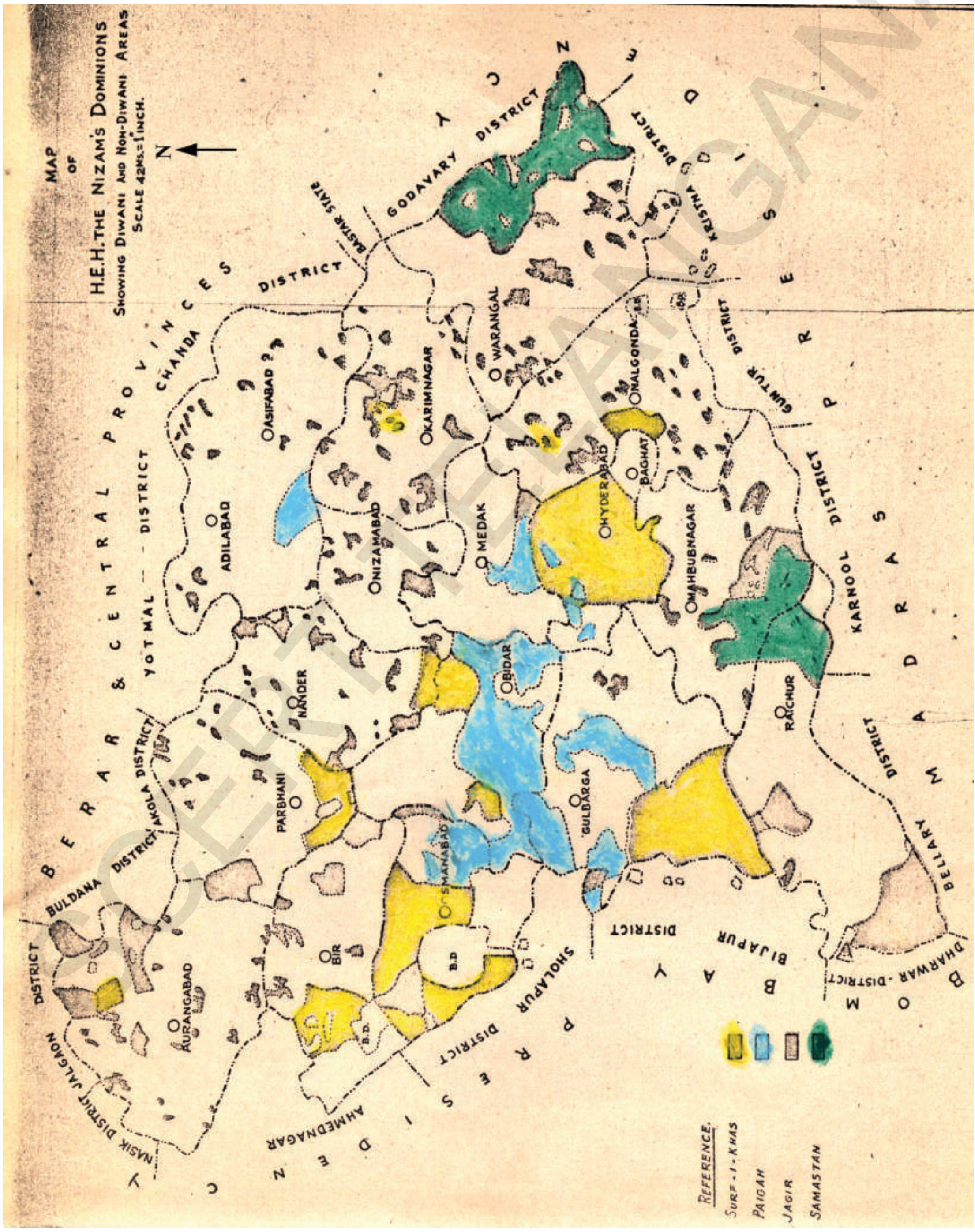
MAP OF H.E.H. THE NIZAM'S DOMINIONS
SHOWING DIWANI AND NON-DIWANI AREAS
SCALE 42MLS=1 INCH.
N
BERAR & CENTRAL PROVINCES
CHANDA DISTRICT
YOTMAL DISTRICT
AKOLA DISTRICT
BULDANA DISTRICT
JALGAON DISTRICT
NASIK DISTRICT
AHMEDNAGAR DISTRICT
SHOLAPUR DISTRICT
BIJAPUR DISTRICT
DHARWAR DISTRICT
BELLARY DISTRICT
KARNOOL DISTRICT
GUNTUR DISTRICT
KRISHNA DISTRICT
GODAVARY DISTRICT
BASTAR STATE
BOMBAY PRESIDENCY
MADRAS PRESIDENCY
ADILABAD
ASIFABAD
NIZAMABAD
KARIMNAGAR
WARANGAL
MEDAK
HYDERABAD
NALGONDA
BAGHAT
MAHBUBNAGAR
BIDAR
GULBARGA
RAICHUR
OSMANABAD
BIR
PARBHANI
NANDER
AURANGABAD
REFERENCE.
SURF-I-KHAS
PAIGAH
JAGIR
SAMASTAN

मानचित्र में निज़ाम के दिवानी क्षेत्र तथा गैर दिवानी क्षेत्र

वायसराय ने राजवंशीय प्रान्तों में अपना निवास स्थापित किया जो उस प्रदेश की योजनाओं का निरीक्षण करते थे और समय-समय पर उनके प्रशासन में हस्तक्षेप करते थे। इस अध्याय में हम ब्रिटिश निजाम शासन में लोगों की स्थिति की जानकारी प्राप्त करेंगे और कैसे उन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। हैदराबाद राज्य में मराठी, कन्नड़, तेलुगु और दक्खिन उर्दू भाषी का समावेश था। इस अध्याय में हम मुख्य रूप से तेलुगू और उर्दू भाषी क्षेत्र पर ध्यान देगें जिससे तेलंगाना जिले का निर्माण हुआ।

राष्ट्रीयता के आरंभिक वर्ष

1888 अक्टूबर में हैदराबाद प्रसिद्ध व्यक्तियों की लघु समिति ने बिल वितरित किए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रसिद्धि के लिए सभा आयोजन के सूचना पत्र वितरित किए। कई शिक्षित वर्गो के विशाल समूह को आकर्षित किया। हैदराबाद के मुल्ला अब्दुल खय्याम कांग्रेस में महावीर हुए। वे कांग्रेस सभाओं में उपस्थित रहे और मुसलमानो से सक्रिय भाग लेने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने उच्च वर्ग पर आरोप लगाया और निजाम राज्य में उन्हें दी गई सुविधाओं का विरोध किया। वे अंजुमन-ए-मारिफ के निर्माण में उत्तरदायी रहे जिसका लोगों ने सामाजिक बुद्धिजीवियों और आर्थिक जीवन को विकसित करना था। विभिन्न समाचार पत्रों में राष्ट्रीय जागृति के विस्तार की झलक प्रकाशित की गई। हैदराबाद तारघर, दक्कन स्टैंडर्ड, मुस्लिम-आइसफील आदि समाचार पत्रों द्वारा राष्ट्रीयता का प्रचार किया गया । इनमें से कई ने राष्ट्रीयता के कारणों को सहयोग दिया ।

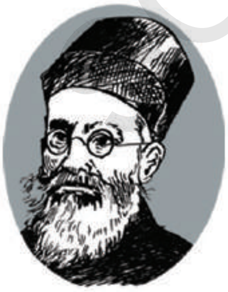
मुल्ला अब्दूल
खय्याम

चादरघाट मेथडिस्ट एपिसकोपल चर्च के रेव गिल्डर आदि मिशनरियों ने कांग्रेस को समर्थन दिया। कांग्रेस ने हैदराबाद में जड़े जमा ली और लोगों मे स्वतंत्रता के प्रश्न, विकास और प्रतिनिधित्व सरकार के आकार कार्य को प्रेरित किया।

1892 में हैदराबाद में आर्य समाज की स्थापना हुई। आर्य समाज ने मजदूरों के लिए प्रशिक्षण स्तर पर रचनात्मक क्रियाकलापों में सेवाएँ की तथा जन विचारों को उभारा तथा सामाजिक-धार्मिक जागरुकता को निर्मित किया। इससे हैदराबाद में राष्ट्रीय आंदोलन में नेताओं का संग्रह हुआ।

सामंती व्यवस्था

वास्तव में निजाम मुगल राजाओं के प्रान्तीय राज्यपाल थे। वे पैतृक जागीरदारों और अधीनस्थ राजाओं की मदद से शासन करते थे। तेलंगाना के मुख्य सामन्ती क्षेत्र है - वनपर्ती, गद्वाल, दोमाकोण्डा, सीनापल्ली, कोल्हापुर, पालवांचा, आत्माकुर और अल्लदुर्गम। जागीरदारों को दर्जनों नहीं सैंकडों गाँवों का नियंत्रण दिया गया। जिसपर उन्होंने शासन किया और वांछित रूप से लोगों से कर भी एकत्र किया। साम्राज्य का शेष भाग देशमुखों की सहायता से निज़ाम के शासन में थे। जिसके बारे में आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है।

निजाम प्राचीन प्रथा ही चाहते थे, जिससे उच्चवर्ग सभी संसाधनों पर अधिकार रखते थे तथा अपनी इच्छानुसार शासन करते थे। वे किसी प्रजातांत्रिक प्रणाली का प्रवेश नहीं चाहते थे जिसमें स्थानीय संस्थाएँ या सभाएँ होती है। VII

निजाम मीर उस्मान अलीखान ने कांग्रेस के कई फरमान या राज्यादेश जो राज्य में राजनैतिक क्रियाओं को रूप वैसे देने वाले फरमान या राज्यादेश लागू किए। पुलिस और सिपाहियों के साथ उनका संबंध रहता था जो लोगों पर पैनी नजर रखते थे।

भाषा और धर्म

हैदराबाद राज्य के निजाम शासक मुसलमान थे जो दक्कनी उर्दू बोलते थे। उस राज्य में अधिक हिंदू थे जो तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषी थे। उर्दू कार्यालय की भाषा थी और 90% से अधिक उच्च अधिकारी मुसलमान थे। प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय तक शिक्षा का माध्यम उर्दू था। यहाँ तक कि तकनीकी पुस्तकों का भी उर्दू में अनुवाद किया गया ।

अपने साम्राज्य में विद्यालय स्थापना में निजाम बहुत धीमे थे । कई जागीरदारों ने अपने क्षेत्रों में विद्यालय खोलने की अनुमति नही दी। निजाम को भी सदैव संदेह रहता था कि निजी विद्यालयों में निजाम के विरोध में प्रचार किया जाएगा । उन्होने निजी विद्यालयों को निरूत्साहित किया और उन विद्यार्थियों को उस्मानिया विश्वविद्यालय में प्रवेश नही दिया जाता था। इसी परिणामस्वरूप 1941 में भी केवल 9.3% लोग शिक्षित थे। (4.3% महिलाएँ शिक्षित थी) इसके विपरित अन्य राजवंशीय प्रान्तों जैसे त्रिवेन्द्रम में 47.7% शिक्षित थे, बड़ौदा में 23% और मैसूर में 12.2% थे । जब बालगंगाधर तिलक के नेतृत्व में तीव्रवादी राष्ट्रवादी आंदोलन को एक नया रूप मिला जो हैदराबाद को भी प्रभावित किया। भाषा और धर्म मुख्य रूप से समस्या बन गई। उर्दू हैदराबाद राज्य की अधिकारी भाषा बन गई। तेलंगाणा राज्य के प्रजा के लिए तेलुगु भाषा आंदोलन एक प्रबल रूप लिया।

- क्या आप सोचते है कि हैदराबाद लोगों ने जो समस्याओं का सामना किया वह ब्रिटिश शासन के लोगों की समस्याओं से अलग थी ?
- क्या अंग्रेज और निजाम के व्यवहारों में प्रजातंत्र के प्रति क्या भिन्नता थी ?

Fig 12.1: Arts College, Osmania University

अन्तिम निजाम (1911-1948)

मीर उस्मान अली खान, हैदराबाद राज्य का अन्तिम शासक ने अंग्रेजों के प्रभाव के फलस्वरूप प्रशासनिक व्यवस्था के आधुनिकीकरम के लिए कोशिश की। औपनिवेशिक स्वामियों ने उपनिवेशों की जरूरतों के लिए कृषि और उद्योग को विकसीत करने के लिये नियंत्रण का प्रयोग किया। बड़ी सिंचाी परियोजनाओं के लिए निजाम सागर, अली सागर जैसे जलाशयों का निर्माण किया गया जो प्रसिद्ध इंजीनियर सर.एम.विश्वेश्वरय्या द्वारा डिजाइन किए गए थे।

निजाम वे अलग रेलवे सड़क, वायुमार्ग और बिजली विभागों को शुरू किया। राज्य के औद्योगिक विकास के लिए एक करोड़ की पुंजी लगाकर एक औद्योगिक व्यास निधि बनायी गयी। निजाम काल के महत्वपूर्म उद्योग सिंगरेनी कालेरीज, निजाम चीनी मिल, आज़म जाही मिल्स, सिरपुर कागज मिल आदि। इन सभी उद्योगों ने राज्य की अर्थ व्यवस्था को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्म भूमिका निभाते है और हैदराबाद राज्य के वासियों के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करते है।

1941 में निजाम ने हैदराबाद स्टेट बैंक (अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) की स्थापना राज्य के सेन्ट्रल बैंक के रूप में की। जो उस्मानिया सिक्का हैदराबाद की मुद्रा के रूप में चलाने थे। यह एक केवल राज्य था जो अपनी मुद्रा हैदराबादी रूपि के नाम से जाना जाता है जो भारत के शेष हिस्सों से अलग था।

महत्वपूर्ण सरकारी संस्थाएँ जैसे उस्मानिया जेनरल अस्पताल, उस्मानिया विश्व विद्यालय, उच्च न्यायालय, सेन्ट्रल राज्य पुस्तकालय, यूनानी दवाखाना, जुबलीहाल टाउन हाल (जो वर्तमान में एसेम्बली हॉल) हैदराबाद संग्रहालय, जो वर्तमान में राज्य संग्रहालय, दिल्ली का हैदराबाद हाउस, उस अवधि में बनाए गए थे। ऐतिहासिक स्मारकों को रक्षा के लिए 1914 में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। सहसापेक्ष विकास औपनिवेशिक राजनैतिक स्थिति में जगह ले लिया था, लेकिन इससे मध्यम वर्ग हैदराबाद की वृद्धि और नए राजनैतिक विचारों को आरम्भ करने के लिए मदद मिली है।

मीर उस्मान अली खान महत्वाकांक्षी थे और अंग्रेजों के सन् 1947 के भारत छोड़ने के पश्चात भी वे हैदराबाद के स्वतंत्र राजा बनकर राज्य करना चाहते थे। राज्य की जनता की इच्छा इसके विरुद्ध थी वह स्वतंत्र भारत का अंग बनाना चाहती थी। आओं देखे किस प्रकार उनकी इच्छा की पूर्ति हुई।

आन्ध्र जन संघ (संग्रहालय आंदोलन)

20 वीं सदी के आरंभ में आन्ध्र क्षेत्र में असंख्य तेलुगु पुस्तके छापी गई और पुस्तकालयों में उसका वितरण किया गया। तेलंगाना के शहरों तथा नगरों में पुस्तकालय स्थापित किए गए। 1901 में कामराजू लक्ष्मण राव के साथ नयनी वेंकटरंगाराव और राविचेट्टुरंगाराव ने श्रीकृष्णदेव राय आन्ध्र भाषा निलयम की स्थापना की जो आज भी कार्यरत है। हैदराबाद राज्य में तेलुगु के साथ भेदभाव किया गया। 1921 में हैदराबाद मे विवेक वर्धिनी कॉलेज में एक व्यक्ति को अपमानित किया गया क्योंकि उसने उर्दू या अंग्रेजी के स्थान पर तेलुगु में कानून रखा। इस घटना से तेलुगु भाषी बहुत दुखी हुए और तेलुगू को उचित स्थान दिलाने के लिए प्रोत्साहित हो गए ।

चित्र 12.2: निजाम के उपनिवेशी अधिकारी और भारतीय अधिकारी आदिलाबाद के केसलापूर में लोगों से मिलते हुए।

1924 में माडपाटी हनुमन्त राव और अन्य ने मिलकर पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना के लिए आन्ध्र जन संघम की स्थापना की जिससे विद्वान एवं विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर तथा तेलुगु प्रतिलिपियों को प्राप्त कर तेलुगू साहित्य को विकसित किया जा सके। उन्होंने लघु पुस्तके प्रकाशित की और गाँवों में पुस्तकालयों की स्थापना के लिए सभाएँ आयोजित की। इन पुस्तकों में छोटे व्यापारियों, किसानों, मजदूरों और गरीब लोगों की समस्याओं को बताया गया। इन्होंने 4000 से अधिक विद्यालयों की स्थापना की जिसमें से कई सरकार के विरोध के कारण बंद कर दिए गए। हो ना हो आंदोलन में तीव्र प्रगति आई जब अधिक से अधिक लोग महिलाएँ, विद्यार्थी, गायक आदि ने इसमें भाग लिया ।

- आपके क्षेत्र में कौन सी भाषाएँ बोली जाती है ?
- आज हमारे प्रदेश में किस माध्यमों से विद्यालयों और कॉलेजों में पढाया जाता है?
- क्या सभी शिक्षाएँ मातृ भाषा में दी जानी चाहिए, आप क्या सोचते हैं?
- आप ऐसा क्यो सोचते हैं कि मातृ भाषा में पुस्तकों का प्रशासन महत्वपूर्ण है?

आन्ध्र महासभा

विभिन्न विभागों के नेताओं ने एकत्रित होकर विशाल संस्था में संगठित होना चाहा तथा इसीलिए 1930 में आन्ध्र महासभा की स्थापना की गई। माड़पाटी हनुमंत राव, रवि नारायण रेड्डी, आदि इसके निर्माता थे। इसका प्रमुख उद्देश्य था अधिक शैक्षणिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना । उन्होंने सरकार के सामने विद्यालयों की स्थापना के लिए और लोगों के दुखों को कम करने के लिए आवेदन एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए । 1935 के वार्षिक सम्मेलन में निम्न माँगे जानकारी में आई ।

1. प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू किया जाय ।
2. मातृ भाषा तेलुगु शिक्षा का माध्यम होना चाहिए।
3. लोगों के जागीर पर कानूनी अधिकार की सुरक्षा की जाए।
4. बाल-विवाह को प्रोत्साहन न दे ।
5. स्थानीय स्व शासन सरकार को आरंभ किया जाए।
6. अस्पृश्यता को मिटाए और समाज में अछूतों को स्थान दिया जाय ।

आपने देखा कि शैक्षणिक एवं सामाजिक आंदोलनों के उद्देश्यों को एक साथ मिला दिया गया। एम्स के कार्य तेजी से संपूर्ण तेलंगाना में फैल गया और पिछड़े क्षेत्रों में भी पुस्तकालय एवं सांस्कृतिक

केन्द्र स्थापित किए गए । किसान और मजदूर लोग समाचार पत्र पढने और सुनने के लिए वर्तमान विषयों पर चर्चा करते तथा अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को निजाम सरकार और दोरा के साथ चर्चा करने आते थे। इन केन्द्रों में रात्रि कक्षाएँ और चर्चाए आयोजित की जाती थी। लोग समाज सुधारक जैसे विरेश लिंगम और राष्ट्रवादी गाँधीजी और नेहरू जी आदि को पढते थे। उन्होंने स्थानीय समस्याओं पर नई पुस्तके भी लिखी। गोलकोंडा पत्रिका के संपादक सुरावरम प्रतापरेड्डी लोगों की राष्ट्रीयता से प्रभावित हुए । कुछ पुस्तकालय के तेजस्वियों जैसे कालोजी नारायण राव, दाशरथी कृष्णमाचार्य , दसरथी रंगाचार्य ने हैदराबाद राज्य में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया ।

अधिक से अधिक गरीब लोग आंदोलन से जुड़ने लगे। उन्हें आशा थी कि एम्स उनकी समस्याओं और शिक्षा की ओर ध्यान देगा। निजाम सरकार ने केन्द्रों पर कई अत्याचार किए क्योंकि ये उग्रवादी विचारों के केन्द्र बन रहे थे। 1940 तक कई साम्प्रादाय एम्स से जुड़ने लगे और वेट्टी की समाप्ति, भू सुधार, दोरा आदि की मांगों को मानने के लिए विवश किया। एम्स के प्राचीन नेता ने इसे अस्वीकृति दी और वे चाहते थे कि यह शैक्षणिक एवं साहित्यिक अधिकरण को अनवरत चलाना चाहिए।

- क्या आपके गाँव या मुहल्ले में कोई सार्वजनिक पुस्तकालय है?
- अगर सार्वजनिक पुस्तकालय है तो वहाँ के कार्यों के बारे में अपने सहपाठियों को बताएँ।
- आप ऐसा क्यों सोचते है कि उस समय पुस्तकालय निजाम विरोधी और भू स्वामी विरोधी केन्द्र बन गए?

- आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि निजाम और जागीरदार तेलुगु माध्यम विद्यालय के पक्ष में नही थे ?

हैदराबाद राज्य कांग्रेस

अंग्रेजी शासन में केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यरत थी और वह प्रत्यक्ष रूप से किसी राजवंशीय प्रांत में कार्यरत नहीं थी। इस कारण राजवंशीय प्रदेशों की सामान्य जनता को अत्याचार और अन्याय का सामना करना पड़ा और वे अधिक से अधिक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना चाहते थे । ऐसे राज्यों में प्रांतीय कांग्रेस का निर्माण किया गया जो प्रजातांत्रिक अधिकारों सुधारों, प्रतिनिधित्व सरकार आदि के लिए संघर्षरत थी। यह हैदराबाद में भी हुआ।

1938 में जब हैदराबाद में राष्ट्रीयता का ज्वार बढने लगा, निजाम मे प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत वंदेमातरम गाने पर रोक लगा दी। इसका सामुहिक प्रतिकार किया गया और स्कूल और कालेज के विद्यार्थियों ने इस गीत को गाकर विरोध में भाग लिया। फलस्वरूप निजाम ने महाविद्यालयों को बंद कर दिया तथा विद्यार्थियों को अन्य राज्यों में जाकर पढ़ाई पूरी करने के लिए विवश किया ।

इसके प्रत्युत्तर में राज्य के युवा वर्ग हैदराबाद के राष्ट्रवादियों जो देश के कांग्रेस आदांलनों से सहानुभूति रखते थे, ने 1938 में हैदराबाद राज्य

माडपाटी
हनुमन्त राव

स्वामी रामानंद
तिर्था

कांग्रेस की स्थापना की। इसके प्रमुख नेता स्वामी रामानंद तीर्थ और कई अन्य युवा नेता जैसे बी. रामकृष्णा राव, जमालपुरम, केशवराव, के.वी. रंगा रेड्डी, जे.वी. नरसिंहराव, आदि उच्च स्तरीय नेता थे। युवा कांग्रेस नेता जैसे एम.चेन्ना रेड्डी, जो बाद में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तथा पी.बी. नरसिम्हा जो भारत के प्रधानमंत्री बने उन्होंने राज्य कांग्रेस के लोगों को मौलिक अधिकार दिए जाने, कानून एवं विनिमय की माँग की। वे चाहते थे कि भाषण, प्रेस, संगठन, धार्मिक जुलूस निकालने आदि पर लगाए गए प्रतिबंध को शीघ्र हटाएँ। उन्होंने यह भी मांग रखी कि प्रांत में कानून चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा बनाए जाए न कि निजाम द्वारा ।

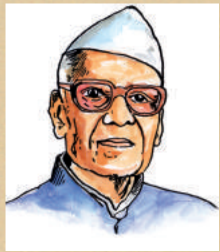

कोंडा लक्ष्मण बापूजी

कोंडा लक्ष्मण बापूजी ग्रामीण जाति पक्षपात के विरूद्ध लड़ने वाले नेता के रूप में उभर कर प्रसिद्धि पायी। निजामाबाद के आरमूर तालुके के दास्यता शोषण ने सचाई की घोषणा जातिगत मज़दूर दलो एवं सम्पूर्ण महत्वपूर्ण सामग्रियों की ओर उनका ध्यान केन्द्रित किया। निजाम शासन के सशस्त्र कार्यवाही के विरुद्ध प्रजा को बम बारी की कला में प्रशिक्षित कर बापूजी निजाम के शासन को हटाना चाहते थे। वे पेशेवर वकील थे। उन्होंने विसुनूरु रामचन्द्रारेड्डी के विरूद्ध पीड़ित व्यक्तियों के केसों का बचाव कर उन्हें न्याय दिलवाया। उनका जीवन प्रजातांत्रिक सह अस्तित्व के भिभ राजनैतिक मुद्दों के समरूपता का संदेश था।

1942 में राष्ट्रीय भारत छोड़ो आंदोलन की धुन में सत्याग्रह आरम्भ किया । इस पर रोक लगा दी तथा नेता बंदी बना लिए गए। 1946 में जब भारत की स्वतंत्रता निश्चित मानी गई तब हैदराबाद राज्य कांग्रेस निजाम के शासन का अंत और गणतंत्र भारत में हैदराबाद राज्य को संलग्न करने का प्रचार करने लगे ।

- वन्देमातरम गीत की अधिक जानकारी प्राप्त करें ।
- स्वामी रामानंद तीर्थ के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए ।

तेलंगाना सैनिक संघर्ष (1946-51)

दसवें अध्याय में आपने हैदराबाद राज्य के दौरा और जागीरदार के बारे में पढा है। तेलंगाना क्षेत्र के किसानों और श्रमिक वर्ग की समस्याओं का स्मरण कीजिए ।

1929 से नलगोंडा, पिल्लालमरी, करीमनगर आदि में रयन्त्र संगम की स्थापना पटेल, पटवारी, देशमुख, कर विभाग तथा पुलिस अधिकारियों के द्वारा किए गए शोषण के विरुद्ध लड़ने के लिए की गई । पुस्तकालय एवं रात्रि विद्यालय की स्थापना में एम्स भी क्रियाशील था । एम्स के साम्प्रदायकों ने जो एम्स और किसान सभा के लिए कार्य करते थे 1946 में एम्स पर जीत पा ली। उन्होंने वेट्टी के विरोध में तीव्र कार्यक्रम प्रस्तुत किया तथा किसानों के लिए भूमि की माँग की। एम्स नलगोंडा, करीमनगर और वरंगल जिलें में फैलने लगा। एम्स ने प्रान्तीय स्तर पर अपनी शाखाएँ निर्मित की जो संघम के नाम से जानी जाती है। साम्प्रदायिकों ने संघम को अपना सक्रिय योगदान दिया। किसानों की माँगों को सीमित किया गया जैसे गैर कानूनी सामंतवादी अधिकरण, कर लगाना,अत्यधिक किराए में वृद्धि, किराएदार का हस्तक्षेप और वेट्टी को समाप्त करना।

इसका यह अर्थ हुआ कि ग्रामीण समाज के सभी वर्गों (छोटे भूपति, भूपति और श्रमिक वर्ग) को, दोरा और निजाम के विरूद्ध संघर्ष में खींच लिया ।

कर वसूली का विरोध करने वापली लवविासनुरु रामचंद्र रेड्डी के दुष्कर्म के बारे में आंध्र महासभा (AMS) ने सरकार के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। जब अधिकारी जाँच के लिए आये तो, एक तरह का उपदद्रव मच गया। रामचंद्र रेड्डी ने हिंसात्मक रुख अपनाने की कोशिश की ताकि कोई जाँच न हो और उसके द्वारा अनाज कर का जो दुरुपयोग हो रहा है वह अधिकारियों के नज़र में न आये। दोद्दी मल्लय्या के नेतृत्व में आंध्र महासभा के कार्यकर्ता, गढ़ी से गुजर रहे थे, उसी समय विसनुरू रामचंद्र रेड्डी के अनुयायी मिसकीन अली ने यह सोचकर दीवार की छेद से गोली चलाई कि वे लोग गढ़ी पर हमला कर रहे हैं। गोली दोद्दी कोमुरय्या को लगी और उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। इसके बदले में जमींदारों ने सादीवेंदी गाँव में प्रदर्शन पर गोलियाँ चलाईं और 1946 जुलाई में दोद्दी कोमुरय्या की हत्या कर दी गई। इसके बदले में जमींदारों ने सादीवेन्दी गाँव में प्रदर्शन पर गोलियाँ चलाई और 1946 जुलाई में दोदी कोमरय्या की हत्या कर दी गई । इस घटना ने तेंलगाना सैनिक संघर्ष चिंगारी का काम किया।

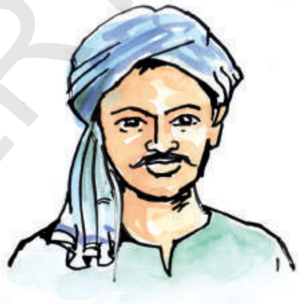
दोद्दी कोमुरय्या

गाँव-गाँव में संघम स्थापित किए गए और दोदी कोमरय्या के गीत गाते हुए जुलूस निकाले गये। उन्होंने वेट्टी को समाप्त किया तथा किसानों को उनकी भूमि से बेदखल किया। दोरा और निजाम ने आंदोलन छुय दबाना चाहा। सैनिक योद्धाओं की टुकड़ी बनाने पर संघम को विवश होना पड़ा । वे जमींदारों को भगाने लगे और ग्राम पंचायत की सहायता से अपना शासन स्थापित किया।

गुरिल्ला सैनिक टुकड़ी गाँवों और ग्राम राज समिति जो ग्राम वासियों की समस्या दूर करने एवं सुरक्षा के लिए स्थापित की गई थी। संघर्ष के संदेश को देने के लिए सांस्कृतिक दल बुररा कथा गाते थे और वे गाँव-गाँव जाकर लोगों को जागृत करने लगे ।

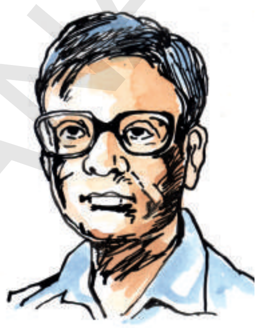
नल्ला नरसिंहुलु

नल्ला नरसिम्हलु ने मदद करने की भावना से पीपुलस मूवमेन्ट दस्तों का गठन किया। ज्यादातर लोग गुलाम दास्यता कार्यकर्ता थे। इन दस्तों के मार्गदर्शन संगम ने समानांतर सरकार और पीपुल्स कोर्टस की स्थापना की। इस प्रकार नलगोण्डा एवं वरंगल जिले निजाम के शासन से टूटकर उसके स्थान पर दास्यता की स्थापना हुई।

जहाँ-जहाँ संगम-शासन हुआ वेट्टी का समापन, किरायेदारों की बेदखली को कर दिया गया, किराए घटाए गए, मज़दूरों के वेतन बढाये गये, जमींदारों की अतिरिक्त भूमि का पुनः वितरण भूमिहीनता को किया गया। सहकार एवं ग्रामीम अधिकारियों के दस्तावेज़ों को जलाकर जमींदारों एवं व्यापारियों जब्त किये हुये अनाज को वापस ले लिया गया।

1947-48 में यह आंदोलन विशाल स्तर पर स्वतंत्र भारत में सम्मिलित की माँग के साथ निजाम विरोधी और जमींदार विरोधी आंदोलन में परिवर्तित हो गया। लोगों ने साहूकारों और ग्रामीण अधिकारियों के खातों को जला दिया और भू स्वामियों एवं व्यापारियों के अनाज गोदामों पर ताले लगा दिए। आंदोलन के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए विभिन्न वर्गों को एकीकृत कर तेलुगु भाषियों के तेलंगाना में मिलाकर एक विशाल आन्ध्रा बनाना चाहते थे।

कुछ जोशीले उत्साहित मुसलमानों ने हैदराबाद राज्य में निजाम शासन और मुसलमानों के प्राधान्य को बनाए रखने के लिए इत्तेहादूल मुस्लिमीन संस्था की स्थापना की। उन्होंने एक स्वयं सेवक दस्ते की रजाकार के नाम से स्थापना की। उन्होंने सबसे पहले बुद्धिजीवी मुसलमानों पर आक्रमण किया जो राज्य में प्रजातंत्र राजनीति स्थापित करना चाहते थे। प्रजातांत्रिक राजनैतिक दलों पर आक्रमण तथा साम्प्रदायिक आक्रमणों के लिए हथियार अपना लिए । उन्होंने तेलंगाना के किसान संघम और सांप्रदायिक सैनिको से लड़ना आरम्भ किया। इसे देखकर भद्र लोगों और दोरा ने उन्हें सहयोग दिया। सांप्रदायिक किसानों और दोरा से सहयोग प्राप्त रजाकारों के बीच कटु संघर्ष हुआ।

निजाम ने इसमें हस्तक्षेप पर कोई बाधा नहीं पहुँचायी और केवल परिस्थिति का निरीक्षण किया 1948 में भारत सरकार ने एक्शन लेकर हैदराबाद को भारत में मिला लिया। भू-सुधार लागू करने तथा किसानों को दोरा से बचाने के लिए तेलंगाना सैन्य संघर्ष सम्मिलित होने के बाद भी चालू रहा। किसी भी तरह से भारतीय सेना द्वारा इसे दबा दिया गया और 1950 तक पूरी तरह समाप्त हो गया ।

- आप क्या सोचते हैं कि तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष को बनाने में ए.एम.एस. की क्या भूमिका थी?

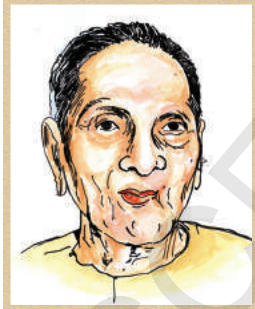

Ravi Narayana Reddy

रावि नारायण रेड्डी एक प्रसिद्ध नेता जिन्होंने निजाम के विरुद्ध आंदोलन में भाग लिया और संवैधानिक सुधारों को 1936 में प्रस्तावित किया उन्होंने आन्ध्र महासभा की दिशा को वाम राजनीति में मोडने में और तेलंगाना किसान संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तेलंगाना स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के हैदराबाद भाग के संस्थापक कम्यूनिस्ट पार्टी के हैदराबाद भाग के संस्थापक सदस्य थे। निज़ाम सरकार को हटाने के लिए उन्होंने किसानों के संघर्ष को लोकतांत्रिक आंदोलन से जोड़ दिया।

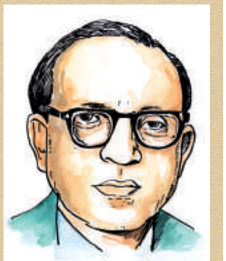

Mukhdum Mohinuddin

मुक्दुम मोहिनोद्दीन हैदराबाद शहर के बौद्धिक लोगों के महत्वपूर्ण अंग थे। वे उस्मानिया विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं छात्रों द्वारा बनाये गये कोमरेड्स असोसिएशन के सदस्य थे। कम्यूनिस्ट पार्टी के हैदराबाद विभाग के वे सचिव भी रह चुके है, वे हैदराबाद नगरपालिका और प्रागा टूल्स (Praga tools) के साथ ग्रामीण संघर्षों से जुड़े थे।

देवुलपल्ली वेंकटेश्वर राव एक प्रसिद्ध कम्यूनिस्ट नेता थे। नलगोंडा जिले के सूर्यपेट तालुक के चन्दुपटला नामक गाँव में सन् 1917 में आप का जन्म हुआ। भारतीय राष्ट्रीयता के सम्पर्क में आकर आप सुधारवादी आन्दोलना से जुड़ गए। तेलंगाना में लोगों के गुप्त आन्दोलनों की संरचना में आप ने अग्रण्य भूमिका निभायी। ए.एम.एस. कार्यकर्ताओं को लेकर गाँवों में आपने कम्यूनिस्ट पार्टी की स्थापना की। उन्होंने दास्यता और दोरा के लोगों पर अत्याचारों के विषय पर कई पुस्तकों को छपवाया। आन्ध्र महा सभा के मध्य आक्रामक कदमों द्वारा सशस्त्र संघर्ष का मार्ग बनाया। सामन्ती दमन के विरुद्ध तेलंगाना के लोगों के आन्दोलन (Telangana people’s movement) का प्रारम्भ सन् 1946 से पूर्व मानकर उसका मजबूत समर्थन किया।

देवुलपल्ली
वेंकटेचशश्लवक्षर राव

शेख बन्दगी संघर्ष लोगो में एक लहर की भाँति बज करता है। बन्दगी को उनके भाई अब्बास अली जो विसुनूरू रामचन्द्रा रेड्ड्डी (विसुनुरू देशमुख) का अनुयायी ने भूमि के भाग के लिये चुनौती दी। जब यह मामला अदालत पहुँचा, बंदगी की जीत हुी। ऐसा प्रतीत हुआ कि ये हार विसुनूरू देशमुख की हुई जिसने भाई अब्बास अली को भड़काया था। जिससे वह बेचैन हो गया, अपने पालतू गुंडो के हाथो उसने बंदगी की हत्या करवा दी। आसपास की ग्रामीण जनता में इस घटना से क्रोध बढ़ गया। ग्रामीण बंदगी की याद में स्मारक बनाकर उन्हें जनता के संघर्ष का चिह्न बना दिया और इस प्रकार गाँवों में लोगों के आंदोलन मजबूत होने चले गये।

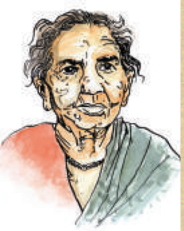
Ilamma

उस समय भू स्वामी छोटे किसानों के मामले में हस्तक्षेप और उनकी भूमि को हड़प कर उन्हें उच्च किराए पर नए किरायेदारों को दे देते थे। संघम ने इसका विरोध सक्रियता से किया। अत्याचारी जमींदार विसनुरी रामचंद्र रेड्डी नें धोबन आइलम्मा की भूमि बलपूर्वक छीनने का प्रयास किया। संघँ में इसका जोरदार विरोध किया।

अरूट्ला रामचन्द्र रेड्डी ने अपने छात्रावास्था में ही क्रान्तिकारी खैय्ये का रूप दिखा दिया। उस्मानिया विश्वविद्यालय के विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने आन्ध्र महासभा की राजनैतिक गतिविधियों में भाग लिया। (राज्य काँग्रेस और आर्य समाज) जब निजाम सरकार जबरन कर वसूलती और दोरा खेती जब्त करते थे उन्होंने उनका दट के सामना किया। उन्होंने भुवनगिरी, मुन्डराई, जनगाँव के चावल मिला पर धावा बोला और अनाज लूटकर उसे जरूरतमन्द में बाँट दिया। कदिवेन्दी और पालाकूर्ति के आसपास उन्होंने संघम का निर्माण करवाया।

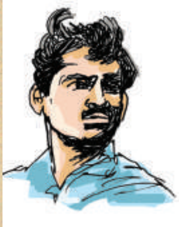
आरुट्ला
रामचंद्र रेड्डी

बद्दम येल्लारेड्डी 1930 में नामक सत्याग्रह में भाग लेने वाले राष्ट्रीय नेता थे। हैदराबाद में उन्होंने हरिजन उत्थान कार्यक्रम अपने हाथ में लिया। बाद में वे कम्यूनिस्ट नेता बने और तेलंगाना सशास्त्र संघर्ष के लिए काम किया। बीमीरेड्डी नरसिम्हा रेड्डी वापमंथी विचार धारा से प्रभावित होकर कम्यूनिस्ट बन गए। जमींदार एवं सरकारी अफसरों के विरुद्ध वेट्टी संघर्ष के लिए आवाज उठायी। वे निम्न स्तर के कार्यकर्ता से दलम के नेता नियुक्त हुए। बोम्मागानी धर्मभिक्षम विद्यार्थी जीवन में ही राजनैतिक गतिविधियों से जुड़ गए। निर्धन बच्चों के लिए उन्होंने सूर्यापेट में छात्रावास का निर्माण करवाया। बाद में नलगोण्डा जिला के वे प्रसिद्ध कम्यूनिस्ट नेता बन गए।

- किसानों की समस्याएँ तेलंगाणा के सशस्त्र आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है और कुछ?
- आप ऐसा सोचते हैं कि दोरास हिन्दू होकर भी रजाकार की सहायता क्यों करते थे?

भारत में विलय (समवेश)

1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस्मान अली खाँ, निजाम हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य रखना चाहते थे। भारत की सामान्य जनता स्वतंत्र भारत में समावेश होना चाहती थी और रामानंद तीर्थ के नेतृत्व में हैदराबाद राज्य कांग्रेस ने विशाल स्तर पर प्रदर्शन का आयोजन किया। रजाकारो ने उन पर भी आक्रमण किया। तब भारत सरकार ने इस निरंकुशता को समाप्त करने का निर्णय लिया और हैदराबाद में सैन्य बल को भेजा। उस समय गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाया। भारत सरकार ने निजाम से प्रजातंत्र प्राप्त किए जाने तक शासन करने के लिए कहा। जमींदारी प्रथा को समाप्त करने तथा निर्वाचन द्वारा प्रजातंत्र के लिए विवश किया। जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया तब से निजाम का शासन समाप्त हो गया। परन्तु उस्मान अली खाँ हैदराबाद के राजप्रमुख बने रहे ।(राज्य का मुखिया) लेकिन उन्हें भारतीय सरकारी अधिकारियों के आदेशानुसार कार्य करना पड़ता था। 1952 में चुनाव आयोजित किए गए और हैदराबाद राज्य में चुनी हुई सरकार की स्थापना हुई। हैदराबाद राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बुरगुल्ला रामकृष्ण राव बने।1956 तक निजाम राजप्रमुख के रूप में कार्य करते रहे। तेलंगाना नेताओं ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आन्ध्र और तेलंगाना क्षेत्र को मिलाने तक राजप्रमुख अब भारतीय राष्ट्रपति द्वारा नियुकत होकर राज्यपाल बन गए। आंध्र तेलंगाणा राज्य जेंटेलमेन अग्रीमेंट से मेंआंध्र प्रदेश राज्य का अवतरण हुआ। नयी सरकार बनने के बाद इस अग्रीमेंट का उल्लंघन किया गया जिससे तेलंगाणा राज्य में असंतोषजनक स्थिति उत्पन्न हुई। पानी व सिंचाई, शिक्षा और नौकरी के विविध आयामों में सरकार द्वारा दिखाई गई असमनताओं को कारण तेलंगाणा में प्रत्येक राज्य के अवतरण होने की आकांक्षाएँ बढ़ी। यह तेलंगाणा आंदोलन कैसे बदला अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे।

चित्र-12.3: उस्मान अली खाँ और सरदार वल्लभ भाई पटेल

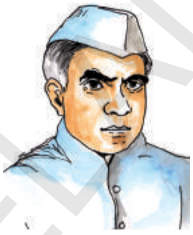

Burgula Ramakrishna Rao

- आप ऐसा क्यो सोचते हो कि समावेश के बाद भी निजाम को अधिकार दिए गए?
- आप ऐसा क्यों सोचते है कि जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए आदेश पारित किए?
- आप ऐसा क्यों सोचते है कि 26 जनवरी 1950 से निजाम का शासन समाप्त हो गया ?

TELANGANA

तेलंगाणा संघर्ष में महिलाएँ

महिलाओं को निजाम और दोरा के शासन में कई समस्याएँ झेलनी पड़ी । वे निरंतर शोषित और अपमानित की गई। वे केवल भूपतियों के लिए ही काम नहीं करती थी बल्कि अपने परिवार का पालन लघु या बिना संसाधनों के करती थी। कई महिलाएँ भूपतियों की गुलाम बनाई जाती थी और उन्हें विवाह करने की अनुमति नही होती थी। ऐसी महिलाएँ आन्ध्र महा सभा की रात्रि स्कूल में प्रवेश लेकर और संघम और साम्प्रदायिक दल से जुड़ना चाहती थी। कुछ ने हथियार उठा लिए और रजाकार से युद्ध किया, कुछ ने गीत गाकर लोगों को प्रभावित किया, उनमें से कुछ ने डाक्टर और नर्स की पात्रता निभाई परन्तु आंदोलन की रक्षा के लिए उन्हें कई त्याग करने पड़े। एक महिला दुवारा दिए गए साक्षात्कार को पढिए।

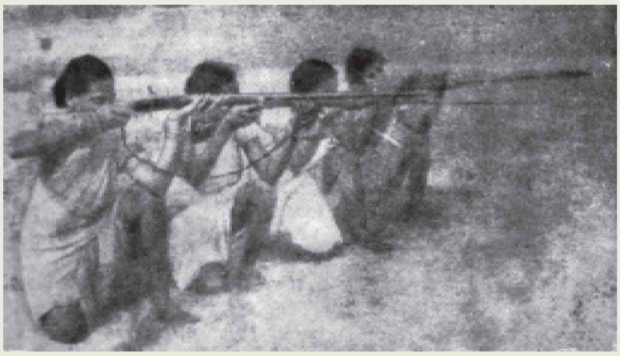

चित्र- 12.4: गुरिल्ला महिलाओं की टुकड़ी

मेरा नाम कमलम्मा है। मैं मनुकोटा तालुका के एक गाँव से आई हूँ। हमारा परिवार बन्धुआ मजदूर है। किसी भूपति के घर में मेरी माँ गुलाम थी....जब मैं पन्द्रह वर्ष की थी मेरे पिता का देहान्त हो गया। उस समय तेलंगाना संघर्ष आरम्भ हो चुका था। दोरासानी मेरी एक बहन को अपनी बेटी की दासी बना कर भेजना चाहती थी......दोरासानी मेरे पति को मारा करती थी। बन्धुआ मजदूर की यह जिंदगी होती है....भैंसों को चराना, गोबर जमा करना, अकेले को सब कुछ करना पड़ता था। वे उन्हें गुण्डा के रूप में भी प्रयुक्त करते थे। इन भूपतियों के घ़रों की समस्याएँ असहनीय हो जाने के कारण हम संघर्ष मे शामिल हो गए......

सबसे पहले मेरा भाई सेनापति बना.....मेरे पति और मैं भी साम्प्रदायिक दल में शामिल हो गई। सांस्कृतिक टुकड़ी मे मेरा काम था। मेरी आवाज अच्छी थी, मैं गाना गाया करती थी, अनेक स्थानों पर घुमती थी......हमने जंगल में काम किया और कोया जनजाति महिलाओं की सहायता की...मैं अस्पताल केन्द्र में भी थी और प्राथमिक चिकित्सा करना सीख लिया तथा इन्जेक्शन भी देती थी.....जंगल में मेरे बेटे का जन्म हुआ तब मेरे साथी ने कहा, बच्चा रोएगा और हम सभी इस बच्चे के कारण पकड़े जाएंगे। तुम इसे किसी को दे दो या कहीं पर छोड़ दो...। परंतु उसे किसी ने नही लिया। मैने दो दिन तक चलकर एक कोयले की खान में काम करने वाले के पास छोड़ दिया.....उसके पश्चात मेरा शरीर या मस्तिष्क मेरे अंकुश में नही रहा। मेरी आँखों से धरती पर एक आँसू की बूंद गिरी।....

मुख्य शब्द

1. फरमान
2. वेट्टी दास्यता
3. सामंती प्रथा
4. राजा के अधिकृत
5. कानूनी अधिकार
6. गुरिल्ला टुकड़ी
7. जागीरदार
8. प्रतिनिधित्व सरकार

अर्जित ज्ञान का विकास

1. आप ऐसा क्यों सोचते है कि अन्य राजवंशीय प्रान्तों की अपेक्षा हैदराबाद राज्य में साक्षरता दर कम थी ? (AS$_1$)
2. शिक्षा के विकास के लिए आन्ध्र महा सभा के कार्यों का वर्णन कीजिए । (AS$_1$)
3. हैदराबाद राज्य कांग्रेस की क्या मांगे थी और 1948 के बाद उनमें से कितनी पूरी की गई? (AS$_1$)
4. क्या आप सोचते है कि तेलंगाणा सशस्त्र संघर्ष ने निजाम के शासन को समाप्त करने में सहयोग दिया था ? (AS$_2$)
5. निम्न शीर्षक के गद्यांश को पढिए -''राज्य में सामंती प्रथा'' और निम्न का उत्तर दीजिए । क्या आप निजाम की सामंती प्रथा का समर्थन करते हैं या नहीं? क्यों ? (AS$_2$)
6. अतीत में कई शासकों के विरुद्ध आंदोलन चलाए गए। वर्तमान में चलाए गए आप किसी आंदोलन को जानते हैं? अगर हाँ तो वे कौन से है? (AS$_4$)
7. आपने इलाक की लाइब्रेरी के बारे में जानकारी हेतु आप लाइब्रेरियन से क्या प्रश्न पूछेंगे ? (AS$_4$)
8. भारत के मानचित्र में निजाम शासन के निम्न स्थानों को सूचित कीजिए। (AS$_5$)

   अ) औरंगाबाद आ) वरंगल इ) रायचूर ई) गुलबर्गा उ) हैदराबाद ऊ) खम्मम
9. तेलंगाणा सशस्त्र संघर्ष के नेताओं के चित्र एकत्र कीजिए। (AS$_3$)

अध्याय 13

भारतीय संविधान
The Indian Constitution

कई सदियों तक हमारे देश में कई भाग राजा और रानी के शासन के अंतर्गत थे। किसी भी तरह से हमारे नेताओं ने अंग्रेजी उपनिवेशी शासन का संघर्ष किया, वे चाहते थे कि भारत में भविष्य में सरकार प्रजातांत्रिक हो न कि निरंकुशवादी। वे चाहते थे कि भारत स्वयं जनता द्वारा शासित हो जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि उनकी सहायता करे।

- चर्चा कीजिए कि जिन नेताओं ने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की थी वे क्यों नही चाहते थे कि राजा और रानी का शासन हो?

जब हमने उपनिवेशी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, हमने निर्णय लिया कि जिन सिद्धांतों के लिए हम दृढ निश्चयी है और उन सिद्धान्तों भारत के शासन की प्रक्रिया को एक साथ करना चाहा। ये सभी एक किताब में लिखे गए जिसे हम ''भारतीय संविधान'' कहते हैं।

संविधान में सरकार को किस प्रकार चलाया जाय- कानून कैसे लागू किये जाए या परिवर्तित किए जाए, सरकार का निर्माण कैसे किया जाए, नागरिको की क्या पात्रता हो, उनके क्या अधिकार हो, आदि होता है। इन सबसे उपर संविधान निर्माण प्रमुख देश के सामने लक्ष्य रखता है जिसे पाने के लिए संघर्ष किया गया था ।

- अगर आप और आपके सहपाठियों से पाँच लक्ष्य बनाने के लिए कहा जाय तो वे कौन से होंगे? उन्हें आप कैसे पूरा करेंगे? कक्षा में चर्चा कीजिए और अपने अध्यापक की सहायता से उस पर कार्य कीजिए ।

भारतीय संविधान का निर्माण

कठिन परिस्थितियों में भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। लगभग 200 वर्षों तक देश अंग्रेजों के अधीन था और उनके स्वार्थ के अनुसार संस्थाओं को बनाया गया। साम्प्रदायिक मतभेदों के कारण देश को विभाजित किया गया। देश का अधिक भाग राजवंशीय शासन के अधीन शासित था (जैसे हैदराबाद के निजाम) सामाजिक एवं संस्कृति के अतिरिक्त अमीर और गरीब, उच्च जाति और निम्न, स्त्री और पुरूष में अन्तर पाया गया था। नेताओं का प्रमुख विषय था देश को एकता में बाँधना और एकता को टूटने न देना । इसका यह अर्थ था कि सभी विभिन्न प्रकार के लोग यह अनुभव करे कि वे भी देश को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन केवल विदेशी शासन के विरोध के लिए नही था। यह असमानता, शोषण और सामाजिक भेदभाव को भी समाप्त करना चाहता था । साक्षरता स्तर एवं शिक्षा निम्न थी। गरीबी बहुत थी और लाखों लोगों की मृत्यु अकाल

और संक्रामक रोगो से हुई। देश अपनी मौलिक आवश्यकताएँ जैसे खाद्यान्न आदि के लिए भी विदेशों पर निर्भर था। इसीलिए यह अनिवार्य हो गया कि भविष्य में समाज की दिव्य दृष्टि तैयार की जाय और इसे प्राप्त करने के लिए एक आकार देना था।

- अपने दादा- दादी या पुराने पड़ोसियों जो स्वतंत्रता के समय थे उनसे पता कीजिए कि उस समय चीजे कैसी थी और देश के भविष्य के बारे वे क्या सोचते थे ।

राष्ट्रीय आंदोलन के समय नेताओं में तीव्र मदभेद उत्पन्न हुआ कि कैसे हम स्वतंत्रता के बाद अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं? अधिक नेताओं ने प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को स्वतंत्र भारत शासन को समर्थन दिया । जैसे :

i. न्याय के समक्ष प्रति व्यक्ति समान हो और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा दी जाय।

ii. आम चुनाव द्वारा सरकार का निर्माण किया जाय जो व्यापक मताधिकार पर आधारित हो या सभी प्रौढ नागरिकों को जाति, धर्म, शिक्षा या संपत्ति को महत्व न देते हुए मत देने का अधिकार दिया जाय।

संविधान का आरंभिक प्रारुप

स्वतंत्रता से पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आठ सदस्यों ने मिलकर भारतीय संविधान का प्रारुप तैयार किया। 1931में कराची सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होना चाहिए पर विचार विमर्श किया। सर्व व्यापक मताधिकार द्वारा स्वतंत्रता और समानता का अधिकार तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा करना दोनों दस्तावेजों को देना था ।

- क्या आप कुछ असमानताओं , भेदभावों को बता सकते हैं जो स्वतंत्रता के समय हमारे समाज में थे ।
- यहाँ कुछ जोड़े में कथन प्रस्तुत किए गए हैं उसमें कुछ अशुद्ध सूचनाएँ है। क्या आप उसे शुद्ध कर सकते हैं ?

a) आदर्श संविधान+मोतीलाल नेहरू का प्रारूप तैयार कीजिए।

b) निरक्षर व्यक्ति को मत देने का अधिकार नही है का समर्थन नेताओं ने किया+वयस्क मताधिकार।

c) प्रान्तीय परिषदों+ संविधान ने कुछ उपनिवेशी कानून को अपनाया ।

d) विभाजन+ असंख्य लोग मारे गये और स्थानांतरण के लिए विवश किए गए।

e) मतदान में महिलाओं पर प्रतिबंद+भारत में सामाजिक सुधारों के प्रति बहता।

चित्र- 13.1: प्रति वर्ष भारत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाता है। यह चित्र एन.सी.सी. केडेट्स का है जिसमें वे परेड कर रहे हैं ।

चित्र- 13.2: संविधान समिति के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद और संविधान प्रारूप समिति के सभाध्यक्ष डॉ. बी. आर. अम्बेडकर दोनों एक दूसरे को बधाई देते हुए।

- हमारे संविधान को आकार देने में किन माध्यमों और विचारों ने प्रोत्साहित किया।

सबसे प्रथम वे उन विभिन्न प्रकार के भारतीय लोगों से प्रभावित हुए जिन्होंने संघर्ष को झकझोर दिया और अच्छे विश्व में रहने की उनकी इच्छा करना उनका परम कर्तव्य है। जिसमें विभिन्न लोग अपनी तीव्र इच्छाओं को पहचाने.। उन पर महात्मा गाँधी और अन्य राष्ट्रीय नेताओं का भी गहरा प्रभाव पड़ा ।

दूसरे हमारे कई नेता फ्रान्सिसी क्रान्ति के विचारों से इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अधिकारों के बिल सभी प्रभावित हुए । रशिया और चीन की सामाजिक क्रान्ति ने भी कई भारतीयों को प्रभावित किया, वे भी सामाजिक एवं आर्थिक समानता के आधार पर आकार देना चाहते थे। इन सभी कारणों ने संविधान निर्माण कार्य को प्रभावित किया।

तीसरा, अंग्रेजों ने भी भारत को कुछ प्रजातांत्रिक शासन की कुछ मौलिक संस्थाओं से परिचित करवाया। अन्ततः कुछ स्तर के लोगों को ही चुनाव में मत देने का अधिकार था। अंग्रेजों ने अत्यधिक दुर्बल सभाओं का परिचय दिया। प्रान्तीय सभाओं और संपूर्ण अंग्रेजी भारत में मंत्रालय के लिए 1937 मे चुनाव आयोजित किए गए। यह पूरी तरह से प्रजातांत्रिक सरकारी नही थे। लेकिन भारतीयों द्वारा प्राप्त विधान परिषदों में कार्य करने का अनुभव देश में अपनी संस्थाओं को स्थापित करने और उसमें कार्य करने में उपयोगी रहा। इसीलिए भारतीय संविधान ने अनेक संस्थाओं की जानकारी और उपनिवेशी कानूनी प्रक्रिया को अपनाया ।

संविधान परिषद

संविधान का प्रारूप चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा जो संवैधानिक परिषद कहलाती थी। तैयार किया गया। जुलाई 1946 में संविधान परिषद के चुनाव आयोजित किए गए । 1946 दिसम्बर में प्रथम सभा आयोजित की गई। अगस्त1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो संविधान समिति भी भारत एवं पाकिस्तान में विभाजित की गई। भारतीय संविधान समिति में 299 सदस्य थे। 26 नवम्बर1949 में तैयार हुआ और 26 जनवरी1950 को लागू

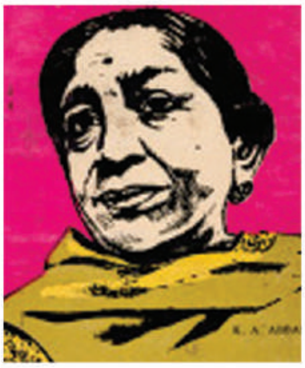

सरोजिनी नायडू

दुर्गाबाई देशमुख

एन.जी. रंगा

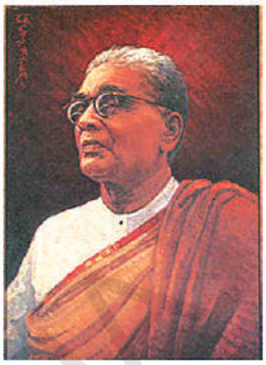

टी. प्रकाशम

किया गया। इसी के स्मरण में प्रति वर्ष हमारे देश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है।.

संविधान परिषद के सदस्य मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन काल में विधान परिषद में कार्यरत सदस्यों को नियुक्त किए गया । कुछ सदस्यों को देश के कुछ भागों में शासन करने वाले राजाओं द्वारा मनोनीत किया गया। इसके सदस्य देश के प्रत्येक क्षेत्र से आए थे। इस परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्राधान्य था और बहुत ही कम बी.आर. अम्बेडकर, जैसे अन्य दलों के थे।एक ही दल के अनेक सदस्य होने के पश्चात भी अधिक विषयों पर विचारों में भिन्नता थी। उस समय बहुत कम महिलाएँ लगभग पन्द्रह थी। श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख उनमें से एक थी।

- आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि संविधान समिति के सदस्यों का मनोनयन करने का अधिकार राजा को दिया गया है?
- आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि उस समय महिला सदस्यों की संख्या कम थी? यदि अधिक होती तो क्या स्थिति कुछ और होता?

सबसे पहले इसके मौलिक सिद्धांतों का निर्णय लिया गया और सहमति दी गईः भारत गणतंत्र राज्य होः इसके विभिन्न राज्यों को सर्वेच्च शक्तिशाली बनाना, यह प्रजातांत्रिक होगा, सभी नागरिकों को, न्याय,समानता और स्वतन्त्रता, अल्पसंख्यकों की रुचि, जनजाति और दलित वर्ग की सुरक्षा और भारत विश्व शान्ति के लिए कार्य करेगा तथा सभी मानवों का कल्याण । इस प्रस्ताव के उद्येश्य कहते हैं और यह देश के प्रथम प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू के द्वारा चलाया गया।यह संविधान आलेखन के लिए मार्गदर्शक बन गया।

तब संविधान आलेखन डॉ. भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया। आलेखन संविधान के प्रत्येक कानूनी दस्तावेजों पर अनेक बार चर्चा की गई।सभी महत्वपूर्ण कानूनी विषयों पर तीव्र वाद-विवाद किया गया। विभिन्न दृष्टियों से उनकी जाँच की गई और अंत में बहुमत द्वारा निर्णय लिया गया। संविधान समिति मे दो हजार से अधिक संशोधन किये गये । सदस्यों ने 114 दिनों तक सोच विचार किया जो तीन वर्षों तक फैलाया। संविधान समिति के कहे गए प्रत्येक

चित्र 13.3 : सभी संविधान परिषद के सदस्य विस्तृत संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए। यहाँ आप जवाहर लाल नेहरू को हस्ताक्षर करते हुए देख सकते हैं।

शब्द को रिकार्ड कर-कर सुरक्षित रखा गया। इसे संविधान समिति का वाद-विवाद कहते हैं।

- प्रस्ताव के उद्देश्य में कौन से सिद्धांत मार्गदर्शक बने, क्या आप सोचते हैं कि यह अत्यधिकमहत्वपूर्ण है?आपके कारण बताइए। क्या अन्य विद्यार्थियों का इस विषय में अलग मत है।

स्वप्न और प्रण

चलिए हम हमारे संविधान की इन सबसे उपर उन्नत ज्ञान की जानकारी प्राप्त करेंगे। हम इसे कुछ महत्वपूर्ण नेताओं के विचारों को पढकर जान सकते हैं। परन्तु यह भी समान रूप से महत्वपूर्ण है कि संविधान अपने स्वयं के दर्शन के बारे में क्या कहता है? संविधान का प्रारूप कैसे कार्य करता है?

आप कुछ लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि संविधान निर्माता में से एक नाम लुप्त है- महात्मा गाँधी। वह संविधान समिति के सदस्य नही थे। परन्तु कई सदस्यों ने इनके विचारों का अनुकरण किया। कई वर्षों पहले 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में उन्होंने संविधान के कार्यो की जानकारी दी है :

> मै संविधान के लिए संघर्ष करूँगा जो कि भारत को दासता से मुक्त करे तथा संरक्षण देगा। मैं भारत के लिए काम करूँगा जिसमें गरीब व्यक्ति यह अनुभव करे कि यह उनका देश है जिसे बनाने में उनकी प्रभावशाली वाणी है, भारत में कोई भी व्यक्ति उच्च एवं निम्न वर्ग का नही होगा,सभी जाति के लोग सद्भावना के साथ रहेंगे। यहाँ अस्पृश्यता जैसे अभिशाप या शराब एवं व्यसन से बेसुध अवस्था को अभिशाप को कोई स्थान नही होता है। महिलाओं को भी पुरुषो के समान अधिकार प्राप्त हो......इनके बिना मुझे कोई संतुष्ट नही कर सकता ।
>
> **- महात्मा गाँधी**

असमानता के बिना भारत के स्वप्न को डॉ भीमराव अम्बेडकर ने भी देखा, जिन्होंने संविधान निर्माण में मुख्य पात्रता निभाई थी परन्तु असमानता को दूर करने में उनकी समझ भिन्न थी। संविधान समिति के अंतिम समय के भाषण में उन्होंने अपनी जिज्ञासा को स्पष्ट किया ।

> 26 जनवरी 1950 को हम विरोधी दुनिया में जाऐंगे। राजनीति में हम सभी को समानता प्राप्त है और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में असमानता है। राजनीति में हम सभी का एक

व्यक्ति एक मत और एक मूल्य का सिद्धांत माननीय है। हमारे सामाजिक एवं आर्थिक ढाँचे के कारण एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर रहे है। हम कितने समय तक इस विसंगति का जीवन जी सकते हैं? कितने समय तक हम इस सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में समानता को अस्वीकार करेंगे। अगर हम अधिक समय तक अस्वीकार करेगें तो हम हमारे राजनैतिक प्रजातंत्र को खतरे में डालेगें ।

-डॉ बी.आर. अम्बेडकर

अन्त में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि पर दिए गए संविधान समिति के प्रसिद्ध भाषण की ओर मुडेंगे ।

भविष्य एक आरामदायकी या निश्चिन्त नही है बल्कि अनवरत संघर्ष है जिससे हम हमारे द्वारा की गई प्रतिज्ञाओं को पूरा कर सकते हैं और आज की प्रतिज्ञा को भी पूरा कर सकते हैं। भारत की सेवा का अर्थ है दरिद्रता का उन्मूलन और अज्ञानता और रोग और अवसरों में असमानता को समाप्त करना। हमारे पीढी के महान व्यक्ति का लक्ष्य है प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक आँसू को पोंछना। यह हमारे सामर्थ्य के बाहर है, पर जब तक ये आँसू और दर्द है, तब तक हमारा काम पूरा नही होगा।

- जवाहरलाल नेहरू

उपरोक्त तीनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढिए ।

- क्या आप कोई एक विचार ऐसा बता सकते है जो तीनो के लिए सामान्य हो?
- उस सामान्य विचार को प्रस्तुत करने में तीनों के विचारों में क्या अंतर है?

संविधान की प्रस्तावना

स्वतंत्रता संघर्ष को जिन मूल्यों ने प्रोत्साहन दिया और मार्गदर्शक बने, भारतीय प्रजातंत्र के लिए नींव डाली। भारतीय संविधान में इन मूल्यों को गड़ा गया, इसके मौलिक सिद्धांतों और उद्देश्यों का कथन संक्षिप्त रूप में दिया गया है। भारतीय संविधान के सभी अभिपूर्तियों का मार्गदर्शन किया।

चलिए हम ध्यानपूर्वक संविधान की प्रस्तावना को पढेंगे और इसके प्रत्येक मुख्य शब्दार्थों को समझेंगे। विषय सूची में दिए गए प्रत्येक पद के लिए उदाहरण सोचिए।

यदि आप इसे ध्यान से पढेंगे तो इसमें एक मौलिक वाक्य मिलेगा।

“हम भारत वासी, भारत को एक गणतंत्र में गठन करने और संविधान में अपने नागरिकों को न्याय, स्वतन्त्रता, समानता और भाई चारे को स्वयं को देने के लिए, सभी को सुरक्षित करने के लिए स्वयं को यह संविधान देते हैं।”

- भारत के नागरिकों ने दो लक्ष्यों को पाने का संकल्प किया, वे क्या थे?
- उन लक्ष्यों को पाने के लिए उन्होंने क्या किया ।

हम भारतवासी : संविधान को आकार दिया गया और अपने प्रतिनिधियों द्वारा लोगों ने कार्य किया और राजा या किसी विदेशी शक्ति की सहायता नही ली गई। यह एक हमारे गणतंत्र का प्रजातांत्रिक स्वभाव का अभिकथन है।

गणराज्य: देश का प्रमुख व्यक्ति चुना हुआ होता है और साम्राज्यों के समान उसका कोई पैतृक स्थान नही होता ।

सर्व प्रभुत्व राष्ट्र : भारत को आंतरिक एवं बाह्य विषयों पर निर्णय लेने और स्वयं कानून बनाने का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। भारत के लिए कोई बाहरी शक्ति कानून नही बना सकती।

समाजवादी : संपत्ति को उनके कार्यो के अनुसार वितरित किया जाता है और सभी को

भारत का संविधान अभिमत

हम समस्त भारतवासी, शपथ लेकर निर्णय करते हैं कि हमने अपने लिए एक सर्व प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की संवैधानिक रचना कर ली है तथा समस्त नागरिकों के हित में समान रूप से यही स्वीकार्य है।

न्याय : सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक

स्वतंत्रताः विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा तथा कार्याचरण में।

समानताः पद तथा अवसरों की तथा इन सभी में **परस्पर सद्भाव** का विकास करते हैं। साथ-साथ राष्ट्र की एकता एवं संगठन की सुरक्षा को निश्चित करते हैं। **हमारे संविधान परिषद में नवंबर 1949 के छब्बीसवें दिन इसे अपनाकर, आचरण कर लिया करने हेतु स्वयं को यह संविधान देते है।**

Subs. by the constitution [Forty-second Amendment] Act, 1976, Sec.2, for “Sovereign Democratic Republic” (w.e.f. 3.1.1977)

Subs. by the constitution [Forty-second Amendment] Act, 1976, Sec.2, for “Unity of the Nation” (w.e.f. 3.1.1977)

समान भागीदारी दी जाती है। सभी प्रकार की असमानता को कम करने के लिए देश संघर्ष कर रहा है।

धर्म निरपेक्षताः किसी एक धर्म पर सरकार नहीं चलाई जा सकती। नागरिकों को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह किसी भी धर्म का पालन करे या किसी भी धर्म को ना माने। सरकार किसी एक धर्म का पक्ष ना ले ।

प्रजातंत्र : एक ऐसे प्रकार की सरकार जिसमें व्यक्ति को समानता के आधार पर राजनैतिक अधिकार प्राप्त होता है, कानून बनाने के लिए वे प्रतिनिधियों का चयन करते हैं और सरकार चलाते हैं तथा प्रतिनिधि उत्तरदायी होते हैं ।

न्याय : सभी नागरिकों को उचित अवसर मिले यह निश्चय करना कि उन्हें क्या करना चाहिए। उनके जन्म (किसी विशेष जाति, जनजाति, सम्प्रदाय,लिंग) या विश्वास (धर्म, राजनैतिक विचार आदि) या सम्पत्ति (धनी या गरीब) स्तर पर किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाय। सरकार को उन लोगों के लिए विशेष सुरक्षा देना चाहिए जिनके साथ प्राचीन काल में गलत हुआ हो (जाति, लिंग या सम्प्रदाय के आधार पर भेद-भाव किया गया हो।)

समानता : संविधान सभी रूपों में समानता का संकल्प नहीं करता (जैसे आय या संपत्ति) परन्तु इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि सभी व्यक्ति समान स्तर को प्राप्त करे-प्रत्येक एक

ही कानून द्वारा शासित हो। दूसरा यह अवसरों की समानता का वादा करता है। सभी के लिए सार्वजनिक कार्यालय सभी के लिए खुले हो। यदि कार्यलय विशेष योग्यता चाहते हैं तो इन योग्यताओं को पाने के लिए सभी को समान अवसर दिए जाए।

स्वतंत्रता : किसी भी नागरिक पर बिना कारण उनकी सोच, उनकी इच्छा के धर्म का पालन करना या नही करना, कैसे वे अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और उन्हें क्रियात्मक रूप प्रदान करे या एक समूह मे मिलकर संस्था या दल का निर्माण करना, आदि पर प्रतिबंध न लगाया जाय।

परस्पर सद्भाव : सभी लोगों को एकता के सूत्र में बाँधना इसका अभिप्राय होता है। किसी भी व्यक्ति के साथ अपरिचित या निम्न स्तर का व्यवहार न किया जाय।

अभिमत के अतिरिक्त हमारे संविधान का एक और विभाग है जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कहलाता है, जो भारत सरकार के समक्ष कुछ विशेष विषय प्रस्तुत करता है। जैसे उदाहरण के लिए सर्वव्यापक साक्षरता और शिक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, आय में असमानता को कम करना, आदि। यह कुछ सिद्धान्त है जो सरकार का मार्ग दर्शन करते हैं। हम न्यायालय में इस बात पर अभियोग नही चला सकते, जब सरकार उनका पालन नही कर रही हो।

यह आदर्श वास्तविक रूप से सभी लोगों के लिए हो, संविधान में एक अध्याय नागरिक के मौलिक अधिकारो, गारन्टी जिसके विषय में हम कक्षा नवमीं में पढ़ेंगे। उसी प्रकार नीति निदेशक सिद्धांत, नागरिक अपने अधिकारों के छीने जाने या अस्वीकार किये जाने पर अदालत में अभियोग चला सकता है।

सरकारी व्यवस्था

देश में शासन चलाने के लिए संविधान ने कुछ संस्थाएँ स्थापित की है जिसमें मूल्य और आदर्शो को अपनाया गया है।

इसके लिए संघीय सरकार को उपबन्धित किया गया। संसद-जनता के प्रतिनिधियों का सदन कानून बनाता है और संसद के सदस्यों द्वारा बनाई गई सरकार इन कानूनों को लागू करती है और संसद के लिए उत्तरदायी होती है। देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रीमंडल द्वारा चलाया जाता है और संपूर्ण सरकार राष्ट्रपति द्वारा चलित होती है। (अगले अध्याय में आप इसे विस्तार से पढ़ेंगे ।)

- चुनी हुई संसद द्वारा ही कानून बनाया जाना क्यों आवश्यक है? वे शिक्षित वकील और न्यायमूर्ति द्वारा क्यों नही बनाए जा सकते?
- आप ऐसा क्यों सोचते है कि प्रधान मंत्री और उनके मंत्रीमंडल द्वारा लिए गए निर्णय और कार्यों को संसद का अनुमोदन प्राप्त हो और संसद के सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दें? क्या यह उचित होता कि वे इन प्रश्नों का उत्तर केवल राष्ट्रपति को देते?

दूसरा हमारे देश में संघीय शासन है। संपूर्ण देश छोटे राज्यों के समूह से बना है। सरकारी कार्यों को केन्द्रीय सरकार जो कि संसद के लिए उत्तरदायी होती है और प्रान्तीय सरकार जो प्रान्तीय सभाओं के लिए उत्तरदायी होती है में विभाजित किया जाता है। उदाहरण के लिए केन्द्रीय सरकार सेना पर अंकुश रखना, रेलमार्ग, सड़क यातायात, विद्यालय. आदि पर कानून बनाती है।

केन्द्रीय संसद में दो सदन-लोक सभा और राज्य सभा होते हैं। लोक सभा देश के सभी व्यक्तियों से चुनी जाती है, राज्य सभा के सदस्य

प्रान्तीय सभाओं द्वारा चुने जाते हैं। इस प्रकार प्रान्त केन्द्रीय सरकार में भी कानून बनाने में पात्रता निभाते है।

- कुछ देशों में दूसरा ढाँचा होता है, जिसमें केवल केन्द्रीय सरकार संपूर्ण देश के लिए कानून बनाती है और सभी प्रान्तों एवं क्षेत्रों पर शासन करती है। क्या आप सोचते है यह व्यवस्था भारत के लिए उचित है? कक्षा में चर्चा कीजिए ।

तीसरा हमारे देश में त्रिस्तरीय प्रजातंत्र है- राष्ट्रीय स्तर पर संसद, प्रादेशिक स्तर पर विधान मंडल और जिला स्तर पर हमारे पास स्थानीय सरकार है जो पंचायत राज प्रणाली कहलाती है। यह आश्वासन पाने के लिए कि जनता को देश के सार्वजनिक विषयों के प्रबंध में भागीदारी पाने के अधिक अवसर मिले ।

चौथा, संविधान कुछ स्वतंत्र संस्थाओं को संविधान की रक्षा की भी सुविधाएँ देता है। यह न्यायपालिका से संलग्न होती है। (या कानूनी अदालते) नियंत्रण कर्ता और लेखा परिक्षक जो सरकारी व्यय का निरीक्षण करते है और चुनाव आयोग जो स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव आयोजित करते हैं । यह सरकार के कार्यों की स्वतंत्रता की आशा करते हैं ।

- चर्चा कीजिए कि क्यों अदालते और न्यायमूर्ति प्रदेश और केन्द्रीय सरकारी सत्ताओं से स्वतंत्र हो?
- क्यों चुनाव आयोग सर्वोच्च शक्तिशाली होना चाहिए?

अन्ततः संविधान एक जीवित और परिवर्तनशील दस्तावेज है। जिन्होंने भारतीय संविधान को बनाया उन्होंने भी अनुभव किया कि यह जनता की आशानुसार हो और समाज में परिवर्तन हो। वे यह नही देखते है कियह एक पवित्र, स्थिर और अपरिवर्तन कानून है। इसीलिए इसमें समय-समय पर परिवर्तन की सुविधा भी दी गई है। इन परिवर्तनों को संवैधानिक संशोधन कहते हैं। संविधान में परिवर्तन एवं संशोधन की प्रक्रिया संविधान के लिए ही बताई गई है। 2011 तक हमारे संविधान में 97 बार संशोधन किए गए है।

चित्र- 13.5: चित्र में निम्न व्यक्तियों को दिखाया गया है (दायें से बाएँ): जयरामदास दौलतराम, खाद्य एवं कृषि मंत्री: राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य मंत्री : डॉ.जॉन मथाई, वित्त मंत्री : सरदार वल्लभ भाई पटेल, उप प्रधान मंत्री और उनके पीछे जगजीवन राम, मजदूर मंत्री

मुख्य शब्द

1. राजतंत्र
2. प्रतिनिधि
3. भेदभाव
4. सर्वोच्च
5. संविधान
6. सर्व प्रभुत्व
7. संघीय प्रणाली
8. प्रान्तीय
9. आलेख
10. गणतंत्र
11. धर्म निरपेक्ष
12. परस्पर सद्भाव
13. संशोधन

सीखने में सुधार

1. 'दमनपुर' राजा के द्वारा शासित था जो कि पुजारियों द्वारा लिखे गए नियमों पर आधारित था। उसने अपने साम्राज्य को 16 प्रान्तों में विभाजित किया था जिसके लिए एक अधिकारी को राज्यपाल जैसा नियुक्त किया । क्या हम कह सकते हैं कि यह प्रजातंत्र देश है? क्या ये संवैधानिक देश है? आपके उत्तर के लिए कारण दीजिए । (AS$_1$)
2. नीचे दिए कथनों में ये कौन-सा सही है? (AS$_1$)
   a. संविधान जनता और सरकार के मध्य संबंधों का निर्धारण करता है।
   b. प्रजातांत्रिक देश के पास एक संविधान होता है।
   c. अनेकता वाले देश जैसे भारत मे संविधान बनाना जैसे भारत में कोई आसान काम नही है।
   d. सभी सही है।
3. नेहरू के भाषण को फिर से पढकर निम्न उत्तर दीजिए । (AS$_2$)
   a. भारतीय संविधान निर्माता से वे कैसी प्रतिज्ञा करवाना चाहते थे ?
   b. "हमारी पीढी के महान व्यक्ति का लक्ष्य है प्रत्येक आँख से आँसू पोछना" यह किसे संबोधित करता है।
4. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन-से मूल्य (embedded) एम्बेडेड रहे है? (AS$_1$)
5. "कानून के समक्ष सब समान है" - उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। (AS$_1$)
6. नीचे दिये गये कथनों में से कौन-सा सही है? (AS$_1$)
   a. संविधान विधान सभा की शक्ति को परिभाषित करता है।
   b. संविधान किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता।
   c. संविधान की भूमिका में इसका आदर्श झलकता है।
   d. संपूर्ण देश को केंद्र में रखते हुए इनमें नियम बनाये गये हैं।
7. समान न्याय किन ासंदर्भों में दिखाई देता है। उदाहरण सहित लिखिए। (AS$_6$)

परियोजना

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, दक्षिण आफ्रिका और भारत के संविधान की प्रस्तावना की तुलना कीजिए।

a. इनमें से तीन आदर्श तत्वों की सूची बनाइए। जो समान है।

b. इनमें निहित कम से कम एक अंतर को बताइए।

c. इनमें से कौन से तीन भाग हमारे अतीत को दर्शाते हैं।

d. इनमें से किनमें ईश्वर की प्रार्थना निहित नहीं है।

संयुक्त राज्य अमेरिका योजना के संविधान की प्रस्तावना

हम संयुक्त राज्य एक अधिकाधिक संपूर्ण संघ की स्थापना करते हैं जिसमें न्याय, घरेलू शांति, निष्पक्षता, सबके लिए समान सुरक्षा, सबकी भलाई स्वयं की स्वतंत्रता और अपनी भावी पीढ़ियों की रुचि की व्यवस्था होगी और यह संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान होगा।

दक्षिण अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना

हम दक्षिण आफ्रिका के लोगों ने अपने साथ अतीत में हुए अन्याय को पहचाना है; हम सबका सम्मान करते हैं जिन्होंने अन्याय तथा हमारी धरती के लिए संघर्ष किया है; और हम मानते हैं कि दक्षिण आफ्रिका उन सबका है जो इसके क्षेत्र में निवास करते हैं तथा इसकी विविधता में एकता दर्शाते हैं। हम इस प्रकार, अपने द्वारा स्वेच्छा से चुने गये प्रतिनिधि को अपनायेंगे तथा गणतंत्र राज्य के अनुसार हमारा संविधान होगा- अतः हम अतीत के विभाजन को पाटते हुए, लोकतंत्रात्मक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मूल मानवाधिकार के आधार पर अपने समाज की स्थापना पर बल देते हैं। इस लोक तंत्रात्मक एवं मुक्त समाज में सरकार जनता की इच्छा से चुनी जायेगी और प्रत्येक नागरिक समान रूप से कानून का संरक्षण प्राप्त कर सकेगा। सभी नागरिकों को जीवन की गुणवत्ता के विकास और प्रत्येक व्यक्ति के अस्तित्व को महत्व होगा। दक्षिण आफ्रिका का सर्व प्रमुख गणराज्य राष्ट्र परिवारों में श्रेष्ठ स्थान होगा।

ईश्वर हमारे लोगों की रक्षा करें।

ईश्वर दक्षिण आफ्रिका का भला करें।

अध्याय 14

संसद और केन्द्र सरकार

Parliament and Central Government

भारतीय संविधान में देश के शासन के लिए संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है जो कानून बनाने की सबसे सर्वोच्च संस्था है। पिछले वर्ष हमने सीखा था कि राज्य स्तर पर कानून बनाने वाली संस्था कैसे कानून बनाती है? हमने यह देखा था कि प्रत्येक राज्य में विधानसभा के सदस्य अपने राज्य के लिए कानून बनाते है। प्रत्येक राज्य अपने कुछ महत्वपूर्ण उददेश्यों के आधार पर ही कानून बनाते है। राज्य स्तर पर कार्यपालिका होती है जो विधानसभा द्वारा बनाये गये कानूनों और नीतियों को राज्य में लागू करने का कार्य करती है। इस वर्ष हम संसद और इसके कार्यों के विषय में पढ़ेंगे राष्ट्रीय स्तर पर जिसका गठन किया गया है।

संसद की भूमिका

दूरदर्शन को बहुत से चैनल में से एक चैनल को आप देख सकते हैं, जिसे लोकसभा टी.वी. कहा जाता है। यह चैनल उन सभी आपसी बहस और कार्यवाहियों का प्रसारण करती है जो नई दिल्ली संसद भवन में आयोजित होती है। आप इस चैनल को देखिए जिससे आपको संसद की कार्यवाहियों के विषय में जानकारी मिल सके ताकि आप अपने कुछ विचार व्यक्त कर सके। हमारी संसद कई महत्वपूर्ण कार्य करती है उनमें सबसे प्रमुख कार्य समस्त देश के लिए कानूना बनाना है। यह समस्त देश के लिए नीतियो को बनाती है। जैसे हम अपने वनों का उपयोग किस प्रकार करें, प्राकृतिक साधन जैसे खदानों, शिक्षा के विषय में, दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध तथा उद्योग और कृषि आदि। सरकार से यह आशा की जाती है कि सरकार उन सभी कार्यक्रमों को लागू करे जो संसद की नीतियों के अनुरूप हो। जैसे 1986 में संसद ने शिक्षा के लिए राष्ट्रीय नीति स्वीकृत की गई जो ऐसे कार्यक्रमों के विषय में दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं, जिनका संबंध शिक्षा से है। संसद नें 2009 में एक नया अधिनियम लागू किया है जो सभी बच्चों को नि:शुल्क और आवश्यक शिक्षा प्रदान करने से संबंधित है। इस कानून में यह आदेश दिया गया है कि सभी बच्चे सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त कर सके ।

- भारतीय संसद के द्वारा बनाये गये कुछ प्रमुख कानून और नीतियों के विषय में जानकारी एकत्रित करक कक्षा में प्रस्तुत करें ।

चित्र-14.1: संसद भवन नई दिल्ली

सरकार जो समस्त देश में शासन करती है वह संसद द्वारा बनाये गये कानूनों का लागू करती है जो विकास और कल्याण कार्यक्रमों से संबंधित होते है। सरकार को अपने सभी कार्यों के लिए संसद की स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है। जिस समय संसद में चर्चा आयोजित होती है उस समय विषय पर जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए संबंधित सदस्य से प्रश्न पूछ सकते हैं। सरकार के सदस्यों को उनका उत्तर देना आवश्यक होता है। इस तरह से सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद सरकार के आय-व्यय के विवरण पर अपनी स्वीकृति प्रदान करती है। सरकार प्रत्येक वर्ष अपने वार्षिक बजट को संसद की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करती है।

- क्या आप समझते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली जिसमें सरकार के सदस्य संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं? वह लाभदायक है?
- क्या संसद को केवल कानून बनाना चाहिए और सरकार की कार्यवाहियो पर नियंत्रण नहीं रखना चाहिए? इस विषय पर अपनी कक्षा में विचार विमर्श कीजिए।
- विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों के विषय में जानकारी एकत्रित करें जहाँ सरकार संसद के प्रति और व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नही होती ।

संसद का गठन

भारतीय संसद दो सदनों से मिलकर बनती है। लोक सभा (निम्न सदन) और राज्य सभा (उच्च सदन) लोकसभा के सदस्यों को जनता के द्वारा चुनाव चुना जाता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों को (अप्रत्यक्ष चुनाव) राज्य विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। राज्य सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। राज्य विधान सभा के सदस्य और संघ शासित प्रदेश राज्य सभा के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुन कर भेजते हैं। यह कानूनी प्रक्रियाओं के लिए केन्द और राज्यों के बीच एक माध्यम है। राज्यसभा के सदस्यों को छः वर्ष के लिये चुना जाता है। प्रत्येक दो वर्ष में एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त कर दिये जाते हैं और उनके स्थान पर नये सदस्यों को चुना जाता है।

सदन की शक्तियाँ

संविधान के अनुसार लोकसभा सभी विषयों पर सर्वोच्च शक्तियों का उपभोग करती है। जैसे -

1. प्रत्येक कानून को दोनो सदनों से पारित होना आवश्यक है। यदि किसी विषय पर दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न होता है तो दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन आमंत्रित होता है जिसमें अंतिम निर्णय के लिए दोनों सदनों के सदस्य सम्मिलित होते हैं । वैसे भी लोकसभा के पक्ष में निर्णय होता है क्यों कि लोकसभा में राज्यसभा की तुलना में सदस्य संख्या ज्यादा होता है।

2. वित्तीय विषयों में लोकसभा को अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई है जैसे ही लोकसभा सरकार के बजट को पारित कर देती है उसके पश्चात न तो राज्यसभा और न ही वित्त व्यवस्था से संबंधित कोई कानून उसे अस्वीकृत कर सकता है।

3. लोकसभा मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियंत्रित करती है यह अपने आप में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति जिसे लोकसभाके सदस्यों का बहुमत या समर्थन प्राप्त हो उसे लोकसभा में प्रधानमंत्री ते रुप में नियुक्त किया जा सकता है। यदि लोकसभा के सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों के प्रति अविश्वास प्रस्ताव राकिच गोचा गे मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है । राज्यसभा के पास यह शक्ति नहीं है।

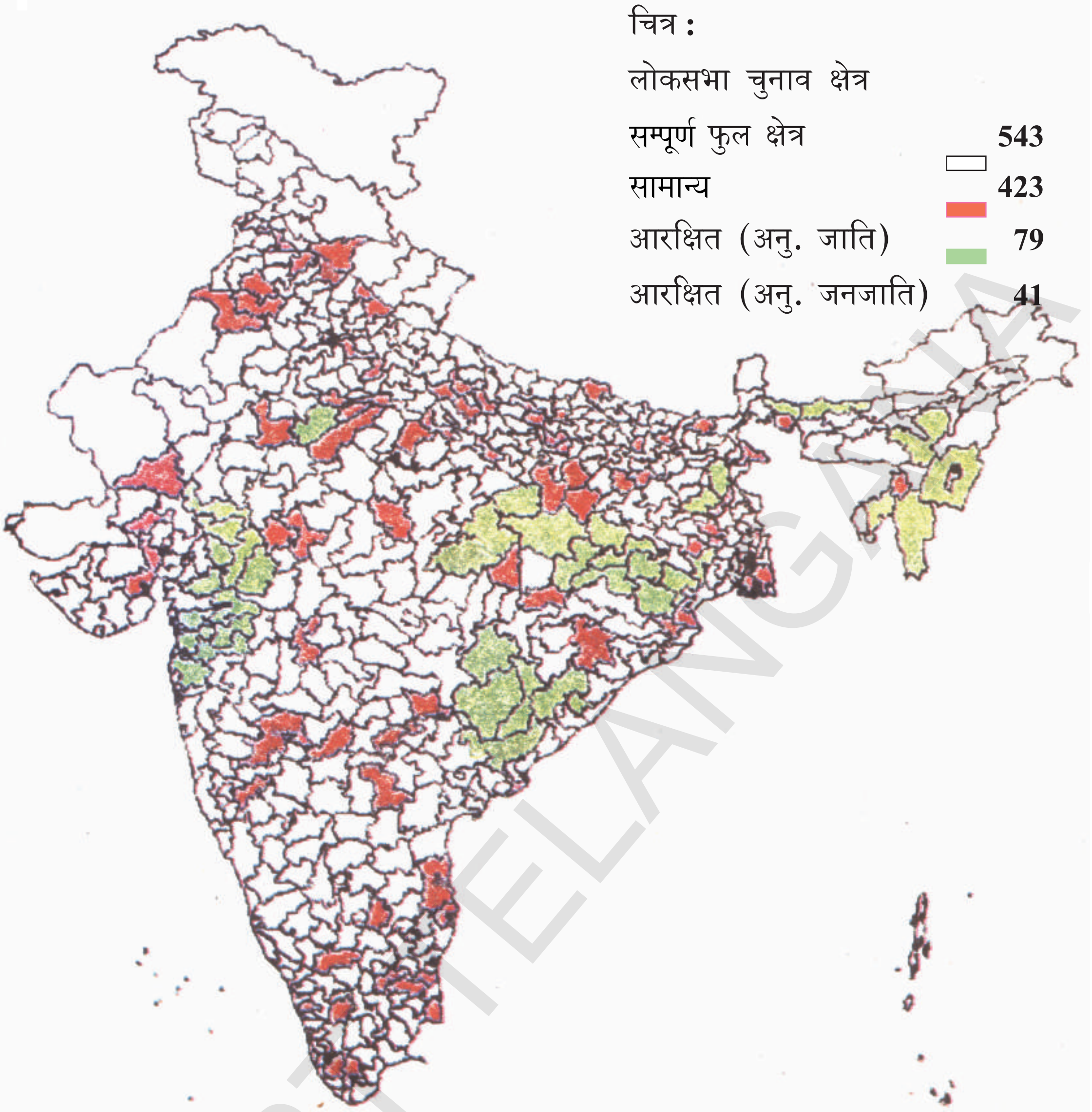

राज्य	संख्या	राज्य	संख्या	राज्य	संख्या
Andhra Pradesh	25	Jammu & Kashmir	6	Odisa	21
Arunachal Pradesh	2	Jharkhand	14	Punjab	13
Asom	14	Karnataka	28	Rajasthan	25
Bihar	40	Kerala	20	Sikkim	1
Chhattisgarh	11	Madhya Pradesh	29	Tamilnadu	39
Goa	2	Maharashtra	48	Telangana	17
Gujarat	26	Manipur	2	Tripura	2
Haryana	10	Meghalaya	2	Uttarakhand	5
Himachal Pradesh	4	Mizoram	1	Uttar Pradesh	80
		Nagaland	1	West Bengal	42
Union Territories					
Andaman and Nicobar Islands	1	Daman and Diu	1	Delhi(the NCT of Delhi)	7
Chandigarh	1	Lakshadweep	1	Nominated by the president of India Anglo Indians	2
Dadra and Nagar Haveli	1	Pondicherry	1		

राज्य अनुसार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की तालिका

- क्या आप लोक सभा और राज्य सभा के बीच मूलभूत अंतर को पहचान सकते हैं।
- अजहर का यह सोचना है कि राज्य सभा को अधिक शक्तियाँ देनी चाहिए क्योंकि इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने आप में विद्वान होते हैं। मुमताज का यह कहना है कि राज्य सभा को अधिक शक्तियाँ नहीं देनी चाहिए क्योंकि इसके सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते। आप इन दोनों के विचारों के प्रति कैसा सोचते हैं?

लोकसभा के चुनाव

लोकसभा के निर्वाचन में विशेष स्थिति इसलिए प्रदान की गई है क्योंकि इसका चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अब यह देखना है कि यह कैसे होता है?

साधारण तौर पर प्रत्येक पाँच वर्ष में लोकसभा का चुनाव किया जाता है। सभी नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष की है (क्यस्क नागरिक) वे लोकसभा चुवाव में अपना मत दे सकते हैं । सभी मतदाताओं के नाम उस निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत अवश्य होना चाहिए जहाँ के वे निवासी है। कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 25 वर्ष की हो वह लोकसभा निर्वाचन में भाग लेकर लोकसभा सदस्य बन सकता है। कुल सदस्यों की संख्या 545 है (2 मनोनित सदस्यों को मिलकर)। भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेशों को विभिन्न निर्वाचक क्षेत्रों (सीटों) में विभाजित किया गया है। जहाँ से लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं। ऐसे राज्यों में निर्वाचन क्षेत्र अधिक होते हैं, जहाँ की जनसंख्या अधिक होती है। इसके विपरित जहाँ की जनसंख्या कम होती है वहाँ पर निर्वाचक, क्षेत्र भी कम होते हैं। जैसे वहाँ पर निर्वाचक, क्षेत्र भी कम होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 80 निर्वाचक, क्षेत्र है वहीं मेघालय में केवल दो निर्वाचक क्षेत्र हैं । तेलंगाणा में 17 निर्वाचक क्षेत्र तथा संघ शासित प्रदेश चंडीगढ में केवल एक निर्वाचक क्षेत्र है।

- आपके प्रदेश और दो पड़ोसी राज्यों में कितने निर्वाचक क्षेत्र हैं ?
- कौन से राज्य में 30 से अधिक लोकसभा सीटे हैं ?
- कुछ राज्यों में लोकसभा निर्वाचक क्षेत्रों की संख्या क्यों अधिक होती है?
- कुछ निर्वाचक क्षेत्र कुछ बड़े और कुछ छोटे क्या होते हैं ?
- क्या अनुसूचित जाति तथा जनजाति के सदस्यों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण की सुविधा पूरे देश में है या कुछ क्षेत्रों में अधिक है?

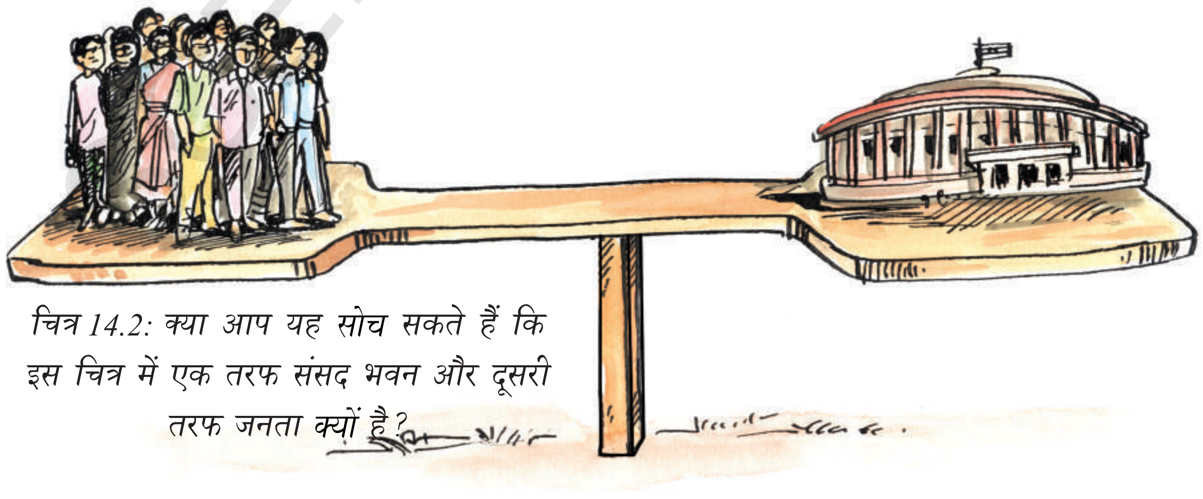

चित्र 14.2: क्या आप यह सोच सकते हैं कि इस चित्र में एक तरफ संसद भवन और दूसरी तरफ जनता क्यों है?

प्रथम लोकसभा के चुनाव

वर्तमान राजनीतिक जीवन के लिए चुनाव एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुका है। इस अवसर पर हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। भारत जैसा विशाल देश जिसकी जनसंख्या अत्यधिक है वहाँ चुनाव करना अपने आपमें एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। आइए अब हम प्रथम लोकसभा चुनाव की समीक्षा करे जो 1951-52 में आयोजित किया गया था। इस चुनाव की सभी प्रक्रियाओं को पूरा होने में चार महीने का समय लगा था ।

यद्यपि इस चुनाव के लिए सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार को आधार बनाया गया था। प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु इक्कीस वर्ष की या इससे अधिक हो वह अपना मत दे सकता था। उस समय 17,30,00,000 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। अधिकतर व्यक्तियों के लिए मत देने का यह प्रथम अवसर था। उस समय अधिकांश मतदाता ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी और अशिक्षित थे। यह एक मुख्य प्रश्न बन चुका था कि उस समय जनता ने इस अवसर के प्रति क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की थी ?

- यदि आप उस समय होती तो आप किस पक्ष से सहमत हाते? क्या आप ऐसे विचार को सही मानते हैं कि भारत के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार चुनाव के लिए उपयुक्त था? इसके कारण प्रस्तुत कीजिए ।

भारत में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाने जाने के लिए एक चुनाव आयोग का गठन किया गया है। प्रथम लोकसभा चुनाव आयोजित करने के लिए समस्त आवश्यक प्रबंध करना चुनाव आयोग के लिए अपने आप मे विस्तृत गंभीर और एक जटिल कार्य था। इस कार्य के लिए सबसे पहले घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया गया और योग्य मतदाताओं के नाम एक रजिस्टर में लिखकर पंजीकृत किये गये।

इस चुनाव में जितने उम्मीदवारों ने भाग लिया था उनमें से अधिकतर किसी न किसी राजनैतिक दल से संबंधित थे। या स्वतंत्र उम्मीवार थे। चुनाव आयोग ने सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह (प्रतीक) आवंटित (प्रदान) किया था। सभी चुनाव चिन्हों को उन मतपेटियों पर अंकित किया गया था जिसमें मतदाता को अपने मतपत्रों को डालना था। मतदाता को अपने पसंद के उम्मीदवार की मतपेटी में अपना मतपत्र डालना था। गुप्त मतदान के लिए मतपेटियों को परदे में रखा जाता था।

पूरे देश में लगभग2,24,000 मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई थी। लगभग 25,00,000 लोहे की मतपेटियों का उपयोग किया गया था । कम से कम 62,00,00,000 मत पत्रों को छापा गया था। लगभग 10 लाख अधिकारियों का चुनावों के निरीक्षण के लिए नियुक्त किया गया था । पूरे देश में 17,500 उम्मीदवारों ने चुनाव में भाग लिया था अतः प्रथम लोकसभा चुनाव के लिए 489 उम्मीदवार चुने गये । यद्यपि इस चुनाव में छुटपुट हिंसात्मक घटनाएँ हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी प्रथम लोकसभा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्षता के आधार पर व्यवस्थित तरीके से आयोजित किये गये थे।

इस नये अवसर का जनता ने बिना किसी भय के समर्थन किया। जनता ने मतदान में भाग लिया था क्योंकि वे यह जानते थे कि यह उनका स्वयं का महत्वपूर्ण अधिकार है। कुछ स्थानों पर कुछ व्यक्तियों ने कहा कि चुनाव केवल त्यौहार मनाने का सार्वजनिक अवसर है। जनता ने इस अवसर पर नये कपड़े सिलवाये। देश की महिलाओं ने अपने-अपने चाँदी के आभूषण पहने । घर-घर जाकर राजनीतिक जागरुकता उत्पन्न की गई जो लोग गरीब और अशिक्षित थे। इन लोगों को यह समझाया गया कि वे अपने मत का प्रयोग मत देते समय अत्यंत सावधानी के साथ करें ।

प्रथम लोकसभा चुनाव में न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की जनता ने बड़ी संख्या में भाग लिया। चुनाव में दलित और आदिवासियों ने भी अत्यधिक भाग लिया। इस चुनाव की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता महिलाओं की भागीदारी थी जो लगभग 40 प्रतिशत थी जो मतदान देने के लिए योग्य थी और मतदान में भाग

लिया। यह भी अपने आप में विचारणीय तथ्य है कि ऐसी महिलाओं ने भी मतदान में भाग लिया जो परदा प्रथा के कारण जनता के बीच नहीं आती थी।

प्रथम लोकसभा चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि किसी भी अन्य देश में ऐसी चुनाव आयोजित नही हुआ जिसनमे गरीब नागरिकों के विशाल जनसमूह में महिलाएँ भी भाग नही लिया था। गरीब और अशिक्षित मतदाताओं को भी मताधिकार प्राप्त हुआ था। लगभग 46 प्रतिशत योग्य मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया ।

- आपके क्षेत्र के लोकसभा सदस्य का नाम दीजिए तथा अपने पड़ोसी राज्यों के कुछ लोकसभा सदस्यों के नाम दीजिए ।
- यह मालूम कीजिए कि ये सभी सदस्य कौन से दल के सदस्य है?
- निम्न शब्दों के अर्थ के लिए अपने शिक्षक से चर्चा करें ।

उम्मीदवार
मत पत्र
चुनाव प्रचार
मतदाता सूची
चुनाव क्षेत्र
इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन
चुनाव आयोग
चुनाव में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव

वर्तमान में विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा कौन-कौन से चुनाव चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। उनके विषय मे जानकारी प्राप्त कीजिए।

- प्रथम लोकसभा चुनाव अपने आप में एक विस्तृत और जटिल कार्य क्यो था?
- आज चुनाव कैसे आयोजित होते हैं, इसके विषय में अपने शिक्षक और माता-पिता के साथ चर्चा कीजिए।
- वर्तमान चुनाव और प्रथम चुनाव के बीच कौन से महत्वपूर्ण अंतर है? इनके विषय में लिखिए । मत पत्र पेटी, शीट, मतदान की उम्र इनके विषय में लिखिए ।
- गुप्त मतदान क्यों होना चाहिए ?

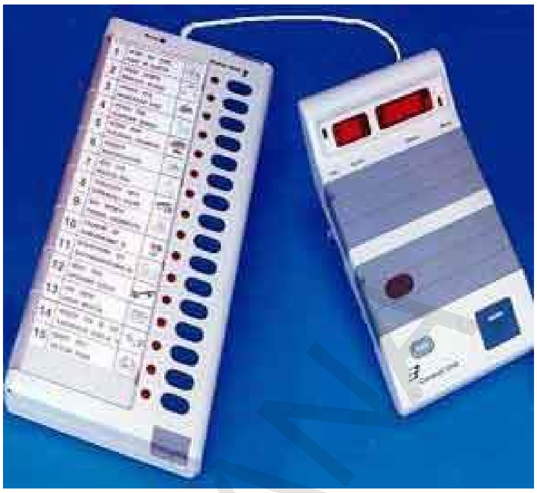
Fig 14.3 : Electronic voting machine

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजन में चुनौतियाँ

प्रजातंत्र की आदर्श परिस्थिति के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक मतदाता विभिन्न उम्मीदवारों के विषय में जानकारी प्राप्त करे। विभिन्न मतदाताओं के लिए यह भी आवश्यक है कि वे अपने उम्मीदवारों की नीतियों को भलीभांति समझ सके ताकि उन्हें यह विश्वास हो जाय कि कौन-सा उम्मीदवार उचित प्रकार उनके हितो का संसद में प्रतिनिधित्व कर सकता है। उसी के पश्चात मतदाता को मतदान करना चाहिए । मतदाता पर किसी भी प्रकार का अनावश्यक दबाव भी नही डाला जाना चाहिए। जैसे वह महिला है अथवा पुरूष, धार्मिक समुदाय नेता या जाति विशेष समुदाय नेता हो अथवा धन देकर अपने पक्ष में मतदान देने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। प्रत्येक मतदाता को अपने मताधिकार का निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

वास्तविकता यह है कि आज मतदान व्यवहार बहुत से तत्वों का प्रभावित करते हैं जैसे धर्म, राजनीति, धन, उपहार, इत्यादि। इसके अलावा शक्तिशाली नेता कई बार अपने उम्मीदवार को मत देने के लिए बाध्य करते हैं। कभी-कभी जो राजनीतिक दल सत्ता में रहता है वह सरकारी मशीनरी का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए करता है ताकि मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके। वर्तमान समय में चुनाव आयोग ऐसे अवैध तरीकों को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठा रहा है। आप भी इस कार्य के लिए कुछ तरीकों का पता लगाईए ।

प्रथम आम चुनाव के पश्चात कई चुनाव हो चुके है। नीचे दी गई तालिका में उन लोगों का प्रतिशत दिया गया जिन्होंने प्रत्येक चुनाव में मतदान दिया था। इस तालिका में दी गई जानकारी के अनुसार निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

- अब तक कितने लोकसभा चुनाव हुए हैं?
- आप क्या समझते है कि लोगों के मतदान प्रतिशत के बारे में जानना आवश्यक है, इससे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है।
- चुनाव में कई योग्य मतदाताओं ने भाग नहीं लिया, इसके संभावित कारणों को समझाइए।
- प्रथम चुनाव के समय विभिन्न लोगो ने अपने - अपने कौन से विचार प्रकट किये।
- एक सर्वेक्षण के अनुसार 1996 चुनाव में गरीब और अशिक्षित मतदाताओं का दर 61% रहा। इसमें केवल 53% स्नातक सम्मिलित थे। इतने अधिक अंतर का क्या कारण है? चर्चा कीजिए।

तालिका: 1952 से 2009 तक के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं का प्रतिशत

लोकसभा चुनाव का वर्ष	*मतदाताओं का प्रतिशत*
1952	46 %
1957	48 %
1962	55 %
1967	61 %
1971	55 %
1977	60 %
1980	57 %
1985	64 %
1989	62 %
1991	56 %
1996	58 %
1998	62 %
1999	59 %
2004	58 %
2009	58 %
2014	66.4%

2009 में लोकसभा चुनाव के कुछ रोचक तथ्य

संसदीय चुनाव क्षेत्रो की संख्या	543
कुल मतदाता	83,41,01,479
उम्मीदवारों की संख्या जिन्होंने चुनाव में भाग लिया	8,251
पुरूष उम्मीदवारो की कुल संख्या	89%
महिला उम्मीदवारो की कुल संख्या	11%
चुनावी मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	9,30,000 (के लगभग)
जमाराशि खोनेवाले उम्मीदवारों की संख्या	7,000
मतदान अधिकारी	1,00,00,000 (के लगभग)
चुवान लड़ने वाली कुल राजनैतिक पार्टियाँ	464

सभी कानून संसद नहीं बनाती है, यह निम्न विवरण से स्पष्ट होता है।

केन्द्रीय सूची: इस सूची के समस्त विषयों पर संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है। संसद के द्वारा बनाये गये कानून समस्त देश में लागू किये जाते है। उदाहरण के लिए जैसे हमारे देश की मुद्रा रूपया सभी के लिए एक समान है। इसीलिए वित्त और बैंकिंग से संबंधित सभी कानून केवल संसद के द्वारा बनाये गये हैं। इसी तरह डाक तार और टेलीफोन और दूरसंचार के लिए बनाये गये कानून समान रूप से लागू होते हैं। सुरक्षा विषय को भी संसद के नियंत्रण से अधीन रखा गया है। सैनिक सेवाओं केलिए तथा सुरक्षा विभाग के लिए केवल संसद के द्वारा कानून बनाये जाते हैं ।.

राज्य सूची: राज्य सूची में ऐसे नियम सम्मिलित है जिन पर केवल राज्य विधानसभाएँ कानून बनाती है। यही कारण है कि इस सूची के विभिन्न विषयों पर प्रत्येक राज्य के अलग-अलग कानून है। उदाहरण के लिए राज्य किसी भी वस्तु की खरीदी और बिक्री पर बिक्री कर (सेल्स टैक्स) लगाया जाता है। जो कि राज्य सरकार के राजस्व (आय,आदमी) का एक प्रमुख आय का साधन है। प्रत्येक राज्य ऐसे टैक्स (कर) को एकत्रित करने के लिए कानून बनाता है।

प्रत्येक राज्य का उत्तरदायित्व है कि अपने राज्य की सीमाओं सड़कों और यातायात के सभी साधनों का उचित प्रबंध करे तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा सड़कों का निर्माण और उनके संरक्षण (रख-रखाव) का भी उचित प्रबंध करे। प्रत्येक राज्य में कृषि, सिंचाई, पुलिस स्वास्थ्य की देखभाल राज्य के सबसे महत्वपूर्ण विषय है। ये सभी विषय राज्य सूची में आते हैं और राज्यों की विधानसभाएँ इन विषयों पर कानून बना सकती है।

समवर्ती सूची: इस सूची के विषयों पर दोनों अर्थात संसद तथा राज्य विधानसभाओं के द्वारा कानून बनाया जा सकता है।

कुछ ऐसे निश्चित विषय है जिन पर संसद और राज्य विधानसभाएँ दोनों कानून बना सकती है। जैसे शिक्षा नीति को बनाना, केन्द्र और राज्य सरकार दोनों का कर्तव्य है। प्रत्येक राज्य में आप ऐसे स्कूलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार संचालित करती है तथा जिन्हें केन्द्रीय विद्यालय अथवा सेन्ट्रल स्कूल के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार राज्य सरकार विभिन्न स्कूलों को संचालित करती है जिनका प्रबंध और संरक्षण राज्य के शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाता है।

अन्य कई महत्वपूर्ण विषय है जिन पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बनाती है जैसे कारखाने और उद्योग बिजली श्रमिक वर्ग भी इसी श्रेणी में आते हैं। यदि केन्द्र और राज्य सरकार के द्वारा बनाये गये कानूनों में किसी भी प्रकार का अन्तर्विरोध उत्पन्न होता है तो संसद के द्वारा बनाये गये कानूनों को मान्य समझा जाता है।

- ऐसे कानूनों को याद कीजिए जिन्हें आपने पिछले वर्ष पढा है। अब ऐसे कानूनों के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए जिन पर संसद और विधानसभा की पिछली बैठक में चर्चा की गई थी।

भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति

भारत के राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्य विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के द्वारा चुना जाता है। उपराष्ट्रपति राज्य सभा के अध्यक्ष कहलाता है। उपराष्ट्रपति राज्य सभी की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक कानून जिसे संसद के द्वारा पारितथो स्वीकृत किया जाता है व राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों के पश्चात ही कानून के रूप में लागू किया जा सकता है।

- **गलत वाक्यों को सही कीजिए**

1 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक समान सदस्य होते हैं ।

2 भारत का प्रत्येक मतदाता राष्ट्रपति को चुनता है।

3 तेलंगाणा विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं ।

4 विधानसभाओं के सभी विधानसभा सदस्य और दिल्ली पांडिचेरी से भी संसद सदस्य (लोकसभा और राज्य सभा) राष्ट्रपति को चुनते हैं।

चित्र: 14.3: गणतंत्र दिवस की रात्रि पर राष्ट्रपति भवन का दृश्य

वर्तमान में कार्यरत प्रत्येक का चित्र निधारित जगह पर लगाइये ।

भारत के राष्ट्रपति

उप राष्ट्रपति

प्रधानमंत्री

भारत का प्रधानमंत्री और मंत्रीपरिषद

भारतीय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को लोकसभा और राज्य सभा के द्वारा चुना जाता है। संसद का कार्य केवल कानून बनाना ही नहीं है अपितू सरकार के सदस्योंको नियुक्त करना भी है। जो कानून के अनुसार शासन संचालित कर सके। भारत मे संसदीय शासन प्रणाली है। इसलिए इसकी दोहरी भूमिका है ,एक व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है , दूसरी कार्यपालिका जो कानूनों को लागू करती है। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति कहलाता है।

प्रधानमंत्री और मंत्रीपरिषद अपने आप में ऐसी विशाल संस्था है जिसके अधीन कई मंत्री और सरकारी कर्मचारी कार्य करते हैं। इस तरह से विशाल जनसमूह में से एक छोटा व्यक्तियों का समूह मंत्रियो के रूप में सरकार संचालन का कार्य करता है। आइए अब हम यह देखें कि यह कैसे किया जाता है?

सरकार के समस्त निर्णय राष्ट्रपति के नाम के लिये जाते हैं जो देश का औपचारिक प्रमुख होता है। इसीलिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है।

अब आप यह बतला सकते हैं कि विधानसभा सदस्य मुख्यमंत्री को चुनते है। उसी तरह प्रधानमंत्री भी लोकसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति आमंत्रित करता है और प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से अन्य सदस्यों को मंत्रीपरिषद के गठन के लिए नामों की सूची राष्ट्रपति को प्रदान करता है। इस तरह से मंत्रीपरिषद का गठन होता है।

- वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बताइये इसके पूर्व के कुछ प्रधानमंत्रियों के नाम दीजिए।
- अपने राज्य में से उन मंत्रियों के नाम दीजिए जो वर्तमान केन्द्रीय सरकार में है।
- केन्द्रीय सरकार के महत्वपूर्ण विभागों तथा उनके अध्यक्षों के नाम बताइये ।

मंत्रीमंडल सरकार का कार्यपालिका विभाग है, जिसका प्रमुख कार्य कानूनों को लागू करना तथा ऐसे कार्यक्रमों की योजना बनाना है तथा उन्हें लागू करना है जो विकास से लिए आवश्यक होता है। संसद कानूनों पर विचार विमर्श करती है तथा पुराने कानूनों और नीतियों पर विचार विमर्श के पश्चात संसद की स्वीकृति प्राप्त करती है।सरकारी कार्य के कई महत्वपूर्ण विभाग या क्षेत्र हैं, जैसे वित्त, विदेशी मामले, कृषि,शिक्षा और स्वास्थ्य. इत्यादि। प्रत्येक विभाग का प्रमुख एक

अनुभवी और वरिष्ठ मंत्री होता है। प्रत्येक मंत्रालय में कई विभागीय कर्मचारी दैनिक कार्यो के लिए कार्य करते हैं । जैसे फाइल बनाना, विभिन्न मामलों के लिए प्रस्ताव तैयार करना ताकि मंत्री ऐसे कार्यो के लिए निर्णय ले सके तथा उन्हें सूचित कर सके। ऐसे निर्णयों को लागू करने का उत्तरदायित्व भी मंत्रालय के अधिकारियों का रहता है।

- निम्न में से कौनसा वाक्य सरकार के गठन के लिए सही है?
- दलीय समर्थन के आधार पर राष्ट्रपति सरकार का गठन करते हैं।
- एक दल अथवा संयुक्त दल में किसके पास सरकार बनाने के लिए अधिक संख्या में सीट है।
- एक राजनीतिक दल अथवा संयुक्त दलों में से किसके पास सरकार बनाने के लिए आधी से अधिक सीटें है?
- क्या चुनाव आयोग उस दल को चुनता है जो सरकार का गठन कर सके ।
- ऐसा व्यक्ति जिसे लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक मत प्राप्त हुए हो वह प्रधानमंत्री बन सकता है ।
- निम्नलिखित तालिका को देखते हुए यह बताइए कि प्रथम लोकसभा चुनाव में कौन सा राजनैतिक दल सरकार बना सकता है।

प्रथम लोकसभा चुनाव 1952

दल का नाम	जीते गये स्थान
कांग्रेस	364
कम्यूनिस्ट और उनके सहयोगी	23
समाजवादी	12
किसान मजदूर प्रजा पार्टी	9
जन संघ	3
हिन्दू महासभा	4
राम राज्य परिषद	3
अन्य दल	30
स्वतंत्र उम्मीदवार	41
कु ल	**489**

कुछ महत्वपूण शब्द

1. विधान मंडल
2. लोक सभा
3. राज्य सभा
4 चुनाव आयोग
5. मंत्रीपरिषद
6. केन्द्रीय सूची
7. राज्य सूची
8. समवर्ती सूची

अधिक सीखने की कोशिश कीजिए

1. प्रथम आम चुनाव करवाना क्यों कठिन था? अपनी इच्छानुसार कारण बताइए? (AS$_1$)
2. आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए? (AS$_1$)
3. इनमें से कौन से विषयों पर संसद सदस्य विधान सभा सदस्य या दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं- कृषि, रेलवे, अस्पताल, पुलिस, डाक एवं तार विद्युत एवं कारखाने । (AS$_1$)
4. संसद के दोनो सदनों के नाम लिखिए । एक तालिका के माध्यम से निम्न प्रमुख आधारों पर दोनों सदनों के बीच समानताएँ और अंतर बतलाने का प्रयास कीजिए। जैसे- कार्यकाल, कुल सदस्य संख्या, कम या अधिक शक्तिशाली, चुनावी प्रक्रिया, राष्ट्रपति पद के लिए मतदान। (AS$_3$)
5. 2009 के संसदीय चुनाव में किसी भी एक दल को बहुमत प्राप्त नही हुआ? ऐसे समय में सरकार कैसे गठित की गई? अपने शिक्षक की सहायता से इस विषय पर एक पंक्ति लिखिए। (AS$_1$)
6. जो कानून पूरे देश में लागू होते हैं, उसके लिए कौन उत्तरदायी है? (AS$_1$)
7. नीचे दी गई तालिका में जितनी सूचना दी गई है उनमें कुछ कमी रह गई है। अपने शिक्षक के

साथ चर्चा करके उन सूचनाओं को एकत्रित करके रिक्त स्थान भरें। (AS$_3$)

पद का नाम	किसके द्वारा चुना गया	कार्यकाल की अवधि	योग्यताएँ निम्नतम उम्र निवास इत्यादि
विधानसभा सदस्य		5 वर्ष	
एम.पी. लोकसभा			न्यूनतम आयु 25 वर्ष
एम.पी.राज्यसभा			
मुख्यमंत्री	प्रत्येक राज्य के बहुमत दल के सदस्यों द्वारा		
प्रधानमंत्री			उसे संसद सदस्य होना
राष्ट्रपति			न्यूनतम आयु 35 वर्ष

8. क्या आप को लगता है कि चुनावों में महिलाओं को अधिक प्रधानता दी जानी चाहिए। (AS$_1$)
9. निम्न सर्वेक्षण के आंकड़े यह बतलाते हैं कि भारत तथा अन्य देशों के संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? (AS$_3$)

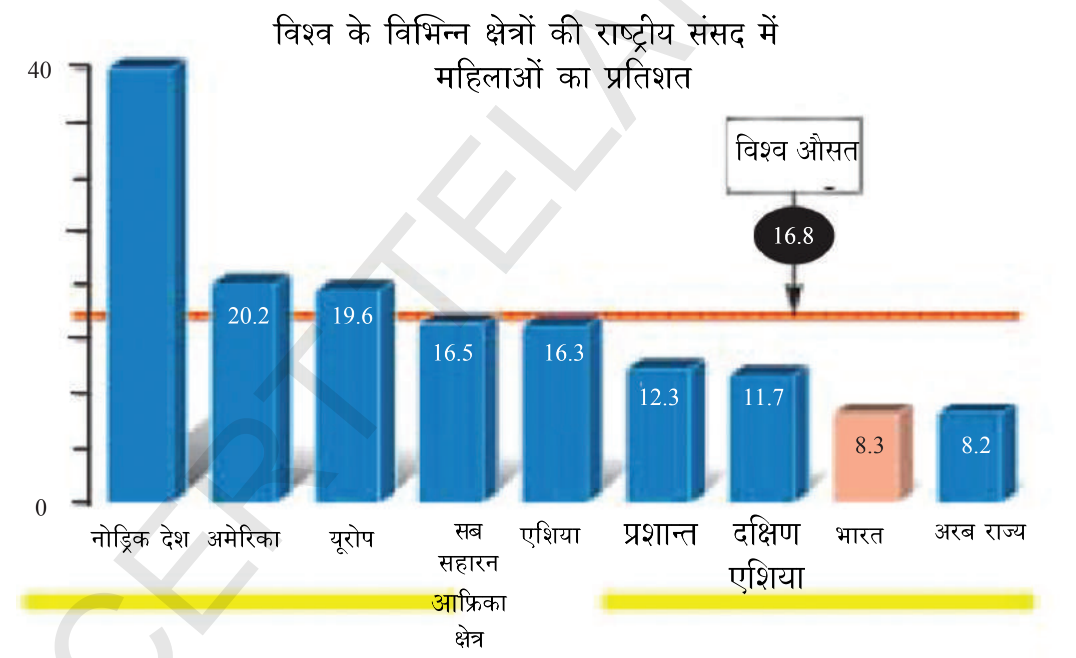
विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की राष्ट्रीय संसद में महिलाओं का प्रतिशत

उपरोक्त सूचनाओं के आधार पर निम्न पक्षों पर एक निबंध लिखिए।

- क्या महिलाओं को संसद के दोनों सदनों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त है?
- प्रजातांत्रिक आदर्शों के लिए प्रतिनिधित्व का विचार कैसा है?
- उपर्युक्त प्रश्नों द्वारा क्या समाधान निकला? संसद सदस्य होने के नान आप इस विषय को संसद में कैसे प्रस्तुत करेंगे? आप के विचार में अन्य देशों में महिलाओं का संसद में अधिक प्रतिनिधित्व है?

परियोजना - जिस समय संसद का अधिवेशन चल रहा हो उस समय रेडियो और टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले समाचार या समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली प्रमुख घटनाओं की एक सूची बनाकर कक्षा में संसद भवन की तरह विचार-विमर्श कीजिए ।

अध्याय 15

कानून और न्याय-एक केस अध्ययन
Law and Justice – A case Study

पिछले वर्ष हमने पढा होगा कि कानून सरकार द्वारा बनाये जाते हैं । हमने कानून लागू करने में संसद के कार्य को भी देखा । लेकिन जब कानून का उल्लंघन होता है तब क्या होता है? इस अध्याय में हम इस बारे में पढेंगे ।

संपत्ति पर विवाद

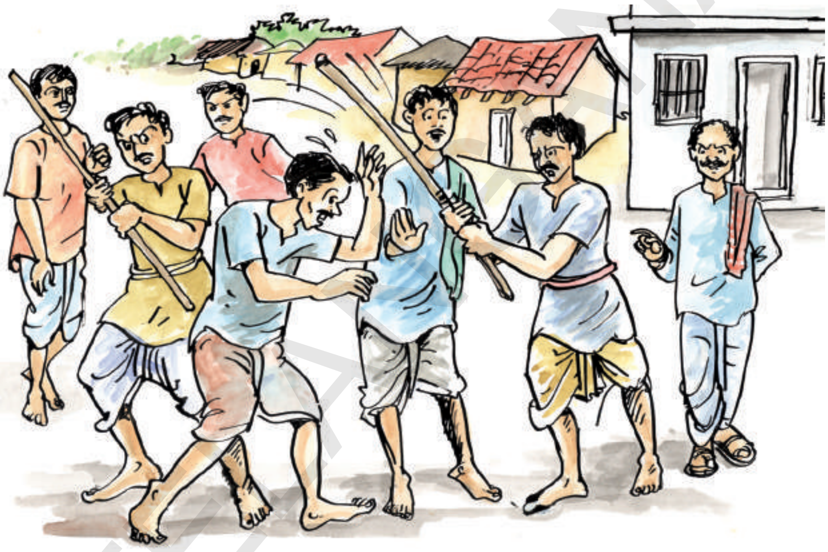

रवि जमींदारी का काम करने वाला एक व्यापारी है। वह जमीन खरीदता है और उसके छोटे प्लाट बनाकर फिर उसे बेचता है। वह प्लॉट के बारे में समाचार पत्रों में विज्ञापन देता है जो लोग प्लाट खरीदते हैं उन्हें 5 वर्ष तक प्रति माह 5000 रूपये देने होते हैं ।

सांबा एक सहकारी समिति में चपरासी है।उसने विज्ञापन देखा और प्लाट खरीदनें का निश्चय किया। उसनें अपनी कमाई में से पैसे बचाये और 5वर्ष तक सभी किश्तें चुकाई। 5 वर्ष पश्चात सांबा ने उस प्लाट पर घर बनाने की योजना बनायी। लेकिन तब उसे पता चला कि रवि नें वही प्लाट कुछ समय पहले सुशील को बेच दिया था।

सांबा अपने बेटे क्रांति के साथ रवि के घर गया। सांबा ने रवि से प्लाट के पैसे वापस करने की मांग की। दोनों में झगड़ा हो गया और वीरु ने सांबा को मारकर उसका हाथ तोड़ दिया। जैसे ही यह खबर फैली, एक बड़ी भीड़ जमा हो गयी। गाँव के बड़े लोग भी आ गये और सांबा और रवि को शांत करने की कोशिश की । कुछ समय बाद क्रांति सांबा को समीप के शहर में ले गया जो मंडल का मुख्यालय (प्रधान कार्यालय) था। उन्होंने सांबा को डाक्टर को बताया और उसके हाथ पर प्लास्टर चढवाया। फिर डाक्टर के सर्टिफिकेट के साथ वे रिपोर्ट दर्ज करने पुलिस स्टेशन गये ।

रिपोर्ट दर्ज करना

पुलिस स्टेशन में क्रांति ने वीरू के खिलाफ शिकायत की। शिकायत में निम्न विवरण होना आवश्यक है:

1. पुलिस स्टेशन के एसएचओ के नाम हो
2. शिकायती संबंधित जानकारी
3. दिनांक, समय और अपराध का स्थान
4. क्या हुआ था/केस
5. अपराधी का नाम, लिंग, जानकारी, पता आदि।

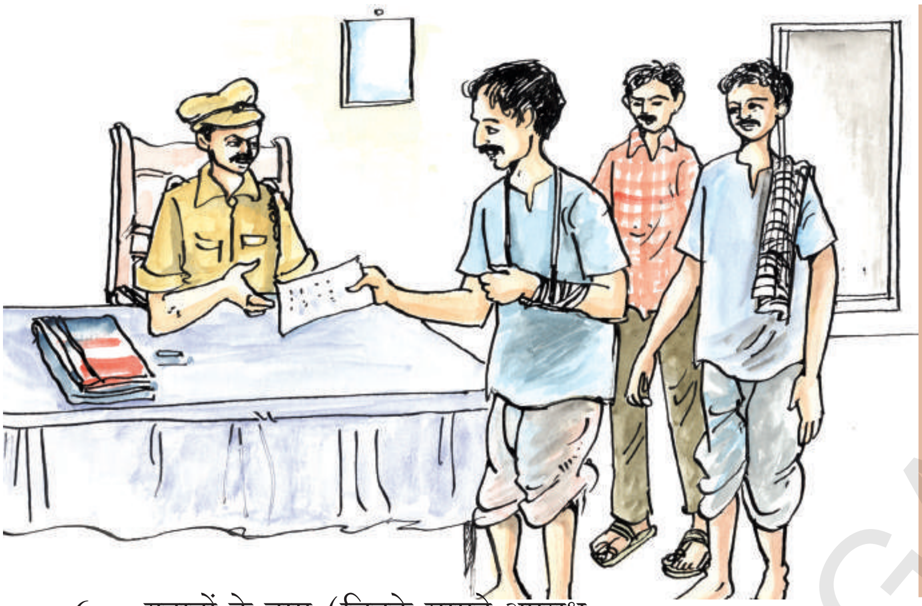

- क्या आप उपरोक्त विवरण के आधार पर रवि और सांबा की काल्पनिक जान कारी लिख सकते हैं?
- एफआईआर दर्ज करवानेवाले व्यक्ति के लिए रिपोर्ट की एक प्रति लेना क्यो आवश्यक है?

6. गवाहों के नाम (जिनके सामने अपराध हुआ था)
7. याचना (अपराधी को कानून और धारा के अंतर्गत अपराधी को सजा, यदि धारा नंबर पता हो तो वह भी दर्ज करना)
8. शिकायती के हस्ताक्षर, पता और विस्तृत जानकारी ।

लेखक शिकायत के आधार पर दी गयी जानकारी के आधार पर रिपोर्ट लिखता है। यह पहली जानकारी रिपोर्ट (एफ.आई.आर.)कहलाती है। क्रांति रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करता और लेखक से कहता है कि- कृपया रिपोर्ट अपने रजिस्टर में दर्ज कर ले और हमें भी एक प्रति दे दीजिए। लिखने वाले ने कहा कि- मुझे रिपोर्ट दर्ज करने के लिए एसएचओ के आने तक इंतजार करना होगा। पुलिस स्टेशन का मुखिया स्टेशन हाऊस ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। इस पुलिस स्टेशन में सब-इंस्पेकटर (एसआई) है। इसीलिए क्रांति नें एसएचओ के आने के बाद रजिस्टर में रिपोर्ट दर्ज होने तक इंतजार किया ।

- उन्होंने एसएचओ/एसआई के आने का इंतजार क्यों किया? यदि आपको ऐसी रिपोर्ट दर्ज करवानी है तो आप उसमें क्या लिखोगे ।

- प्रत्येक पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कुछ क्षेत्र आता है। पता कीजिए कि आपका घर किस पुलिस स्टेशन (अधिकार क्षेत्र) के अंतर्गत आता है?

प्रथम जानकारी रिपोर्ट (F.I.R.)

यदि आप पुलिस स्टेशन के पास शिकायत करना चाहते हो तो पुलिस स्टेशन में प्रथम जानकारी रिपोर्ट दर्ज करवाना आवश्यक है। प्रथम जानाकरी रिपोर्ट (F.I.R.) दर्ज करवाने के पश्चात यह पुलिस का कर्तव्य है कि छानबीन कर समस्या का हल करे ।

तब एसएचओ व्यक्ति का रिकार्ड किया गया कथन पढता है और स्वीकृति के बाद व्यक्ति उस पर हस्ताक्षर करता है। अपराध की जानकारी एफआईआर के आधार पर स्टेशन हाउस रजिस्टर में दर्ज की जाती है और एफआई आर की प्रति नि:शुल्क रूप से रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति को दी जाती है।

यदि एसएचओ रिपोर्ट दर्ज करने से इंकार करता है, तो व्यक्ति सीधे डीएसपी या मजिस्ट्रेट के पास जाकर रिपोर्ट दर्ज कर सकता है। रिपोर्ट डाक द्वारा भी भेजी जा सकती है।

जांच पड़ताल में पुलिस की भूमिका और गिरफ्तारी

अपराध के बारे में कोई शिकायत हो तो उसकी जाँच-पड़ताल करना पुलिस का महत्वपूर्ण कार्य है। एक जाँच पड़ताल के अंतर्गत गवाहों के बयाना दर्ज करने और विभिन्न प्रकार के सबूत इकट्ठा करना शामिल होता है। जाँच पड़ताल के आधार पर पुलिस को एक राय बनाने की आवश्यकता होती है। यदि पुलिस को लगता है कि सबूत दोषी ठहराये गये व्यक्ति के अपराध की और इशारा करते है तब वे कोर्ट में एक चार्ज शीट दर्ज करते हैं। जज और न्यायपालिका यह निश्चित करती हैं कि दोषी ठहराया गया व्यक्ति दोषी है या नहीं और उसे क्या दंड दिया जाना चाहिए।

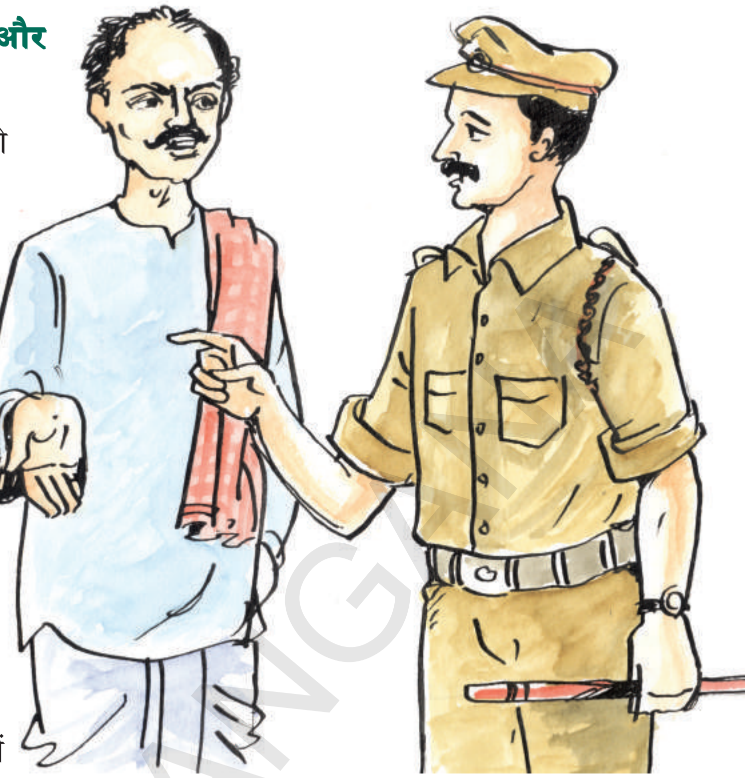

इस केस में एसआई गाँव जाता है और सांबा के घावों की परीक्षा करके अपनी जाँच पड़ताल आरंभ करता है। अस्पताल के डाक्टर की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो जाता है कि घाव गंभीर है। फिर वह वीरु के पड़ोसियों से पूछताछ करता है। पड़ोसी उसे घटना की पूरी जानकारी देते हैं। इससे यह पता चल जाता है कि सांबा पर वीरू ने आक्रमण कर उसे जख्मी किया ।

तब एसआई रवि के घर जाकर उसे जानकारी देता है कि उसे दूसरे व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। वह वीरू को गिरफ्तार कर मंडल पुलिस स्टेशन ले गया और वहाँ उससे पूछताछ की। वीरू ने सांबा पर प्रहार करने की बात से साफ इंकार कर दिया। उन्होंने रवि से अपराध कबूल करवाने की कोशिश की लेकिन वह अपने झूठ पर अडिग रहा। रवि को पुलिस की कैद में रखा गया ताकि उसे दूसरे दिन मजिस्ट्रट के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके ।

- किसने अपराध की जाँच-पड़ताल की और कैसे ?
- एक दोषी से क्या तात्पर्य है? इस कहानी में कौन दोषी है?
- दोषी के विरूद्ध क्या चार्ज लगाये गये?
- सांबा ने सोचा कि एसएचओ ने वीरू को अपराध का दंड देने के लिए गिरफ्तार किया है? क्या वह सही था?

नागरिक और अपराधिक जुर्म

रवि ने एसआई से बातचीत की और कहा “मुझे यह सब खत्म करना है। सांबा द्वारा दिये प्लाट की रकम मैं वापस कर दूँगा फिर हम सब यह भूल जाएंगे कि ऐसा कभी हुआ था।”

एसआई ने जवाब दिया - “ तुम्हें वह रकम किसी भी प्रकार से चुकानी है। लेकिन अब तुम उसे मारने के जुर्म में गिरफ्तार किये जाते हो। अब

यह एक अपराधिक केस है। यदि तुमने सांबा पर प्रहारन किया होता तो पुलिस इसमें शामिल नही होती और सांबा तुम्हारे खिलाफ प्लाट न देने के जुर्म में नागरिक मुकदमा दर्ज न करता। तब तुम उसे प्लाट वापस दे सकते थे और उसके द्वारा उठाये गये नुकसान की भरपाई कर सकते थे। तब तुम जेल नहीं भेजे जाते थे ।

रवि और सांबा के मामले में दो प्रकार के झगड़े थे। पहला जिसमें रवि नें सांबा पर प्रहार किया था। यह अपराधिक अपराध है। चोरी, डकैती, मिलावट, घूसखोरी, नकली दवाएँ बनाना आदि कुछ दूसरे अपराधिक अपराध है। उन दोनों के बीच नागरिक अपराध भी हुआ है। रवि ने प्लाट या सांबा द्वारा दी गयी रकम वापस नहीं की।

नागरिक मामले लोगों के जमीन पर अधिकारों, संपत्ति, आय और लोगों के आपसी संबंधों से संबंधित होते हैं। अत्यधिक अपराधी मामले में लोगों को जेल की सजा दी जाती है। लेकिन नागरिक मामलों में उन्हें जेल नहीं भेजा जा सकता है। एक अपराधिक मामला हमेशा अपराध भुगतने वाले व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि पुलिस द्वारा संभाला जाता है। दूसरी ओर नागरिक मामले हमेशा धोखेबाजी या समझौते के टूटने से पीड़ित व्यक्ति द्वारा दर्ज किये जाते हैं।

पुलिस अपराधिक मामलों की जिम्मेदारी लेती है क्योंकि यह सरकार द्वारा बनाये गये कानून का उल्लंघन है। नागरिक मामलें में दो व्यक्तियों के बीच समझौते का उल्लंघन होता है।

- जब रवि ने सांबा का प्लाट दूसरे व्यक्ति को बेच दिया तो यह............अपराध था (अपराधिक या नागरिक)
- जब रवि ने सांबा को पीटा तो वह .... अपराध था (अपराधिक या नागरिक)

अपराधिक और नागरिक कानून के बीच अंतर को समझने के लिए निम्न तालिका को देखिए ।

सं.	अपराधिक कानून	नागरिक कानून
1.	ऐसे बर्ताव या कार्य से संबंधित है जिसे कानून अपराध के रूप में परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज लेना, खून करना।	एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा समझौते का उल्लंघन के कारण नुकसान पहुँचाने से संबंधित है। उदाहरण के लिए किराया, सामान की खरीदी, तलाक।
2.	यह साधारणतः एफआईआर दर्ज करने और पुलिस की जाँच पड़ताल से शुरू होता है और फिर मामला कोर्ट में दर्ज किया जाता है।	व्यक्ति जिसके साथ धोखा हुआ है उसके द्वारा कोर्ट के समक्ष याचिका प्रस्तुत करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए किराये के झगड़े में मकान मालिक या किरायेदार।
3.	अपराध सामने आने पर दोषी को जेल भेज दिया जाता है और जुर्माना भी लिया जाता है।	कोर्ट नुकसान होने वाले व्यक्ति को सहायता प्रदान करता है जैसे एक घर किरायेदार से खाली करवाया जा सकता है या दी गई रकम चुका दी जाती है।

अपराधिक और नागरिक कानून के बारे में आपने क्या समझा, इस आधार पर नीचे दी गयी तालिका भरो।

उल्लंघन का वर्णन	**कानून की शाखा**	**अनुसरण की जाने वाली कार्यप्रणाली**
पाठशाला जाते समय, लड़कियों के एकसमूह से लड़कों के समूह द्वारा छेड़छाड़ करना।		
एक किरायेदार द्वारा मकान मालिक के खिलाफ जबरदस्ती घर खाली करवाने का मामला कोर्ट में दर्ज करना।		

बेल

चूँकि रवि का केस अपराधिक मामला था, अपराध साबित होने पर रवि को कैद में रखा गया। लेकिन यह दंड नहीं था यह सिर्फ जाँच-पड़ताल में सहायता के साथ-साथ उसे सबूत मिटाने या गवाह को धमकानें आदि से बचाने के लिए था। कुछ समय तक पुलिस की कैद में रहने के बाद उसका परिवार कोर्ट गया और उसके लिए बेल अर्जी दी। जो व्यक्ति खून, घूसखोरी, डकैती, आदि जैसे गंभीर अपराध करता है, उसे बेल नहीं मिल सकती। जमानत प्राप्त करने के लिए कोर्ट में कुछ जमानत देनी होती है। यह जमानत संपत्ति या एक व्यक्ति जो गारंटी देता है या फिर बाण्ड़ भी हो सकती हैं। बाण्ड़ एक शपथ होती है कि अपराधी जब भी कोर्ट बुलाएगा उसके उपस्थित होना पड़ेगा। कोर्ट का जज इस बात का निर्णय करता है कि बेल दी जाय या नही ।

बेल अपराधी का अधिकार

बेल अपराधी का अधिकार है, यह अपराध की गंभीरता, गवाह को धमकाने की संभावना के आधार पर की जाती है। साथ ही कोर्ट इस बात का भी ध्यान रखता है कि अपराधी को छोड़ने से समाज, गवाह या शिकायती को कोई नुकसान तो नही पहुँचता। बेल दिये जा सकने वाले अपराधों में केवल एचएसओ ही बेल दे सकता है। बेल ने मिलने वाले अपराधों के मामले में अपराधी को उचित कोर्ट में बेल के लिए याचिका देनी होती है।

कोर्ट में वकील रवि और सांभा के मामले पर बहस करते हैं। रवि को अपना वकील स्वयं ढूंढना होगा। लेकिन सांबा को सार्वजनिक अभियोजन या सरकारी वकील मिलेगा। कानूनी तरीके संगीन होते है और उन पर बहस के लिए विशेष ज्ञा न की आवश्यकता होती है।

सरकारी वकील की भूमिका ?

एक अपराधिक अपराध सार्वजनिक अपराध के रूप में रजिस्टर किया जाता है। इसका यह अर्थ है कि अपराध न केवल पीड़ित व्यक्ति पर हुआ है बल्कि पूरे समाज पर हुआ है।

कोर्ट में सरकारी वकील राज्य की ओर से प्रतिनिधित्व करता है। पुलिस के जाँच-पड़ताल करने और कोर्ट में चार्ज शीट दर्ज करने के पश्चात सरकारी वकील का कार्य आरंभ होता है। जाँच-पड़ताल में सरकारी वकील का कोई कार्य नहीं होता। उसे राज्य के प्रतिनिधि के रूप में अभियोग चलाना होता है। उसका कर्तव्य है

कि कोर्ट के अफसर के रूप में भेदभाव के बिना कार्य करना और कोर्ट के समक्ष पूर्ण और वास्तविक गवाह और सबूत प्रस्तुत करना ताकि कोर्ट मामले को पूर्ण रूप से निश्चित कर सके ।

सही जांच

सांबा और रवि के केस की सुनवाई न्यायालिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में होनी थी। कोर्ट और उसके आस-पास काले ड्रेस में वकील, जाँच का सामना करने वाले लोग और वे लोग जो दूसरे केसों की सुनवाई में सम्मिलित होने आये थे, सभी मौजूद थे।

कानून कहता है कि कानून के सामने सभी समान है। कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं यह निश्चित करने से पहले उसे बिना भेदभाव के जनता के समक्ष सुनवाई का अवसर दिया जाता है। अपराधिक मामले बेगुनाही की परिकल्पना के आधार पर शुरू किये जाते हैं और उचित संदेह से परे अपराध किया जाना चाहिए।

जज सीधे इस बात पर नहीं पहुँच सकता कि रवि अपराधी है क्योंकि सांबा घायल हुआ है। यह साबित होना आवश्यक है कि रवि नें सांबा को घायल किया है।

- सही जाँच का क्या अर्थ है ? क्या यह आवश्यक है ? क्यों ? चर्चा कीजिए ।

प्रथम सुनवाई और वकील

रवि सांबा और उनका पुत्र क्रांति तथा एसआई न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में उपस्थित थे। रवि ने वकील रखा था। सरकार की ओर से असिस्टेंट सरकारी वकील यह केस संभाल रहा था ।

बहुत देर तक इंतजार करने के बाद सुनवाई के लिए रवि और सांबा को बुलाया गया। यह न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने केस की प्रथम सुनवायी थी ।

एसआई ने रवि के वकील को एफआईआर और पुलिस रिपोर्ट की प्रति दी ताकि वह अपने मुवक्किल पर लगाये गये इल्जामों को जान सके। इन रिपोर्टो मे रवि का वकील यह भी जान सकता है कि पुलिस ने रवि के खिलाफ कौन-कौन से सबूत इकट्ठा किये है। इस सभी जानकारी से उसे रवि को जो इस केस में दोषी है, बचाने की योजना बना सकता है।

प्रथम सुनवाई में न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि को सांबा को गंभीर रूप से घायल करने के जुर्म में दोषी ठहराता है। यह अपराध यदि साबित हो जाता है तो 4 वर्ष की जेल की सजा हो सकती है। रवि ने लगाये गये इल्जाम स्वीकार नही किये। इसीलिए मजिस्ट्रेट नें 15 दिन के बाद केस की दूसरी सुनवायी का आर्डर दिया ।

- रवि के केस की सुनवाई कौन से कोर्ट में हो रही थी ?
- प्रथम सुनवाई में क्या हुआ ?
- सरकार की ओर से केस संभालने वाले वकील को क्या कहा जाता है ?

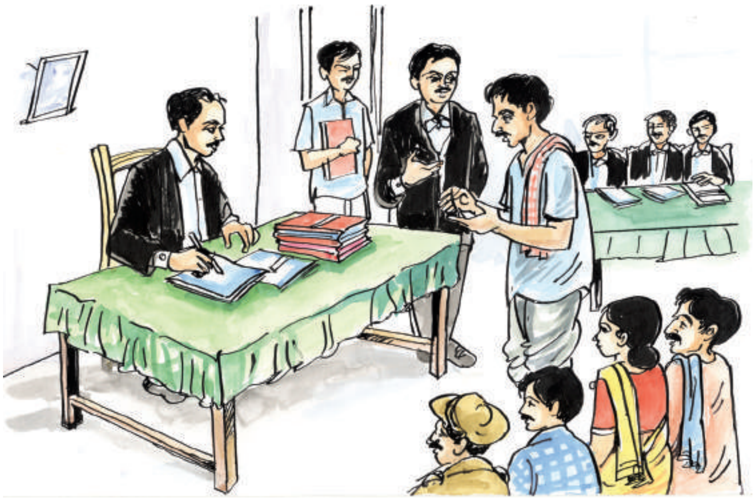

जज का क्या कार्य है?

जज एक खेल के अम्पायर की तरह होता है और खुले न्यायालय में बिना किसी भेदभाव के मामला चलाता है। जज सभी गवाहों को सुनता है और सरकारी और विरोधी वकील के सभी सबूत देखता है। प्रस्तुत किये गये सबूतों और कानून के आधार पर जज निर्णय करता है कि दोषी व्यक्ति अपराधी है या नही। यदि दोष सिद्ध हो जाता है तो जज सजा घोषित करता है। कानून के नियम के आधार पर जज उस व्यक्ति को जेल भेज सकता है या जुर्माना लगाता है या फिर दोनों ।

शक्तियों और स्वतंत्रता का अलगाव

प्रारंभिक अध्याय में हमने भारतीय संविधान के रूप में पढा है। संविधान की एक मुख्य विशेषता है कार्यकारिणी न्यायपालिका और विधान सभा की शक्तियों को अलग करना। इसका अर्थ है कि कार्यकारिणी और विधानसभा न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नही कर सकती। न्यायालय सरकार के दबाव में नहीं होती और सरकार के लिए कार्य नहीं करती ।

पुलिस भी न्यायलय का भाग नहीं होता, वह कार्यकारिणी का भाग होती है। पिछले वर्ष तक प्रशासन के बारे में पढा था। क्षेत्रीय स्तर पर कलेक्टर के समान ही सरकारी पुलिस अफसर भी होता है जो क्षेत्र में कानून व व्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होता है। पुलिस विभाग राज्य सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

उपर्युक्त अलगाव अच्छी प्रकार से कार्य करने के लिए यह भी अत्यावश्यक है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति सरकार के दूसरे विभागों के बहुत कम हस्तक्षेप से हो। एक बार इस दफ्तर में नियुक्त हो जाय तो फिर एक जज को पदच्युत करना बहुत मुश्किल है ।

- क्या राजनैतिक शक्तियों के पास न्याय पर प्रभाव डालने के अवसर होते हैं? क्यों ?
- एक स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है?
- कल्पना कीजिए कि एक कंपनी जंगल काट रही है और आदिवासी ईंधन के लिए लकड़ी काट रहा हैं । क्या निष्पक्षता ठीक है - विवाद किजिए।

गवाहों के सबूत

रवि ने अपने कुछ दोस्तों के नाम गवाहों के रूप में दिये। क्रांति ने भी जिसने सांबा के लिए एफआईआर दर्ज की थी कुछ लोगों के नाम गवाहों के रूप में दिये। जाँच-पड़ताल करते समय एसआई ने सांबा के दो पड़ोसियों के नाम गवाहों के रूप में लिखे। इन सभी गवाहों को दी गयी तारीख पर केस की दूसरी सुनवाई के लिए उपस्थित होने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश जारी किए गए।

15 दिन पश्चात केस से संबंधित सभी लोग कोर्ट पहुँच गये। बहुत देर इंतजार करने के बाद केस शुरू हुआ। सबसे पहले एक महिला जो सरकार की ओर से गवाह थी उसे बुलाया गया । उसने अपराध वाले दिन की पूरी घटना सुनायी । सरकारी वकील और रवि ने वकील दोनों ने उससे कई प्रश्न पूछे। मजिस्ट्रेट ने 3 और गवाहों के बयान सुने और उसे रिकार्ड किया। शेष सुनवायी दूसरे दिन के लिए स्थगित कर दी गयी। इस प्रकार प्रत्येक सुनवायी के लिए एक या दो गवाहों के बयान सुने जाते और प्रश्न पूछे जाते है और अगली सुनवायी की तारीख घोषित कर दी जाती है।

सुनवायी कई महीनों तक चलती रही । रवि को अपने वकील को फीस देनी पड़ती थी। उसे कोर्ट जाने-आने के लिए भी रूपये खर्च करने पड़ते थे। उसकी बिक्री पर भी असर पड़ा। एक साल बीत गया। अंत में मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया कि रवि दोषी है और उसे 4 वर्ष की सजा सुनाई गई ।

- चर्चा कीजिए कि किसी भी केस में गवाहों के बयान सुनना क्यों आवश्यक है।

अपील पद्धति

रवि फैसले से खुश नहीं था। वह यह सोचकर बेचैन था कि जब वह जेल में होगा तो उसके परिवार का क्या होगा? यदि कोई व्यक्ति निचले स्तर की कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट है तब वह उच्च स्तरीय कोर्ट में अपील कर सकता है।

हमारे देश में तीन स्तरों के कोर्ट है। निचले स्तर पर कई अदालते है। अदालत जिनसे सबसे अधिक लोग पारस्परिक क्रिया करते हैं। अप्रधान या क्षेत्रीय कोर्ट कहलाते है। ये अधिकतर क्षेत्र या विभागीय स्तर या शहरों में होते हैं इनमें कई प्रकार के केसो की सुनवाई होती है। प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होता है जो राज्य का उच्चतम न्यायालय होता है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है जो नई दिल्ली में स्थित है और भारत का प्रधान न्यायाधीश इसका सभापति होता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया फैसला भारत के सभी कोर्टों में मान्य होता है।

- अपने अध्यापक की सहायता से आपके क्षेत्र के इन कोर्टों का पता कीजिए।
- निम्न स्तर में उच्च स्तर के कोर्टों का स्तर एक (पिरामिड) की तरह होता है। आप इस चित्र में उनके बारे में जानकारी भर सकते हैं?

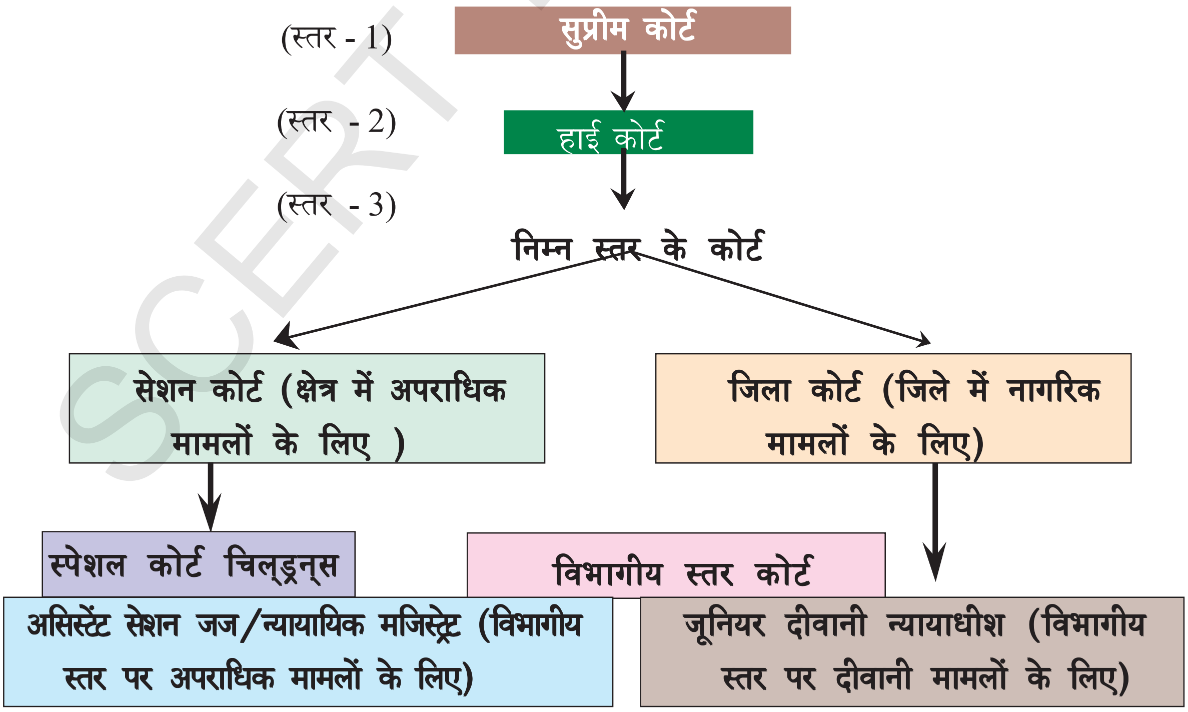
(स्तर - 1)
सुप्रीम कोर्ट
(स्तर - 2)
हाई कोर्ट
(स्तर - 3)
निम्न स्तर के कोर्ट
सेशन कोर्ट (क्षेत्र में अपराधिक मामलों के लिए)
जिला कोर्ट (जिले में नागरिक मामलों के लिए)
स्पेशल कोर्ट चिल्ड्रन्स
विभागीय स्तर कोर्ट
असिस्टेंट सेशन जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट (विभागीय स्तर पर अपराधिक मामलों के लिए)
जूनियर दीवानी न्यायाधीश (विभागीय स्तर पर दीवानी मामलों के लिए)

सेशन कोर्ट में अपील

रवि के वकील ने उसे जिला मुख्यालय के सेशन कोर्ट में अपील दर्ज करने का सुझाव दिया। तुम अपील करने का कार्य मुझ पर छोड़ सकते हो। हाँ लेकिन तुम्हें इसके लिए अतिरिक्त फीस देनी होगी। इस कोर्ट के पास निम्न कोर्ट के फैसले को बदलने की शक्ति है। उस कोर्ट के द्वारा उसकी सजा कम की जा सकती है।

रवि अब भी परेशान था । वह केस की लगातार सुनवायी के बारे में सोच रहा था । उसने कहा- जिला मुख्यालय काफी दूर है। सभी गवाहों के साथ वहाँ जाने आने में काफी काम होगा। मैं यह कैसे संभाल सकूँगा । वकील ने उसे आश्वासन दिया कि सेशन कोर्ट के केस में एक या दो सुनवायी से ज्यादा की आवश्यकता नहीं है जिसमें रवि को उपस्थित रहने की आवश्यकता है। शेष मामला केस के दर्ज होने के आधार पर आगे बढता रहेगा ।

रवि की ओर से रवि के वकील ने सेशन कोर्ट में अपील की। सेशन कोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के फैसले पर रोक लगा दी। इसका अर्थ यह हुआ कि रवि को तुरंत जेल जाने की आवश्यकता नहीं थी।

इस कोर्ट में रवि को केवल एक बार उपस्थित होने की आवश्यकता तथा साँबा और उसके गवाहों को उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं थी। शेष सुनवायी वकील नें संभाल ली। सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाने में दो वर्ष लगा दिये। रवि दोषी ठहराया गया लेकिन उसकी सजा एक साल कम कर दी गयी।

- क्या आप कारण बता सकते हो कि क्यों सेशन कोर्ट ने रवि की सजा कम की होगी ?

हाई कोर्ट

रवि सेशन कोर्ट के फैसले से भी खुश नहीं था। वकील ने उसे बताया कि निम्न न्यायालयों द्वारा दिये गयो फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, जो राज्य का उच्चतम न्यायालय है। हाई कोर्ट दोषी या गवाहों को प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहता है। वह केवल केस के आधार पर निर्णय लेता है। वकील ने कहा- यदि तुम कोशिश करना चाहते हो और अपनी सजा

चित्र- 15.1 : तेलंगाना एवं आं.प्र. हाई कोर्ट

कम करने के लिए हाई कोर्ट में अपील करना चाहते हो तो, हम यह कर सकते हैं ।

रवि ने अपने वकील को कुछ अधिक फीस दी और हाई कोर्ट में अपील करने के लिए कहा। अपील की गयी और कुछ महीनों के बाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले की घोषणा की जिसमें सेशन कोर्ट के फैसले का सम्मान किया अर्थात वह सेशन कोर्ट के फैसले से सहमत है। अत: रवि हाई कोर्ट में केस हार गया और उसे सेशन कोर्ट द्वारा लगाया गया जुर्माना भरना पड़ा। वह अब जेल की सजा से नहीं बच सकता था।

अब रवि के पास दो रास्ते है, पहला जेल जाना और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में अपील करना। रवि अब तक की कार्यवाही से थक चुका था। इसीलिए रवि का केस हाई कोर्ट में समाप्त हो गया ।

- हाई कोर्ट ने दोषी और गवाहों को अपने सामने नहीं बुलवाया। क्यों ?
- क्रांति ने कहा कि -मेरे पिताजी को न्याय मिला लेकिन बहुत देर से। क्या आप उससे सहमत है?

अब तक हम रवि और सांबा के बीच हुए झगड़े वे किस की सहायता लेकर न्याय हासिल करें, फरियाद करना, अपील करना, कार्यवाही करना आदि क़ानूनी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करे थे। बच्चों की रक्षा और वह किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं और उसका हल निकालना उसके लिए विशेष न्यायालय जो दूसरे न्यायालय जो दूसरे न्यायालय से भिन्न हैं।

भारत सरकार बच्चों की सुरक्षा व रुचियों के अनुसार एक क़ानून बनाया। बच्चों पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध क़ानून 2012 में (POCSO ACT 2012) बनाया गया। यह क़ानून बच्चों को यौन उत्पीड़न के विरुद्ध तथा अश्लील चलचित्र दिखाने का विरोध करता है। रुचि के अनुसार बच्चों के हर दिशा में बचाते हुए और उन्हें सौहृदयपूर्ण व्यवहार के लिए न्यायालय देखरेख करता है। इसलिए बच्चे निस्संकोच या भय के बिना अपनी समस्याओं को माता-पिता के बातचीत करें। माता-पिता या पुलिस (बाल अदालत विभाग के) (Special Juvenille Unit) किशोर विभाग या 1098 को समाचार देना चाहिए। विशेष बाल अपराधी जेल विभाग हर जिले में होते हैं। Act 2012 के अनुसार यौन उत्पीड़न के निर्मूलन के लिए विशेष न्यायालय होते हैं। इस क़ानून के अनुसार विशेष न्यायालय के जज पीड़ित बच्चों के विकास को अधिक मान्यता देते हैं।

मुख्य शब्द

1. दोषी
2. एफआई आर
3. अपराध
4. जाँच पड़ताल
5. गिरफ्तारी
6. सम्मन
7. गवाह
8. निष्पक्ष जाँच
9. फैसला
10. अपील
11. अनुबंध का उल्लंघन
12. ग्राहक
13. सरकारी गवाह
14. बेल
15. मजिस्ट्रेट
16. पीड़ित

अपना ज्ञान बढाइए

1. गलत कथन को सही कीजिए । (AS$_1$)

- एफआईआर कोर्ट में दर्ज की जाती है।
- पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाना दंड पाने के समान है।

- बेल जमानत के आधार पर दी जाती है।
- देश में सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय है।

2. वीरू के मामले में प्रथम सुनवायी से लेकर सेशन कोर्ट में क्या हुआ? तालिका में वर्णन कीजिए। (AS$_1$)

गवाह की भूमिका	दिया गया दंड	रवि की उपस्थिति की आवश्यकता

3. अपराधिक और नागरिक केस के अंतर के संबंध में (अ) दण्ड और जेल (आ) सरकारी वकील (इ) एफआईआर दर्ज करना प्रत्येक के बारे में एक वाक्य लिखिए । (AS$_1$)
4. क्या सेशन कोर्ट या जिला कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को बदले जा सकते हैं? क्यों? (AS$_1$)
5. यदि कोई सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों असंतुष्ट है तो क्या हो सकता है? (AS$_1$)
6. एसएचओ और मजिस्ट्रेट की भूमिकाओ में क्या अंतर है? (AS$_1$)
7. आपके विचार मे रवि के केस में क्या निर्णय होना चाहिए ? (AS$_2$)
8. एक व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन में अपना अपराध स्वीकार कर लिया और पुलिस ने छः महीने के लिए जेल में बंद कर दिया । क्या यही सही तरीका है? अपना उत्तर समझाइए। (AS$_1$)
9. बच्चों के प्रति बड़ों का व्यवहार कैसा होना चाहिए। रक्षा के लिए कुछ सूचनाएँ दीजिए। (AS$_6$)
10. यदि आपको कोई सता रहा है तो आप इसके बारे में पुलिस अधिकारी को कैसे बतायेंगे। (AS$_6$)

चर्चा :

1. गाँव/परिवारों में मतभेद क्यों है। उसके कारण क्या है? इससे बचने के लिए व्यवहार में किस प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है?
2. जेल अनुभवी अपराधियों के परिवारों की स्थितियों की चर्चा कीजिए। उन्हें बुलाकर जेल की जिन्दगी एवं आजादी के विषय पर बातचीत कीजिए।
3. अपने कक्षा-कक्ष में किसी एक पुलिस-अफिसर या वकील को आमंत्रित कर अपराध और उसकी सजाओं एवं उनसे बचाव के बारे में चर्चा कीजिए।

परियोजना:

शांतीनगर नामक शहर में फियस्ता फुटबाल टीम के समर्थकों को पता चला कि जुबली फुटबाल टीम

के समर्थकों ने पास के शहर में लगभग 40 कि.मी. दूर उस मैदान को क्षति पहुँचायी जहाँ अगले दिन दोनों टीमों के बीच निर्णयात्मक (फाइनल) मैच होने वाला था। फियस्ता टीम के प्रशंसको ने घातक हथियारों के साथ शहर में जुबली फुटबाल टीम के समर्थकों पर आक्रमण किया। आक्रमण में 10 आदमी मारे गये 5 औरते गंभीर रूप से घायल हुई, कई घर नष्ट कर दिये गये और 50 से अधिक लोग घायल हुए ।

कल्पना कीजिए कि आप और आपके सहपाठी अब अपराधिक न्यायायिक प्रणाली के हिस्से हैं। पहले कक्षा को निम्न चार वर्गों में बाँटिए ।

1. पुलिस	2. सरकारी वकील
3. प्रतिवादी वकील	4. जज

प्रत्येक दल वह कार्य चुनेगा जिससे उन लोगों को न्याय दिलाने में सहायता मिलेगी जो फियस्ता प्रशंसकों की हिंसा के शिकार हुए हैं किस क्रम से इन कार्यों को किया जा सकता है?

- वैसी ही स्थिति लिजिए और एक विद्यार्थी जो फियस्ता क्लब का समर्थक है उसे उपर दी गयी सूची के अनुसार सभी कार्य करने के लिए कहिए। क्या आप सोचते हैं कि यदि केवल एक व्यक्ति अपराधिक न्याय प्रणाली के सभी कार्य करेगा तो मुसीबत में पड़े व्यक्ति को न्याय मिलेगा? क्यों नहीं?
- दो कारण बताइए कि आप यह विश्वास क्यों करते हैं कि न्याय प्रणाली में विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न भूमिका निभाने की आवश्यकता है।

अध्याय 16

जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन
Abolition of Zamindari System

स्वतंत्रता से समय ग्रामीण निर्धनता

जब भारत स्वतंत्र हुआ, देश ने तीव्र निर्धनता के सबसे बड़े चुनौती का सामना किया था, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। यह अनुमान लगाया गया है कि आधी से भी ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या 55% बहुत गरीब है। अर्थात जनसंख्या 18.6 करोड़ जनता। भूमि जैसे संसाधनों की कोई उपलब्धता उनको नही है और न ही शिक्षा है जिससे लाभदायक रोजगार प्राप्त करने मे सहायक हो। वास्तव में रोजगार के अवसर बहुत कम थे। उनके लिए केवल अत्यंत कम दर का कृषक मजदूरी का रोजगार खुला था। अत्यधिक अनुपात में किसान भूमिहीन थे। उनमें से कुछ लोग जमींदारों से पट्टे पर भूमि लेते उसके लिए उन्हें लगान देना पड़ता था और बेगार करनी पड़ती थी। निरंतर भूखमरी बारंबार विनाशक अकाल और महामारी उनका पीछा करती थी।

स्वतंत्रता के समय विस्तृत रूप से यह स्वीकार किया गया कि ग्रामीण निर्धनता को समाप्त करने के क्रम में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गरीबों को कृषि के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाय। भू-स्वामियों या जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने पर ही ऐसा किया जा सकता है।

ब्रिटिश शासन में हुए आंदोलनों ने किसानों की समस्याओं माँगे और उम्मीदों की ओर ध्यान केंद्रित किया। यह स्पष्ट है कि किसानों ने सरकार से माँग की है कि कर में कमी कर और साहूकारों के चंगुल से जमीदारों के आतंक से उन्हें आजाद करे। उन्होंने यह भी माँग की है कि भूमि उसी किसान को मिलनी चाहिए जो वास्तव में जोत रहा है यह नारा था कि जोतने वाले को भूमि।

- क्या तुम समझते हो कि ग्रामीण गरीबों को लाभदायक रोजगार देने का कोई अन्य रास्ता है?
- आपके प्रांत में चार सदस्यों वाले परिवार के सभ्य जीवन यापन के लिए कितने हैक्टेर भूमि चाहिए? (सिंचित और असिंचित भूमि के अलग-अलग आँकड़े दें।)
- ''जोतने वाले को भूमि'' जबकि यह नारे का उद्देश्य है काश्तकार को भूमि मिलेगी, लेकिन जो दैनिक मजदूरी कर रहे भूमिहीन कृषि मजदूरों का क्या होगा?

जमींदारी और अन्य मध्यस्थ कार्यकालो का उन्मूलन

सभी राज्य सरकारों की ओर से 1950 में जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन का कानून पारित किया गया। उन्होंने मजबूर कर कार्य कराने वाले बेगार और वेट्टी जैसी पद्धतियों को समाप्त किया। ग्रामीण जनता की महत्वपूर्ण शिकायत का यह प्रभावशाली अंत हुआ।

भू स्वामियों के नियंत्रण को तीन तरह से पहचाना गया है : प्रथमतः राजस्व का संचय, दूसरा सिंचित भूमि पर नियंत्रण, इसका फिर से मान्यता प्राप्त काश्तकारों द्वारा सिंचित और वह भूमि जो सीधे

भूस्वामियों द्वारा सिंचाई की गई में उपविभाजन किया गया और तीसरा बंजर भूमि और वनों पर नियंत्रण। चलिए देखते है भूमि सुधार कानून इन समस्याओं को कैसे अभिभाषित करता है।

i. पहले पहल जमींदारों द्वारा राजस्व संचय व्यवस्था को समाप्त करने के लिए कानून पारित किया गया। अब ये सभी भूमि मालिक कर सीधे सरकार को अदा करेगें। जमींदारों ने आय के इस आधार को खो दिया। जब सरकार ने एक मुश्त मुआवजा देने का निर्णय लिया। यह मुआवजा उनके वार्षिक आय के बीस से तीस गुना से भी ज्यादा था।

ii. जमींदारों की वह भूमि जो मान्यता प्राप्त काश्तकारों द्वारा सींची जाती थी उसको सरकार ने अपने अधीन लेकर उन काश्तकरों को उस भूमि के मालिक के रुप में घोषणा कर दी। अब वे सीधे सरकार को कर अदा करेंगे न कि किसी मध्यवर्ती के द्वारा जब सरकार ने यह जाना कि जमींदारों को मुआवजा देने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ रहा है तब यह नियम बनाया गया कि काश्तकारों को उनकी भूमि तभी दी जाएगी यदि वे उसके लिए कुछ दर अदा करते है। जो किसान अदा कर सकते थे वो अपनी भूमि के मालिक बन गए और भू स्वामी व्यवस्था के बोझ से मुक्त हो गए। लगभग 2 से 2.5 करोड़ काश्तकार लाभान्वित हुए और जो भूमि उनके पास थी उसके वे मालिक बन गये। फिर भी कई सौ हजारों गरीब किसान उसकी दर अदा नहीं कर सके अथवा काश्तकारी की उन्हें कानूनी मान्यता प्राप्त नही थी। अतः वे पुनः भूमिहीन मजदूर बने रहे और जमींदारों के खेतों में काम करने के लिए रह गए।

iii. कानून यह भी कहता है कि जमींदार अपनी खुदकाश्त भूमि का मालिक होगा जिसकों वह सीधे अथवा बटाईदार मजदूर के द्वारा सिंचाई करता था। वास्तव में इस प्रावधान ने बहुत सारे जमींदारों को बहुत सारी भूमि पर अपने नियंत्रण को प्राप्त करने में समर्थ बना दिया जैसे कि उन्होंने अपने काश्तकारों को बटाईदार मजदूर घोषित किया। उन्होंने अपनी भूमि को स्वयं कृषि मे लेने के लिए अधिक संख्या में काश्तखारों को निकाल भी दिया। अत्यधिक भूमि पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने के लिए उन्होंने कानून में दी गई कमजोरियों का उपयोग किया। ऐसा क्यों हुआ? (क्योंकि) भूमि सुधार कानून ने यह सीमा निर्धारित नही की है कि एक व्यक्ति अपने पास कितनी भूमि रख सकता है।

iv. नये कानूनों के अनुसार सरकार ने जमींदारों की बंजर एवं वन्य भूमि को अपने अधीन कर लिया। उस समय जमींदारों ने सभी पेड़ों को काटकर बेचने का भरसक प्रयास किया। इस तरह बहुत सारा वन क्षेत्र विध्वंस हुआ। उसी तरह सरकार ने बहुत सारी अनुपयोगी (बंजर) भूमि पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया जिसका उपयोग विकास और जनता में पुनः वितरण के लिए किया जा सकता है।

- कुछ लोगों का मानना है कि भूमि सुधार कानून केवल भूस्वामियों की सहायता के लिए है। क्या आप उनसे सहमत है?
- कुछ लोगों का मानना है कि भूमि सुधार कानून केवल समृद्ध काश्तकार किसानों को भूमि और अधिकार के हस्तांतरण का प्रयत्न है। क्या आप उनसे सहमत है?
- कुछ दूसरों का मानना है कि कानून विभिन्न ग्रामीण वर्गों के हितों के बीच संतुलन बनाकार आंतरिक संघर्ष को कम करने का प्रयत्न है। क्या आप उससे सहमत है?
- किसे अधिक और किसे कुछ भी नहीं मिला। क्या आप को लगता है कि भूस्वामियों ने बहुत कुछ खोया?

तेलंगाना में जागीरदारी व्यवस्था का उन्मूलन

तेलंगाना प्रांत में जब निजाम राज्य भारत में विलीन हुआ तब किसानों का शक्तिशाली आंदोलन चल रहा था। स्वतंत्रता से पहले भी 1927 में (बेगार) बलपूर्वक मजदूरी अथवा वेट्टी को समाप्त किया गया। कैसे भी हो उन प्रांतों में जहाँ तेलंगाना सशस्त्र आंदोलन मजबूत था। यह प्रथा 1948 में समाप्त कर दी गई। 1945 में जब तेलंगाना आंदोलन शुरू हुआ। कारतकारों की इच्छा की सुरक्षा के लिए निजाम ने कानून बनाए। इसमें पंजीकरण और स्थायी रूप से सिंचाई के अधिकार का विधान है।

हैदराबाद राज्य के विलीन होने के तुरंत बाद निजाम ने जो हैदराबाद सरकार के भी प्रधान थे सर्फेखास निजाम की व्यक्तिगत जागीरदारी सभी तरह की बलात मजदूरी जैसे वेट्टी को समाप्त करते हुए एक फरमान (आदेश) जारी किया। १५ अगस्त १९४९ को अन्य फरमान के द्वारा जागीरे (संस्तान और मक्ता सहित) जो छोटे साम्राज्य की तरह थे उनको समाप्त कर दिया।इन जागीरों की भूमि पर सिंचाई करने वाली जातियों के प्रभावशाली वर्गों ने पट्टे का अधिकार प्राप्त किया। हैदराबाद जागीरदार उन्मूलन अधिनियम के अनुसार कुछ ही दिनों में कई जागीरों को सरकार ने अपने अधीन कर लिया। क्षतिपूर्ति के रूप में रू. 18 करोड़ भुगतान करने का निर्णय हुआ। इस अधिनियम के कारण 995 जागीरदार हटा दिए गए और सिंचाई कर रहे किसानों को उनकी भूमि दी गई। बाद में भूमि कर में कमी की गई।

नई सरकार ने वर्तमान व्यवस्था में भूमि केंद्रीकरण उत्पादन में वृद्धि के विषयों,किसानों और कारतकारों की आकांक्षाओं के अध्ययन से संबंधित प्रश्नों पर मूलभूत दृष्टि डालने के लिए हैदराबाद कृषि भूमि संबंधी सुधार समिति की नियुक्ति की। समिति नें आचरणीय सुझाव दिए जैसे मध्यवर्ती व्यक्तियों की समाप्ति, भूमि के स्वामित्व पर सीमा निर्धारण। भू स्वामियों के पास शेष भूमि का ग्रहण कारतकारों की सहायता आदि। कुछ भी हो केवल इनमें से कुछ ही सुझाव लागू हुए।

प्रमुख हैदराबाद भूमि अधिकार अधिनियम सभी प्रकार के कारतकारों की सुरक्षा के लिए 1950 में पारित हुआ और मौरूसी करतकार (जो भूस्वामी की इच्छा से जमीन से जिन्हें हटाया जा सकता है) संरक्षित कास्तकार जिनको बनाया गया। पूरे कारतकार जिन्होंने छ साल से निरंतर भूमि अधिकार बने है उन्हें संरक्षित कारतकार बनाया गया अथवा कुछ भुगतान के बाद पट्टादार बनाया गया। अब उनको आसानी से नहीं हटाया जा सकता था और वे पीढियों तक भूमि सिंचाई को जारी रख सकते हैं। वैसे ही हैदराबाद इनाम भूमि उन्मूलन अधिनियम का प्रवर्तन 1955 में हुआ था।

^|XmZ AmXmbZ

तेलंगाणा भूस्वामीवाद और किसानो का सशस्त्र आंदोलन देश की जनता के बीच संबंध का कारण बना। सर्वोदय नेता आचार्य विनोबा भावे ने भूमि केंद्रीकरण की समस्या को जिस शांतिपूर्वक ढंग से हल किया वही भूदान आंदोलन है। भूदान का अर्थ है भूमिहीन को भूमि दान देना। उन्होंने भूस्वामियों के पास से स्वैच्छिक भेंट के रूप में भूमि प्राप्त करके भूमिहीन को दान देना चाहा। 18 अप्रैल 1151 को विनोबा ने भूदान आंदोलन आरंभ किया। भूमि सुधार के इतिहास में मील के पत्थर की तरह इसको स्वीकार किया गया। सर्वोदय आंदोलन के अन्तर्गत हैदराबाद के निकट शिवरामपल्ली में विनोबाजी आए। उन्होंने नलगोंडा

जिले में पोचमपल्ली तक पैदल यात्रा की। तालाब के निकट जुव्वी पेड के नीचे एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया। इस सभा में अनुसूचित जातियों से संबंधित 40 परिवारों ने भूमि के लिए निवेदन किया। सभा के समय वेदिरे रामचंद्रा रेड्डी ने अपने पिता की स्मृति में 250 एकड़ भूमि दान कर दी। भूमि ग्रहण (प्राप्त) करने वाला पहला व्यक्ति था मैसय्या। विनोबा जी द्वारा उठाए गए भूदान आंदोलन से प्रेरणा पाकर इसे बाद में ग्रामदान में परिवर्तित कर दिया। सारे देश में विनोबाजी ने 44 लाख एकड़ भूमि दान के रूप में स्वीकार की। कुछ भी हो इस आंदोवन नें देश में भूमि समस्या में कोई गंभीर अंतर लाने का कार्य नही किया। क्योंकि उपजाऊ भूमि पर भूस्वामियों का निरंतर अधिकार था।

"ప్రథమ భూదాన గ్రహీత"

चित्र 16.1 : विनोबा भावे, वेदिरे राम चन्द्र रेड्डी और मैसय्या के चित्र

1950 में बना भू सुधार अधिनियम को 1954 में संशोधन पारित हुआ जिसने कास्तकारों के कुछ वर्गो के सुरक्षित कारस्तकारी अधिकार सर्वोत्तम नहीं है के कारण से अधिनियम ने यह सुझाव दिया कि क्षतिपूर्ति के रूप में करोड़ो रूपये भू स्वामियों को भुगतान करे। इस तरह स्वतंत्रदेश को सामंती व्यवस्था के स्वभाव का मूल्य चुकाना पड़ा। बड़े भवन, मवेशी गाह और कृषि कार्यक्रम पूर्व भूस्वामियों के स्वामित्व में रह गए। भू धारण की कोई सीमा नही थी। कुछ कारतकार भूमि के रूप में हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि भी उनके पास बची हुई थी।

बहुत से कानून सुस्ती से लागू हुए कार्यान्वियन में विलंब का बहुत सारे भू स्वामियों ने लाभ उठाया। कारतकारी अधिनियम की कमियों का उपयोग करते हुए जमींदारों ने कारतकारों से भूमि पर पुनः कब्जा कर लिया। उन्मूलन के बाद भी जमींदार जमीन पर अपना स्वामित्व रखते हुए बड़े भू स्वामी बने रहे। इस भूमि को कारखानों के निर्माण मे बदल दिया। उदाहरण स्वरूप चेर्लापल्ली जमींदार ने 2650 एकड़ भूमि को अपनी शक्कर कंपनी के लिए बताई। लेकिन परिणामस्वरूप वे आंध्र में उद्यमी के रूप में बदल गए। लेकिन तेलंगाना में इक्कीसवी सदी तक भी उन्होंने अपना वर्चस्व बनाए रखा।

- विभिन्न प्रकार के सुधारों का तेलंगाना के किसानों के किन वर्गों ने लाभ उठाया? किस मार्ग से वे लाभान्वित हुए ?
- इन सुधारों से भूमिहीन सेवा करने वाली जातियो को किस स्तर तक लाभ हुआ?
- भू स्वामियों ने किस स्तर तक खोया और किस स्तर तक अपनी रुचि को बचाए रखा? अपने स्वार्थो की सुरक्षा का प्रबंध किया।

^ CÀMV_ gr_m A[Y{Z`_-1972-75

जमींदारी उन्मूलन भू-केंद्रीकरण की समस्या का परिष्कार नहीं कर सका। जैसा कि तुम सारिणी-1 में देखेंगे, 19555-56 में भूमि सुधार के बाद भी आधे से ज्यादा किसान परिवारों के पास 2 हेक्टर से भी कम भूमि है। राज्य में संपूर्ण कृषि

योग्य भूमि का लगभग 38% भाग अभी भी बड़े भूस्वामियों के नियंत्रण में है। अधिक संख्या में भूमिहीन दलित मजदूर भूमि के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आगे और भूमि सुधार के लिए किसान सभाएँ सक्रिय आंदोलन में भाग ले रही है। इसका उद्देश्य यही है कि सरकार को चाहिए कि अधिक भू-धारकों पर सीमा निर्धारित करें और अधिशेष भूमि को भूमिहीन मजदूरों और छोटे किसानों में वितरित कर दें।

सारिणी: 1 आंध्र प्रदेश में भूमि धारकों की संरचना और विभाजन 1956-2006

	1955-56		1980-81		2005-06	
	भू-धारकों की संख्या मे भाग	कृषि योग्य भूमि में अंश	भू-धारकों की संख्या मे भाग	कृषि योग्य भूमि में अंश	भू-धारकों की संख्या मे अंश	कृषि योग्य भूमि में भाग
छोटे 0-2 हेक्टे.	58%	18%	73%	29%	83%	48%
2-10 हेक्टे.	32%	44%	25%	52%	16%	46%
बड़े 10 हेक्टे.के ऊपर	10%	38%	2%	19%	1%	6%
कुल	100%	100%	100%	100%	100%	100%

आधार: अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, हैदराबाद

सारिणी का अध्ययन:1955-56 के आंकड़े को ध्यान से पढे। यह हमें बताते है कि भू-सुधार कार्यान्वियन को बाद भी 60% किसान के पास 2 हेक्टर से भी कम भूमि है। किसानों के संपूर्ण भाग का आधे से ज्यादा होने पर भी उनके पास 20% से भी कम कृषि योग्य भूमि है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि बड़े किसान या भू स्वामी जो पूरे किसानों में केवल 10% के लगभग है, उनके पास 38% पूरी कृषि योग्य भूमि है।

1970 के दशक में भू-उच्चतम सीमा के लागू होने के बाद जो परिवर्तन आए हुए उन्हें देखें। छोटे किसानों की संख्या ....से बढी/घटी...... %.& अब मझले किसान कम संख्या में है और उनके नियंत्रण में..... पहले से ज्यादा कम भूमि है। बड़े किसान 1% से भी कम है फिर भी..... % भूमि के मालिक है।

समूचे देश में लगभग परिस्थिति ऐसी ही थी। इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने भूमिधारकों की सीमा निर्धारित करने और गरीबों में पुन: भू वितरण के लिए दूसरी बार भू सुधार का प्रयत्न किया। 1972 के बाद इस उद्देश्य के लिए अनेक राज्यों ने भू-उच्चतम सीमा अधिनियम पारित किया है। सितंबर 1972 में आंध्र प्रदेश विधान सभा और विधान परिषद द्वारा भू उच्तम सीमा अधिनियम पारित हुआ। जिसका क्रियान्वयन जनवरी 1975 में हुआ।

अधिनियम ने 5 सदस्यों वाली इकाई को परिवार कहा। पाँच सदस्यों वाला एक परिवार अपने पास ज्यादा से ज्यादा 10 से 27 सिंचाई योग्य भूमि और 35 से 54 एकड़ शुष्क भूमि रख सकता है। इससे

ज्यादा भूमि को अधिशेषित घोषित किया गया जो कि सरकार ले लेगी। आंध्र प्रदेश में 8,00,000 एकड़ भूमि अधिशेषित घोषित की गई। इसमें से सरकार ने 6,41,000 एकड़ ले ली जिसमें से 5,82,000 एकड़ भूमि 5,40,000 भूमिहीन एवं गरीब किसान परिवारों में बाँट दी। वास्तव में जितना आवश्यक और जितना संभव है उससे यह बहुत कम है।

कई जमींदार कूट प्रबंध अधिनियम का कार्यान्वयन समुचित ढंग से नहीं कर सके और सरकार की ओर से समुचित राजनैतिक निर्णय की कमी के कारण अधिकारियों को गलत प्रमाण पत्र दिए और शेष भूमि को नही बताया। अधिनियम पूर्वाभास से कई जमींदारों ने अपने करीबी रिश्तेदारों, दोस्तों और खेत के सेवको के नाम पर अपनी भूमि स्थानांतरित कर दी। कुछ ऐसे प्रमाण भी मिले है कि कानूनी अदालतों में पति और पत्नी को प्रत्येक परिवार बताने के लिए झूठी तलाक भी ले लिया। इस तरह वो किसान जिनके पास अधिनियम के अनुसार अधिशेषित भूमि थी वह बचा ली गये और शेष भूमि नहीं बताई गई। थोड़ी बहुत जो शेष भूमि सरकार की ओर से ग्रहण की गई वह सिंचाई के योग्य नहीं थी। अगर तुम सारिणी- 1 को देखोगे तो उसमें 2005-06 के आंकड़ो को देख सकते हैं कि बहुत सारे किसान (84%) छोटे दर्जे के है उनके पास समूचे सिचांई योग्य भूमि का आधा भाग है। दूसरी तरफ तुम यह भी देख सकते हो कि बड़े जमींदार 1% है और उनके पास 6% भूमि है। यह कुछ हद तक सत्य है कि वास्तव में बहुत सारे बड़े जमींदारों ने अपने धारित भूमि को छोटे रूप में विभाजित कर दिया, रिश्तेदारों और सेवकों में कपटपूर्ण विभाजन कर दिया था। इस तरह की स्थिति कम या ज्यादा भारत के ज्यादातर राज्यों में थी।

इन राज्यों में एक पश्चिम बंगाल में भु-उच्चतम सीमा अधिनियम का प्रभावशाली कार्यान्वयन हुआ। पश्चिम बंगाल सरकार ने निश्चय से काम लिये और उसने भूमिहीन छोटे किसानो को भू सुधार कानूनों के कार्यान्वयन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। परिणाम स्वरूप लगभग 12,94,000 एकड़ भूमि का ग्रहण सरकार ने किया और 10,64,000 एकड़ भूमि 26,51,000 परिवारों में बाँट दी। यह हमें दर्शाता है कि गरीबों को भूमि संसाधनों के पहुँच के योग्य बनाने के लिए राजनीति के द्वारा प्रभावशाली मानदंड बनाए जा सकते हैं।

- भू-उच्चतम सीमा अधिनियम क्यों आवश्यक है ?
- कुछ लोग सोचते है कि 1950 में इसका कार्यान्विन होना चाहिए था जबकि दूसरे समझते है कि जबरदस्त विरोध के कारण यह मानदंड संभव नही हुआ। दोनों मतों पर कक्षा में चर्चा करे और तुम किस मत से सहमत हो ?
- पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भू-उच्चतम सीमा अधिनियम के कार्यान्वियन की तुलना कीजिए और चर्चा करें कि अधिनियम को कैसे प्रभावशाली ढंग से क्रियात्वित किया जा सकता है ?

मुख्य शब्द

भू-उच्चतम सीमा
काश्तकारी अधिनियम
मक्ता
मुआवजा (क्षतिपूर्ति)
जागीरदारी व्यवस्था
भूदान आंदोलन
भू-धारक
खुद काश्त
फरमान
सरफे ख़ास
बेगार

सीखने में विकास

1. जब विधान सभा द्वारा कानून पारित हो रहा था, विभिन्न दृष्टिकोण से बहुत कुछ चर्चा हुई। 1950 के भू-सुधार अधिनियम से संबंधित विभिन्न दृष्टिकोण क्या हो सकते हैं? कौन-सा दृष्टिकोण शक्तिशाली हो सकता है? (AS$_1$)
2. 1970 के भू-उच्चतम सीमा अधिनियम पारित करते समय क्या दृष्टिकोण था? (AS$_2$)
3. क्या तुम्हें तगता है कि इन सुधारों किसान महिलाओं को लाभ हुआ होगा? अपनी ओर से कारण बताइए। (AS$_1$)
4. वेट्टी की समाप्ति सभी प्रकार के किसानों के लिए महत्वपूर्ण था? अपनी भूमि की सिंचाई के लिए अब जमींदारों ने क्या किया होगा ? (AS$_4$)
5. कल्पना कीजिए कि आप एक काश्तकार है जो भू सुधार अधिनियम के क्रियान्वयन के समय उस भूमि के मालिक बना दिए गए। आपकी भावनाएँ लिखिए। (AS$_4$)
6. कल्पना कीजिए कि भू सुधार अधिनियम के समय आप जमींदार थे। अपनी भावनाओं और उस समय की प्रतिक्रिया का वर्णन कीजिए। (AS$_4$)
7. बहुत सारे लागों का मानना है कि वास्तव में भू सुधार से बहुसंख्यक की शरक्ति इच्छा काश्तखारों को हानि हुई। इस विचार से आप सहमत है? कारण बताइए। (AS$_1$)
8. सरकार द्वारा प्रभावशाली कानून बनाने पर भी भू उच्चतम सीमा अधिनियम का कार्यान्वियन प्रभावशाली रूप से क्यों नही हुआ ? (AS$_1$)
9. तेलंगाणा के मानचित्र में नलगोंडा जिले में पोचमपल्ली ग्राम दर्शाइए। (AS$_5$)
10. ‘‘स्वतंत्रता के समय ग्रामीण निर्धनता’’ अनुच्छेद पढिए और निम्न उत्तर दीजिए। (AS$_2$)

    क्या अब परिस्थितियाँ बेहतर हुई हैं? किस तरह?

परियोजना :- पाँच छात्रो का समूह बनाइए। आपके क्षेत्र के बुजुर्गो के अनुभवो की चर्चा कीजिए। क्या इस पाठ में उस गाँव की घटना का वर्णन है? एक रिपोर्ट तैयार कर-कर कक्षा में प्रस्तुत कीजिए।

अध्याय 17

निर्धनता को समझ

ग्रामीण क्षेत्रों में कठिनाई

रामचारी नलगोंडा जिले के एक गाँव में बढई का काम करता था। गाँव में रहने वाले किसानें के उपयोग में आने वाले औजारों को बनाता था। उसके पास भूमि या मवेशी कुछ भी नहीं था। रामाचारी किसान नही था। वह गाँव के कृषक गतिविधियों पर पूर्णतः निर्भर था।

अभी से कुछ साल पहले रामाचारी के पास 40 ग्राहक रहे होंगे उनमें से ज्यादातर किसान थे। वह उनके कार्य के बदले धान देते थे। प्रत्येक को एक वर्ष में 70 किलोग्राम देता था जबकि वह इन सबसे 2800 किलोग्राम पाता था। जितना उसका परिवार को चाहिए उतना वह रखकर बाकी को बाजार में बेच देता था। उसके परिवार की जितनी आवश्यकता होती थी उससे बचे हुए से वह प्रतिवर्ष 8000 रूपये बना सकता था। इसके साथ ही वह अपने परिवार की देखभाल कर सकता था।

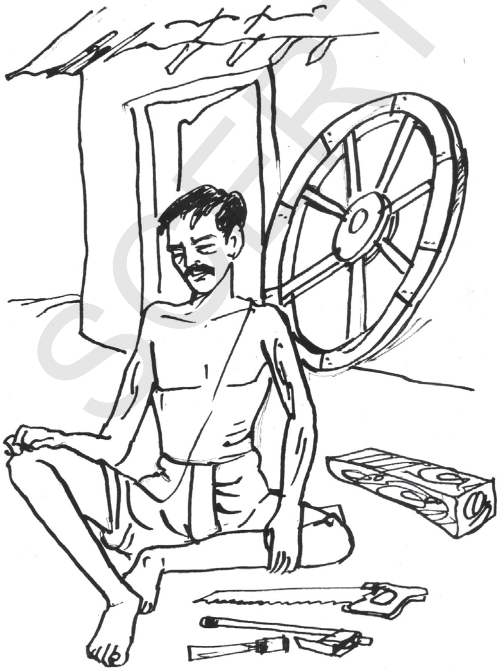

कठिनाइयाँ वहाँ से शुरू हुई जहाँ कृषि संबंधी क्रांति की वजह से परिवर्तन हुए। गाँव में 12 ट्रैक्टर आने की वजह से कार्य कुछ कम हो गए। उच्च एवं मध्यम श्रेणी के किसानों ने ट्रैक्यर ले लिए। जिसकी वजह से वे बैलों का प्रयोग कम करने लगे। जैसा कि पहले के अध्यायों में आपने पढा होगा। वही कुछ नही था। गाँव के छोटे-छोटे किसानों के लिए खेती का काम कठिन होता जा रहा था। नहरें सूख चुकी थी, उनमें पानी नहीं था सिंचाई के लिए। वोर-बेल खोदना, बीज खाद आदि खरीदने के लिए ऊँचे दर पर उन्हें ऋण लेना पड़ता था। ऐसे समय में जब पैदावार नहीं होता था तब ऋण को चुकाना कठिन होता था। रामाचारी के गाँव में तकरीबन 30 बैल दबाव में ग्रामीण बेच चुके थे। अर्थात रामाचारी जो उनके इस्तेमाल से संबंधित वस्तुओं को बनाता था अब उसके पास कार्य बहुत कम रह गए थे। रामचारी के औजारों की मांग किसानों में अब नही रह गया था। उसके ग्राहकों की संख्या 40 से घटकर 3 और 4 प्रत्येक वर्ष रह गया था।

जैसे-जैसे गाँव में काम की कमी होती गई रामाचारी की पत्नी अरूणा ने हैदराबाद के एक चप्पल कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। वह बोली वहाँ कोई विकल्प नही था, क्योंकि उस काम को शुरू करने से पहले मैं प्रवासी कर्मचारी थी। लेकिन यहाँ काम का मौका नगण्य था। अपने पति और तीन बच्चों के साथ वह महीने में एक बार उस जगह को छोड़कर पलायन कर जाती थी। तकरीबन 250 से ज्यादा मजदूर अपने पीछे छोट-बड़े बच्चों को छोड़कर काम की तलाश में गाँव छोड़ देते थे।

जब भी अरूणा शहर में काम करने के लिए गई बहुत बार ऐसा हुआ कि , उसके परिवार वाले भूखे रह गए। कभी-कभी रामाचारी पड़ोसियों से या टूटे चावल खरीदकर लाता था। रामाचारी कई बार खराब स्वास्थ्य की वजह से बीमार पड़ जाता था। पहले वाली क्षमता से वह कार्य नहीं कर पाताथा।

- इस तरह से क्या रामाचारी का रहन-सहन गाँव की कृषि से संबंधित था?
- क्या तुम सोचते हो कि जो कठिनाइयाँ वह परिवार झेल रहा था। उसका कारण था?
  (a) रामाचारी में जागरूकता एवं प्रयास का अभाव था

  b) गाँव में रहन-सहन की स्थिति।
- आपके विचार में ऐसा क्या हो सकता है कि रामाचारी और उसके परिवार को दो वक्त की रोटी मिले।
- गाँव के किसान एवं रामाचारी के बीच वस्तु विनिमय को तुम किस तरह परिभाषित करोगे ?
- वर्ष भर में साधारणतया रामाचारी कितने किलोग्राम धान परिवार के लिए सुरक्षित रख लेगा।
- क्या हम इस पर विचार कर सकते हैं 8000 की राशि वर्ष भर में एक परिवार खर्च के लिए पर्याप्त होगा ?

चंद्रय्या एक हाथगाड़ी खींचनेवाला है। उसका परिवार गाँव में रहता है जबकि वह शहर में काम करता है और झुग्गी झोपड़ी में गंदी बस्ती में रहता है परंतु कई बार 100 रूपये पाता है परंतु की बार 40 रूपये से ज्यादा नहीं पाता है। यह हाथ गाड़ी के आने-जाने की संख्या पर निर्भर करता है।सुबह के समय ठेले से रोटी आर दाल खरीद कर खाता है। वह रूपये बचाना चाहता है ताकि घर को भेज सके। वह ज्यादातर कम खाता है। अपने उस कठिन हस्तकार्य की तुलना में जो वह करता है। इस दशा में वह शाम तक थक जाता है। सभी हाथगाड़ी खींचनेवाले शाम को पैसे का हिसाब मिलाते है और बारी-बारी से खाना पकाते है। तकरीबन बीस वर्षों से वे इस तरह से रहते हुए काम करते हैं। बिना प्रचुर पोषण के चंद्रय्या की ऊर्जा सूख चुकी है और वह अपने उम्र से बड़ा दिखता है।

- विचार करो कि चंद्रय्या और रामाचारी के रहने में क्या समानता है?

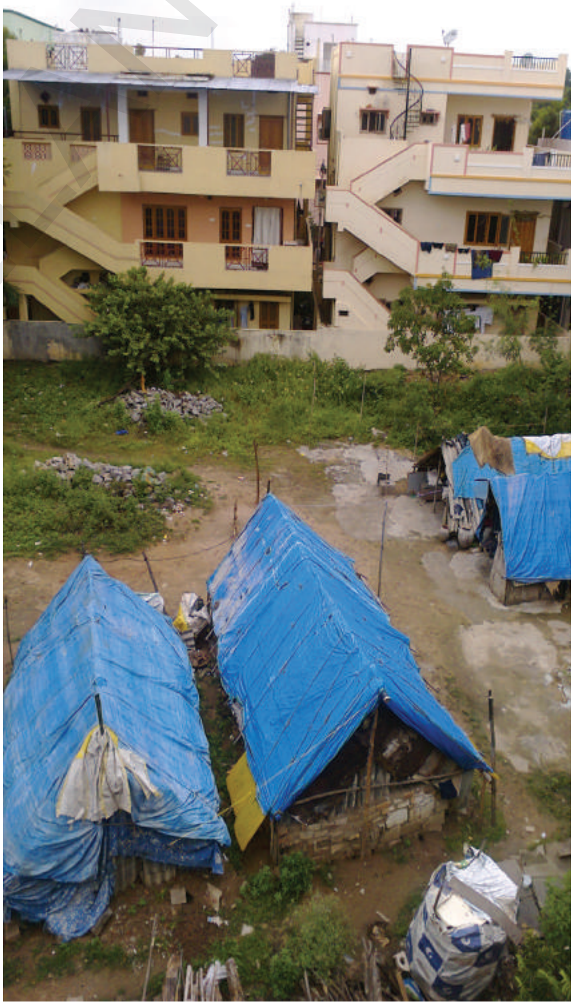

चित्र-17.1: विचार करो कि इस तस्वीर में झुग्गी झोपड़ी एवं नगरीय रहन-सहन में क्या अंतर है?

गरीबी दीर्घकालीन भूख के रूप में

दीर्घकालीन भूख की परिस्थिति काफी विस्तृत है। रामाचारी व कालीचरण के जैसे की लोग स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त खाद्यान्न नह कर पाते हैं। वे बेघरों एवं राह पर बुजुर्गो जैसी लाचारी में न रहकर सामान्य दिखते हैं। पर ये भूख व थकावट से परेशान रहते है। उन्हें खाने के लिए पर्याप्त अन्न प्राप्त नही होता है। यह लोग ज्यादातर थके हुए कमजोर व बीमार रहते है।

हमें काम करने के लिए ताकत की जरूरत होती है जो कि हमें हमारे खाने से प्राप्त होता है। इसे किलो कैलरी में मापा जा सकता है। उदाहरण के लिए एक चम्मच चीनी 40 कैलोरिज और तेल 90 कैलोरिज देती है। अगर आप पैक किए गए खाद्यान्नों के पैकटों पर गौर करेंगे तो उनसे प्राप्त होने वाली कैलोरिज की जानकारी को देख सकते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरिज राष्ट्रीय मानक है। औसतन स्वस्थ रहने के लिए एक आदमी को 2100 कैलोरिज की जरूरत होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ हाथ से किया गया कार्य ज्यादा है वहाँ यह 2400 कैलोरिज निर्धारित किया गया है।

क्या आप सोच सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में 80 प्रतिशत लोग इससे कम खाद्य का सेवन करते है एवं शहरी इलाकों में 5 में से 3 लोग राष्ट्रीय मानकसे कम खाद्य को सेवन करते हैं।

1980 से तुलना करने पर हमारा देश तो समृद्ध हुआ है व बेहतर सुविधाएँ भी उपलब्द हुई है पर गरीबों के लिए भूख बढी है। दरअसल आज वे 25 साल पहले जितना करते थे उससे कम कैलरी का सेवन कर रहे हैं।

- देश के एक चौथाई लोग कितने औसत कैलरी का सेवन करता है।
- नीचे तिमाही में व्यक्तियों की कैलोरी की मात्रा दैनिक कैलोरी मानक से कितने प्रतिशत कम गिरती है?
- आपके अनुसार लोगों का कैलरी सेवन इतना कम क्यों है?

भूख केवल दर्द भरी नही अपितू विनाशकारी भी होती है। दीर्घकालीन भूव व कैलरी की कमी कुपोषण से संबंधित है। इस कुपोषण की वजह से वे लोग ढंग से पढाई, कार्य अथवा शारीरिक श्रम नहीं कर पाते हैं। कुपोषित बच्चे आप बच्चों की तरह जल्दी बढ नही पाते हैं एवं इनका मानसिक विकास बहुत धीरे-धीरे होता है। अविरत रक्षा तंत्र को कमजोर कर उन्हें बीमारियों के लिए सुभेद बना देता है। अविरत भूख से जूझ रही औरते कमजोर बच्चे को जन्म देती है।

खाद्य असमानता

जिस प्रकार वैज्ञानिक प्रयोगशालाओ में तथ्यों का निर्माण करते हैं उसी प्रकार सामाजिक वैज्ञानिक के लिए सर्वेक्षण तथ्यों को उजागर करने का अमूल्य आधार है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, भारत सरकार द्वारा हर 45 साल में आयोजित ऐसा ही एक सर्वेक्षण है। सर्वेक्षक देश भर में बड़ी संख्या में लोगों का साक्षात्कार लेते हैं एवं विविध धारणाओं पर बनी रिपोर्ट को संकलित करते है। इन आंकड़ों से शोधकर्ता देश में रोजगार, शिक्षा, पेय जल तक लोगों की पहुँच, स्वास्थ्य इत्याति के बारे में जान पाते है। इन आंकड़ों से शोधकर्ता इत्यादि के बारे में जान पाते हैं। इन आंकड़ों से मुख्यत: यह पता चलता है कि सरकारी योजनाएँ सही दिशा में कार्यरत है या नहीं।

2004 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आधार पर कैलरी सेवन पर **ग्राफ-1** (आरेख) तैयार किया गया था। शोध कर्ताओं ने प्रति व्यक्ति केलरी सेवन पर शोध किया एवं यह जाना कि गरीबों व अमीरों के बीच कैलरी सेवन में काफीफर्क है। जिनकी आय है वे औसतन केवल 1624 कैलरी का सेवन करते है। जैसे-जैसे आय में वृद्धि होती है वैसे-वैसे खर्च करन की क्षमता में भी वृद्धि होती है। सबसे गरीब तबको में कैलरी सेवन अमीर तबको से काफी कम है, बावजूद इसके कि अधिक श्रम व हाथ के किए गए कामों की वजह से उन्हें ज्यादा कैलरी की जरूरत पड़ती है।

ज्यादातर लोगों के लिए उनका सेवन मानक से कम है। राष्ट्रीय मानक से कम सेवन करने वाले सभी लोगों को गरीब माना जा सकता है।

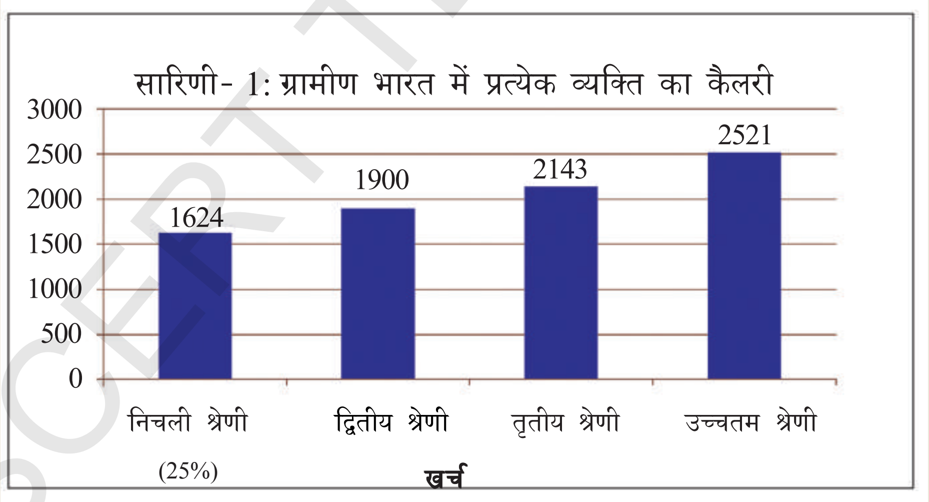
सारिणी- 1: ग्रामीण भारत में प्रत्येक व्यक्ति का कैलरी

टिप्पणी

व्यय का अर्थ जहाँ खाद्य, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, किराए, जूतों जैसे घरेलू चीजों पर किये गए खर्च है। 2004 में निचले चौथाई में हर व्यक्ति प्रति व्यकि 340 रू. प्रतिमाह खर्च करता था। अर्थात इन घरेलू चीजों पर 12 रू. दैनिक से भी कम। जैसे-जैसे हम एक्स ध्रू पर बढते जाएंगे उसी प्रकार यहाँ खर्च करने की क्षमता में वृद्धि हो रही है।

गतिविधि

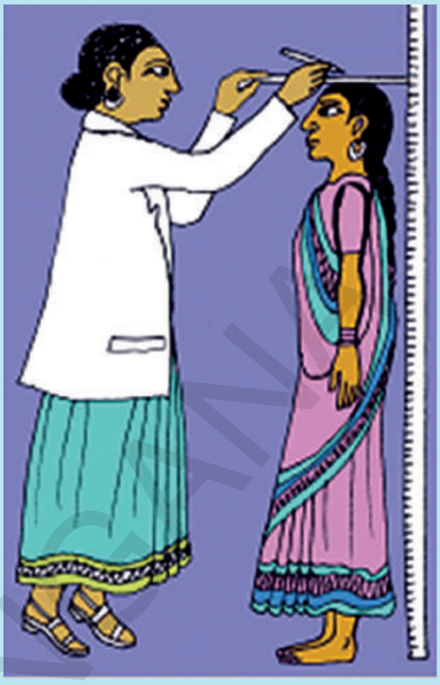
Fig 17.2: Body Mass Index

- हम ठीक से पोषित है या नहीं यह जानने के लिए जिसकी गुणना की जाती है उसे पोषण वैज्ञानिक बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। इसकी गणना आसानी से की जा सकती है। कक्षा के प्रत्येक बच्चे को अपना भार और लंबाई मालूम करने के लिए कहिए। छात्रों का भार कि.ग्रा. में लिजीए। दीवार पर स्केल उतार कर, सिर को बिलक्लु सीधा रखकर कर लंबाई मापिए। से.मी. में दर्ज की गयी लंबाई को मीटर में परिवर्तित कीजिए। कि.ग्रा. के भार को लंबाी के वर्ग से विभाजित कीजिए। ज्ञात संख्या BMI होगी। अब BMI के लिए पुस्तक के अंतिम पृष्ठ पर दी गयी आयु तालिका को देखिए। उदाहरण के लिए यदि एक लड़की की आयु 14 वर्ष 8 माह है और उसका BMI 15.2 है तो वह कुपोषित है। सिी प्रकार यदि 15 वर्ष 6 माह की आयु वाले बालक का BMI 28 है तो उसका वज़न सामान्य से अधिक है। कक्षा में किसी को भी शर्मिंदा महसूस करवाये बिना भोजन और व्यायाम की आदतों के बारे में सामान्य रूप से चर्चा कीजिए।

BMI = शरीर का भार (कि.ग्रा. में) ÷ लंबाई × लंबाई (मी.मे.)

निर्धनता क्यों है? इसे किस तरह मिटा सकते हैं?

निर्धनता में सबसे महत्वपूर्ण कारण है रोजगार का अभाव। इसका अनुमान लगापाओगे। रोजगार के अभाव में व्यक्ति का आर्थिक शक्ति कम होती जाती है।

वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं का भी पूरा नही कर पाता है। दीर्घकालिक भूख का एकमात्र कारण है जो निम्नतम विक्रय शक्ति में घिरे रहना है।

कृषि अजीविका का आधार

भारत के 50 प्रतिशत लोग आज भी अपनी अजीविका के लिए कृषि कार्यों पर निर्भर है। तथापि, देश की कुल आय में कृषि का योगदान केवल 1/6 है। उत्पादन और सेवाओं में सीमित रोजगार अवसर लोगों को कृषि पर निर्भर रहने के लिए विवश करते हैं। इनमें से अधिकतर छोटे किसान और कृषि मजदूर है। इसमें से बहुधा छोटे किसान और कृषि से संबंधित श्रमिक हैं जो कृषि अजीविका से जुड़े हैं। वैसे बढई रामाचारी। कुछ और कृषि श्रमिक जैसे बरतन बनाने वाला कुम्हार, चमडे से जुड़ा श्रमिक गाँव में लघु उद्योग इकाई ये भी कृषि पर निर्भर होते है। हमने देखा कि कृषि में गतिरोध आ जाने पर रामाचारी और उसके परिवार मुश्किलों से गुजरते हैं। जो औजार वे बना सकते हैं उनका कोई मांग नहीं होता है।

रामाचारी के पास थोड़ा काम थे जिनसे मुश्किल से आय हो पाता था। अन्य गरीब लोगो की तरह उस परिवार के पास अपना जमीन या मवेशी नहीं था। उस गाँ में उस वर्ष काम का अवसर उपलब्ध नही कराया जा सका श्रमिकों, मजदूरों के लिए। यहाँ तक कि कोई गैर कृषि कार्य भी।

जीविकोपार्जन के लिए बहुत से लोग आज भी कृषि पर निर्भर है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि कृषि का विकास हो। जब कृषि कार्य तरक्की करेगा तो सामान्य रूप से रोजगार और आय के साधन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के विकसित होंगे और जब कृषि उत्पादन बहुतायत मात्रा में ही होगा तो खाद्यय वस्तुओं की कीमत अन्य वस्तुओं से सहज साध्य होगी लोगों के लिए।

कृषि में जुताई में अनेक तरह की कठिनाईया आती है। कृषि के ऊपर जो अध्याय आप पढ रहे हो वह हमारे समय में छठी कक्षा में था। छोटे-छोटे किसान किस तरह सिंचाई के लिए पानी के अभाव , न्यूनतम ब्याज पर लोन, बीज और खाद्य पैदावर के लिए इन अभावों से गुजरते हैं। वेंकटापुरम के छोटे किसान रवि और रामू केस का पुर्नअध्ययन कर सकते हैं।ऊँची कीमत, निम्न पैदावार और प्रचुर रूप से फसलो का फेल होना किसानें की तकलीफ को तीव्र करता है और तेलंगाणा में चार और पाँच किसान रवि और रामू की तरह है।

यहाँ सरकार को कुछ कदम कृषि के विकास एवं जो लोग कृषि पर आश्रित हैं उनके समर्थन में लेने होंगे। क्या तुम कुछ पंक्तियाँ उन पर लिख सकते हो। यह क्यों महत्वपूर्ण है आप इस उदाहरण से अपने संदर्भों, प्रसंगों से दे सकते हैं।

1. सरकार के द्वारा बीज,खाद, कीटनाशक आदि की उपलब्धता में किसान बिचोलियों पर निर्भर नहीं रहेंगे।यह आवश्यक है कि सरकार सुनिश्चित करे कि उत्पादन गुणवत्ता युक्त हो एवं उचित मूल्य पर हो।
2. सिंचाई की लघु परियोजना
3. समय पर बैंक से उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाए।
4. बाजार जहाँ उत्पादक को उचित मूल्य मिले
5. ग्रामीण क्षेत्र में सड़क, परिवहन आदि का विकास हो।
6. अगर पैदावार फेल हो जाता है तो किसानो की सहायता।

आजिविका के अन्य विकल्प

तेलंगाणा और आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग दो पंचम हिस्सा परिवार मुख्य रूप से कृषि श्रमिक है। उनमें से बहुत से परिवार भूमिहीन है एवं दूसरों छोटे-छोटे भूमि का हिस्सा जोतते हैं। कार्य के अवसर बेहद सीमित रहते है। कृषि श्रमिक वर्ष भर में 120-180 दिन ही कृषि कार्यो का प्रबंध कर पाते हैं।

वर्ष भर में जब कभी फसल नष्ट हुआ सूका, बाढ या किसी अन्य आपदा की वजह से कृषि कार्य और कम हो जातै है। यह वह समय है जब बड़े पैमाने पर पलायन होता है एवं देश में तीव्र विपत्ति, संकट एवं भूख हड़ताल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्या हम यह सुनिश्चित कर सक्ते हैं कि इन परिस्थितियों में आजीविका किस तरह सुनिश्चित की जाए।

संविधान के जीविका अधिकार में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रोजगार दिलाना है। अनुच्छेद 41 के संविधान की निर्देशक नीतियों के अनुसार आर्थिक परिस्थिति, विकास के ललिडए जीविका का अधिकार दिलाने के सरकार प्रयत्नशील है।

जनता कभी भी अपने अधिकारों का अभ्यास नही कर पाई। सरकार अपनी इच्छानुसार लोक/सार्वजनिक कार्य व श्रमिकों को काम पर लगाती। परंतु लोग अपनी जगह व जरूरत के अनुसार रोजगार की माँग नहीं कर सकते थे।

मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंजी धारा) MNREGA

बालेश्वर मेहता जिसका घर बिहार अररिया जिले में है। प्रत्येक वर्ष काम की तलाश में पंजाब जाता है। उसके योजना बनाया है इस वर्ष जून में जाने का। वह अपने ही गाँव में मनरेगा के अंतर्गत वह अपने गाँव में रोजगार पाता है और इसलिए गाँव में ही रूकने का निर्णय लेता है।

अररिया से लोग अधिकतम संख्या में कार्य तलाशने हेतु पंजाब, दिल्ली और गुजरात आते है। अररिया में रोजगारा पाना कठिन है। जो विकल्प मौजूद है उनका वेतन काफी कम है जो कि कटाई के समय *40-60* रूपये दैनिक से अन्य समय में *(25-50)* दैनिक तक है। बालेश्वर इस तरह के कार्य तभी करता है जब उसे गाँव में रूकना पड़ता हो जैसे कि परिवार में किसी के बीमार पड़ने पर।

नि:संदेह शहरों में विस्थापित श्रमिकों को खेदजनक परिस्थितियों में रहना पड़ता है जहाँ सफाई, पेय-जल एवं शरणस्थल जैसी जरूरतों का भी प्रबंध नही होता है। महिलाएँ व बच्चे जो कि पीछ रह जाते हैं वे असुरक्षा महसूस करते हैं व पारिवारिक संबंध भी प्राय: विघटित होते हैं।

बालेश्वर के लिए मनरेगा तिहरा बोनस है : स्थानीय रोजगार के साथ उसे अपने खेत संभालने हेतु व परिवार के लिए भी समय मिल जाता है।

मनरेगा के अनुसार कोई भी व्यस्क जो अकुशल श्रम करने के लिए तैयार हो उसे रोजगार दिया जाएगा। एक साल में एक ग्राणीण परिवार *100* दिन रोजगार जिसके लिए उसे न्यूनतम वेतन दिया जाएगा की मांग कर सकता है।

- ❖ जल संरक्षण एवं जल संचयन
- ❖ सूखा रोधन,वृक्षारोपड़
- ❖ एससी एवं एसटी के लिए सिंचाई प्रबंधन
- ❖ पारंपरिक जल सोतों का नवीनीकरण।

- अपने शिक्षक की मदद से इन कार्यों का अर्थ पता कीजिए।
- अपने इलाके में ऐसे किसी स्थान का दौरा करे एवं अपने वार्तालाप को नोट करो।
- आपके हिसाब से मनरेगा एससी/एसटी के द्वारा स्वामित्व वाली जमीन के सिंचाई को प्राथमिकता क्यों देती है?
- ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका सुरक्षित करने के लिए मनरेगा क्यों महत्वपूर्ण है?

कई सालों के संघर्ष के बाद 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी धारा MNERGA (2005) पास किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका सुरक्षित करने में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी।

gmdO{ZH$ AH$jU [anmQ>

फरवरी 2009 में तेलंगाणा के निजामाबाद जिले कि ईशापल्ले में सार्वजनिक परीक्षण में पाया गया कि

- सही भुगतान किए गए थे
- क्षेत्रीय सहायकों ने कार्य भलीभाँति किया था।
- कार्यस्थल पर कोई ठेकेदार नही था।
- परंतु कार्य गुणवत्ता ख़राब थी। इसके अलावा यह पता चला कि जुताई वह रोपड़ के लिए

इसके अलावा यह पता चला कि

जुताई व रोपण़ दर्शाए हुए 15 एकड़ की जगह मात्र 5.60 एकड़ में किया गया था। इसका निष्कर्ष यह हुआ कि 9.04 एकड़ के लिए अतिरिक्त धन प्रदान किया गयाथा। पुराणा तकनीकी सहायक राममोहन इसके लिए जिम्मेदार था।

सिंदीकेत नगर की रमादेवी को 6 दिन की मेड़ बाँधने के लिए रू. 400 का भुगतान किया गया। परंतु उसे अभी तक भुगतान नही किया गया है।

सार्वजनिक अंकेक्षण, जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए समाज ग्रामीण विकास, विभाग, तेलंगाणा सरकार के वेबसाईट से आप अपने ग्राम के सार्वजनिक अंकेक्षण के आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं।

www.socialaudit.telangana.gov.in

gm_Ï`Zgma I mÚ VH$ nhþM

“ अपने अनाजघर से राजा को आधे हिस्से को विपत्ति के लिए बचाकर रखना चाहिए वे आधे का इस्तेमाल करना चाहिए। पुराने माल की जगह नए माल को स्थापन्न करना चाहिए।.”

अर्थशास्त्र *(2.15.22-23)*

कौटिल्य *4* शताब्दी बीसी

रोजगार के साथ सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि खाद्यान्न लोगो की पहुँच में हो। अगर जरूरत की चीजों के मूल्य ज्यादा हो ता रोजगार से कुछ नही हो सकता। सही मूल्यों पर राशन की दुकानों पर खाद्यान्न उपलब्ध करा करयह सुनिश्चित किया जा सकता है। सरकार खाद्यान्नों को किसानों से खरीदकर इन दुकानों पर पहुँचाती है। इन दुकानों पर चीनी, दाल, केरोसिन जैसी जरूरी चीजे प्राप्त होती हैं जो कि मार्केट में इनके मूल्यों से कम मूल्य पर बेची जाती है।

इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्वतंत्रता के समय से ही भारत में अस्तित्व में है।

इस प्रणाली ने ग्रामीण व शहरीय इलाकों में खाद्यान्न मुहैया कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इसमे भी कामकाज की समस्याएँ थी।

सा.वि.प्र. की दिक्कत को बेहतर लागू करने के जरूरत थी। क्योंकि केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु जैसे दक्षिण के राज्यों में वह सफल थी। इसलिए यह मुमकिन था कि अगर प्रयास किया जाए तो इसे सुधारा जा सके।

Vb|JmUm _| gm_m{OH$ AH$ j U

सरकारी रोजगार के बारे में एक सामान्य शिकायत जो बार-बार होता है। वह है भ्रष्टाचार। कहा जाता है कि इस योजना का फायदा उन लोगों को पहुँचता है जो शक्तिशाली ठेकेदार है। सरकारी दावों के अनुसार गरीबों को जितना मिलना चाहिए उतना मिल नही पाता है। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए मनरेगा (महात्मा गांधी रोजगार गारंटी धारा - MNERGA) ने अकेक्षण लागू किया।

सामाजिक अकेक्षण वह प्रक्रिया है जिसे द्वारा जन समुदाय योजनाओं एवं उसके लागू होने को सत्यापित करती है एवं यह जानने की कोशिश करती है कि जिन लोगों के लिए यह योजना है उन तक इसके लाभ पहुंच पा रहे या नही। इस विषय में आंध्र प्रदेश में प्राप्त अनुभव उल्लेखनीय है। नगरीय समाज में इस प्रस्तावना के समर्थन सरकार की सक्रिय भूमिका रही है।

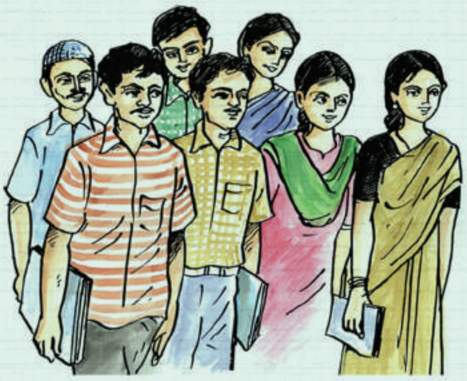

1.कुछ उर्जावान शिक्षित युवा जो उस परिवार से संबद्ध है जिन्हें मनरेगा MNERGA के लिए सामाजिक अक्षेक्षण प्रक्रिया के तहत प्रशिक्षित किया गया।

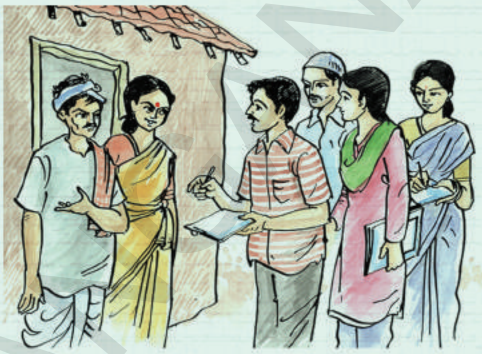

2.युवा अपनी टीम बनाते हैं और प्रत्येक दरवाजे पर जाकर हाजिरी पुस्तिका सत्यापित करते हैं, कार्य स्थलों पर जाकर। श्रमिकों के लिखित वक्तव्य रिकार्ड करते हैं एवं हर गावं में बैठकों का आयोजन करते हैं।

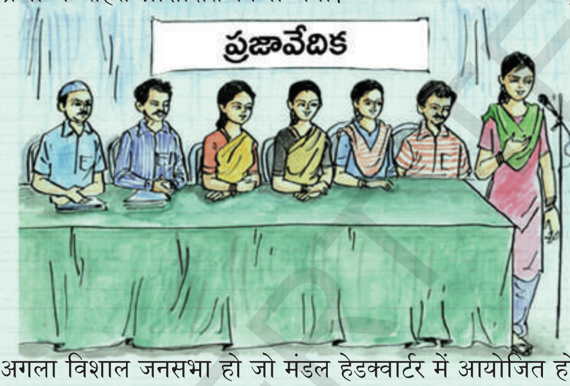

3.अगला विशाल जनसभा हो जो मंडल हेडक्वार्टर में आयोजित होता है।प्रत्येक गाँव के लोग उनके निर्वाचित प्रतिनिधि, मीडिया, मनरेगा कार्य से संबद्ध और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उपस्थित है।

4.इस सभा में ग्रामीण गाँवों के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्ष पढे जाते हैं। श्रमिक इसे सत्यापित करते हैं एवं संबंधित अधिकारी उठाए गए मुद्दों पर लिए गए कदमों की व्याख्या करते हैं।

5. अधिकारियों को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि कितने समय में और क्या कार्यवाही कर सकते हैं।
6. जन बैठक के बाद सामाजिक अकेक्षण टीम हर 15 पर गाँव में जाकर देखता है कि जो निर्णय लिए गये थे वे लागू हुए अथवा नही।

सरकारी निधि का बेईमानी से हड़पी हुई बड़ी रकम सामाजिक/सार्वजनिक अकेक्षण द्वारा की अवसरों पर पुनः प्राप्त कर लिए गए। कई बार ऐसा हुआ कि गलती करने वाले अधिकारियों ने स्वेच्छा से पैसे लौटा दिये। इस प्रक्रिया में श्रमिकों के बीच मनरेगा के प्रावधानों में जागरूकता करिश्माई रूप से वही है।

परंतु भारत सरकार के कुछ और ही विचार थे। 1997 के आसपास यह निर्णय लिया गया कि राशन की दुकाने केवल गरीबों की सेवा में ही होंगे व अन्य बाहरी बाजार से ऊँचे मूल्च पर चीजें खरीदेंगे।

इस नयी योजना को लागू करने के लिए सरकार को गरीबों को पहचानना था। इसलिए पंचायतों को गरीबी रेखा से नीचे सर्वेक्षण के लिए कहा गया। इन सर्वेक्षणों में परिवार की आय, जीविकोपार्जन के साधन, कपड़े, आवास, कर्ज विस्थापन की जानकारी ली जाती थी। इन सर्वेक्षणों के आधार पर तीन तरह के अंत्योदय कार्ड जारी किये गये।

सबसे गरीब तबके के लिए कार्ड, थोड़े अच्छे तबके के लिए गरीबी रेखा से उपर (एपीएल) कार्ड व शेष के लिए गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्ड जारी किये गये।

अलग-अलग तबको के कार्डधारकों के लिए अलग-अलग मूल्य व मात्रा निर्धारित की गई। उदाहरण अंत्योदय कार्डधारको को प्रतिमाह 35 किलो खाद्यान्न चावल और गेहूँ के हकदार है। तेलंगाणा में बीपीएल कार्ड धारक प्रति व्यक्ति 6 किलों खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं वही अन्नापूर्णा कार्डधारकों और गरीब व वरिष्ठ नागरिकों को १० किलो चावल मुफ्त में दिया जाता है।

- क्या आपको लगता है कि इस नीति के साथ अब बेहतर कार्य किया जाएगा। अपने स्तर के पक्ष में कारण प्रदान करें।
- क्या आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के कुछ और तरीक सुझा सकते है।

OrdZ H$ A[YH$ma H$ {bE g|Kf!

सा.वि.प्र. की नई नीति काफी बहस का केन्द्र बनी है। हमें पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पाँच में से चार आदमी न्यूनतम जरूरत से कम कैलोरी का सेवन करते हैं। 2004 के राष्ट्रीय सर्वेक्षणनुसार 10 में से 3 परिवारों के पार ही बीपीएल व अंत्योदय, अन्नपूर्णा कार्ड थे। तथापि ज्यादातर लोग जो पहले पीडीएस का लाभ उठातेथे अब नही उठा पा रहे है। कई मजदूरों के पास बीपीएल कार्ड नही है, वही कई अच्छी परिस्थिति वाले परिवारों के पास बीपीएल कार्ड हो की खबरे सामने आई।

सा.वि.प्र. की नई नीति खंडनशील है। कई बार भारत सरकार के पास खाद्यान्नों का विशाल संचय होता है जो कि कभी-कभी सड़ जाता है या चूहों को भोजन बन जाता है। क्योकि राशन की दुकान अब केवल बीपीएल धारकों को ही चीजे मिला करती है। इसलिए अब दुकानो पर भी अबिक्रित

चित्र- 17.3: स्कूलों में दोपहर का भोजन ग्रहण करते हुए बच्चे

वस्तुओं का ढेर हो जाता है। इसके बावजूद कई लोग आज भी भूखे सोते हैं व कुपोषण से पीड़ित है।

यह संविधान के अनुच्छेद २१ के स्थापित जीवन के अधिकार का साफ उल्लंघन है। खाद्यान्नों के बिना जीवन कैसे मुमकिन है? सरकार जिम्मेदारी क्यों नही लेती? क्या सड़ने की जगह खाद्यान्नों को लोगों में बाँटना बेहतर होगा? लोगों में ऐसे प्रश्नों ने जोर पकड़ा। कुछ समय अंतराल पर खाद्य के अधिकार पर जन आंदोलन शुरू हुआ। लोगों ने कानूनी कारवाई की। सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार के उल्लंघनों के लिए याचिका दर्ज की गई। इसके अनुसार खाद्य का अधिकार जीवन के अधिकार का ही एक भाग है। हर परिवार को उचित मूल्यों पर खाद्यान्न मिलने चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाइयों न आम जनता के दबाव ने छोटे पर महत्वपूर्ण बदलाव लाए। पर अभी बहुत कुछ बदला जाना बाकी है।

- राशन की दुकानों को उचित मूल्य की दुकान भी कहा जाता है क्यों? आप सोच सकते हैं?

इस पाठ से हमने भूख के विषय में रोजगार/काम अधिकार व खाद्य का अधिकार के बारे में पढा है। दोनों ही गरीबी के चंगुल से निकलने के लिए जरूरी है। गरीबी से छुटकारे का मतलब अपितु स्वास्थ्य, शिक्षा, पहनावा, सफाई, सुरक्षा, लोकतांत्रिक भागीदारी इत्यादि है। यह सामाजिक व आर्थिक अधिकार भी जीवन के अधिकार का ही एक अंग है। समाज को इसी विस्तृत सोच को समझने की जरूरत है।

_hËdnyU eãX

1. कुपोषण
2. कृषि विकास
3. निर्देशक नीतियाँ
4. सार्वजनिक कार्य
5. सार्वजनिक अंकेक्षण
6. गरीबी रेखा से नीचे
7. सार्वजनिक वितरण प्रणाली

gr I Z _ gIYma

1. गरीबी व दीर्घकालिक भूख के उपलक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सही है। (AS$_1$)
   a. दिन में एक ही बार आहार ग्रहण करना।
   b. जरूरत से कम कैलरी का सेवन
   c. जुताई व कटाई करने वालों व्यक्तियों की कैलरी की जरूरते बराबर है।
   d. जुताई करने व्यक्ति को दुकानदार से ज्यादा कैलरी की जरूरत है।
   e. भूख व्यक्ति के असंक्राम्य तंत्र पर असर करती है।
2. पाठ में दिये गये गरीबी के मुख्य कारणों का पता लगाइए। (AS$_1$)
3. मनरेगा (MNERGA) व सा.वि.प्र. की मुख्य विशेषताएँ क्या है? गरीबी के किस पहलू को वे संबोधित करती है? राशन की दुकाने क्यों जरूरी है? (AS$_4$)
4. पृष्ठ संख्या 203 में जीवन के लिए संघर्ष के दो अनुच्छेद पढ़कर अपने विचार लिखिए। (AS$_2$)
6. अपने गाँव में चल रहे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्यक्रम की कार्य प्रणाली पर जिला कलेक्टर को एक पत्र लिखिए। (AS$_6$)

परियोजना

अपने आस-पास में राशन की दुकान का दौरा करे व निम्नलिखित पता करें।

- राशन की दूकान कब खुलती है?
- राशन की दूकान पर किन चीजों की बिक्री होती है?
- भिन्न कार्ड धारक प्रणाली का पता कीजिए।
- राशन की दुकान के चावर और चीनी के मूल्यों को अपने पास की दुकान के मूल्यों से तुलना कीजिए। (किराने की दुकान पर भी साधारण मूल्यों का पता लगाइए)

अध्याय 18

विकास के सही उपागम

_mZdm{YH$ma H$s AndYmaUm

प्रजातंत्र की अवधारणा की तरह ही मानवाधिकार की अवधारणा ने भी पिछले 300 वर्षों में दुनिय में अपनी जगह अर्जित की। यह मानवीय भावों पर आधारित है बिना इस पर विचार किए कि वे कौन है? उनकी जाति, लिंग, धर्म एवं राष्ट्र क्या है आदि। गरीबी की परिभाषा एवं उसकी स्थिति के अनुसार इनमें से दो अधिकार महत्वपूर्ण है- सम्मानपूर्ण जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन का अधिकार का अर्थ है सभी व्यक्ति को जीवन का अधिकार है। इसका एक रास्ता यह है कि व्यक्ति अपनी मानवीय प्रतिष्ठा एवं महत्व से समझौता न करे। स्वच्छंद एवं स्वतंत्रता के अधिकार का अर्थ यह है कि व्यक्ति स्वच्छंद रूप से अपना विचार प्रकट कर सकता है बगैर किसी भय के और वे अपनी इच्छा से अनुरूप अपना जीवन जी सके।

Fig 18.1: "The Monsoon Failed this Year" photograph from 1946

पवन 13 वर्ष का एक लड़का है जो अपनी माँ के साथ रहता है। उस शहर में काफी संख्या में तीर्थ यात्री आते हैं। पवन मंदिरके बाहर खड़ा रहता है और श्रद्धालुओं के पैर पर पकड़कर खाना मांगता है। कभी-कभी वे उसे टिफिन बॉक्स का अतिरिक्त खाना दे देते हैं। कभी-कभी वो उनके भारी बैग उठा देता है जिसके बदले में वे उसे पैसे दे देते हैं।

उसकी माँ एक घर में प्रत्येक दिन वो लहभग बारह घंटे काम करती है। उसके मालिक हमेशा कोई न कोई आज्ञा देते रहते हैं, यहाँ तक कि मालिक के छोटे बच्चे भी। उसे बचा-खुचा खाना खाने को दिया जाता है। उसे अपने नियुक्ताओं के सामने बैठने तक नही दिया जाता। उसे उसकी छोटी-छोटी गल्तियों के लिए झिड़क दिया जाता है। वह चुपचाप अपने आंसुओं एवं गुस्से को काम से निकाले जाने के डर से दबा लेती है।

ऊपर दिये गये उदाहरणों में क्या तुम सोचते हो कि अप्पू और उसकी माँ सम्मानपूर्वक रहने में सक्षम है।?

- उपुर्यक्त उदाहरण में पवन और उसकी माँ गरिमा पूर्वक जीवन जी सकेंगे?
- क्या उन्हें गरिमा के साथ जीवन देना होगा?
- क्या पवन एवं उसकी माँ इच्छित कार्य करने के लिए स्वतंत्र है?
- पवन और उसकी माँ जिस तरह की जीवन जीते हैं, उसके लिए किसे समझा जाएगा। क्या अपनी इस स्थिति के लिए वे खुद जिम्मेदार हैं?
- यह किसका कर्तव्य है कि वह यह सुरक्षित करे कि अप्पू और उसकी माँ स्वतंत्र एवं गरिमा जीवन जिये।

हमने पूर्व के अध्यायों में निर्धनता के कुछ पक्षों के देखा। यह केवल भूखे रहने की बात नही है। यह जीवन जीने के लिए जीवन की कुछ बुनियादी आवश्यकताएं जैसे स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा,खाद्यान्न आदि के अभाव को दिखाता है। उनकी आवाजें सुनाई नही देती है। सरकारी योजानाओं के कार्यान्वित होने नें उनका कोई प्रभाव नही होता है।

लोग गरीबी से कैसे उपर उठ सकते हैं। गरीबी से मुक्त होने के लिए वे किस तरह से साधन जुटा सकते हैं?

यह तभी संभव हो सकता है जब सरकार उनकी तरफ से कार्य करे। प्रायः यह सोचा जाता है कि गरीबों के कल्याण पर खर्च किया जाने वाला धन, दान है और इसके संसाधन सरकार के लिए भार है। जब हमे ये आभास होता है कि ये लोगों का मूलभूत अधिकार है, तब इन्हें सुरक्षित करना सरकार का प्राथमिक कर्त० य हो जाता है। इन पर खर्च किये गये साधनों को अनुकंपा न समझकर भविष्य के लिए जरूरी निवेश के रूप में देखा जाएगा। इन्ही कारणों से यह आवश्यक है कि लोगों के आर्थिक एवं कल्याणकारी अधिकार के लिए कानून पारित हो।

1945 में एक बार प्रत्येक राष्ट्र इस पर सहमत हुए कि दोनो प्रकार के अधिकार अपरिहार्य हो। जब हम खाद्यान्न , शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार आदि जो व्यक्ति के अधिकार है इसका क्या अर्थ है? हम ऐसा सोचते है कि जो लोग देश में रहते हैं उन्हें यह सब उपलब्ध करवाना सरकार का कर्तव्य है। सरकार इन चीजों को सुनिच्चित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हो। अगर ये बातें सुनिश्चित नही है तो लोग न्यायालय में जाकर अपने अधिकारों के लिए दबाव डाल सकते हैं। अप्पू जैसे लोगों को अपनी जरूरतकों को दान प्राप्त व्यक्ति की तरह न मानते हुए मूलभूत अधिकार की तरह देखने की जरूरत है। खाद्यान्न, शिक्षा, आवास, चिकित्सा आदि की मांग अपने अधिकार की तरह कर सकते हैं। यह तभी मुमकिन है जब कानून इस सोच के अनुसार हो।

पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने कई ऐसे कानून बनाए है जैसे कि शिक्षा का अधिकार, रोजगार, सूचना आदि का अधिकार। सभी के लिए खाद्यान्न उपलब्ध करना यह नया कानून अभी निर्माणाधीन है। इन कानूनों के बारे में विस्तारित रूप से पढा जाए।

^ïmMma g bSZ H$ {bE gMZm H$s Oê$aV

सरकारी व्यवस्था बहुत बड़ी एवं जटिल है। योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लागू करना बेहद मुश्किल है। गरीबों को लाभान्वित करने एवं गरीबी मिटाने हेतु जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं उनकी राशियाँ, सुविधाएँ गरीबों तक नहीं पहुँच पाती है। इसका मुख्य कारण है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के बढने का मुख्य कारण यह है कि लोगों में इन कायक्रमों के कार्यान्वियन संबंधी जानकारी का अभाव। लोगों के पास इन जानकारियों का अभाव था।

नगरपालिका एवं पंचायत में किसे अनुबंध दिया एवं गुणवत्ता वस्तुओं का प्रयोग किया एवं

कार्य कब तक हुए यह जानना सरल नही था। राशि को किस प्रकार खर्च किया जा रहा है। क्योंकि यह जानकारी सबको नही दी जाती थी। फिर भी लोकतंत्र जनता का ही पैसा है जो उनके कल्याण के लिए प्रयोग किये जाते है। इसलिए जनता को इस बारे में जानने का अधिकार है। पहले यह माना जाता था कि चुने हुए प्रतिनिधि ही इसके बारे में पूछताछ कर सकते थे और भ्रष्टाचार को काबू में कर सकते थे।

- विचार कीजिए कि काँट्रेक्टर आवास एवं सड़क निर्माण से संबंधित सूचना को किस तरह नियंत्रित करते हैं।
- तुम्हें क्यों लगता है कि इस जानकारी की जाँच से जवाबदेही में सुधार करने में मदद कर सकते है?

AmXmbZ H$m àma^ H$g hAm

राजस्थान में लोगों के दल ने खुद को मजदूर किसान शक्ति संगठन (एमकेएसएस) के रूप में नियोजित किया एवं जानकारू एवं सूचना की मांग की। सरकार से जानकारी लेने का कोई कानूनी प्रावधान नही था। शुरुआती दौर में इस जानकारी को पदाधिकारियों के मदद से जमा किया गया एवं जनसभाओं द्वारा निरीक्षित किया गया जल्द ही पदाधिकारी जानकारी देने से मना करने लगे। इसने एक जनआंदोलन की शुरुआत की जो कि अगले तीन साल तक रैलियों एवं मार्चों के रूप में चला।

लोगों की मांग थी सूचना उनकी कल्याण के लिए महत्वपूर्ण था। उन्होने यह युक्ति दी कि -

- सूचना मानव विकास एवं लोकतांत्रित अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण है। लोग सरकार में तभी भागीदार बन सकते है जब उनके पास सरकारी दस्तावेजों के रूप में जानकारी हो।
- सूचना सरकार को जवाबदेह बनाएगी। इससे भ्रष्ट प्रथाओं को नियंत्रित करने की संभावनाएँ हो सकती है।
- उन परिस्थितियों में जहाँ सूचना सार्वजनिक की जाती है, पदाधिकारियों एवं निर्वाचित पदाधिकारियों के स्वेच्छादारी निर्णयों को नियंत्रित किया जा सकता है।

- कई सालों के संघर्ष के बाद 1995 में राजस्थान में सरकारी जानकारी को देने के लिए नया कानून बना। अगले कुछ सालों में कई राज्यों ने इसे अपनाया, 2005 में सूचना का अधिकार पास हुआ। आज के संविधान में जीवन के अधिकार व फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंतर्गत है।

gMZm H$ A{YH$ma H$ àmdYmZ (RTI)

चलिए आरटीआई के प्रावधानों को पढे। कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति सरकारी आदेश, पत्रों, सुझावों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। जिस व्यक्ति को भी इस जानकारी की जरूरत है वह इसे एकछोटी रकम जो कि दस्तावेजो की प्रतिलिफि बनाने का व्यय है देकर प्राप्त कर

जन सुनवाई - एमकेएसएस जज सुनवाई नाम से बैठक/सभाएँ आयोजित किया करता था। यह सच है कि कई लोग सरकारी दस्तावेदो को खुद पढ नही पाते थे। गाँव का हर आदमी दस्तावेजों के बारे में जानना चाहता था इसलिए इन्हें पढकर समझाया जाता था। हाजिरी पुस्तिका के अनुसार हैंड पंप बनाये जाने वाले लोगों को भुगतान किया जाता था। ग्रामीण इसमें उपस्थित नामों की पहचान कर यह सुनिश्चित कर सकते थे कि जिन्हें भुगतान मिला है वे कार्य के लिए उपस्थित थे या नहीं। इस तरह से भ्रष्टाचार को उजागर किया जा सकता था। इन घटनाओं के आधार पर लोग जरूरी कार्यवाही करते थे। पदाधिकारियों को उनके बचाव का अवसर दिया जाता था। जिला प्रशासन एवं पंचायत भी इन बैठक/सभाओं में भाग लेती थी। जब भ्रष्टाचार पहचान लिया जाता था तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अपराधिक मुक्दमा दर्ज कराया जाता था।

चित्र- 18.2: औरतें एमकेएसएस मीटिंग में भाग लेते हुए

सकता है। परंतु वह व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे हो दो उसे यह रकम देने की जरूरत नही।

कानून के मुताबिक हर सरकारी कार्यालय में इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक अफसर नियुक्त होगा। इस अफसर को सूचना अफसर कहा जाएगा। सूचना अफसर के अलावा एक और अफसर होगा जो कि निश्चित कार्यवाही को सुनिश्चित करेगा। केंद्र एवं राज्य स्तर पर सूचना आयोग होगी। कानून यह भी निर्धारित करता हैं कि आवेदनार्थ जानकारी कितने समय में मुहैया कराई जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी विभाग लंबे अंतराल तक जानकारी को अटका

कर ना रखे। अगर निर्धारित समय में जानकारी ने मिले तो व्यक्ति राज्य व केन्द्र आयोग मे केस दर्ज करा सकता है।

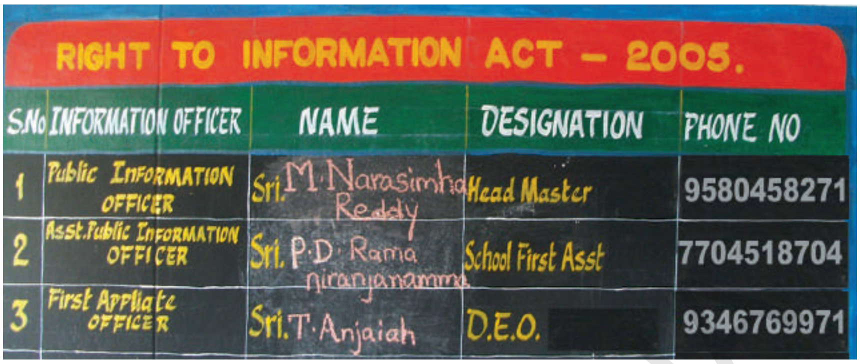

RIGHT TO INFORMATION ACT – 2005.

S.No	INFORMATION OFFICER	NAME	DESIGNATION	PHONE NO
1	Public Information OFFICER	Sri. M. Narasimha Reddy	Head Master	9580458271
2	Asst. Public Information OFFICER	Sri. P.D. Rama niranjanamma	School First Asst	7704518704
3	First Appliate OFFICER	Sri. T. Anjaiah	D.E.O. [redacted]	9346769971

Fig 18.3: Wall writing about the Right To Information Act-2005.

- शिक्षक की मदद से पिछले एक साल में उन्हें मिले रिर्पोटों, आदेशों, सुझावों का जाँच बनाये। स्कूल इस जानकारी को शिक्षा विभाग को देने हेतु किन दस्तावेजों को संभालता होगा। मध्याह्न भोजन संबंधी दस्तावेज कैसे बनायें?
- आपको क्यों लगता है कि राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में महत्वपूर्ण शब्द स्वतंत्र है।
- क्या आप कुछ ऐसे प्रश्नों की सूची बना सकते है जो कि आप स्वास्थ्य विभाग के सूचना अधिकारी से पूछना चाहेंगे। (९ वाँ अध्याय पढ़े)

आरटीआई के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों को बिना आवेदन के भी कुछ जानकारी को सार्वजनिक करना होगा। आप इन्हें इन कार्यालयों की दीवारों पर देख सकते हैं। अगर आपके इंटरनेट की सुविधा है तो आप सरकारी विभागों के वेबसाईट पर भी आरटीआई के अंतर्गत उनके विभागों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से किसी भी कार्यालय व वेबसाईट का दौरा करें एवं इन जानकारी को नोट कीजिए।

OrdZ e|br H$m g|YmaZ| H$m ghr amñVm

पिछले पाठ में हमने रोजगार एवं खाद्यान्न का अधिकार के बारे में पढा। इन्हें पाने के लिए कई जन संघर्ष हुए है। अधिकारो के पक्ष में लोगों का कहना है कि लोगों की प्रतिष्ठा के साथ जीने में सहायक हैं। यह सरकार का गरीबों के प्रति दयाशील होने की बात तो नही है अपितु उन्हें रोजगार व खाद्यान्न प्रदान कर जीवन शैली को बेहतर बनाया जा सकता है। यह पूरे समाज के लिए कल्याणकारी है। यह भी सत्य है कि जनता को भी सक्रिय रूप से सरकार के प्रदर्शन को प्रशिक्षण करना होगा जैसा कि हमने मनरेगा के लेखा केस में देखा।

âV Ed| A[Zdm`| {ej m H$m A{YH$ma - A{Y{Z` 2009

आपने स्वतंत्रता संग्राम एवं गोखले के बारें में पढा है। गोखले ने 1911 में अंग्रेज शासन से मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए कानून बनाने की मांग की अंग्रेज शासन ने इसे नहीं माना। आजादी के बाद भी ऐसा कानून नही बना। आखिरकार *2002* में संसद ने शिक्षा को मूलाधिकार माना। संविधान का *86* वां संशोधन शिक्षा को मूलाधिकार मानता है एवं *2002* में पास गिया गया था। *86*वां संशोधन के अनुसार राज्य *6* से *14* साल के हर बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया करवाएगी। यह कानून आखिरकार *2009* में पास हुआ एवं मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का बालाधिकार *2009* के नाम से जाना जाता है।

~ÀMm| H$m _âV Ed| A{Zdm`| {ej m A{Y{Z`_-2009

आरटीई विधेयक का उद्देश्य है **6-14** वर्ष के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना। **1**अप्रैल **2010** से अमल में आया है।

hËdnU| AZ|~|Y AmaQ|rAmB| A{Y{Z` H$

- उनके घर के पास स्कूल उपलब्ध है या नही सुनिश्चित करे।
- विद्यालयी संरचना की उपलधता की वृद्धि।
- उम्र के अनुकूल कक्षा में उनका नामांकन हो।
- बच्चों को यह अधिकार है कि वे विशिष्ट प्रशिक्षण पाएं और अन्य बच्चों के बराबर आएं।
- विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए अनुकूल सुविधा प्रदान की जाए।
- बच्चों के नामांकन हेतु टेस्ट नहीं लिए जाएंगे किसी भी तरह का शुल्क, खर्च आदि भी नही भरे जिसकी वजह से उनकी आगे की पढाई प्रभाविता हो।
- विद्यालय से नाम नही काटे जाए और एक ही कक्षा में उन्हें बार-बार न रखा जाए।
- किसी भी कक्षा में उन्हें रोका नहीं जाएगा न ही विद्यालय से तब तक निकाला जाएगा जब तक वे अपनी बुनियादी शिक्षा खत्म न कर ले।
- किसी बच्चे को शारीरिक दंड एवं मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जाएगा।
- समय पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण नही उपलब्द हो तो नामांकन नही रोके जाएंगे।
- योग्य उम्मीदवारों को ही शिक्षक के तौर पर नियुक्त किया जाए।
- शिक्षण, सीखने की प्रक्रिया एवं मूल्यांकन प्रक्रियाएँ उचित उपलब्धियों को पाने की उचित क्षमता को विकसित करेगी।
- बुनियादी शिक्षा जब तक खत्म नही हो तब तक बोर्ड की परीक्षा नही लिए जाए।
- बुनियाद शिक्षा के समापन हेतु बच्चे १४ साल की उम्र को बाद भी स्कूल में शिक्षा जारी रख सकते हैं।
- पिछड़े वर्गो के बच्चों के प्रति कोई भेद-भाव नहीं किया जाएगा।
- पाठ्यचर्या एवं मूल्यांकन प्रक्रियाएं संविधान में स्थापित मूल्यों के प्रमाणीकरण पर होगी एवं बच्चों को भयमुक्त बनाएँगी जो बच्चों को भयमुक्त हो व्यक्त करने देगी।

आरटीआई हर बच्चे के शिक्षा के अधिकार को घोषित करता है एवं राज्यों को पर्याप्त विद्यालयों के बनाए जाने प्रशिक्षित शिक्षकों के नियुक्ति एवं जरूरी प्रावधानों के प्रति निर्देश प्रदान करता है एवं बच्चों के पूर्ण रूप से विकास हेतु खोज, जाँच पड़ताल व बाल सुलभ तरीकों के इस्तेमाल के निर्देश जारी करता है। इसके अनुसार बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढाया जाएगा एवं उनसे डर दूर किया जाएगा जिससे वे अपने भावनाओं को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कर सके।

अगर आस-पास मे विद्यालय उपलब्ध नही हो और विद्यालय में पढाने के लिए शिक्षकों की उचित संख्या नही हो तो शिक्षण एवं सीखने के साधन भी संतोषप्रद नही है। बच्चे भी आतंकित किए जाते हो और अध्ययन के लिए अनुचित दबाव हो तो बच्चे प्रबंधन के खिलाफ न्यायालय में शिकायत कर सकते हैं।

- क्या आप यह सोचते हैं कि आपका विद्यालय इन सिद्धांतों, नियमों के अनुरूप करता है?
- यह ज्ञात करने की कोशिश कीजिए कि जरूरत पड़ने पर आप विद्यालय की गतिविधि के बारे में कहाँ शिकायत कर सकते हैं ?

मुख्य शब्द

1. मानवाधिकार 2. आर.टी.आई. 3. आर.टी.ई. 4. स्वतंत्रता

सीखने में सुधार

1) अशुद्ध कथन को शुद्ध कीजिए : (AS$_1$)

a) सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का विश्लेषण होना चाहिए।

b) जनता को सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधियों को ही योजनाओं के लागूकरण की जानकारी को संचालित करने देना चाहिए।

c) सूचनाधिकारी जानकारी को अनिश्चित काल तक अपने पास रख सकते हैं।

d) अलग-अलग दस्तावेजों से यह पता किया जा सकता है कि योजनाएँ सुचारू रूप से लागू की गई है।

2) 'भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सूचना की जरूरत' शीर्षक को पढ़कर उत्तर दीजिए। (AS$_2$) किसी भी सरकारी योजना का अवलोकन कीजिए एवं उसके लागूकरण पर रिपोर्ट बनाए।

3) सूचना के अधिकार से जुड़े कुछ सफल गाथाओं को एकत्रित करे एवं कक्षा में सुनाए। (AS$_3$)

4) शिक्षा का अधिकार बच्चों के लिए वरदान है। व्याख्या कीजिए। (AS$_1$)

5) क्याआप को अन्य अधिकारों की आवश्यकता है? क्यों? (AS$_4$)

6) सूचना के अधिकार अधिनियम के आधार पर आप अपने प्रधान अध्यापक से कौन सी सूचना लेना चाहेंगे? (AS$_4$)

7) आप किस प्रकार कह सकते है कि सूचना का अधिकार अधिनियम भ्रष्टाचार का सामना करने में हमारी सहायता करेंगे। (AS$_6$)

चर्चा :

हाल ही में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा भ्रष्ट अफ्सरों पर छापा मारे गए समाचार पत्रों के कतरन को एकत्र कर कक्षा में चर्चा कीजिए।

अध्याय 19

सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन

सामाजिक सुधार के साधनों के माध्यम से भारतीय कट्टरपंथियों को सही करने इतिहास भर में उनके बोधगम्य दुनिया का अध्ययन करने के लिए किया गया है। वे भारत आए और उन्हें अपने सांस्कृतिक श्रृंगार और समाज की स्थापना की हिस्सा बना दिया जो विभिन्न विचारों और व्यवहारों से ज्ञान के नए रूपों को आत्मसात करने के लिए जारी है।

क्या आप सातवी कक्षा में पढे हुए भक्ति आंदोलन को याद कर सकते हैं आप को याद होगा कि भक्ति आंदोलन के संतों ने हिन्दु और मुस्लिम धर्म में जो रूढ़िवादिता थी उसकी आलोचना की थी और साथ में ही कट्टरपंती और एकेश्वरवाद मानवों में एकता की बात की थी। ये विचार 18वीं और 19वीं शताब्दी में और मजबूत हो गए।

ईसाई मिशनरियाँ और पूर्वी विद्वान

भारत में कई इसाई मिशनरियाँ आई जिन्होंने यहाँ अपना धर्म स्थापित किया। उन्होंने भारतीय धर्मों की आलोचना की और जनता को इसाई धर्म अपनाने की सीख दी। इसी समय में उन्होंने कई शिक्षा संस्थाएँ, अस्पताल और गरीबों की सहायता करनेवाली संस्थाएँ स्थापित की। इस प्रकार की सहायता ने लोगों में ने विचारों को फैलाया।

बहुत ही जल्द हिन्दु और मुस्लिम धर्म के नेताओं ने अपने धर्मों को बचाने के लिये कार्य शुरू किये। इस प्रकार की विभिन्न धर्म सभाओं ने जनता को धर्म की गहराइयों को समझने का मौका दिया। ऐसी बहस लोगों को एक दूसरे के विचारों को समझने के लिए न केवल मदद की बल्कि उनके खुद के धर्म के मूल और बुनियादी सिद्धांतों में पूछताछ करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। कुछ युरीपियन व्यापारियों ने भारत का प्राचीन साहित्य पढा और उसे अनुवादित करके उसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया।(जब तक को पूर्वी देशों की पुस्तकों को पढते, और उनसे प्रभावित होते इसलिए उन्हें प्राच्यविद' की संज्ञा दी गई है।

विलियम जोन्स *मैक्स मुलर*

विलियम जोंस, मैक्स मुलर प्राच्य विद्या विशारद थे, जिन्होंने संस्कृत कृतियों का अंग्रेजी में अनुवाद किया है।

संस्कृत, तमिल, तेलुगु, पर्शियन और अरबि पुस्तकें यूरोपियन भाषाओं में अनुवादित हुई, जिससे भारत का भव्य और विशाल सांस्कृतिक इतिहास विश्व के समक्ष आया। इन नये विचारों से मदद से लोगों ने अपने धर्म की बेहतर ढंग से पुनः व्याख्या की।

यूरोपियनों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। जिसने यहाँ कई समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को प्रकाशित होने का मौका दिया। कई भारतीय भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित हुई। जिसे कम से कम दामों में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाया जाने लगा। अब लोग इस समाचारपत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों के माध्यम से सभायें और चर्चाएँ करने लगे।

ब्रह्मसमाज और बंगाल के धार्मिक आंदोलन

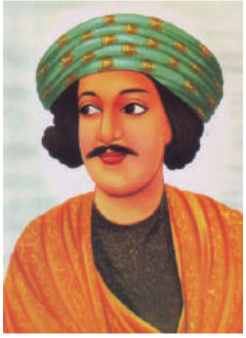

राजा राममोहन रॉय

राजा राममोहन राय का 1972 में बंगाल में जन्म हुआ । वह संस्कृत, पर्शिया, अंग्रेजी, अरबी, लेटिन और ग्रीक भाषा के अच्छे जानकार थे।

उन्होंने हिन्दु, इस्लाम, इसाई और सुफीयत के तापज्ञान का अभ्यास किया। विभिन्न धार्मिक पुस्तकों को पढने के बाद उन्हें विश्वास हुआ की ईश्वर एक है और मूर्तिपूजा अर्थहीन है। उनका मानना था कि सभी महान धर्मों के सिद्धांत एक है। इसलिए उन्हें अलग-अलग मान कर उनकी आलोचना करना गलत है। उनका मानना था कि धर्म लोगों की सहायता के लिये बनाया गया है। वह धर्मगुरुओं की सत्ता को अमान्य समझते थे और लोगों को उपदेश देते थे कि वह स्वयं धर्म पुस्तकों का अध्ययन करे। उन्होंने अपने विचार पत्रिका और पुस्तकों के द्वारा लोगों तक पहुँचा कर नयी तकनिकी और छपाकर उसका उपयोग किया।

1828 में राम मोहन रॉय ने ब्रह्मसमाज की स्थापना की जो कि एक सभा जहाँ एक सार्वभौमिक धर्म में विश्वास और एक परमात्मा के प्राचार्य पर आधारित थी। 1833 में राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद देवेन्द्रनाथ टागोर और केशवचंद्र सेन ने ब्रह्मोसमाज को संभाला। भारत के विभिन्न भागों में अपने भाषणों द्वारा विचारों को लोकप्रिय बनाया।

केशवसेन की महाराष्ट्र यात्रा सन् 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की नींव का कारण बनी। ब्रह्मसमाज के सिद्धांतों को लेकर आर.जी. भंडारकर और एम.जी. रानडे के भी समान विचार थे। दक्षिण भारत के कन्दुकुरी विरेशलिंगम पर भी इसका प्रभाव पड़ा। दक्षिण भारत में ब्रह्मसमाज की स्थापना विरेशलिंगम ने की। उन्होंने अपने सभी प्रयास एवं ऊर्जा द्वारा विधवा पुनर्विवाह और बालविवाह जैसे मुद्दों का उन्मुलन करने में ध्यान केंद्रित किया। उन दिनों महिला शिक्षा पर जो पाबंदी थी उसके ये घोर विरोधी थे।

कन्दुकुरि विरेसलिंगम

रामकृष्ण

ब्रह्मसमाज के सदस्यों में मतभेद होने के कारण ये संस्था के कई टुकड़े हो गये और वह लोग अंदर ही अंदर आपसी मत भेद करने लगे।

केशव सेन रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित होकर उनके शिष्य बने जो काली माता के उपासक थे।

स्वामी विवेकानंद

स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण के परमभक्त थे और उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने ये संस्था को दो उद्देश्यों से स्थापित किया था- हिन्दु धर्म को फिर से स्थापित किया और राष्ट्र की उन्नति के लिये समाज सेवा में व्यस्त रहना।

उनका मानना था कि हिन्दु धर्म अन्य धर्मों से महान है। उन्होंने उपनिषद के अध्ययन पर जोर दिया और उसे अनुवादित करके उसको बड़ी संख्या

में प्रकाशित किया। उन्होंने हिन्दु धर्मीयों को रूढिवादिता और अंधविश्वास से बाहर निकलने का आदेश दिया और उन्हें पाश्चात्य संस्कृति के सकारात्मक पहलु को अपनाने की बात कही जैसे की स्वतंत्रता, स्त्रीओं का सम्मान, कार्यकुशलता, तकनीकि आदि। उन्होंने ऐसी संस्था स्थापित की जिसने अस्पतालों, शालाओं, अनाथाश्रम और प्राकृतिक आपदाओं के समय राहतकार्य कर सके।

- क्या आप सोचते हैं कि पूर्वी सुधार आंदोलन पर यूरोपियन संस्कृति और इसाई धर्म का प्रभाव था?
- नये विचारों को फैलाने में मुद्रण ने अपनी क्या भूमिका निभायी?

पंजाब में आर्यसमाज

स्वामी दयानंद सरस्वती (1824-1883) एक समाज सुधारक थे जिन्होंने रूढीवादी हिन्दु परंपराओं का विरोध किया और संन्यास धारण किया।

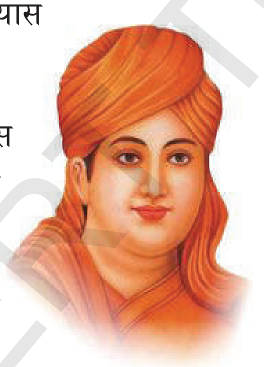

स्वामी दयानंद सरस्वती

उन्होंने वेदों का अभ्यास किया और उन्होंने हिन्दु धर्म के मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, साथ ही हिन्दु धर्म के बहुदेववाद, मूर्ति और मंदिर का तथा ब्राह्मणों के आडंबरों को मानने से इंकार कर दिया।

उन्होंने एकेश्वरवाद और वेदों के मंत्रों में विश्वास किया। उन्होंने अन्य धर्मों की समर्थता को नकार दिया और जो हिन्दु धर्म छोड़कर अन्य धर्मों का स्वीकार करने लगे हैं वैसे हिन्दुओं को वेदों की तरफ वापिस खीचने के लिये उन्होंने प्रयास किये। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। यह पुस्तक अधिक संख्या में छापी गई और बहुसंख्यक लोग इस पढ़े।

उनकी मृत्यु के बाद 1883 में उनके अनुयायीओं ने पंजाब में दयानंद ऐंग्लो वैदिक (DAV) पाठशाला स्थापित की जो विद्यार्थियों को आधुनिक विषयों की शिक्षा देगी और साथ ही उन्हें उनके धर्म और संस्कृति के बारे में जानकारी देगी। कुछ साल बाद आर्य समाज के आंदोलन में कुछ भिन्नता आयी। कुछ लोगों का मानना था कि वो वैदिक धर्म की शिक्षा पर ध्यान दें ना कि आधुनिक विषयों पर, उन्होंने गुरुकुल कांगरी युनिवर्सिटी हरिद्वार में स्थापित की।

- राममोहन राय, विवेकानंद और दयानंद के धार्मिक विचारों का मूल्यांकन कीजिये और जिसमें से उनकी समानता और भिन्नता बताइये।
- यदि आपको डी.ए.वी. पाठशाला, गुरुकुल या सरकारी पाठशाला के मध्य भर्ती का चयन करना है तो आप किसका चयन करेंगे और क्यों?

मुस्लिमों में सुधार और शिक्षा

सिर्फ हिन्दु ही नहीं मुस्लिम जनता भी अपने धर्म की रुढिवादिता का विशेष कर रही थी।1857 के विद्रोह कुचले जाने पर मुस्लिम और ब्रिटिश के बीच हुआ ज्यादातर मुस्लिम मौलवी अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करते थे उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा आधुनिक विज्ञान और तत्वज्ञान इस्लामी ।

कई मुस्लिमों में सर सैयद अहमद खान ने (1817-1898) ये माना कि मुस्लिमों और अंग्रेजों के बीच की घृणा का अंत हो जाये। मुस्लिमों की विकास के लिये जरूरी है कि वे सरकार के भाग ले और सरकारी नौकरियों में अपने हिस्सा लें।

ये सिर्फ आधुनिक शिक्षा से ही हो सकता था। उन्होंने मुस्लिम समाज को आधुनिक बनाने की कोशिश की और अपने विचारों को पत्रिका के माध्यम से फैलाया।

सर सैयद अहमद खान

मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा और सामाजिक सुधार करने के लिये उन्होंने अलीगढ आंदोलन शुरू किया। वे स्त्री शिक्षा के हिमायती थे और परदा के विरोधी थे। वे चाहते थे कि इस्लाम का विश्लेषण हो और वे आधुनिक विज्ञान तथा तापज्ञान और इस्लाम के बीच एक कड़ी बने। 1864 में सर सैयद ने वैज्ञानिक समाज दाखिल किया जो कई वैज्ञानिक कार्यों का उर्दू में अनुवाद करके उसे प्रकाशित करते थे। उनकी सबसे बड़ी सफलता थी कि उन्होंने 1875 में अलीगढ में मोहम्मद ऐंग्लो ओरियेन्टल (MAO) कॉलोज स्थापित किया। ये अंग्रेजी और विज्ञान की शिक्षा देते थे परंतु इस्लामिक वातावरण में। भारतीय मुस्लिमों के लिये ये शिक्षा संस्था सबसे महत्वपूर्ण बन गयी। बाद में उसे अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विकसित किया गया। *DAV, MAO* संस्थाओं से आधुनिक परिस्थितियों के अनुसार अपने धर्म के अनुसार ज्ञान व सुधार कर समाज को आधुनिक बनाया गया।

- आपने ये देखा होगा कि प्राचीन धार्मिक पुस्तकों को पुन: लिखा गया। उदाहरण स्वरूप अधिकतर समाज सुधारकों एवं उनके कार्य को देखिये।
- आप ऐसा क्यों सोचते है कि 1857 के विद्रोह के बाद मुस्लिमों और अंग्रेजों के बीच कडवाहट आ गई।
- क्या आप डी.ए.वी पाठशाला और एम.ए.ओ. कॉलेज के बीच असमानता देखते है?
- क्या आपने उपर्युक्त समाज सुधारक जिन्होंने भक्ति आंदोलन में भाग नहीं लिया है उनके धार्मिक विचारों की खोज कीजिए।

सामाजिक सुधार और स्त्री

आजकल मध्यम वर्ग की कन्याएँ शालाओं में लड़कों के साथ पढती है। बड़े होने के बाद उनमें से कई कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाती हैं और नौकरियाँ करती हैं। आदमियों की तरह महिलाएँ भी विभिन्न प्रकार व्यवसाय कर सकती हैं। वे दूर की जगह में जाकर अपना कार्य कर सकती हैं।

कानून के अनुसार वे बालिक होने के बाद वे चाहे उस जाति या धर्म के आदमी से शादी कर सकती है या कुंवारी रह सकती है और विधवाएँ भी फिर से शादी कर सकती हैं। सभी महिलाएँ, सभी आदमियों की तरह मत दे सकती हैं और चुनावों में खड़ी भी रह सकती हैं और प्रजाजीवन में भाग ले सकती हैं।

दो हजार साल पहले चीजें अलग थी। ज्यादातर पाँच या छ: साल की उम्र में बच्चे शादी कर लेते थे। हिन्दु और मुस्लिम आदमी एक से अधिक औरतों से शादी कर सकते थे। देश के कुछ भागों में उच्च वर्ग

की महिलाएँ अपने पति की मृत्यु के बाद उनके शव के साथ जलाई जाती थी। जिसे सती कहा जाता था। विधवाएँ जो सभी नहीं बनती थीं उनकी दशा दयनीय होती थी। क्योंकि लोग समझते थे कि वे अशुभ मानी जाति थी और असुरक्षित थी। उन्हें सफेद साड़ी पहननी पड़ती थी और मुंडन करवाना पड़ता था तथा किसी भी अच्छे मौकों पर उन्हें नहीं बुलाया जाता था। मिलकत में स्त्री को अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि ज्यादातर महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी। देश के कई भागों में ये माना जाता था कि अगर महिलाएँ पढी-लिखी हैं, तो वे अपने पति के और ससुराल के बस में नहीं रहती।

परंतु ऐसा हर जाति में नहीं था। कुछ रिवाज उच्च जाति में समान थे जबकि मजदूर वर्ग और पिछड़ी हुई जातियों में वो अलग थे।

शादी की न्यूनतम उम्रः-

1846 में कानून के तहत लड़की की शादी की उम्र 10 साल कम की नहीं मानी जाती थी। 1891 में उम्र बढ़ाकर 12 साल कर दी गई। 1829 में शारदा कानून से शादी की कम से कम उम्र 14 साल मानी गई। 1978 में लड़की के लिये उम्र को 18 साल और लड़के के लिये 21 साल रखी गई।

समाज सुधारक राममोहन रॉय ने घरेलु कामों में महिलाओं पर अत्याचार, घर की चार दिवारी और बच्चे संभालना, और बाहर जाकर शिक्षा प्राप्त करने की मनाई पर लिखा था। उन्होंने सभी प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया था और विधवाओं की स्थिति का विरोध करते हुए प्राचीन ग्रंथों में उनकी इस अवस्था के लिये कोई नियम नहीं है - ये जताया। 19 वीं शताब्दी के आरंभ में कई ब्रिटिश अधिकारीयों ने भी भारतीय परंपराओं और रीति-रिवाजों की निंदा की। उन्होंने राममोहन की बिनतीयाँ सुनी और 1829 को सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। दूसरे बंगाल के सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने एक विधवा से विवाह किया, जो की बाल विधवा थी। 1855 में विधवा पुर्नविवाह के लिये एक कानून पारित किया गया। विद्यासागर ने बाल विवाह का विरोध किया, जहाँ आदमी छोटी लड़कियों से शादी करते थे। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिये आंदोलन चलाया और उनके लिये कन्या शालाएँ स्थापित की।

1856 में कलकत्ता में हुए प्रथम विधवा पुर्नविवाह के प्रेक्षक ने उसका वर्णन कुछ इस प्रकार किया है।

> *"मैं वह दिन कभी नहीं भूल सकता। जब विद्यासागर अपने मित्रों के साथ, वधु के साथ..... देखनेवाले बड़ी संख्या में थे वहाँ पर एक इंच जगह नहीं थी..... शादी हो जाने के बाद सब के लिये ये ही चर्चा का विषय था - बाज़ारों में, दुकानों में, गली-मोहल्लों में, विद्यार्थीओं में, चित्रशालाओं में और दूर-दूर के गाँवों में और घरों में तथा महिलाओं की चर्चा में भी यही विषय बात का कारण था।"*
>
> **विधवा पुर्नविवाह के पक्षी और विरोधियों के बीच की बातचीत लिखिये?**

- आप क्या सोचते है कि सामाजिक सुधार के लिये सरकारी कानून पारित करना आवश्यक है ?

निजाम के स्वतंत्र उपनिवेशों में सुधारवादी आन्दोलन

ब्रिटिश परम सत्ता के अन्तर्गत शाही राज्य के दर्जे में रहने के बावजूद निजाम के स्वतंत्र उपनिवेश उस समय देश में चल रहे सुधारवादी आन्दोलनों द्वारा प्रभावित हुए। मोहिब हुसैन जैसे समाज

सुधारक ने नारी मुद्दों पर मुल्लीम-ए-नीस्वान नाम की पत्रिका निकाली। उन्होंने स्त्री शिक्षा एवं परम्परा के विरूद्ध खड़े होकर उसका घोर समर्थन किया। वे परदा प्रथा के लिए चिन्तित थे जो पहले शाही घरानों तक सीमित थी परन्तु बाद में छोटी मुस्लिम जातियों में फैल गई। उनके दोहे इस परम्परा के समीक्षात्मक एवं सुधारवादी जोश से परिपूर्ण थे।

"हमारा देश अधिक अनुदारवादी एवं स्वभाव से कठोर है। वे प्राचीन प्रथा और आदतों से चिपक जाते है।" उन्होंने सूफी परम्परा की एकता का समर्थन किया।

"ओ मोहिब, वे लोग है जो हिन्दु-मुसलमान में अनबन लाने का कार्य करते है। वे जहरीले साँप से भी अधिक खतरनाक है।"

उपर्युक्त वर्णनों में आपने ध्यान दिया होगा कि अधिकतर महिलाओं के लिये लड़ाई लड़ने वाले पुरुष थे। क्योंकि उस समय कम महिलाएँ शिक्षित थी और वह इस स्थिति में नहीं थी कि वह सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग ले सके। अब हम कुछ महत्वपूर्ण, साहसी महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने ऐसी स्थितियों में भी स्त्रियों के अधिकारों के लिए लड़ा।

महिला सुधारक

सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले (1831–1897)

महाराष्ट्र में महिलाओं के अधिकारों के लिये सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जब ज्योतिबा फुले ने 1848 में 'पिछड़ी' हुई जातियों की कन्याओं के लिये शाला स्थापित की तब उन्होंने सावित्रीबाई को प्रथम महिला शिक्षक के रूप में तैयार किया।

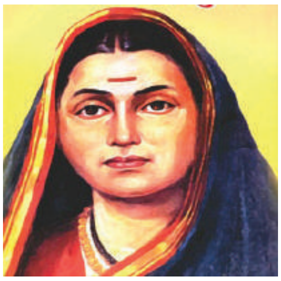
सावित्रीबाई फूले

सावित्रीबाई ने पिछड़ी जातियों की कन्याओं को पढ़ाना शुरू किया। ज्योतिबा फूले की मृत्यु के बाद सत्य शोधक समाज की सारी जिम्मेदारी सावित्रीबाई ने उठाई। वो अपने अनुयायिओं को मार्गदर्शन देती थी। वो जब गरीब बच्चों के लिये शिविर आयोजित करती थी तब वह मन लगाकर कार्य करती थी। वह हर रोज दो हजार बच्चों का पालन करती थी।

> आप की तरह क्या महिलाओं का जीवन उसे भी प्रिय नहीं होगा? स्त्री का पति मरते ही - उसके लिए क्या रखा है - आपकी आँखों को ठंडक पहुँचाने के लिए एक नाई आएगा और उसका सिर मूँद देगा। सुहागन स्त्रियों की भ्रांति क्या उसे शादी-ब्याह, पूजा-पाठ, दावतों में जाने की पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाएगा। यह प्रतिबन्ध क्यों? क्यों कि उसका पति मर गया है यह उसका दुर्भाग्य है, उसके भाग्य में यही लिखा था। उसका चेहरा देखने योग्य नहीं है, वह अपशकुनी है।
>
> **- *तारा बाई शिन्दे, स्त्री पुरुष तुलना* 1882 (तारा बाई, सावित्री बाई फुले की सहयोगी थी)**

पंडिता रमाबाई सरस्वती (1858 –1922)

रमाबाई का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता ने उन्हें संस्कृत साहित्य की शिक्षा दी क्योंकि वह रुढ़िवादी विचारों का सामना कर पाये। उनके पिता की मृत्यु के बाद रमाबाई और उनका भाई

पंडिता रमाबाई सरस्वती

के साथ बंगाल में कोलकता के साथ-साथ पूरे भारत में घूमते रहे। उन्हें उनकी शिक्षा के कारण पंडिता के नाम से जाना गया।

> “पुरुष स्त्रियों के साथ जानवर जैसा व्यवहार करते है। जब हम हमारी स्थिति को सुधार ने का प्रयास करते है तब हम पुरुष के विरुद्ध हो जाते है। और ये पाप है, यहाँ तक सबसे बड़ा पाप ये है कि हम उनका विरोध कर रहे है। हमें विरोध नहीं करना चाहिये।” - रमाबाई सरस्वती

रमाबाई ने अपनी पूरी जिंदगी महिलाओं और विधवा की सहायता करने में बिताई। उन्होंने इग्लैण्ड और अमेरिका की यात्रा की और वहाँ महिला संस्थाओं के बारे में जाना। भारत वापिस आकर उन्होंने एक आश्रम स्थापित किया और विधवाओं की शिक्षा के लिये मुम्बई में शारदा सदन पाठशाला की स्थापना की। यहाँ उन्हें विशेष प्रकार की शिक्षा दी जाती थी जिसमें व्यवसाय संबंधी शिक्षा देकर उन्हें आर्थिक रूप से स्वायत्त बनाया जाता था। जरूरत मंदों को अनाथों और विधवाओं को ये आश्रम घर, शिक्षा, व्यवसायी तालिम और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएँ देता था। उनका मानना था कि महिलाएँ सब कुछ इसलिये सहन करती है क्योंकि वे पुरुषों पर निर्भर होती है। पुरुषों को ये अधिकार नहीं है कि वे उन्हें अपने पर निर्भर रखे।

मुस्लिम महिलाओं में शिक्षाः-

20वीं शताब्दी में मुस्लिम महिलाओं में भोपाल की बेगम ने स्त्री-शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। पटना और कोलकता में बेगम रुकैया शेखावत हुसैन ने मुस्लिम कन्याओं के लिए पाठशाला शुरू की। रूढ़ीवादी धार्मिक नेताओं के साथ वह नीड़रता से रूढ़ीवादी विचारों की आलोचना करती थी।

इस प्रकार की सामाजिक सुधारणा से ये परिणाम निकला कि कन्याओं के लिए शालाएँ और कॉलेजों की स्थापना हुई और उनमें से कई लड़कियाँ डॉक्टर और शिक्षक बनी। फिर भी कई लोग ऐसे थे जो स्त्री-शिक्षा के विरुद्ध थे। उनका मानना था कि अगर लड़कियाँ शिक्षित हो गई तो वह उनके पति के नियंत्रण में नहीं रहेगी और घर की जिम्मेदारी भी नहीं निभा पायेंगी। जो माता-पिता अपनी बेटीयों को शिक्षा लेने भेजते थे, वह समाज द्वारा तिरस्कृत होते थे। पर फिर भी कई परिवारों ने सामाजिक सुधार को अपनाया और धीरे-धीरे लड़कियाँ पाठशाला और कॉलेजों में आने लगी।

- क्या आप को लगता है आज लडकियों की शिक्षा के लिए समान महत्व दिया जा रहा है या लड़कियाँ अभी भी भेदभाव का सामना कर रही है ?
- कौन-सी समस्याएँ लड़कियाँ पढ़ते समय उठाती है और लड़के नहीं उठाते ?
- किस हद तक विधवाओं के प्रतिव्यवहार बदल गया है ?
- क्या आज भी दलित और मुस्लिम वर्ग की कन्याएँ शिक्षा लेने में समस्याओं का सामना करती है ?

समाज सुधार और जातिप्रथाः-

इससे पहले आपने जाति भेदभाव के बारे में पढ़ा है। उच्च वर्ग के लोग जैसे कि ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग मजदूर वर्ग और निम्न वर्ग के समाज को शूद्र कहते थे और उन्हें छूना भी पाप मानते थे। उन्हें मंदिरों में जाना मना था, उच्च वर्ग के लोगों के लिये रखे गये कुएँ में से पानी निकालना मना था, पढ़ना, लिखना और शिक्षा प्राप्त करना भी मना था। वह सिर्फ उच्च वर्ग की सेवा के लिये बने है - ऐसा ही उनके साथ व्यवहार किया जाता था। कुछ शासक भी ऐसे थे जो उनके राज्य में इस प्रकार की जातिप्रथा का पालन न करने वालों को सज़ा देते थे।

भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद इस स्थिति में सुधार आना शुरू हुआ। ब्रिटिश अदालत ने सबके लिये समान कानून बनाया। इसाई मिशनरी और सरकारी शालाएँ सभी बच्चों को उनकी जाति के बिना ही प्रवेश देते थे। ये मिशनरी निम्न वर्ग के बच्चों को शिक्षा देते थे जिन्हें पहले शिक्षा लेना ही मना था। सरकारी सेवाओं में खास कर के सेना में सबी के लिये दरवाजे खोल दिये गए। कई लोग नये शहरों में जाकर रोजीरोटी ढूंढ़ने निकल पड़े। ये सभी परिवर्तन निम्न जातियों में बदलाव लाने के लिए हुए। चलिये देखते है कि ये बदलाव कैसे हुआ। जिन्होंने समानता के लिये और जातिप्रथा पर निषेध के लिये ये आंदोलन किया।

कक्षाकक्ष में जगह नहीं:-

मुम्बई प्रेसिडेन्सी, 1829 में कहा गया कि कुछ लोग अछूत है और जो सरकारी शालाओं में भी नहीं जा पायेंगे। जिनमें से कुछ लोगों ने अपने अधिकारों के लिये आवाज़ उठाई सो उन्हें वर्ग के बाहर बरामदे में बिठाते थे और पाठ को सुनो जिससे वर्ग को प्रदूषित किये बिने पढ़ सकते है और जहाँ उच्च वर्ग के विद्यार्थी पढ़ते है।

1. कल्पना करो कि आप पाठशाला के बराम्दे में बैठ कर पाठ को सुन रहे हो। आप के मस्तिष्क में किस प्रकार का प्रश्न उठेंगे ?
2. कुछ लोग मानते थे कि ये स्थिति फिर भी बिलकुल अज्ञान से तो अच्छी ही थी। क्या आप इससे सहमत है ?

ज्योतिबा फूले (1827–1890) सत्यशोधक समाज

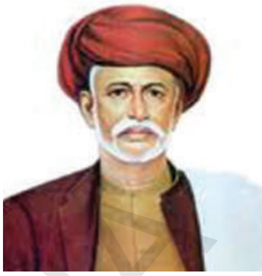

ज्योतिबा फूले

ज्योतिबा फूले का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और वह इसाई मिशनरी में पढ़े थे।

ज्योतिबा के जीवन में परिवर्तन का केन्द्र बिंदु तब शुरू हुआ जब वह उनके ब्राह्मण मित्र की शादी में शामिल हुए और उनके परिवार द्वारा अपमानित हुए। बड़े होने के बाद उनके स्वयं के विचारों का विकास हुआ जो जातिय समाज के लिये थे और उन्होंने इस प्रकार के समाज के लिये ब्राह्मणों पर प्रहार किया क्योंकि वह दूसरों से उच्च बनना चाहते थे। उन्होंने शुद्र (मजदूर वर्ग) और अति शुद्र (अछूतों) लोगों को एक किया जिससे जाति प्रथा का विरोध कर सके।

ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना सत्य और समानता के आधार पर की थी। उन्होंने और उनकी पत्नी ने लड़कियों के लिये एक पाठशाला शुरू की थी जो महर और मांग जाति की लड़कियों के लिये की गई थी।

फूले ने काफी किताबें लिखी, जिसमें "गुलामगीरी" - जिसमें उन्होंने जातिप्रथा को गुलामी बताया था। फूले और सत्यशोधक समाज ने खास प्रकार की शालाएँ और कॉलेज और हॉस्टल में रहते हुए छात्रों के लिये कार्यक्रम किया था। जिसमें शिक्षकों को पछात जाति से बुलवाया गया था। उन्होंने निबंध स्पर्धा, चर्चा सभा और सार्वजनिक भाषण जैसी स्पर्धाओं का आयोजन किया था। ये सभी की वजह से छात्रों का विश्वास और आत्मसम्मान बढ़ गया। उन्होंने पिछड़ी हुई जाति के लोगों को शादी (विवाह), मृत्यु - औपचारिकता विधी के लिये बुलाया था और इन सबमें ब्राह्मण समाज की आवश्यकता नहीं बताई गई।

- क्या आप को लगता है कि यह सब मांगे आज भी जरूरी हैं ?
- आपके विचार में श्रीमान फूले ने पिछड़ी जाति के बच्चों को पढ़ाने के लिए 'पिछड़ी' जाति के अध्यापकों पर ही क्यों जोर दिया?

नारायण गुरु (1856-1928)

नारायण गुरु एक धार्मिक नेता थे। जिन्होंने एक जाति, एक ईश्वर और एक धर्म का नारा जगाया था।

उनके पिता एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। और बच्चों के लिये पाठशाला चलाते थे। जिसमें नारायण ने अपनी पढ़ाई की थी।

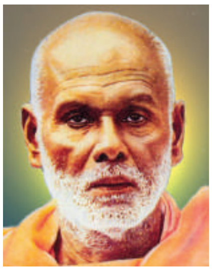

नारायण गुरु

नारायण गुरुने इजहावा को रीति-रिवाज जैसे की दारु बनाना, देवी की पूजा और जानवरों को मारने जैसे आदि छोड़ देने के लिये कहा। उन्होंने कई मंदिर बनवायें, जिसमें जातिवाद को प्रवेश करने नहीं दिया, और काफी सामान्य रीति-रिवाज को मंजूरी दी गई, जिसमें ग्रामीण-पंडित को भी शामिल नहीं किया गया। उन्होंने ये भी बताया की शालाएँ स्थापित करना मंदिर बनाने से ज्यादा जरूरी है। बहुत ही जल्द उनके अनुयायीओं की संख्या बढ़ने लगी जो कि अलग-अलग जाति के थे। और उनकी धार्मिकता और शिष्यवृत्ति से प्रभावित हुए थे। नारायण गुरु ने जाति-प्रथा का उग्र विरोध किया और सभी तरह की जाति-प्रथा का अंत किया।

- ज्योतिबा फूले और नारायण गुरु के प्रयत्नों की तुलना कीजिए। आपको उनमें क्या समानता और असमानता दिखाई पड़ती है?

डॉ.बी.आर. अम्बेडकर (1891-1956)

अम्बेडकर का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता जो सेना में थे, बच्चों को पाठशाला में जाने के लिये प्रोत्साहित करते थे।

डॉ.बी.आर. अम्बेडकर

जब वह छोटे थे तब से वह जाति-प्रथा के आक्रमण को हररोज के जीवन में अनुभव करते थे। स्कूल में अम्बेडकर और दूसरे पिछड़ी जाति के बच्चों को अलग बिठाया जाता और शिक्षक उनमें कम ध्यान देते थे। उनको कक्षा में बैठने की मंजूरी नहीं थी। यहाँ तक की उनको अगर पानी पिना होता थी तो ऊँची जाति का कोई छात्र ऊपर से पानी पिलाता था ताकि उनको पानी के बर्तन को छूना नहीं पड़ता था। सामाजिक और आर्थिक परेशानियों से प्रोत्साहित हुए अम्बेडकर पहले दलित थे जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की।

वह इग्लैण्ड और अमेरिका उच्च शिक्षा के लिए गए। भारत आने के बाद उन्होंने वकिल और अध्यापक के रूप में कार्य किया। 1927 में उन्होंने सार्वजनिक आंदोलन दलितों के लिये शुरू किया, जिसमें दलितों के अधिकार जैसे कि सार्वजनिक जल स्रोतों का उपयोग, मंदिर में प्रवेश। उनके ऐसे प्रयत्नों के कारण 1932 में सरकार ने भारत के राजनैतिक भविष्य पर चर्चा करने के लिये आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि संविधान में दलितों के लिये दलित वर्ग ही मत देगा। इस बात को ब्रिटिश सरकार ने भी मान्य किया परंतु गाँधीजी ने इसका विरोध किया। अंत में एक करार किया गया जिसके अनुसार कुछ बैठके दलितों के लिये आरक्षित रखी जायेगी।

उन्होंने दलितों के लिये एक स्वतंत्र मजदूर संघ की स्थापना की।

1932 में गाँधीजी ने छूत-अछूत के विरुद्ध आंदोलन किया। उन्होंने अछूत लोगों को ‘हरिजन’ या ‘भगवान के जन’ नाम दिया। वह चाहते थे कि उन्हें एक समझ कर मंदिरों में प्रवेश, जल स्रोतों का उपयोग और शालाओं में समानता मिले। काँग्रेस ने इस कार्यक्रम को बढ़ाया और राष्ट्रीय आंदोलन में लाखों दलितों की सहायता ली।

1947 में स्वतंत्रता के बाद अम्बेडकर को राष्ट्र के प्रथम कानून मंत्री के रूप में आमंत्रित किया गया। संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर बनाये गये, जिन्होंने भारत का प्रथम नया संविधान बनाया। अम्बेडकर ने संविधान में नागरिकों को सुरक्षा प्रदान की, धार्मिक स्वतंत्रता दी, अछूतप्रथा का नाश किया।

अम्बेडकर ने महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिये दलिले की। साथ-साथ उन्होंने संसद में आरक्षण की नयी नीति जो दलित वर्गों को नौकरियों में, शालाओं और कॉलेजों में प्रवेश के लिये थी वो भी पारित करवाई। उनकी मृत्यु तक उन्हें ये अहसास हुआ की दलित वर्ग हिन्दु धर्म में रह कर एक गर्वपूर्ण जीवन नहीं जी सकते, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे लोग समान स्तर पाने के लिये बौद्ध धर्म का स्वीकार करले।

- गांधीजी और अम्बेडकर का दलितों के प्रति दृष्टिकोण में समानता और भिन्नता क्या है?
- आप मानते है कि आज दलितों को समान रूप से मंदिरों में प्रवेश, जल स्रोत का उपयोग और पाठशालाओं में प्रवेश दिया जा रहा है ? आज भी वे किन-किन समस्याओं का सामना कर रहे है ?

भाग्यरेड्डी वर्मा (1888-1939)

भाग्यरेड्डी वर्मा

तेलंगाना के दलित नेताओं को भाग्यरेड्डी वर्मा। जिन का मूल नाम माडेरी बागय्या था। दलितों के अधिकारों के लिये अथक परिश्रम किया जो दलितों को उनकी दुर्दशा से अवगत कराकर उन्हें उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया।

दलित नेता यह मानते थे कि जो जमीन ऊँची जाति के लोगों ने अपने कब्जे में रखी है वह सही में दलितों की है। यही वजह से उन्होंने दलितों को “आदि हिंदु” का नाम दिया। 1906 में भाग्य रेड्डी ने दलितों में जागृति लाने के लिये लोक कला की सहायता से “जगनमित्र मंडली” की स्थापना की। उन लोगों ने पाठशालाएँ प्रारंभ की और निजाम को दलितों की शिक्षा के लिए विशेष प्रकार की धनराशि के लिए भी मनाए। उन्होंने लड़कियों को देवदासी या जोगीन बनाने, वैश्या बनाने के विरुद्ध सफलतापूर्वक धरने किये। हिन्दु जाति व्यवस्था से लड़ने के लिए उन्होंने एक अभियान के रूप में बौद्ध शिक्षाओं में गहरी रुचि दिखायी और दलितों द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए बढ़ावा दिया।

अरिगे रामस्वामी

अरिगे रामस्वामी

अरिगे रामस्वामी हैदराबाद राज्य के प्रमुख दलित नेता थे। वे अचल सिद्धान्त एवं ब्रह्मसमाज के अनुयायी थे। सुनीता बाल समाजम की स्थापना कर

सिकन्द्राबाद में दलितों के लिए समाज सुधारक गतिविधियाँ चलाई। आपने आदि हिन्दु जाति उन्नति सभा की स्थापना की। अन्य की भाँति समाज में सम्मान पाने हेतु इन्हों दलितों में मदिरा सेवन की रोकथाम करने का प्रयास किया। उन्होंने जोगिनी प्रथा के निवारण और बाल विवाह एवं पशुबली के विरोध का प्रचार किया।

- बुद्ध के जातिवाद विरोधी शिक्षाओं को स्मरण कीजिए।
- दलित ही तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश के मूल निवासी है - इस भाव ने उनमें आत्मविश्वास को बढ़ाने में कहाँ तक सहायता की।

स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं एवं दलितों का योगदानः-

गाँधीजी ने महिलाओं को असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित किया था। उन्होंने महिलाओं को नमक-सत्याग्रह अछूत-विरोधी और किसान आंदोलन में अपना योगदान देने के लिये प्रोत्साहित किया जिसके द्वारा महिलाओं का भारतीय सार्वजनिक जीवन में आत्मगौरव एवं गरीमा बढ़ी। महिलाओं ने बड़ी मात्रा में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। उनकी आशा थी कि स्वतंत्रता के पश्चात उन्हें भी पुरुषों की भाँति समान अधिकार प्राप्त होंगे।

ईश्वरी बाई

ईश्वरी बाई

स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं के योगदान में हैदराबाद पीछे नहीं रहा। ईश्वरी बाई उनमें से एक थी। ईश्वरी बाई ने अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की दलित नेता बनकर उनका समर्थन किया। उत्साहपूर्वक उन्होंने डॉ.बी.आर.अम्बेडकर का अनुसरण किया। उन्होंने भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सेवाएँ प्रदान की। 1950 में वह सिकन्द्रबाद नगर पालिका की सभासद के रूप में निर्वाचित हुई। उसी सन् में उन्होंने महिलाओं के लिए व्यवसायिक केन्द्र की स्थापना करके सिलाई, कताई, बुनाई, एवं अन्य शिल्पकलाओं में निपुण बनाया। स्वयं के धन द्वारा चिन्ताबाई चिल्कलगुडा में स्कूल का निर्माण करवाकर सरकार को दान किया। समाज कल्याण के भारतीय सम्मेलन के सचिव के रूप में भी सेवाएँ दी। रेड क्रॉस सोसायटी की अध्यक्षा रहीं। महिला एवं बाल कल्याण की अध्यक्षा के रूप में लड़कियों को उच्च शिक्षा तक नि:शुल्क शिक्षा का कानून लाने में सहायक बनी। उन्होंने विधायक के रूप में अपने कार्य काल के दौरान सामाजिक बुराईयों अत्याचार, महिलाओं एवं दलितों के अन्याय के विरुद्ध, भूमिहीन, निर्धनों के लिए भूमि वितरण के विरुद्ध, तेलंगाना के लिए अलग राज्य दर्जे के लिए लड़ाई लड़ी।

टी.एन.सदालक्ष्मी

टी.एन. सदालक्ष्मी

टी.एन सदालक्ष्मी तेलंगाना की प्रसिद्ध दलित राजनैतिक नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी। वह आर्य समाज की सदस्य थी और उन्होंने दलित समुदायों के सामाजिक सुधार आन्दोलनों में सक्रिय भाग लिया। वह विधान सभा के लिए चुनी गई और मंत्री, डिप्टी स्पीकर के रूप में कार्य किया। अपने अरिगे रामस्वामी के साथ मिलकर दलितसमुदाय के शैक्षिक और आर्थिक उत्थान के लिए काम किया। वह तेलंगाना के दलित सशक्तिकरण की अग्रणी नेता एवं तेलंगाना प्रजा समिति की उपाध्यक्ष भी थी।

- कल्पना दत्त, अरुणा असीफ अली, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय जैसी महिला नेताओं के बारे में पता लगाइये।
- क्या सभी महिलाओं को स्वतंत्र भारत में मतदान का अधिकार मिला ?

कुंजी शब्द

1. सुधार
2. सती
3. परदा
4. विधवा पुर्नविवाह
5. अछूत

सीखने में सुधार

1. इस विधान की उदाहरण के साथ तुलना करो। (AS$_2$)
   "भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन पर पाश्चात्य शिक्षा और इसाई मिशनरियों का प्रभाव था।"
2. सुधार आंदोलन के विकास में मुद्रणालय (Printing Press) का क्या महत्व था ? (AS$_1$)
3. धार्मिक सुधार के पीछे मुख्य विचार जटिल अनुष्ठान, कई दवेताओं की पूजा और मूर्तिपूजा का समापत था। क्या आपको लगता है कि लोगों ने इस सुधार को अपनाया - समझाइए। (AS$_2$)
4. क्या आपको लगता है कि रमाबाई जैसे लोगों का विधवाओं की दशा पर विशेष ध्यान केंद्रित था? (AS$_1$)
5. 19वीं शताब्दी के भारत के समाजसुधारक के रूप में राजा राममोहन राय का योगदान बताइये। (AS$_1$)
6. अंग्रेजी शिक्षा को बढावा देने में सर सैय्यद अहमद खान की प्रमुख चिंता क्या थी?(AS$_1$)
7. विभिन्न नेताओं का विभिन्न रूप से 'अछूत' जाति को सभी प्रकार से समानता दिलाने में सोच थी। नेता जैसे फूले, भाग्य रेड्डी वर्मा, नारायण गुरु, अम्बेडकर और गाँधीजी के सोचों कि तालिका बनाकर अपने सुझाव दीजिए। (AS$_3$)
8. आज जातिवाद बहुत बड़ा विवादास्पद मुद्दा क्यों बन गया है ? आप का क्या मानना है कि औपनिवेशक समय में सबसे महत्वपूर्ण जाति विरोधी आंदोलन कौन-सा था ? (AS$_4$)
9. मंदिर प्रवेश आंदोलन द्वारा अम्बेडकर क्या हासिल करना चाहते थे ? (AS$_1$)
10. भारतीय समाज से सामाजिक दोषों को मुक्त कराने के लिए कौन से समाज सुधार आंदोलन थे? वर्तमान में सामाजिक बुराइयाँ क्या है? इनका सामना करने के लिए कौन-से सुधार आंदोलन की आवश्यकता है? (AS$_4$)
11. कन्या शिक्षा की आवश्यकता पर करपत्र बनाइए। (AS$_6$)
12. समाज सुधारकों के आपको कौन-से गुण पसंद आये? क्यों ? (AS$_6$)

अध्याय 20

धर्म निरपेक्षता की समझ

कल्पना कीजिए आप एक हिन्दु या मुसलमान है और संयुक्त राज्य अमेरिका के हिस्से में जीने के लिए जानत है जहाँ ईसाई कट्टरवाद बहुत शक्तिशाली है। अमेरिकी नागरिक होने पर भी कोई आप को रहने के लिए घर किराए पर देने को तैयार नहीं है। ये व्यवहार तुम्हें कैसा लगता होगा? इससे आपको आक्रोश महसूस नहीं होता? आपने इस भेदभाव के विरुद्ध शिकायत करने का फैसला किया और भारत वापस जाने के लिए कहा गया तो क्या होगा? इससे आपको क्रोध आएगा? आपका क्रोध दो रूप ले सकता है? सबसे पहले आप की प्रतिक्रीया हो सकती है ईसाईयों के साथ उसी प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए जहाँ हिन्दु एवं मुसलमानों का बुहमन है। यह प्रतिशोध का एक रूप है या आप का मानना हो सकता है कि सभी को न्याय मिलना चाहिए। आप चाहेंगे कि उनके धार्मिक विश्वासों और मान्यताओं के आधार पर व्यक्तियों से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यह धारणा इस विचार पर आधारित है कि धार्मिक वर्चस्व के सभी रूपों को समाप्त करना चाहिए। यह धर्मनिरपेक्षता का सार है। इस अध्याय में आप भारतीय संदर्भ में इसका क्या मतलब है के बारे में अधिक पढेंगे ।

- इस अध्याय के परिचय को पुनः पढिये आपको क्या लगता है कि प्रतिशोध इस समस्या की उचित प्रतिक्रिया नही है? क्या होगा अगर अलग-अलग समूह इस मार्ग का पालन करेंगे?

इतिहास में धर्म के आधार पर भेदभाव, बहिष्कार और उत्पीड़न के कई उदाहरण मिलते है। आपने पढा होगा कैसे हिटलर की जर्मनी में यहूदियों का सताया गया था और कैसे कई लाख यहूदी मारे गए। अब यहूदी राज्य इजराईल अपने स्वंय के मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यकों से काफी बुरी तरह से व्यवहार करता है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों के लिए एक मंदिर, चर्च आदि के निर्माण की अनुमति नहीं है और न ही वे प्रार्थना के लिए एक सार्वजनिक स्थान इकट्ठा हो सकते हैं ।

ऊपर के उदाहरणों में एक धार्मिक समुदाय के सदस्य अन्य धार्मिक समुदायों के सदस्यों को सताते है या उनसे भेदभाव करते है। भेदभाव के ये कृत्य और अधिक आसान हो जाते हो जब एक धर्म को अन्य धर्मों की कीमत पर राज य द्वारा सरकारी मान्यता दी जाती है। निःसंदेह कोई भी उनके धर्म की वजह से भेदभाव नहीं चाहता है और न ही किसी अन्य धर्म का प्रभूत्व चाहता है। क्या भारत में सरकार धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकती है।

धर्म निरपेक्षता क्या है?

पिछले अध्याय मे आपने पढा कि भारतीय संविधान में सम्मिलित मौलिक अधिकार किस तरह से बहुमत के अत्याचार और साथ ही राज्य सत्ता से हमारी सुरक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार अपने धार्मिक विश्वासों तथा मान्यताओं को मानते हुए जीने की स्वतंत्रता देता है। सभी के लिए धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारत ने धर्म और राज्य को प्रथक रखने की नीति अपनाई है। धर्मनिरपेक्षता राज्य में धर्म के इस अलगाव को दर्शाता है।

राज्य का धर्म से अलगाव क्यों महत्वपूर्ण है?

जैसा कि ऊपर चर्चा की, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू धर्म को राज्य सत्ता से पृथक रखना है। यह किसी भी देश को लोकतांत्रित ढंग से कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण है। दुनिया के लगभग सभी देशों में एक से अधिक धार्मिक समूह रहते हैं । इन धार्मिक समूहों में एक समूह के बहुमत में होने की संभावना है। यदि इस बहुमत वाले धार्मिक समूह की राज्य सत्ता में पहुँच है तो यह समूह काफी आसानी से इस शक्ति और वित्तीय संसाधनों का उपयोग अन्य धर्मों के लोगों के सताने और उनसे भेदभाव रखनें में कर सकता है। बहुमत का यह अत्याचार भेदभाव, बलपूर्वक अधीनता और कभी धार्मिक अल्पसंख्यकों की हत्या का कारण बन सकता है। बहुमत समूह काफी आसानी से अल्पसंख्यकों को उनके धर्मों को मानने से रोक सकता है। धर्म का किसी भी प्रकार में वर्चस्व उन अधिकारों का उल्लंघन करता है जो एक लोकतांत्रिक समाज के प्रत्येक नागरिक को उसके धर्म का विचार किये बिना सुनिश्चित है। इसलिए बहुमत के अत्याचार और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है जो एक लोकतांत्रिक समाज के प्रत्येक नागरिक को उसके धर्म का विचार किये बिना सुनिश्चित है। इसलिए बहुमत के अत्याचार और मौलिक ह्लअधिकारों का उल्लंघन जो हो सकते हैं एक महत्वपूर्ण कारण है कि लोकतांत्रिक समाज में राज्य और धर्म को अलग रखना चाहिए।

धर्म को राज्य (राजनीति) से अलग रखने का एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम प्रजातांत्रिक समाज में रहते हैं जहाँ हमें मनुष्यों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करते है। व्यक्ति चाहे तो किसी भी धर्म को अपना सकता है या किसी अन्य धर्म की धार्मिक मान्यताओं की व्याख्या कर सकता है। इस विचार को अच्छी तरह समझने के लिए छुआछूत की प्रथा का उदाहरण उचित है।

- कक्षा में चर्चा कीजिए- क्या एक ही धर्म के प्रति कई विचार हो सकते हैं ।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है?

भारतीय संविधान यह घोषित करता है कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। संविधान के अनुसार केवल एक धर्म निरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों के प्रति आश्वस्त कर सकता है जैसे -

1. एक धार्मिक समुदाय को दूसरे धार्मिक समुदाय में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
2. एक ही धार्मिक समुदाय के कुछ लोगों को अपने धार्मिक समुदाय के कुछ लोगों को अपने धर्म के मामले में अन्य सदस्यों पर दबाव नहीं डालना चाहिए।
3. राज्य के द्वारा किसी भी धर्म को अपनाने के लिए बाध्य नही करना चाहिए और न ही धार्मिक स्वतंत्रता को छीनना चाहिए।

भारतीय राज्य धार्मिक वर्चस्व से बचने के लिए कई प्रकार के प्रयास कर सकता है। जैसे सबसे प्रथम एक ऐसी नीति अपनानी चाहिए और धर्म को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए।। भारतीय राज्य को किसी भी धार्मिक समुदाय को शासन का अधिकार नहीं दे सकता है और न ही किसी भी धर्म का समर्थन करना चाहिए। इसे रोकने के लिए कई प्रबंध किये जा सकते हैं। जैसे न्यायालय, पुलिस स्टेशन, सरकारी स्कूल और सरकारी कार्यालयों द्वारा ने ता धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए और न ही इसके विकास में में अपना योगदान देना चाहिए।

उपर्युक्त दबावों को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षवाद के द्वारा अपनाया गया दूसरा तरीका निरहस्तक्षेप की रणनीति है। इसका यह अर्थ है कि सभी धर्मों की भावनाओं का आदार करने और धर्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप न करने के लिए, राज्य विशेष धार्मिक समुदायों के लिए कुछ अपवाद बनायें।

धर्मनिरपेक्षतावाद को प्रोत्साहित करने का तीसरा धर्म आधारित निषेधों को परिवर्तित करने और निम्न जाति के भेदभावों पर रोक के लिए भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगा दिया। इस मामले में, भेदभाव और निषेधों में विश्वास करने वाली सामाजिक प्रथाओं को समाप्त करने के लिए राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है। ये सामिजक प्रथाएँ 'निम्न जातियों' के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है जो इस देश के नागरिक है।

राज्य सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करके भी हस्तक्षेप कर सकती है। भारतीय संविधान, धार्मिक समुदायों के लिए सहायता प्रदान करता है तथा सरकार बिना किसी वरीयता क्रम के आधार पर आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है।

- आपने यह देखा होगा कि भारत को धर्म निरपेक्षता अन्य प्रजातांत्रिक देशों से भिन्न है।

कुछ उद्देश्य ऐसे भी है जो कि विश्व के अन्य देशों के प्रजातांत्रित धर्म निरपेक्ष संविधानों में एक समान है। जैसे उदाहरण के लिए अमेरिका के संविधान का प्रथम संशोधन अमेरिकी व्यवस्थापापिका को ऐसे कानून बनाये जाने से रोकता है जो किसी भी धर्म की स्थापना का सम्मान करते हैं। धर्म की स्थापना का यह अर्थ है कि व्यवस्थापिका किसी धर्म का राज्य का धर्म घोषित नहीं कर सकती है और न ही किसी भी धर्म श्रेष्ठता प्रदान कर सकती है।

अमेरिका में सरकारी स्कूल के विद्यार्थी अपने स्कूल प्रतिदिन निष्ठा की शपथ लेते थे।इस शपथ में ईश्वर को साक्षी मानते हुए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 60 वर्षों पूर्व अमेरिका के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी के लिए शपथ लेना अनिवार्य नही था, अगर इससे उनके धार्मिक विश्वासों में अर्न्तविरोध उत्पन्न होता है । इसके बावजूद ईश्वर को साक्षी मानने के शब्द को अनुचित ठहराते हुए कई बार वैधानिक चुनौती प्रदान की गई है। यह आरोप लगाया जाता है कि इस शब्द से चर्च और राज्य का पृथक्करण का विरोध होता है इसलिए अमेरिकी संविधान का प्रथम संशोधन इसकी सुरक्षा प्रदान करता है।

The above photo shows students taking the 'Pledge of Allegiance' in a government school in the U.S.A.

भारत की धर्मनिरपेक्षता और संयुक्त राज्य अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता अलग है, जिसका पालन अमेरिका में किया जा रहा है। यह इसलिए भी संभव हो सका है क्योंकि वहा पर धर्म और राजनीति का कठोर पृथक्करण अपनाया गया है। जबकि भारती राज्य में राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। यह इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान ने छुआछूत की प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। यद्यपि भारत में राज्य तथा धर्म में कठोर पृथक्करण नही लेकिन धर्म और राजनीति के बीच स्पष्ट अंतर को बनाये रखा है। इसका यह अर्थ है कि राज्य का धर्म में हस्तक्षेप किया जाना संविधान के आर्देशों पर आधारित है। इस आधार पर हम यह समझ सकते हैं कि भारतीय राज्य धर्म निरपेक्षता के सिद्धांतों केअनुसार कार्य कर रहे है अथवा नहीं।

भारतीय संविधान अपने आप में धर्म निरपेक्ष तथा कई तरीको से धार्मिक वर्चस्व को सुरक्षित रखने का कार्यकर रहा है। भारतीय संविधान में दिये गया मौलिक अधिकार जो नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं वे भी धर्म निरपेक्षता सिद्धांतों पर आधारित है। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय समाज में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। यदि इनका उल्लंघन लगातार किया जाता है तो संविधान के द्वारा कई प्रकार के उपाय है जिनके उपयोग से इन्हें रोका जा सकता है। यदि हमे इस प्रकार के अधिकारों के उल्लंघन की घटनाएँ देखने को मिलती है तो इनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अवश्य की जानी चाहिए।

- क्या आप वर्तमान समय की घटित हुई ऐसी घटना के विषय मे जानते हैं (भारत या किसी भाग में) जहाँ पर संविधान के धर्म निरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है तथा इसमें लोगों को धार्मिक आधार पर मारा गया हो।

सन् 2004 फरवरी में फ्रांस ने छात्रों पर किसी भी विशिष्ट धार्मिक या राजनैतिक संकेत ये पतीको जैसे इस्लामी या राजनैतिक संकेत या प्रतीको जैसे, इस्लामी स्कार्फ, यहूदी स्कल केप या बड़े क्रिश्चियन क्रासों को पहनने पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। इस कानून का प्रतिरोध मुख्य रूप से अप्रवासीय जो पूर्व फ्रेंच कालोनियों अलजीरिया, ट्यूनीशिया और मोखको वासियों ने किया। 1960 में फ्राँस में श्रमिकों की कमी ने अप्रवासियों को विरजा की उपलब्धि करवाकर काम करने अपने देश को आमंत्रित किया। स्कूल जाति समय अक्सर अप्रवासियों की बेटियाँ, सिर को स्कार्फ से ढकती है। फिर भी इस नए कानून के पारित होने से उन्हें सिर के स्कार्फ पहनने के लिए स्कूल से निकाल दिया गया।

मुख्य शब्द

1. मौलिक अधिकार
2. प्रजातंत्र
3. उत्पीड़न
4. व्यक्तिगत कानून

सीखने में सुधार

1. ऐसे सभी धार्मिक आयोजनों की सूची बनाइए जो आपके पड़ोस में होते रहते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं, देवी देवताओं की पूजा, पवित्र स्थान, धार्मिक संगीत और गानों को सम्मिलित किया जा सकता है, क्या ये धार्मिक कार्यों में धार्मिक स्वतंत्रता को व्यक्त करते हैं? (AS_3)
2. यदि कोई धार्मिक समुदाय यह कहता है कि शिशु हत्या करने के लिए उनका धर्म इजाजत देता है और ऐसे समय में सरकार हस्तक्षेप करती है। इसके लिए आप क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे? अपने उत्तर को कारणों सहित समझाइए । (AS_1)
3. एक समान धर्म के लोगों के विचारों को जानने का प्रयास कीजिए। (AS_1)
4. भारतीय राज्य जहाँ एक तरफ धर्म और राजनीति को अलग रखता है वही दूसरी तरफ धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। आपकी दृष्टि में क्या ये दोनों विचार भ्रम उत्पन्न नहीं कर रहे है? इसके विषय में अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए तथा अध्याय में दिये गये उदाहरणों का प्रयोग अपने उत्तर की पुष्टि के लिए कीजिए। (AS_1)
5. धर्म निरपेक्षता क्या है ? इस शीर्षक के अंतर्गत एक निश्चित भाग को पढिए और अपना तर्क प्रस्तुत कीजिए। (AS_2)

अध्याय 21

आधुनिक युग की अभिनय कला व कलाकार

- ऊपर दी गई कलाओं के चित्रों में से कितनी कलाओं को आप पहचान सकते हो? प्रत्येक चित्र के नीचे उसका नाम लिखों।
- क्या आपने कभी इनमें से किसी कला का प्रदर्शन अपने गांव में देखा है? कक्षा में अपने अनुभव का विवरण दो।

प्रस्तुत पाठ में हम बीसवीं सदी को कलाकारों के बारे में पढ़ेंगे। अभिनय कलाकार वे होते हैं जो नृत्य, गायन तथा नाटक इत्यादि की प्रस्तुती करते हैं। वे चित्रकार शिल्पकार तथा लेखकों से अलग होते हैं क्योंकि उनके कार्य को सुरक्षित करके नहीं रखा जा सकता है उन्हें हमेशा नया प्रदर्शन करना पड़ता है।

बहुत सी लोक कलाएँ स्वयं लोगों द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं। देहाती एवं जनजातियों की स्त्रियाँ अपने खाली समय में तथा त्योहारों पर गाती हैं और नृत्य करती हैं। चुट्टुकामुड्डु तेलंगाना क्षेत्र की एक ऐसी ही कला है जो उनकी दिनचर्या का अंग है उनके काम के गीतों को ही नृत्य गीतों के रूप में ढाल लिया गया है। सामान्यत: चुट्टुकामुड्डु चांदनी रात में स्त्रियों द्वारा तालियाँ बजाते हुए नृत्य व गीत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसी प्रकार गांव की युवतियाँ पेड़ो पर झूला डालकर पाटलु अर्थात झूले के गीत गाती है जिनमें मां महालक्ष्मी तथा गौरी की धार्मिक कक्षाओं का चित्रण होता है। कुछ विशेष व्यक्तियों द्वारा अन्य कई कलाएं प्रस्तुत की जाती है।

- अपने माता-पिता व दाद -दादी से अपने उन पारिवारिक गीतों व नृत्य के बारे में जानकारी लो जो विशेष अवसरों पर प्रस्तुत किए जाते है। एक तालिका बनाकर उसमें विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले गीतो के उदाहरण दो। क्या आजकल इन प्रस्तुत कलाओं में कोई परिवर्तन हुआ है? अपना निष्कर्ष कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को भी बताओं।
- अगर आप में से किसी को इन गीतों या नृत्य की जानकारी हो तो उन्हे कक्षा में प्रस्तुत करो।

विभिन्न प्रकार के नृत्य

यक्षगानम् :

यक्षगानम् या जक्कुला भागवतम् या वीधि भागवतम् तेलुगु की एक प्रसिद्ध लोक कला है। कलाकारों के तालपूर्वक नृत्य के कारण इसे “चिन्दु भागवतम्” भी कहा जाता है। पंडिताराध्य चरित्र और बासव पुराणण के अनुसार तेरहवीं शताब्दी से इसे प्रसिद्धी मिली। इस रंगमच का आयोजन सार्वजनिक स्थानों में किया जाता है। प्रारंभकाल में एक ही पात्र द्वारा विभिन्न पात्रों का अभिनय नाचते हुए गाकर किया जाता था। वर्तमान समय में हर पात्र के लिए भिन्न-भिन्न कलाकार होते हैं। उनके अभिनय की महत्ता नहीं अपितु उनके कथावाचन की महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं। यह गीत, बातचीत एवं कविताओं का मिश्रण है। रंगमंच कलाकारों के साथ तबला, हारमोनियम और गायन समूह होता है। पात्राभिनय एवं उसके महत्व अनुसार कलाकार हाथों एवं पैरों को हिलाकर भिन्न भाव प्रदर्शित करता है। रंगमंच पर विभिन्न कलाकारों द्वारा निभाई गई भूमिका की पहचान, उनकी वेशभूषा, सामग्री एवं हथियारों से की जाती हैं। हर कहानी में भिन्न पात्राभिनय होता है जैसे देवता, राजा, मंत्री, सिपाही, ब्राह्मण, किसान, साधारण मनुष्य, जोकर आदि।

कुछ सुनाई गई कहानियाँ है - सुग्रीव विजय, बाल नागम्मा कथा, रंभा रामपाला, चित्रागंद का विलास और कृष्णार्जुन युद्ध। चिन्दोलु जाति के लोग परम्परागत रूप में इसका प्रदर्शन करते है। वर्तमान समय में अधिक लोग, किसी भी जाति के क्यों न हो आगे बढ़कर इस कला के प्रदर्शन को सीख रहे हैं।

गुसाड़ी :

आदिलबाद की राज गोंड जनजाति के व्यक्ति दीपावली बहुत धूमधाम से मनाते हैं। वे हिरण के सींगो और रंग बिरगें मोरपंखों से स्वयं को सजाते हैं। वे डप्पू तुडुमु, विपरि तथा कालिकोम जैसे वाद्य-यंत्र भी साथ रखते हैं।

सदिर नाट्यम:

यह ऐसा एकल नृत्य है जो सदियों से दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु के मंदिरों एवं राजदरबारों में देवेदासियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता था।

लम्बाड़ी :

लम्वाड़ी तेलंगाणा की अर्ध-बंजारा जनजाति है जिसके नृत्य रोजभार कार्यों जैसे कटाई, बुनाई व रोपाई से संबंधित गतिविधियों पर आधारित हैं। इनकी सुन्दर पोशाकें कांच के मोतियों व चमकते शीशों से युक्त होती हैं। जब ये लोग दशहरा, दीपावली और होली जैसे त्योहारों पर प्रदर्शन करते हैं तो लोग उन्हें पैसे देते है।

कुरवंजी :

यह स्त्रियों का सामूहिक नृत्य है जिसे विशेष रूप से काव्यात्मक रूप में समझाया जाता है इसकी विषय वस्तु एक युवती के अपने प्रियतम के प्रति प्रेम पर आधरित होती है।

कुचिपुड़ि :

आंध्र-प्रदेश के कुचपिड़ि गांव का सामूहिक नृत्य जिसमें सभी भूमिकाएँ पुरूषों द्वारा अभिनीत की जाती है, इसकी कथावस्तु पौराणिक होती है।

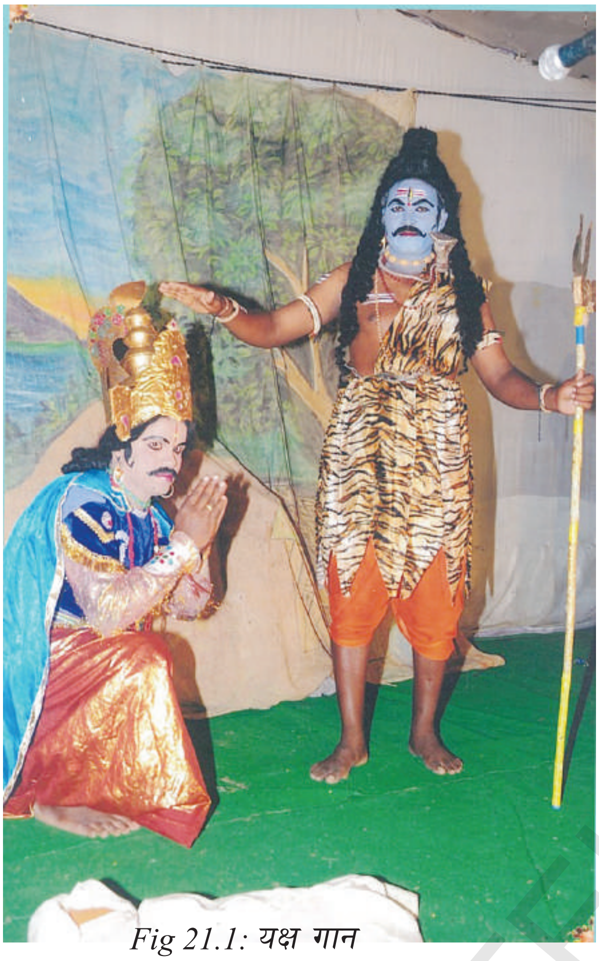

Fig 21.1: यक्ष गान

बहुत समय से, नर्तक, कथावाचक, गायक नाटक अभिनेता इत्यादि ने न केवल लोगों का मनोरंजन किया और सौंदर्यानुभूति प्रदान की। वे अध्यात्मिक संदेश भी देते थे और समाज में व्याप्त बुराइें की निंदा का उसे बचने का मार्ग भी बताया। कलाकार मुख्य सामाजिक विषयों के बारे में लोगों को संघटित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फकीर के गाने, बैरागी के गाने, दंडगान व लटकोरुसाब इत्यादि ऐसे गीत है जो विचरने वाले फकीर और बैरागियों द्वारा गाये जाते थे। ये गीत तेलुगु, दक्खिनी उर्दू तथा मिश्रित भाषा में होते थे।

अन्य कला जैसे बुर्राकथा एवं गोल्ला-सुदुलु के लिए बड़ी मंडली की आवश्यकता होती थी कहा जाता है कि प्रारम्भ से ही कलाएँ भिन्न स्थान के प्रवासी गडरियों द्वारा प्रारम्भ की गई, जिनमें से कुछ वीर शैव नामक धार्मिक समूह से जुड़े थे।

- क्या आपने इन विचरण करने वाले कलाकारों का ऐसा कोई प्रदर्शन देखा है? अपने साथी छात्रों को उनके बारे में बताए कि वे कौन थे, उन्होंने कौन सा गीत गाया तथा दर्शकों ने क्या प्रतिक्रिया दी ?
- यदि आपके आस-पास कोई ऐसे कलाकार रहते है तो उनसे मिलकर उनकी जीवन शैली एवं कला के बारे में जानकारी लें।

अभिनय कलाकार अपनी जीविका कैसे कमाते थे कई कलाकार एक स्थान से दूसरे स्थान को जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करते थे, उन्हें गाँव के मुखिया, जमींदार एवं ग्रामीणों से संरक्षण मिलता था। वे उनसे अनाज भी लेते थे। उन्हें ग्रामीणों द्वारा बहुत आदर प्राप्त होता था। मंदिर के उत्सवों और गांव के वार्षिक समारोहों में मनोरंजन करने हेतु उन्हें निमंत्रित किया जाता था। वे उनके अभिन्न अंग थे। ग्रामीणों का यह विश्वास था कि वर्षा का आगमन और दुष्ट शक्तियों को भगाने में ये लोग सहायक हैं। इसलिए इनके प्रदर्शनों का विशेष आयोजन भी किया जाता था।

इनमें से कई कलाकार भ्रमण नहीं करते थे बल्कि सम्राटों, राजाओं या जमींदारों के संरक्षण में

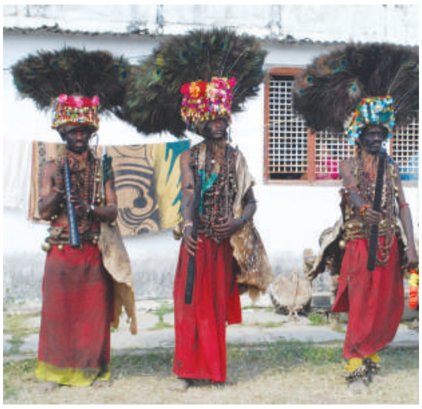

Fig 21.2: Gusadi Dance

रहते थे। वे अपना अधिकांश समय दरबार एवं महलों के संरक्षकों को शिक्षा देने में व्यतीत करते थे।

सर्व प्रथम हम बुर्राकथा एवं तोलुबोम्मलाटा के कलाकारों के बारे में पढ़ेंगे।

बुर्रा कथा

बुर्राकथा तेलुगु की कथावाचन कला है। बुर्राकथा की उत्पत्ति 12 वीं और 13 वीं शती के वीरशैव आंदोलन से संबद्ध है।

बुर्रा शब्द तार वाले वाद्य तंबूरा से संबंधित है जिसे मुख्य कलाकार अपने सीधे कंधे पर पहनता है। साधारणतः यह कला एक विशेष जाति परिवार के दो या तीन लोगों द्वारा प्रस्तुत की जाती है जैसे पिच्छुगुण्टला या जंगालु। इस कला में कथावाचन में कथावाचक तंबूरा बजाकर घुंघरू पहनकर नाचते हुए कथा सुनाता है। कलाकार सीधे हाथ के अंगूठे में अंगूठी और हथेली में एक मंजीरा पकड़े रहते हैं जिससे वे गीत को ताल देते रहते हैं। मुख्य कथावाचक का साथ दो या तीन सहयोगी देते हैं जो ढक्की या बुड़िके नामक वाद्य रखते हैं। दाहिनी ओर का वाद्यकार यदि आध्यात्मिक कथा हो तो भी सामाजिक विषयों पर टिप्पणी करते रहता है और बांयी ओर वाला कलाकार हास्य व्यंग्य प्रस्तुत करता है।

विनरा भारत वीर कुमारा, विजयम मनदेरा, “तंदाना ताना” यह बुर्राकथा का प्रचलित टेक है। सायंकाल विभिन्न देवों की स्तुति द्वारा इसका प्रारम्भ होता है। इसके बाद कथावाचक कथा का स्थान, समय व प्रसंग बताता है, जबकि सहयोगी कथा के टेक को दोहराते रहते हैं।

बुर्राकथा अधिकतर दशहरा या संक्राति जैसे त्योहारों पर प्रदर्शित की जाती है। अधिकतर रामायण व महाभारत जैसे पौराणिक कथाओं और राजाओं जैसे कंभोजराजु की कथा, बोब्बली कथा, पलनाटी कथा व काटमराजु कथा इत्यादि की प्रस्तुति होती है।

तेलंगाणा आंदोलन के समय नाजर ने अनेक बुर्राकथाओं का प्रदर्शन किया। तेलंगाणा के कालाकार भी उनके आंदोलन के लिए नई बुर्राकथाओं की रचना करने लगे। जिनमें टी. रामान्जनेय की तेलंगाणा वीरयोद्धालु अदूरी अयोध्या राम की ‘नैजाम विप्लवम’ ‘एस.के.चौधरी की कासिम रज्वी’ तथा ‘एस. सत्यनारायण की कष्टजीवि’ सबसे प्रसिद्ध है। इन बुर्राकथाओं में आंदोलन के लीडरों के साहसिक कार्यों तथा सामाजिक आर्थिक समस्याओं पर ध्यान दिया गया है। उदाहरणार्थ सुंकारा सत्यानारायण की

चित्र 21.3: ***बुर्राकथा कलाकार***

तेलंगाणा जो 1944 में लिखी गई, उसमें शेख बंदगी नामक एक मुस्लिम देहाती की वीरता का चित्रण है जो अपने सामंती जमींदार देशमुख वे अत्याचोरं के विरुद्ध लड़ा था।

आजकल सरकार बुर्राकथा मंडलियों को विभिन्न सामाजिक विषयों जैसे साक्षरता एड्स इत्यादि को जागरूकता फैलाने के लिए संरक्षित कर रही है। टी.वी.पर भी बुर्राकथा का प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन अन्य मनोरंजन के साधनों के आजाने के कारण पारंपरिक बुर्राकथा कलाकार इस कला को त्याग चुके हैं।

तोलुबोम्मलाटा

यह प्रवासी कलाकारों द्वारा दिखाया जाने वाला छाया पुतली का खेल है। यह पुतलियाँ जानवरों के खाल से बनाई जाती है। इनके चमड़े को साफ करके विभिन्न आकारों में काटते हैं। पुतलियों का कद उनकी आयु और पात्र के अनुसार एक से छः फीट तक होता है। रंगबिरंगी प्रतालियों के कंधों, कोहनियो व कूल्हो में जोड़ होते है, सभी का संचालन एक धागे से होता है।

प्रदर्शन

पारंपरिक छाया नाट्य में कथा को काव्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कथावाचक और गायक दर्शकों को दिखाई नहीं देते। अभिनेता पुतलियों को विभिन्न प्रकार के उतार-चढाव के द्वारा कथावाचक अपनी आवाज़ में प्रस्तुत करता है।

प्रदर्शन रात को नौ बजे प्रारम्भ होकर सारी रात चलता है। छाया पुतलियों की मंडली में आठ से बारह कलाकार होते हैं जिनमें स्त्री पात्रों के सैवादो को बोलने व गाने के लिए कम से कम दो स्त्रियाँ होती है दो पुरुष, पुरुष पात्रों के लिए तीन बाध बजाने वाले लोग तथा एक सहायक होता है।

वे खुले मैदान में चार बाँस गाड़कर उस पर एक कपड़ा बांध देते हैं। विवरणकार पर्दे के पीछे होता है और वहाँ बत्तियों की कतारे होती है जो पर्दे पर परछाई डालती है। .

नाटकों की विषयवस्तु

रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों से ली गई कथावस्तु में सामाजिक घटनाओं से संबंदित गम्भीर हास्य व व्यंग्य भी रहता है। महाकाव्यों के क्षेत्रीय संस्करण से कथावस्तु ली जाती है। नई कथावस्तु बहुत कम लिखी जाती है कलाकार अचिकांश रूप से घुमक्कड़ मण्डली में होते है जो साल के नौ महीने गाँव-गाँव घूमकर कला का प्रदर्शन करके उसके बदले में रुपये व अनाज पाते हैं।

फिल्म और टी.वी. जैसे सूचना व मनोरंजन के आधुनिक साधनों के आने के कारण लोग अभिनय कला से दूर होते जा रहे हैं। जमींदार और मुखिया भी पहले की तरह कलाकारों को संरक्षण नहीं देते। इसके कारण लोक कलाकारों को जीविकोपार्जन के संकट का सामना

चित्र 21.4: तोलुबोम्मलाटा

करना पड़ रहा है। क्योंकि वे लोग घुमक्कड़ होते है इसलिए आधुनिक शिक्षा का भी उनमें अभाव होता है और वे एक अकुशल मजदूर की तरह छोटे-छोटे काम करते है।

सरकार ने इनमें से कई कलाओं का प्रयोग सरकारी कार्यक्रमों के प्रचार के लिए करना प्रारम्भ किया है। कई परंपरागत मंडलियाँ आजकल स्वच्छता, स्वास्थय, स्त्री-शिक्षा, परिवार -नियोजन और पर्यावरण जैसे विषयों पर नाटक प्रस्तुत कर रही हैं। ऐसे विषय सरकार द्वारा दिए जाते है जो इनका प्रयोजन भी करती है।

तोलुबोम्मलाटा कलाकारों के कई परिवारों ने जीविकोपार्जन के लिए चमड़े के सजावटी कंदील और वाल हैंगिग बनाना प्रारम्भ कर दिया है।

- क्या आपको लगता है कि टी.वी और फिल्मों के बढ़ते हुए प्रचार के इस समय में लोक कला की परंपरा का संरक्षण की आवश्यक है ?
- राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर अब तक कलाकारों की परिस्थिति और उनके प्रदर्शन में क्या परिवर्तन आया है?
- आपको ऐसा क्यों लगता है कि राष्ट्रवादियों और कम्यूनिस्टों ने लोक कला को पुर्नजीवित कर नवीनीकृत करने का प्रयास किया?

भरतनाट्यम का हास और पुनरुत्थान

बहुत से शास्त्रीय नृत्यों की उत्पत्ति भरतमुनि की पुस्तक नाट्यशास्त्र से मानी जाती हैं। फिर भी आज भरतनाट्यम केवल तमिलनाडु के एक विशेष नृत्य को कहा जाता है। हालांकि लगभग सौ वर्षों पहले तक भरतनाट्यम नाम का प्रयोग नहीं होता था।

Mogulaiah Playing Kinnera Instrument

आज का भरतनाट्यम सदिर नाट्यम से उत्पन्न हुआ है। वास्तव में ये नृत्य मंदिरों में देवदासियों द्वारा पूजा के रूप में समर्पित किया जाता था।

जिसका अर्थ ईश्वर की दासी होता है मंदिर की सेवा को समर्पित होती थी। उसका नृत्य मंदिर के संस्कारों व भक्ति को समर्पित होता था। छोटी लड़कियाँ अपने माता-पिता द्वारा भगवान के चढ़ावे के रूप में मंदिर को समर्पित कर दी जाती थे। उनका विवाह नहीं होता था और मंदिर के पुजारियों तथा प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा शोषित की जाती थीं। उनकी संताने भी उन्हीं की तरह जीवन बिताती थीं। देवदासी परिवारों को गायन व नृत्य में निपुणता प्राप्त होती थी। उनके पुत्र जिन्हें नट्टुवानर कहते है जो नृत्य में कुशल होते थे, उनके द्वारा कई पीढ़ियों तक इस परम्परा का निर्वाह हुआ।

मुम्बई और मद्रास में 1934 और 1947 के बीच देवदासी प्रथा की समाप्ति के लिए एक कानून बनाया गया। भाग्य रेड्डी वर्मा ने हैदराबाद में इस प्रथा के विरूद्ध अभियान को प्रारम्भ किया और निजाम को इस प्रथा के उन्मूलन के लिए समझाया।

- एक छोटी देवदासी लड़की की कल्पना करें जो देवदासी बनकर नहीं जीना चाहती।

एक काल्पनिक पत्र में जो उसके द्वारा अपना सहेली को लिखा गया हो, उसकी भावनाओं का चित्रण करें।

पुनरूत्थान

ई. कृष्ण अय्यर एक स्वतंत्रता सेनानी व एक वकील थे जिन्होंने भरतनाट्यम भी सीखा था। वे सि कला पर लगे दाग को मिटाने के लिए और लोगों में इसके प्रति रुचि जगाने के लिए नारी वेशभूषा में अभिनय किया करते थे। चेन्नई की संगीत अकादमी की स्थापना में इनका सहयोग था, इन्होंने इसका प्रयोग देवदासियों द्वारा भरतनाट्यम के प्रदर्शन के लिए किया।

आजकल भरतनाट्यम सम्मानजनिक परिवारों के बच्चों को आकर्षित कर रहा है। उनके सहयोग ने जनता की विचारधारा को कला के पुनरुत्थान की तरफ मोड़ दिया। इसी समय पश्चिमी कलाकार जैसे बैलेरिना अन्ना पावलोगवा भारत की कलात्मक विरासत में रुचि ले रही थी, जबकि भारत की आध्यात्मिक विरासत ब्रहमविद्या आंदोलन को अन्य पश्चिमी लोगों ने बढ़ावा दिया।

चित्र 21.5: "इंडियन नॉच" टाइम्स का एक चित्र 1858.

रुक्मिणी देवी ने अन्ना पाषलोवा के शिष्यत्व में बैलेड (नृत्य नाटक) की शिक्षा ली , पर पावलोवा ने रुक्मिणी देवी को भारतीय शास्त्रीय नृत्य सीखने की सलाह दी। बह्यविधावदी परिवार में पली बढी रुक्मिणी देवी की अनूठी पृष्ठ भूमि में उन्हें प्रचलित भरतनाट्यम को सुधारने में मदद दी।

चित्र 21.6: रुक्मिनी देवी

देवदासियों का एक संगठन भरतनाट्यम को पुनर्जीवित करने के प्रयत्न में जुट गया। शिक्षक के रूप में अपने खेमे में रुक्मिणी की अलावा बंगलूर नागरत्नम्मा और पौराणिक नर्तकी बालसरस्वती जैसे कलाकार भी शामिल थे। उन्होंने इस परंपरा को बनाए रखने व उसे देवदासियों के हाथ में ही रहने देने के लिए समर्थन किया। उनका कहना था कि अगर यह कला देवदासी समुदाय से किसी अन्य के हाथ चली जाएगी तो नष्ट हो जाएगी। जबकि कुछ शिक्षित लोगों का तर्क था कि इस कला को बचाना है तो इसे सम्माननीय

हाथों को सौंप देना चाहिए। अन्त में दोनों समुदायों ने नृत्य को जारी रखा। आखिरकार देवदासी और नट्टूवनरस ने दूसरी जातियों के नर्तको को प्रशिक्षण दिया।

रूक्मिणी देवी का पहला प्रदर्शन 1935 में हुआ जो मील का पत्थर साबित हुआ। मद्रास के दाकियानूसी समुदाय को इनके प्रयासों ने जीत लिया। उन्होंने वेशभूषा, मंच-समायोजन रंग पटल, संगीत-संगत और विषमनस्व में बदलाव लाकर इस धारणा को बदल दिया कि भरतनाट्यम् अश्लील था। उन्होंने कलाक्षेत्र संस्था की स्थापना की जिसके द्वारा उन्होंने कई महान कलाकारों को संगीतकारों को आकर्षित किया और जिनकी मदद से कई पीढ़ियों तक उन्होंने प्ररिक्षण दिया। कलाक्षेत्र ऐसी आधुनिक संस्था है। जो कलाकारों को प्रशिक्षण देती है प्रदर्शन का आयोजन करती है और डिग्री और सर्टिफिकेट कोर्स देकर कक्षाएं लेती है वहाँ कोई भी व्यक्ति नृत्य सीख सकता है।

बालसरस्वती ने देवदासियों की परंपरागत कला का विकास किया। देवदासी वंश के प्रति निष्ठावान रहते हुए अपने श्रेष्ठता के कारण उसे बहुत प्रसिद्धी मिली।

भारतीय समाज में भरतनाट्यम के बारे में बदलती हुई विचार धारा के कारण कई नट्टवनर अपने शिक्षण को बनाए रख सके। पंडनल्लूर, वाजुवूर और तंजाउर जैसी विभिन्न नृत्य शैलियाँ प्रसिद्ध हुई। भरतनाट्यम सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रचलित शास्त्रीय नृत्य बन गया।

- नृत्य का अन्य जातियों द्वारा अपनाया जाना इसके पुर्नरुत्थान के लिए क्यों आवश्यक था?
- नृत्य को सम्माननीय बनाने के लिए उन्होंने कौन से परिवर्तन किये होंगे?
- एक ओर पारंपरिक संरक्षकों को नृत्य करने से रोकना व दूसरी ओर दूसरी जातियों द्वारा नृत्य को अपना लेना, क्या आपको लगता है इस विकास में कुछ अन्याय हुआ है?

चित्र 21.7: ***बालसरस्वती***

आज भरतनाट्यम्

पुनरुत्थान के बाद के दशकों में भरतनाट्यम् ने 20वीं शती के अन्त तक इतना सम्मान प्राप्त कर लिया कि नृत्य सीखने की मांग बहुत बढ़ गई, स्तर को बनाए रखने व कला को विकसित करने के लिए इसमें परिवर्तन किया गया। आज दर्शकों से भी अधिक सीखने वालों की संख्या बढ़ी है जो भरतनाट्यम् को फैलाने में सहायक है।

नट्टवनरस के बजाए नर्तक इस कला के संरक्षक बन गए। नट्टूवनरों की जिस

पीढ़ी ने पुनरुत्थान के समय नर्तकों को प्रशिक्षण दिया था वह अन्तिम पीढ़ी थी। महत्वाकांक्षी नर्तकों की कमी के कारण नट्टूवनरस ही एक मात्र प्रशिक्षक नहीं रह गये। कलाक्षेत्र जैसी संस्था में अनुभवी नर्तको को नई संस्था में अनुभवी नर्तकों को नई पीढ़ी किया गया। परन्तु आजकल अधिकांश लोग व्यक्तिगत रूप में नृत्य की शिक्षा लेते हैं। नट्टूवनर का स्थान विशेष शिक्षण के बाद अन्य नर्तकों व संगीतज्ञों ने ले लिया।

खर्च को कम करने के लिए बहुत से व्यक्तियों को रिकार्ड किए हुए संगीत पर नृत्य करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आजकल वर्तक केवल नृत्य के बल पर जीविका नहीं चला सकते। भरतनाट्यम् आजकल दूसरे दरजे का व्यवसाय बन गया है। बहुत कम कलाकार अपने जीवन को इस नृत्य का प्ररिक्षण देने व इसका विकास करने के लिए समर्पित कर सकते हैं। धनार्जन के लिए बहुत से कलाकार अपने कैरियर के प्रारम्भ में ही नृत्य सिखाना प्रारम्भ कर देते हैं, इससे उनेक प्रशिक्षण और नृत्य की उत्कृष्टता पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

अधिक लोगों के प्रशिक्षक बनने और नट्टूवनरस के ना रहने से नृत्य की अटूट वंशावली जिसने नृत्य की एकता को बनाए रखा था वह नष्ट हो गई। प्रशिक्षकों को कमी और बढ़ते हुए नर्तकों के कारण भरतनाट्यम् में अगणित नवीन रचनाएं हो रही हैं।

केवल भरतनाट्यम् में ही नहीं, कथकली, यक्षगान, ओडिसी, मनिपुरी और कत्थक जैसे नृत्य भी इस संघर्ष से गुजरे हैं। उनेक बारे में भी जानकारी लेने का प्रयत्न करें।

- नट्टवानर की विशेष भूमिका क्या थी? अगर उन्हे नर्तको के बदले में रखा जाए तो उससे नृत्य पर क्या प्रभाव पडेगा?
- भरतनाट्यम् की प्रसिद्धी ने किस रूप में इसका सहारा दिया और क्या इसने कुछ समस्याएँ भी उत्पन्न की?

पेरिनी नृत्यम - युद्ध भूमि के प्रस्थान के पूर्व वीरों के प्रोत्साहित करने हेतु भगवान विश्व के पूजन स्वरूप नटराज के मूति के समक्ष यह नृत्य किया जाता था। यह नृत्य उत्साह पूर्वक साँस लेकर केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। इस नृत्य का प्रचलन १३ वीं शताब्दी से प्रचलन में है। पेरिनी नृत्य का विस्तृत वर्णन काकतीय राजा गणपति देव के हाथी सैनिक दल के कर्नल जयपा सेनानी द्वारा लिखा गया है। एक प्रसिद्ध नर्तक रामकृष्ण ने इस नृत्य को अपने शिष्यों द्वारा प्रस्तुत कर चर्चा में लाया और विश्व भर में इसे प्रसिद्धि दिलवाई।

Perini Nrityam

डप्पु नृत्यम् - वाद्य यंत्र डप्पु जिसे बकरी की त्वचा द्वारा बनाया जाता है और लोगों को नचाने हेतु दो बारीक बेतो से बजाया जाता है। उत्सवों एवं शोभा यात्रा (जुलुसो) में पैरों में घुंघरू बाँध कर १५-२० नर्तकों के समूह द्वारा डप्पु को बजाकर नृत्य किया जाता है।

Dappu Natyam

महत्वपूर्ण शब्द

1. झांझ
2. पायल
3. भिक्षा
4. मूक
5. तरंगम
6. नट्टुवानर

ज्ञान में वृद्धि

1. गलत कथन को सही करें- (AS_1)
   a. सभी नृत्य भक्ति से उत्पन्न हुए हैं।
   b. प्राचीन काल में कलाकारों को जमींदारो का सहारा मिलता था।
   c. लोगों को संघटित करने के लिए बुर्राकथा का प्रयोग होता था।
   d. आज भरतनाट्यम् मुख्य रूप से नट्टूवनरस द्वारा सिखाया जाता है।
2. पिछले 50 वर्षो में लोककलाकारों के जीवन में आए परिवर्तनों पर चर्चा करें। (AS_1)
3. लोक कलाओं के घटने से हमारी संस्कृति पर क्या असर पड़ सकता है ? (AS_4)
4. क्या लोक कलाओं को आधुनिक जीवन शैली के अनुकूल बनाकर पुर्वजीवित किया जा सकता है? (AS_4)
5. सादिर के समय से अब तक भरतनाट्यम् में कौन से मुख्य परिवर्तन हुए है? (AS_1)
6. निम्नलिखित में से किसने देवदासी प्रथा का समर्थन किया, किसने विरोध एवं किसने पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया। (AS_1)

   बालसरस्वती, रुक्मिनी देवी, वीरेशलिंगम, भाग्य रेड्डी वर्मा, कृष्णा अय्यर व बैंगलौर नागरत्नम्मा।
7. इस कला को व्यवसाय के रूप में अपनाना क्यों कठिन था ? (AS_1)
8. अपने क्षेत्र के लोक कला एवं नाटकों की सूचना एकत्रित कर एक तालिका बनाइए। (AS_3)

साक्षात्कार :

किसी स्थानीय कलाकार को अपनी कक्षा कक्ष में आमंत्रित कर विभिन्न लोक कलाओं एवं उसके भविष्य, विषय पर साक्षात्कार कीजिए।

अध्याय 22

सिनेमा और प्रिंट मीडिया

- अपने माता-पिता उनके बाल्यकाल में देखे गए नाटकों के बारे में पूछिए ।
- समयानुसार नाटकों में क्या परिवर्तन आया ?

लता गर्मी की छुट्टियों में अपने पितामह के नगर गई। वो अपने पितामह रंगय्या के साथ सब से हाल का सिनेमा देखना चाहती थी। जबकि रंगय्या अस्वस्थ होते हुए भी अपने बचपन के दिनों के बारे में बात कर रहे थे। लता यह जानकर आश्चर्य चकित हुई कि उसके पितामह के बचपन में सिनेमा नहीं था। इस समय नाटक और कलाकार विभिन्न कलारूपों जैसे हरिकथा, बूर्र कथा और कठपुतली (तोलुबोम्मल्लाटा) का प्रदर्शन करते थे। दोनों तरह के नाटक दीर्घ राग युक्त प्रमुख पदों के साथ पद्य नाटक आर गद्य नाटक प्रदर्शित होते थे। सत्य हरिश्चंद्र देखकर आने के अपने अनुभव को रंगय्या ने स्मरण किया। भुवन विजयम कन्याशुल्कम, बोब्बिली युद्धम, वर विक्रयम जैसे दूसरे नाटकों को उन्होंने याद किया। विद्यालय के वार्षिकोत्सव के लिए बनाए गए नाटक में लता अभिनय कर चुकी थी और मंच पर दिया गया प्रदर्शन भी देख चुकी थी और मंच पर दिया गया प्रदर्शन भी देख चुकी थी। लेकिन वह यह जानकर आश्चर्य चकित हुई कि ये सब एक समय में मनोरंजन के साधन थे ।

चित्र- 22.1: कैमरा

प्रोजेक्टर

सिनेमा का जन्म

भारत में सिनेमा के जन्म का श्रेय 7 जूलाई 1896 को मुंबई की वाटसन होटल में लूमियर ब्रदर के प्रथम सार्वजनिक प्रदर्शन को जाता है। 1887 में इग्लैंड के फ्रीस ग्रीन ने कैमरे का अविष्कार किया जो छिद्रित कोशिकीय फिल्म का उपयोग करते हुए एक सेकेंड में दस चित्र निकालने में समर्थ था (चित्र 22.1) 1895 मे वुडविल लाथम ने सिनेमा प्रोजेक्यर का अविष्कार किया जो बिना किसी रूकावट के लंबी फिल्म रील के प्रदर्शन में समर्थ है।

[gZ_m H$m {dH$mg H$_

जबकि नाटक का संगीत के सभी वाद्‌य यंत्रो के साथ जीवंत प्रदर्शन होता था। प्रोद्योगिकी विकास ने सिनेमा की शुटिंग में और एकही समय में विभिन्न स्थलों पर बार-बार के प्रदर्शन मे सहायता की है। तत्पश्चात एक समय सीमा में सिनेमा के चित्र लेना मिश्रण और फूटपाथ का संपादन ने संपूर्णित नए प्रभाव को

उत्पन्न कर सकता है। जार्ज बेरनार्ड शॉ और शेक्सपियर के नाटकों को कैमरा द्वारा दृष्यदर्शी बनाकर सिनेमा के रूप में पर्दे पर प्रदर्शित किया गया। उसी तरह तेलुगू के प्रसिद्ध नाटक जैसे वर विक्रयम, सत्य हरिश्चंद्र, कन्याशुलकम के सिनेमा बनाए गए। सिनेमाओं में मौका पाने के लिए रंगमंच के कलाकारों ने स्टूडियों की ओर कतार लगा दी। नाटकों की प्रसिद्धी ने को फिल्मों भी महत्व प्रदान किया। कुछ भी हो रंगमंच के अभी भी कार्य करने वाले की फिल्म कलाकार प्रसिद्ध हुए जैसे गोल्लपूड़ी मारूती राव, नसीरुद्दीन शाह।

चित्र- 22.2: शेक्सपीयर के नाटक का एक दृश्य

- एक मंचीय नाटक और फिल्म में क्या-क्या अंतर है ? तुलनात्मक सारणी बनाइए ।
- अपने अध्यापक की सहायता से नाटक से फिल्मों तक के आजीविका के अवसरों में बदलाव की चर्चा कीजिए।

लता को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि आरंभ में सिनेमा (मूक) ध्वनि नहीं थी। लाईव संगीतकारों के साथ और कभी-कभी प्रदर्शनकर्ताओं की व्याख्या के साथ प्रदर्शन होता था। बाद में कई तकनीकि उपलब्धियों के बाद सिनेमा में ध्वनि व्यवस्था विकसित हुई वह टाल्कीस (अवाक) कही जाने लगी बातचीत कर सकती थी।

तेलुगू की सर्वप्रथम मूक सिनेमा भीष्म प्रतीज्ञा थे और प्रथम सवाक फिल्म भक्त प्रहलाद जो 1931 में प्रदर्शित हुई इसके निर्माता हेच.एम रेड्डी थे।

- पाँच मिनट का मूक अभिनय और पाँच मिनट का नाटक प्रदर्शन करें। अदाकारी कि तुलना करके उसके उद्देश्य का संदेश दर्शकों को समझाइए।

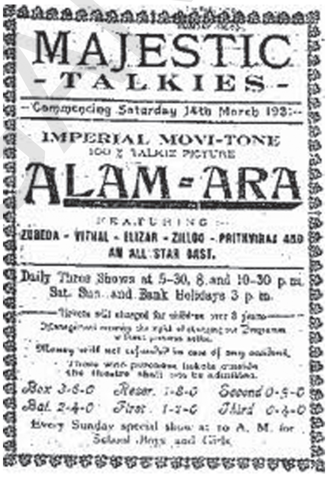
MAJESTIC
-TALKIES-
-Commencing Saturday 14th March 193--
IMPERIAL MOVI-TONE
100 % TALKIE PICTURE
ALAM-ARA
FEATURING :-
ZUBEDA - VITHAL - ELIZAR - ZILLOO - PRITHVIRAJ AND
AN ALL STAR CAST.
Daily Three Shows at 5-30, 8 and 10-30 p.m.
Sat. Sun. and Bank Holidays 3 p.m.
Box 3-6-0 Reser. 1-8-0 Second 0-5-0
Bal. 2-4-0 First 1-2-0 Third 0-4-0
Every Sunday special show at 10 A. M. for
School Boys and Girls.

चित्र- 22.3: आलम आरा को पोस्टर

पहली सवाक फिल्म आलम आरा का प्रदर्शन **1931** में हुआ यह अर्देशर ईरानी द्वारा बनाई गई थी। रघुपत वेंकय्या तेलुगू फिल्म उद्योग के जनक है। वे बंदर में पैदा हुए और फोटोग्राफर के रूप में मद्रास में बसगए। उन्होंने **गैती** नाम से मद्रास में एक फिल्म स्टूडियों का निर्माण किया। सिनेमा स्टूडियों और सिनेमाघरों के मालिक, सिनेमाओ के निर्माता के रूप में उन्होंने तेलुगू फिल्म उद्योग को अपनी अमूल्य सेवाएँ प्रदान की। अतः उस समय की आंध्र प्रदेश सरकार तेलुगू फिल्म उद्योग के लिए योगदान देने वालों को हर साल नंदी पुरस्कार के साथ रघुपति वेंकय्या पुरस्कार देती आ रही है।

रघुपति वेंकय्या

चित्र- 22.4: नंदी पुरस्कार

{gZ_m - _ZmaOZ H$m EH$ _mÜ`_

सिनेमा के आगमन से पूर्व मनोरंजन के अनेक साधन थे जैसे लोक कला, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, संगीत, नाटक आदि। क्रमशः धीरे-धीरे सिनेमा मनोरंजन का प्रमुख साधन बन गया। सिनेमाओं के गीतों की अपने आप में एक प्रसिद्धि है। पहले रेडियो और आज टेलिविज़न सिनेमा के इन गीतो का प्रसारित करता है। अभिनेताओं के कई दर्शक प्रशांसक है एवं प्रशंसक समूहों का घटन होने लगा है। प्रसिद्ध फिल्मी संवाद जीवन का एक अंग बन गए है। आम लोगों द्वारा अभिनेता एवं अभिनेत्रियों के पहनावे और शैलियों की नकल की जा रही है। दूरदर्शन के आविष्कार के पश्चात् सिनेमा देखने के लिए लोगों को सिनेमा घरों की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। दूरदर्शन/टेलिविजन के विभिन्न चैनलों और फिल्म उद्योग से जुडे, फिल्मों, गीतों, समाचार के प्रसारण की समय अवधि का निश्चित समय निर्धारित है।

- तुम्हारे गाँव या नगर में उपलब्ध मनोरंजन के साधनों की सूची बनाईए। आप उनकी लोकप्रियता का निर्धारण कैसे करेंगे। समयानुसार उनमें क्या बदलाव आ रहा है।

{gZ_m Ama ñdV§ÌVm AmXmbZ

रंगय्या देखने में अभी भी उत्तेजित नजर आते हैं जब वो 1938 और 1939 में प्रदर्शित **माला पिल्ला** और **रैतु बिड्डा** फिल्मों के बारे में बात करते है। अस्पृश्यता एवं मंदिरों में दलितों के प्रवेश की फिल्म माला पिल्ला है। उसके एक प्रमुख पात्र गाँधीवादी चौदरय्या ने अग्रवाणों को उपदेश दिया कि वो अपने व्यवहार में सुधार लाए और उन्हें प्रेरित किया कि दलितों को पीने का पानी और शिक्षा दी जाए। पुरोहित का पुत्र दलित कन्या से प्रेम करने लगता है। पुरोहित की पत्नी को जब आग लग जाती है तब एक दलित उसे बचाता है, जब पुरोहित ने इस वास्तविकता को स्वीकार कर लिया कि कोई अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए । दलितों को मंदिर में प्रवेश दिया गया और पुरोहित के पुत्र भी दलित कन्या से विवाह कर आर्शीवाद दिया गया।

रैतु बिड्डा जमींदारी व्यवस्था की जानकारी है, जिसमें मेहनती किसानों की दुर्दशा बताई गई है। एक किसान जो जमींदार से ऋण ले ता है पर चुनावो में किसान दल को मत देता है। इस लिए उस पर अत्याचार किया जाता है और विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती है। जमींदार के पुत्र को उसका अपना सगा भाई अगुवा कर लेता है, जिससे जमींदार के मन में बदलाव आता है। गाँधीवाद संरक्षण की विचारधार में विश्वास करते हुए भूमि जोत ने वालों को भूमि का अधिकार दे दिया।

लता ने रंगय्या से कहा कि उनके पाठशाला में फिल्म **गाँधी** दिखाई गयी। उसने लता से कहा कि 1982 में यह फिल्म रिचर्ड अटेनबोरो द्वारा अंग्रेजी में बनाई गई। अपने जो फिल्म देखी तेलुगू में अनुवादित फिल्म थी। इस फिल्म का हिंदी और अनेक प्रांतीय भाषाओं में भी अनुभव किया गया ।

बाद में स्वतंत्रता आंदोलन पर अनेक फिल्में बनी। तेलुगू में आदिवासी जनता के संघर्ष से जुड़ी। माँ भूमि, कोमरम भीम जैसे फिल्मे चित्रित हुई।

माँ भूमि जिसका निर्देशन नरसिंगा राव ने किया, उसमें तेलंगाणा के किसानों के विद्रोह को चित्रित किया गया। जमींदार के पास 50 हजार एकड़ भूमि थी। फिल्म का मुख्य पात्र रामय्या उस जमींदार का मजदूर था। रामय्या गाँव छोड़ हैदराबाद में बसता है और फैक्टरी में भती हो जाता है। कम्यूनिस्ट नेताओं से बातचीत कर उनसे मित्रता बढ़ाता है। राशिया में विद्रोह आन्दोलन द्वारा आए परिवर्तन की जानकारी हासिल करता है। सामंतवाद के विरुद्ध लडने के लिए वह पून गाँव लौटने का निर्णय करता है। इस सशक्त संघर्ष द्वारा निजाम के शासन का अंत हुआ। हैदराबाद के विलय के पश्चात् भारतीय सेना ने सशक्त संघर्ष का अन्त किया, इसी अवधि में रामय्या का देहान्त हो गया। *बन्डेनाक बड्डी कट्टी और पल्लेटूरी पिल्लगाडा, पशुलागाचे, मोनगाडा* आदि गीत लोगों में प्रसिद्ध

हुए और आज भी प्रसिद्ध है। अभिनेता और अभिनेत्रीयों के प्रशंसकों की भीड़ लगी होती है और कई प्रशांसक समूह हैं। जो अन्य किसी पेश या खेल जगत के खिलाड़ियों के भी न होते हो।

कोमुरम भीम पर भी चलचित्र बनाई गई और वह इसके निर्माण के 20 वर्ष बाद जूलाई 2010 में मुकुदामगरी भूपाल रेड्डी ने प्रधान पात्र की भूमिका निभाई । फिल्म निदेशक अल्लसानि श्रीधर ने प्रथम उत्तम फिल्म निदेशक का पुरस्कार प्राप्त किया। इस फिल्म ने राष्ट्रीय एकता के लिएउत्तम फीचर फिल्म और अनेक राज्य स्तरीय फीचर फिल्म और अनेक राज्य स्तरीय नंदी पुरस्कार भी प्राप्त किए । कोमुरम भीम का संबंध आदिलाबाद के गोंड जनजाति से है। अशिक्षित होते हुए भी निजाम सरकार द्वारा आदिवासियों के शोषण के विरूद्ध उसने संघर्ष किया। उसने न्यायिक एवं सशस्त्र दोनो संघर्षो से लड़ा। निजाम सरकार से लड़ते हुए बाबेझारी स्थान पर 27 अक्टूबर 1940 को कोमुरम भीम मारा गया। इसके अलावा तेलुगु के चलचित्र राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित थे, इसी तरह अनेक देशभक्ति गीत भी बनाए गए।

सहसा, रंगय्या ने 1949 में बनी *मन देशम* सिनेमा का गाना गाया वेडलिपो तेल्ल दोरा वेडलिपो.....) सफेद शासक चले जाओ, चले जाओ)। लता जी ने भले ताता मन बापूजी.....गाया जिसे राष्ट्रीय त्यौहार एवं गांधी जयंती के दिन उनकी पाठशाला में क्रमशः गाया जाता था। अपने पितामह से यह जानकर उसे आश्चर्य हुआ कि यह गीत 1955 में बनी दोंग रामुडु फिल्म गीत है।

- स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कम से कम और दो फिल्मों की सूची बनाईए ।

- तेलुगु फिल्मों से देशभक्ति गीतों इकट्ठा को कीजिए।

g_mO na {gZ_m H$m à^md

जबकि समाज कला और फिल्मों को प्रभावित करता है यह भी सत्य है कि फिल्में समाज को प्रभावित करती हैं। नूतन प्रसिद्ध फिल्मों की केश एवं वेश भूषा शैली का अनुकरण होता है। संभाषण, गाने और व्यवहार शैली भी नकल कर अनुकरण करते हैं।

- दो दल बनाकर प्रशंसक मंडलियों के पक्ष-विपक्ष में(वाद-विवाद) करे ।

फिल्में समाज में व्यक्तियों के धारणाओं और विचारों को प्रभावित कर सकती है। देशभक्ति,भूमि के लिए जन संघर्ष, धैर्यशाली कार्य करने वाले निज जीवन के नायक, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष आदि का चित्रण करते हुए तेलुगू में कई फिल्में हैं।यह सब ऐसा रहने पर भी फिल्मो के कई दुष्प्रभाव भी होते हैं। फिल्मों मे स्त्री को दयनीय स्थिति को दर्शाया जाता है जिससे समाज मे लिंग-भेदभाव को बढावा मिल रहा है। कभी-कभी धूम्रपान एवं मदिरापान के दृश्य भी फिल्मों में चित्रित है जिससे बड़ो और नेताओं की तरह कार्य करने का युवकों के मस्तिष्क पर प्रभावशाली असर हो रहा है। कई फिल्में अश्लील और अधिक हिंसात्मक चित्रित हो रही है। डकैती एवं हिंसा के कार्यो में पकड़े गए किशोरों का कहना है कि उनको यह विचार उस तरह के फिल्में देखने से आया है। बहुत ज्यादा हिंसा के प्रदर्शन के कारण बच्चे हिंसा के विरोधी बन जाते हैं या स्वयं हिंसक बन जाते हैं ।

दूसरी ओर समाज में घटने वाली सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाक्रम पर भी फिल्में बनाई जा रही है। इन्हें दस्तावेजी फिल्म कहा जाता है।

- तुमने जो नयी फिल्म देखी है उसका विश्लेषण करे, कि उस फिल्म का विषय तुम जैसे बच्चों पर क्या प्रभाव डालता है।
- इस महीने में विभिन्न छात्रों द्वारा देखी गई फिल्मों की सूची बनाइए । एक सूची परि हिंसा के लिए ०-5 श्रेणीबद्ध करे जिसमें बिल्कुल हिंसा नही है वह - ५ और जिसमें सबसे ज्यादा हिंसा है वह 0 में दर्शाएं।

{gZ_m- EH$ CÚmJ

तेलुगू फिल्म उद्योग ने डब फिल्मों सहित एक साल में औसतन 200 फिल्मों का निर्माण के कीर्तिमान को दर्ज किया। तेलुगू फिल्म उद्योग प्रारंभ में चेन्नई में स्थित थी । सरकार के प्रोत्साहन के कारण हैदराबाद को स्थानांतरित हुआ। प्रत्येक फिल्म के निर्माण का खर्च लगभग रू. 5 से 50 करोड़ के बीच होता है। राज्य में 2000 से भी ज्यादा सिनेमा घर है। फिल्म उद्योग प्रत्यक्ष रू से निर्माण में और अप्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शन में हजारों लोगों को रोजगार प्रदान करता है।

_ÐU _mÜ`_

इससे पहली कक्षाओं में तुमने महान ग्रंथों के बारे में सीखा। पहले लोग विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ जैसे ताल पत्र, लकड़ी और कपड़े पर लिखते थे। 11 वीं शताब्दी मे कागज के उत्पादन से और 15 वीं शदी के मध्य में गुटेनबर्ग द्वारा छापा यंत्र के अविष्कार से परिस्थिति बदल गई। जबकि पढना और लिखना कुछ वर्गो तक ही सीमित था। सामान्य जनता तक साक्षरता को पहुँचाने में मुद्रण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

DECCAN Chronicle
THE TIMES OF INDIA
THE HINDU

मुद्रण के प्रवेश से विभिन्न प्रकार के पुस्तकें बनाना आसन हो गया था । इनके अतिरिक्त दैनिक समाचार पत्र साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक अंतर से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं की संस्कृति का आरंभ हुआ।

- विभिन्न उद्देश्यों की अनेक पत्रिकाएँ है। तुम्हारे गाँव/नगर में उपलब्ध विभिन्न पुराने पत्रिकाओं के आवरण पृष्ठ इकट्ठा करो और उनका विषयानुसार विभाजन करो।इन पत्रिकाओं के वर्गीकरण का और और दूसरा तरीका है।

प्रिंट मीडिया में दैनिक समाचार पत्र, साप्ताहिक समाचार पत्र, और मासिक पत्रिकाएँ सम्मिलित है। समाचार और ज्ञान उपलब्द कराने में प्रिंट मीडिया का उल्लेखनीय योगदान है। इलेक्ट्रानिक माध्यम के आगमन के बाद भी प्रिंट मीडिया का महत्व कम नहीं हुआ है।

अपने दैनिक जीवन में समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। चीन से प्रकाशित **द पेकिंग गजेट** को अनेक अनुसंधाता प्रथम समाचार पत्र मानते हैं । इसका प्रकाशन सन् 1618 में हुआ था। प्रारंभिक स्तर में यह समाचार पत्र हाथ से लिखा जाता था। बाद में यह मुद्रित होकर वितरित होने लगा। आधुनिक दृष्टिकोण से पहला समाचार पत्र 1655 में आक्सफोर्ड से लंदन में प्रकाशित हुआ। इसका नाम आक्सफोर्ड गजेट था। यू एस ए में पहला समाचार पत्र **पब्लिक अकुरेन्सेस** है जिसकी शुरूआत 1690 में हुई। भारत में पहला समाचार पत्र कलकत्ता से 1780 में प्रकाशित हुआ। इसका नाम **बेंगाल गजट**

था। भारत के दूसरे,तीसरे और चौथे समाचार पत्र इंडियन गजेट **दि कलकत्ता** गजेट बेंगाल जर्नल्स भी कलकत्ता से शुरू हुए । मुटनूरि कृष्णाराव के संपादन में निकलने वाला **कृष्णा पत्रिका** तेलुगू का प्रथम समाचार पत्र था।

प्राद्योगिक क्रांति के कारण प्रिंट मीडिया का आधुनिकीकरण हुआ। बहुत समय तक समाचार पत्रों का उत्पादन हाथ से लिखकर किया जाता था। बाद में मोनोटाईप और लिनोटाइप में बदल दिया गया। इस प्रक्रिया में अक्षरों को जोड़ने (कंपोजिग करने) वाली मशीन चालित एक कुंजी पटल का प्रयोग होने लगा। ये भी अनुपयोगी हो गए, इनके स्थान पर अब टंकण कंम्प्यूटरों , आफसेट और लेजर प्रिंट का उपयोग हो रहा है। शुरू में समाचार पत्र केवल श्वेत-श्याम छापे जाते थे। लेकिन अब लगभग सभी समाचार पत्र रंगीन छापे जा रहे है।

समाचार पत्र समसामयिक घटनाक्रम/विभिन्न स्तर की राजनीति, व्यापार, खेल, सिनेमा आदि के बारे में सूचना देते हैं ।

- तुम्हारे प्रांत में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र कक्षा में ले आओ । कई दल बनाइए। समाचार पत्र संगठन को जानकर विश्लेषण कीजिए।
- एक सप्ताह के सभी समाचार पत्र इकट्ठा करो। उपरोक्त दलों से एक सूची बनाइए कि किस दिन कौन-सा विशेषांक आता है। यह कक्षा में उपस्थित करें। समाचार पत्रों में विशेष लेख क्यों छापे जाते हैं। अपनी ओर से कारण बताइए ।

గోలకొండ పత్రిక
1938 నాటి గోలకొండ పత్రిక

गोलकोंडा समाचार पत्र - 1938 कतरन

gmñH${VH$ OnJaU Ama ñdVÌVm AmXmbZ _| g_mMma nÌm H$s ^{_H$m

ब्रिटिश काल में समाज में मूलभूत परिवर्तन लाने के लिए समाज सुधारकों ने सक्रिय आंदोलन शुरू किया। सती प्रथा का उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह का प्रोत्साहन जैसे प्रमुख सुधारों के द्वारा हिंदू धर्म में सुधार का प्रयत्न किया। इन महान सुधारकों की प्रेरणा से देश के विभिन्न प्रांतों में समाचार पत्र शुरू किए गए।

भारतीय स्वतंत्रता के कई सेनानी समाचार पत्रों के संपादक थे। **अमृत बाजार पत्रिका** (1868 में शुरूआत) के संपादक शिशिर कुमार घोष थे। **बंगाली** (1833 में शुरूआत) के संपादक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे । **दि हिंदू** (1878 में शुरूआत) के संपादक जी. सुब्रमण्यम अय्यर थे । **केसरी** (1881 में शुरू हुआ) के संपादक बालगंगाधर तिलक थे। इन पत्रों के संपादक अपने विचारों को समाचार पत्रों में व्यक्त करते थे। भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाने मे इन पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे पहले के अध्याय में मुटनूरि कृष्णा राव द्वारा संपादित **कृष्णा पत्रिका** के बारे में संक्षेप में पढ चुके हैं ।

आन्ध्र महासभा ने एक करदीपिका शीर्षक था *वेट्टीचाकरी* रद्दु (बन्दवा मजदूरी का उन्मूलन) को निजाम के जमींदार एवं जागीरदारों के अन्तर्गत हैदराबाद राज्य के नागरिक समस्याओं को संवेदनशील बनाने के लिए छापा तेलंगाणा के कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन एवं पत्रिकाएं है - जैसे - निलगिरि

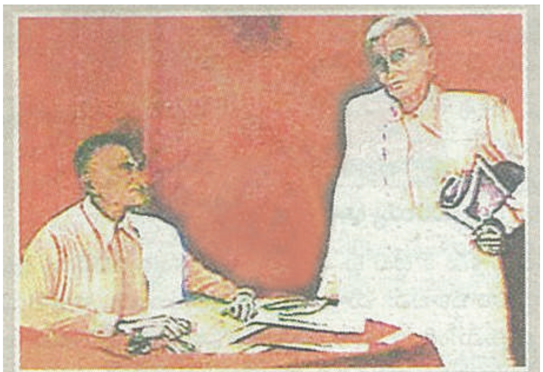

తెనుగు పత్రిక వ్యవస్థాపకులు ఒద్దిరాజు సోదరులు

पत्रिका जिसका संपादन नलगोंडा के शब्दविशु वेंकटराम नरसिंहा राव ने किया, तेलुगु पत्रिका वरंगल के इनुगूर्ती वडिड्राजु भाईयों, गोलकोंडा जिसका सम्पादन सुरावरम् प्रताप रेड्डी का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रवादी भावना उजागर करना था। मन्दुमूला नरसिंग राव ने उर्दू पत्रिका रय्यात का सम्पादन किसानों की समस्याओं को उजागर करने में किया। शोयबुला खान ने इमरोज में अपने लेखों द्वारा निजाम के तानाशाही शासन और जमींदारों की गुडगदी की आलोचना की। जिसके कारण वश रजाकरों ने उनके हाथ कटवाकर हत्या कर दी।

महात्मा गाँधी बहुत प्रचुरता से लिखते थे। इन्होंने 1918 में यंग इंडियन निकाला, गुजराती में और एक नवजीवन पत्रिका शुरू की। इन्होंने महादेव देसाई के संपातकत्व में हरिजन में विस्तृत रूप में लिखा ।

मुख्य शब्द

1. प्रोजेक्टर 2. कॉमेंटरी
3. कंपोज (अक्षर जोड़ना)
4. गजेट 5. प्रकाशन

सीखने में सुधार

1. नाटक और सिनेमा के बीच तीन भिन्नताओं को लिखिए । (AS$_1$)
2. क्या तुम समझते हो अपनी भाषा की पुस्तक की कोई कहानी या कविता की छोटी फिल्म बनाई जा सकती है? उसके आधार पर फिल्म बनाने के लिए क्या तुम समझते हो कि तुम्हें कई प्रकार के लोग चाहिए । (AS$_1$)
3. कुछ लोग तर्क देते है कि "सिनेमा समाज को बदलने का शक्तिशाली साधन है" दूसरों का तर्क है "इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है". किनके तर्क / विचार से आप सहमत हैं और क्यों ? (AS$_4$)
4. प्रारंभिक सिनेमाओं को कौन से मुख्य विषय की चर्चा हुई ? तुम्हारे द्वारा देखे गए सिनेमाओं से किस तरह उसमें समानताएँ और असमानताएँ है। (AS$_1$)
5. स्वतंत्रता आंदोलन में समाचार पत्रों ने किस तरह प्रधान भूमिका निभाई है? (AS$_6$)
6. आजकल नाटकों के लोप के कारण क्या है? (AS$_1$)

वाद विवाद - सिनेमा ज्ञान दे रही हैं या जीवन खराब कर रही है? वाद विवाद का संचालन कीजिए।

परियोजना

1. समाचार पत्र को देखकर वर्गीकृत करें कि किस प्रकार पृष्ठों का आयोजन किया गया है? किस प्रकार की छवियों और फोटोग्राफों का प्रयोग किया गया है? विज्ञापनों को कितना स्थान दिया गया है? संपादकीय में किन मुद्दों को शामिल किया गया है?
2. कुछ प्रसिद्ध टी.वी. चैनलों का चलन करें। ४ से ५ बच्चों का समूह बनाइए। प्रत्येक टीम में विभिन्न विषयों के चैनलों द्वारा आवांटित समय के अनुपात का आकलन करें जेसे - धर्म, समाचार, फिल्में, धारावाहिक आदि। कक्षा में अन्यटीमों के साथ अपने निष्कर्षों को बाँटिए।

अध्याय 23

राष्ट्रीयता, वाणिज्य और खेल-कूद

- क्या तुम्हें खेलना पसंद है?
- तुम कौन सा खेल खेलते हो?
- कौन सा खेल तुम्हें सबसे अच्छा लगता है?
- ऐसे खेलों के बारे में बताओ जो केवल लड़के या लड़कियाँ ही खेलती हैं?
- क्या कई खेल केवल गाँव में खेलने वाले होते हैं ?।
- क्या कई खेल केवल अमीर लोगों के द्वारा खेलने वाले होते हैं?

Amn Š`m| IbV| h| ?

सूचना : अगर आप सहमत हैं तो(✓) का चिन्ह लगायें । असहमत हैं तो (×) का चिन्ह लगायें। अगर आपको कोई अन्य कारण ज्ञात हो तो सूची में शामिल करें ।

खेलना आसान है।	
खेलने में आनंद आता है।	
माता-पिता, अध्यापकगण व मित्र तारीफ करते हैं ।	
खेल चुनौतीपूण होते हैं।	
खेल शरीर को स्वस्थ रखता है।	
अपने प्रिय खिलाड़ियों जैसे सचिन, सानिया की नकल करने के लिए ।	
खेल पढाई से आसान है।	
टेलीविजन पर दिखाई देते हैं।	
खेल में लिखित परीक्षा नही होती है।	
अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने के लिए ।	
देश का गौरव बढाने के लिए ।	
नाम, रूपया और कीर्ति बढाने के लिए ।	

कक्षा के विद्यार्थियों की राय लेकर जानिए कि कौन सा कारण सबसे महत्वपूर्ण माना गया है।

खेल कई कारणों से खेले जाते हैं, मगर समाज में खेले जाने वाले खेलों का प्रभाव हम पर पड़ता है। उदाहरणार्थ क्रिकेट ऐसा खेल था जो कबड्डी की तरह इंग्लैंड के ग्रामीणों द्वारा खुले मैदानों में खेला जाता है। फिर भी यह पूरे भारत में गाँवों और कस्बों में खेला जाता है। विशेषकर युवाओं मे इस खेल के प्रति सनक और श्रद्धा बढ गई है। लोग अपने महत्वपूर्ण समय को टी.वी. पर मैच देखने में खर्च करते हैं। कुछ लोग तो अपनी प्रिय टीम को जीतने के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। क्रिकेट ने प्रसिद्धि

पा ली है कि अन्य खेल जैसे हाकी, फुटबाल, कबड्डी व खो-खो को समर्थन प्रोत्साहन मिलना ही बंद हो गया है। इसका क्या कारण हो सकता है? इंग्लैंड के गाँवों में खेले जाने वाले इस खेल को हमारे देश में इतनी प्रसिद्धि कैसे मिली, आईए इसका कारण जानने का प्रयत्न करते हैं ।

इंग्लैंड में आविष्कृत यह खेल 19 वीं शदी के अंत तक अमीर जमींदारों जिन्हें सज्जन कहा जाता था उनका खेल बन गया। यह खेल अंग्रेजी मूल्यों निष्पक्षता, अनुशासन व सज्जनता को प्रकट करता था। इसे विद्यार्थियों को आदर्श नागरिक बनाने के लिए शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत स्कूलों में सिखाया जाने लगा। यह खेल केवल लड़कों के लिए था। इंग्लैंड के अन्य खेलों फूटबाल व हाकी से हटकर जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए, यह केवल उन देशों में प्रसिद्ध हुआ जहाँ अंग्रेजों ने राज्य किया था। इन बस्तियों में क्रिकेट गोरे उपनिवेशियों (जैसे साउथ अफ्रीका, जिम्बाम्बे, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, केनिया में) या उन लोगों द्वारा जो अपने उपनिवेशी मालिको की आदतों की नकल करना चाहते थे जैसे भारत में ।

- अपने मानचित्र में क्रिकेट खेलने वाले देशों को ढूँढे।
- क्या आपको पता है कि वेस्टइंडीज के नाम के कोई एक देश नही है। इन द्वीपों में एक ऐसे द्वीप को पहचाने जहाँ दौड़ के सर्वश्रेष्ठ एथलीट रहते हैं ___________

^maV _| {H$H$Q

क्रिकेट के प्रशंसक जानते हैं कि एक मैच देखनें में पक्ष लेना सम्मिलित होता है। रणजी ट्राफी में जब दिल्ली मुंबई के बीच मैंच होता है तो दर्शकों की निष्ठा इस पर निर्भर होती है कि वे कौन से शहर के है। जब भारत आस्ट्रेलिया के बीच मैच होता है तो हैदराबाद व चेन्नई में टी.वी. पर देखने वाले अपने आपको भारतीय समझकर राष्ट्रीयता के प्रति निष्ठा दिखाते है। भारतीय फर्स्ट क्लास क्रिकेठ की शुरूआत में टीमों को भौगोलिक नियमों के अनुसार नहीं चुना जाता था और 1932 तक टेस्ट मैच खेलने के लिए भारतीय टीम को अधिकार ही नहीं दिया गया। टीमें कैसे चुनी जाती थी और प्रादेशिक या राष्ट्रीय टीमों के अभाव में क्रिकेट के प्रशंसक किसका पक्ष लेते थे? यह जानने के लिए हम इतिहास की तरफ जाएंगे कि भारत में क्रिकेट का विकास कैसे हुआ और राज के दिनों में समर्थन की समझ नें भारतीयों को एकजुट और विभाजित कैसे किया।

भारतीय क्रिकेट की शुरूआत मुंबई में पारसियों द्वारा हुई। इनकी व्यापार में और पाश्चात्य सभ्यता में रूचि के कारण ये अंग्रेजों के करीब हो गये। पारसियों ने 1848 में पहले भारतीय क्रिकेट क्लब की स्थापना मुंबी में की। जिसे ओरियन्टेल क्रिकेट क्लब कहा गया। पारसी व्यापारियों जैसे टाटा और वाडिया जैसे लोगों ने इस क्लब की सहायता धन देकर की। इन्होंने इसका प्रायोजन भी किया। उत्साही पारसियों को संभ्रांत उच्चवर्गीय खेलने वाले व्यक्तियों से कोई मदद नहीं मिली । बल्कि बाम्बे जिमखाना जो केवल गोरों का क्लब था और पारसी खिलाड़ियों के बीच एक सार्वजनिक पार्क को लकर झगड़ा हो भी हो गया।

जब यह बात सामने आयी कि उपनिवेशक प्राधिकारी अंग्रेजों का पक्ष लेक पक्षपात कर रहें हैं। तो पारसियों ने अपना स्वयं का जिमखाना क्रिकेट खेलने के लिए बना लिया। इन दोनों क्लबों की प्रतिद्वंदिता का अन्त सुखान्त रहा। एक पारसी टीम ने 1889 में बाम्बे जिमखाना को हरा दिया। यह घटना 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के केवल चार वर्षो बाद घटी ।

पारसी जिमखाना की स्थापना दूसरे भारतीयों के लिए उदाहरण बन गयी थी जिन्होंने धार्मिकता के आधार पर क्लबों की स्थापना की। 1890 तक हिन्दू लीग हिन्दू जिमखाना व मुस्लिम लोग मुस्लिम जिमखाना स्थापना में लग गए। इसके कारण जिमखाना क्रिकेट साम्प्रादियक और जातीय आधारों पर खेला जाने लगा। जो उपनिवेशी भारत की सबसे प्रसिद्ध व प्रथम श्रेणी की टीमे थी के रणजी ट्राफी जैसी क्षेत्रों में पर आधारित टीमों का प्रतिनिधित्व करती थी। बल्कि धार्मिक संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करती थी। इस खेल प्रतियोगिता को पंचभूजी कहा जाता था क्योंकि यह यूरोपीय, पारसी, हिन्दू, मुस्लिम और अन्य कुल मिलाकर पाँच टीमों द्वारा खेली जाती थी। 1930 के अंत और 1940 के प्रारंभ तक पत्रकारों, क्रिकेट खेलने वालो और राजनेताओं द्वारा पंचमुखी प्रतियोगिता

_hmË_m JmYr Ama Cn{Zder I b

महात्मा गाँधी का विश्वास था कि शरीर और मन के संतुलन के लिए एक खेल खेलना आवश्यक है फिर भी वह जोर देते थे कि क्रिकेट और हाकी जैसे खेत अंग्रेजों द्वारा लाए गए और वे भारत के पारंपरिक खेलों का स्थान लेते जा रहे हैं। वे उपनिवेशी मानसिकता को दिखाते थे और खेतों में काम करने वालोंके सरल व्यायाम से कम प्रभावशाली थे।

‘मुझे बहुत दुख भरा आश्चर्य होगा अगर मुझसे कहा जाए कि तुम्हारे बच्चे सारे खेलों से बाहर कर दिए गए है। अगर तुम्हारे पास राष्ट्रीय खेल है तो मैं तुम्हें जोर देकर कहूँगा कि तुम्हारी संस्था का पुराने खेलों को इसे पुनर्जीवित करने में आगे आना चाहिए। मैं जानता हूँ कि भारत में बहुत से ऐसे उत्कृष्ट देशी खेल है जो कम खर्चीले तथा बहुत ही रोचक भी है। वास्तव में उनकी लागत नगण्य है’

24 नवंबर 1927 को महिन्द्रा कालेज में दिया गया द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गाँधी का भाषण।

‘एक मजबूत शरीर सदा अपनी इच्छानुसार काम के लिए तैयार रहता है। मेरे विचार में ऐसे शरीर फूटबाल के मैदान में नही बनते। वे मकई के खेतों में बनते हैं। मैं चाहता हू तुम इस पर विचार करों तुम्हें मेरी बात को सिद्ध करने वाले असंख्य उदाहरण मिलेगें। उपनिवेशी संस्कृति में उत्पन्न हमारे बहुत से भारतीय इस फूटबाल और क्रिकेट की सनक से प्रभावित है। इन खेलों को विशेष परिस्थितियों में एक स्थान प्राप्त हो सकता है। हम इस सीधी बात पर विचार क्यों नहीं करते कि अधिकांश लोग जो शरीर और मन से ऊर्जावान है वे सीधे-साधे किसान है और इन खेलों से अपरिचित है।

लेजारस को 17 अप्रैल 1915 का पत्र, द क्लेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गाँधी वाल्यूम 14

का जातीय व साम्प्रदायिकता संबन नीति की आलाचना करने लगे थे।

- क्रिकेट और पाश्चात्य सभ्यता के विकास के बीच कैसा संबंध होगा?

आधुनिक क्रिकेट में राष्ट्रीय टीमों के बीच यह टेस्ट मैच और एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय मैंच का अधिपत्य है। जो खिलाड़ी राष्ट्र के लिए खेलते हैं केवल वही क्रिकेट प्रेमियों के मन में रहते हैं और प्रसिद्धि पाते हैं। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के डेढ दशक पहले 1932 में टेस्ट क्रिकेट की शुरूआत की। टेस्ट क्रिकेट का प्रारम्भ 1877 में शासित साम्राज्यों के विभिन्न भागों के बीच प्रतियोगिता के रूप में हुआ। क्रिकेट के खेल के द्वारा उपनिवेशी शासकों को चुनौती देकर समानता स्थापित करना संभव हुआ।

खेल के अनेक उपकरणों को आप यहाँ देख सकते हैं । ये हमारे स्थानीय बाजारों विभिन्न गुणवत्ता वाले उपकरण उपलब्ध है। क्या आपको लगता है कि जिन उपकरणों से पेशेवर वयस्क जो पैसा बनाने के लिए खेलते है उसकी तुलना बच्चों के मनोरंजन के लिए खोलने योग्य है।

क्रिकेट में परिवर्तन

1970 में क्रिकेट में परिवर्तन आया । जब बदलते हुए विश्व में पारंपरिक खेल ने खुद को विकसित किया। 1970 में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट में साउथ अफ्रिका का बहिष्कार एक उल्लेखनीय घटना थी तो 1971 की प्रसिद्ध घटना इंग्लैंड और आस्ट्रेलिया के बीच मेलबोर्न में खेला गया पहला अन्तर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच था। खेल के इस छोटे रूप की अत्यधिक प्रसिद्धि ने 1975 के पहले विश्व कप को प्रारम्भ करने में मदद की फिर 1977 मे टेस्ट मैचों का 100 वें वर्ष में खेलकूद शाश्वत परिवर्तन कैरी पैकर नामक व्यवसायी के द्वारा हुआ जो आस्ट्रेलिया टेलीविजन का शक्तिशाली उद्योगपति था। इसने क्रिकेट परिषद की अनुमति के बिना विश्व के 51 प्रमुख खिलाड़ियों को साइन कर लिया क्योंकि टेलीविजन पर क्रिकेट की धन कमाने की क्षमता का अन्दाजा पहले ही लगा लिया गया था । लगभग दो साल तक अवधिकृत

टेस्ट और एक दिवसीय मैचों का आयोजन इसने वर्ल्ड सीरिज क्रिकेट के अन्तर्गत किया। पैकर की सरकस कहलाने वाली श्रृंखला दो सालो में ही समाप्त हो गई पर इसके द्वारा किए गये परिवर्तनों ने खेल को पूरी तरह से बदल दिया और टी.वी. दर्शकों के लिए अधिक रोचक बना दिया ।

रंगीन वेशभूषा, हेलमेट, रात के प्रकाश में खेलना, ये सब पैकर के बाद खेल का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। मुख्य रूप से पैकर ने यह साबित कर दिया कि क्रिकेट ऐसा खेल है जिसके द्वारा बहुत सा धन कमाया जा सकता है। टेलीविजन कंपनियों को प्रसार के अधिकार बेचकर क्रिकेट बोर्ड धनवान हो गया। टेलीविजन चैनलों ने भी विज्ञापनों के लिए उन कंपनियों समय देकर खूब धन कमाया, जो अपने उत्पादों का टी.वी. पर विज्ञापन देना चाहती थी। लगातार टी.वी. प क्रिकेट खिलाड़ियों के आने से वे सब लोकप्रिय हो गए और क्रिकेट बोर्ड द्वारा दिए गए रूपयों से अधिक रूपये विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों द्वारा कमाने लगे। टेलीविजन पर क्रिकेट के प्रसार ने इस खेल को बदल दिया। छोट कस्बों और गाँवों में भी क्रिकेट के दर्शक बढ गये। इसने क्रिकेट का सामाजिक स्वरूप भी परिवर्तित कर दिया। बड़े शहरों वाले बच्चों को भी अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट देखने और अपने नायकों को देखकर सीखने का अवसर मिलने लगा। सेटेलाईट टेलीविजन कंपनियों की विश्व भर में पहुँच ने क्रिकेट के लिए विश्व बाजार को निर्माण किया।

- टेस्ट क्रिकेट के प्रभाव की कमी के कारणों की सूची बनाए ।

dm{UÁ` àgma _mÜ`_ Ama AmO H$m {H$H$Q

सिडनी में खेले जाने वाले मैच आज सूरत मे सीधे देखे जा सकते है, इस छोटे से परिवर्तन के कारण ब्रिटिश साम्राज्य टूट गया और क्रिकेट का वैश्वीकरण हुआ क्योंकि भार में क्रिकेट खेलने वाले सभी देशों से अधिक दर्शक है और क्रिकेट का सबसे बड़ा बाजार भी यही है इसलिए खेल की धूरी दक्षिण एशिया में स्थापित हो गई । आई.सी.सी. का मुख्यालय लंदन से कर मुक्त दुबई में स्थापित होना इसका सूचक है।

एग्लों -आस्ट्रलियन धूरी के बदल जाने की मुख्य सूचना भारत पाकिस्तान व श्रीलंका देशो की टीमों के खेलने में मिल रही है। पाकिस्तान ने बौलिंग में दो नई तकनीकों दूसरा तथा रिवर्स स्विंग को शुरू किया । दोनों गुण उपमहाद्वीप की परिस्थितियों की प्रतिक्रिया में विकसित किए गए। दूसरी तकनीक भारी बैट वाले आक्रामक बल्लेबाज के विरूद्ध प्रयोग किया जाता है जो फिंगर स्विंग को बेकार कर कर देता है और रिवर्स स्विंग साफ मौसम में धूल भरे व उदासीन विकेट में बाल का गतिशील बनाने के लिए प्रयोग करते थे। प्रारम्भ में दोनों नई तकनीकों को ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया जैसे देशों द्वारा अविश्वास से देखा गया जो उन्हें कपटपूर्ण क्रिकेट के नियमों के विरूद्ध मानते थे। समय के साथ यह स्वीकार कर लिया गया कि क्रिकेट के नियम में केवल ब्रिटिश और आस्ट्रेलिया की परिस्थितियों पर आधारित है, जारी नहीं रह सकते। और इसलिए वे तकनीक सभी गेंदबाजों द्वारा विश्व भर मे अपना ली गई।

150 साल पहले प्रथम भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों पारसियों को खेलने के लिए मैदान ढूँढने में भी संघर्ष करना पड़ा था। आज वैश्विक बाचार ने भारतीय खिलाड़ियों को सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा रूपये पाने वाले खिलाड़ी बना दिया है। छोटे-छोटे कई परिवर्तनों जैसे शौकिया तौर पर खेलने के बदले पेशेवर खिलाड़ी बन जाना।

एक दिवसीय अन्तर्राट्रीय खेल द्वारा टेस्स मैट को फीका कर देना और विश्व वाणिज्य व तकनीक के क्षेत्र मे असाधारण परिवर्तन इत्यादि के बाद यह कायापलट हुई है। समयानुसार परिवर्तन होना ही इतिहास है। इस पाठ में हमने एक उपनिवेशी खेल का इतिहास जाना और समझने का प्रयत्न किया कि उपनिवेशी संस्कृति के बाद विश्व ने इसे किस तरह से अपनाया ।

- क्रिकेट के बारे में सोचते हुए विनायक ने उन शब्दों की सूची बनाई है जो केवल अंग्रेजी में ही है- बाउंड्री,ओवर, विकेट इत्यादि। क्या आप बता सकते हैं कि इन शब्दों के लिए तेलुगू भाषा में शब्द क्यों नही हैं।

भूतपूर्व आंध्र प्रदेश के अंडर 19 विश्व कप के खिलाड़ी जी.एच. विहारी से साक्षात्कार

प्र. अपने उस अनुभव के बारे मे बताओं जब विश्व कप के फाईनल में हमारी टीम ने आस्ट्रेलिया को हराया था?

उ. (मुस्कुराते हुए) हमारा प्रदर्शन शानदार था, बहुत रोमांचक भी.....कँगारुओं को उन्हीं की भूमि पर हराना चुनौतीपूर्ण था। यह जीत हमारी बड़ी उपलब्धि थी ।

प्र. क्रिकेट भारत में क्यों महत्वपूर्ण होता जा रहा है ?

उ. हमारे देश में बहुत सारे अवसर है, आप बच्चों को गली में खेलता हुआ देख सकते हैं। यह एक व्यवहारिकता का खेल है। लोग अपने खिलाड़ियों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखना चाहते है। वर्ल्ड कप 1983 के बाद से ही खिलाड़ियों के प्रदर्शन में अनुरुपता है.....अब हमने 2011 विश्व कप और अंडर 19 विश्व कप जीत लिये हैं निकट भविष्य में ऐसी कई विजय प्राप्त होगी जिससे.......ऐसे उत्कृष्ट प्रदर्शन आगे भी होंगे।

प्र. क्रिकेट, कबड्डी, खो-खो और हाकी जैसे खेलों को पीछे छोड़ता जा रहा है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं ?

उ. हाँ कुछ हद तक, मगर दूसरे खेलों को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। हाकी में धन की कमी देखकर मुझे दुख होता है....प्रायोजको को आगे आना चाहिए , सरकार और लोगों को अभी इस पर ध्यान देना चाहिए।

प्र. खेल किस प्रकार राष्ट्रीयता की भावना को बढाते हैं?

उ. मेरे अनुसार खेल और राष्ट्रीयता एक दूसरे से जुड़े हुए है। खेल तभी पनपते हैं जब दर्शकों द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। इसका मुख्य सिद्धांत.....एकता और परिश्रम है।

खेल एकता की भावना का विकास करते हैं जो राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक है। देश का प्रतिनिधित्वत करना राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है।

प्र. क्रिकेट को अन्य खेलों की अपेक्षा अधिक व्यावसायिक पोषण क्यों मिलता है?

उ. टेलीविजन, प्रसार माध्यम और प्रायोजक इसके मुख्य कारण है। दूसरे खेलों में भी प्रचार और उत्साहवर्धन किया जाना चाहिए।

प्र. यह खेल आप केवल मनोरंजन के लिए खेलते हो या इसे जीविका व्यवसाय की तरह समझते हो?

उ. स्कूल में मै केवल आनंद के लिए खेलता था। अब मै इसे जीविका की तरह देखता हूँ। इसके द्वारा मैं अपने देश के लिए पुरस्कार जीतना चाहता हूँ ।

प्र. क्या क्रिकेट दूसरे खेलों के महत्व को कम कर दे रहा है?

उ. बहुत से लोगों का विचार है कि क्रिकेट को हमारे देश में कुछ ज्यादा ही महत्व दिया जा रहा है। कंपनियाँ खेल को प्रायोजित करती है और खेल चैनल मैचों का सीधा प्रसारण करते हैं। मगर ऐसा दूसरे खेलों के साथ नहीं हो रहा है। परिणामस्वरूप पारंपरिक खेल जैसे कबड्डी, खो-खो, शतरंज जैसे खेल अपनी प्रसिद्धि खो रहे हैं। ऐसे खेलों में आगे बढने के लिए खिलाड़ियों में लगन, समर्पण और कठिन परिश्रम का गुण होना चाहिए। यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता केवल लगन से ही सफलता मिलती है।

AÝ` bmH$[à` I b Ama CZH$s pñW{V

हाकी भारत का एक लोकप्रिय खेल है । उपनिवेशी शासन के अधीन रहकर भी कई प्रतियोगिताओं में विजय प्रात की। 1980 तक भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय हाकी में अपना प्रभुत्व बनाए रखा। फिर भी अंतिम दशक से इसमें कमी आयी है। क्रिकेट की तरह हाकी को मीडिया और व्यवसायिक सहायता नही मिली। कबड्डी भारत का एक अन्य पारंपरिक खेल है। फिर भी यह केवल 10 वर्षो से ही अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाना शुरू हुआ है। भारत को इसमें सफलता मिली है। कई अन्य खेलों जैसे धनुर्विद्या, बैडमिन्टन, बॉक्सिंग खिलाड़ियों ने अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अनेक पदक प्राप्त किए हैं ।

फिर भी हम एथलीट में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय खेलों जैसे फुटबाल, वॉलीबाल और बास्केटबाल के समान रूप सफल नही हुए हैं। ना ही प्रस्तुत चित्र में दिखाए खेल हमारे यहाँ व्यस्कों द्वारा खेले जाते हैं । क्या आप इन खेलों को खेल चुके हैं। क्या आप इन खेलों के नियम बता सकते है? व्यस्क इन खेलों को क्यों नहीं खेलते ।

खेल हमारा मानसिक एवं शारीरिक रूप में विकास करते है। सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के द्वारा पाठशाला स्तर पर बच्चों की प्रतिभा और रूचि की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित करती है। खेलों के विकास हेतु सरकार कोचिंग कक्षाएँ चलाती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत, खेल विभाग बच्चों को अन्तर्राष्ट्रीय मंच

पर प्रदर्शन करने हेतु विभिन्न स्केलों में प्रशिक्षित करती है। खेल परिषदों द्वारा कुशल बच्चों का चयन कर उन्हें विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। सरकार मंडल, संभाग, जिला, राज्य, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है। विजेताओं को समानित किया जाता है और उन्हें सशक्त करने हेतु विशेष कोचों की नियुक्ति की जाती है। इस खेलों का आयोजन वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाता है। खेल के प्रति पंथ के विकास के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय समझ, सांस्कृतिक विकास एवं विश्व बंधुत्व के लिए किया जाता है। खेल भारत में राष्ट्रीय एकता का बढ़ावा देते है। क्योंकि भारत एक बहु सांस्कृतिक देश है।

मुख्य शब्द

1. उपनिवेशी   2. विश्व-वाणिज्य   3.राष्ट्रीयता   4. प्रायोजक

सीखने में सुधार

1. गलत वाक्यों को सही करें : (AS$_1$)
    - उपनिवेशी शासकों ने खेल को उन राष्ट्रों में प्रचार किया जो उनके शासन के अंतर्गत आतेथे।
    - लोगों ने पश्चिमीकरण के लिए इस खेल को अपनाया ।
    - भारतीय किसान क्रिकेट खेलते थे।
    - शिष्टाचार की शिक्षा देने के लिए खेल को स्कूलों में शामिल किया गया।
2. क्रिकेट तथा अन्य खेलों के बारे में गाँधीजी के विचारों पर टिप्पणी कीजिए। (AS$_1$)
3. निम्नलिखित के बारे में संक्षिप्त जानकारी दें : (AS$_2$)
    - पारसी जिन्होंने भारत का पहला क्रिकेट क्लब स्थापित किया।.
    - आई.सी.सी. के मुख्यालय का लंदन से दुबई में स्तानांतरित करने का महत्व ।
4. किसी स्थानीय खेल का इतिहास जाना। माता-पिता व दादा-दादी से पूचे कि वे इस खेल को अपने बचपन में कैसे खेलते थे? क्या ये आज भी वैसे ही खेला जाता है?परिवर्तन के ऐतिहासिक कारणों का पता लगाने का प्रयत्न करें । (AS$_3$)
5. प्रोद्योगीकी क्षेत्र की प्रगति विशेषकर आधुनिक टेलीविजन तकनीक तत्कालीन क्रिकेट को कैसे प्रभावित किया? (AS$_4$)
6. क्रिकेट के व्यवसायीकरण के परिणामों पर एक पैंपलेट (करपत्र) तैयार करें । (AS$_6$)
7. विश्व के मानचित्र में किन्हीं पाँच क्रिकेट खेलने वाले देशों को पहचानिए। (AS$_5$)

वाद विवाद - क्या देशों की प्रतिष्ठा केवल खेलों से ही सकती है? वाद-विवाद का संचालन कीजिए।

परियोजना - किसी एक खेल की जानकारी एकत्र कीजिए उस खेल के इतिहास को एक रिपोर्ट के रूप में लिखिए।

अध्याय 24

प्राकृतिक आपदा प्रबंधन

भारत अपनी विशाल जनसंख्या एवं विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं के कारण विश्व में सबसे अधिक विपत्ति प्रवृत्ति वाला देश कहा जाता है। प्राकृतिक दुर्घटनाएँ जैसे भूकंप, सूखा, बाढ, तूफान एवं भू स्खलन देश के विभिन्न भागों में घटते रहती है। भारत का पूर्वी एवं दक्षिणी भाग अधिकतर तूफान की चपेट में आते रहते हैं । हिमालय के पठार के भीतरी भाग में, भूकंप, ब्रहमपुत्र एवं गंगा के मैदानों में बाढ एक साधारण बात है। राजस्थान एवं रायलसीमा अधिकतर भयंकर सूखे का अनुभव करते हैं। जैसे दक्षिण के कुछ भाग भी सूखाग्रस्त क्षेत्रां में आते हैं । इसका यह अर्थ है कि हम सब के लिए विभिन्न अनुपात में उन प्राकृतिक विनाशो से घिरे रहना सहज है। उदाहरण केलिए तटीय सीमाओं पर रहने वाले व्यक्ति अधिकतर बाढ एवं तूफान से पीडित रहते हैं जबकि वे भूकंप क्षेत्र में आते हैं । ऐसे क्षेत्र बहु विनाशक क्षेत्र कहलाते हैं।

विनाश के कारण होने वाली क्षति की संख्या तब अधिक हो जाती है जब वहाँ के लोग उस विपत्ति का सामना करने के लिए ठीक से तैयार नहीं रहते । उदाहरण के लिए बाढ एक प्राकृतिक विपत्ति है। अगर हम उसका सामना करने के लिए तैयार नही रहते हैं तब उसके कारण लोग घर, पशु एवं कीमती सामान सब पानी में बह जाता हैं । तब बाढ एक प्राकृतिक आपदा बन जाती है।

{d[^ÝZ àH$ma H$ {dZme

विनाश कई प्रकार के होते हैं । उन्हें उनकी गति, मूल एवं उद्देय के आधार पर विभाजित किया जाता है।

अ. **गति के आधार पर विनाश धीमा या तेज हो सकता है।**

धीमी गति की आपदा : एक प्राकृतिक आपदा जो कई दिन, महीने या वर्षो तक चलता है जैसे भूखा, पर्यावरण स्तर में पतन, कीट संक्रामक, भूखा इत्यादि धीमि गति से होने वाले प्राकृतिक आपदा हैं।

तेज गति की आपदा : एक क्षण में होने वाला विनाश झटका देता है । इसका असर कुछ क्षणों के लिए या लम्बें समय तक होता है। भूकंप, तूफान, ज्वालामुखी आदि तेज गति से होने वाले कुछ अप्राकृतिक आपदाएँ है।

ब. उद्देश्य के आधार पर विनाश प्राकृतिक भी होता है मानव द्वारा निर्मित भी ।

प्राकृतिक आपदा : ये एक ऐसी घटना हो जो प्राकृति के कारण घटती है जिससे प्राण हानि, वस्तु हानि,आर्थिक हानि, एवं प्राकृतिक हानि होती है। प्राकृतिक आपदाओं के उदाहरण हैं :

अ. भूकंप
आ. तूफान
इ.बाढ
ई. सूखा
उ. सुनामी
ऊ. भू-स्खलन
ए. ज्वालामुखी

आपने कक्षा 7 में तूफान एवं बाढ का पाठ पढा होगा तथा उनमें कैसे कमी लाई जा सकती है यह भी पढा होगा। कक्षा 8 के विज्ञान की पुस्तक से आप भूकंप एवं उसके प्रभाव के विषय में पढेंगे।

मानव द्वारा निर्मित आपदाएँ : सामान्य जीवन का गंभीर विंध्वंस मानव द्वारा निर्मित

आपदाओं के प्रकार भी होते हैं जैसे आर्थिक हानि, पर्यावरणीय हानि, वस्तु हानि इत्यादि । उदाहरण के लिए 1984 में होने वाली भोपाल गैस दुर्घटना,1997 मे दिल्ली के उपहार सिनेमा घर में होने वाली दुर्घटना और 2002 में होने वाली राजधानी रेल दुर्घटना 2003 में कुम्बाकोनम के पाठशाला में होने वाली आग दुर्घटना, 2008 में जयपूर में होने वाली बम-विस्फोट दुर्घटना इत्यादि। .

AmnXm à~ÝYZ Š`m h¡?

आपदा प्रबंधन ऐसी गतिविधियों का प्रबंध है जिससे विनाश/आपत्ति स्थिति में लोगों की सहायता की जा सके । ताकि वे विनाश को या तो रोक सके या कम कर सके या उसका सामना कर उससे बाहर आ सके। ये गतिविधियाँ है तैयारी, रोक-ताम, सहायता एवं रिकवरी (दुबारा निर्माण एवं दुबारा बसाना) यह सभी गतिविधियाँ आपदा के पहले, आपदा के समय या आपदा के बाद की जा सकती है।

अध्यापक एवं छात्र सभी सुधाय के अभिन्न अंग हैं एवं उन्हें इन आपदाओं का सामना करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। छात्र अपने माता-पिता एवं समाज के लिए इस शिक्षा का संदेश देखकर सहायता कर सकते है। अध्यापकों का उत्तर दायित्व छात्रों को इस दिशा में प्रेरित करना है।

चित्र 24.1: आपदा प्रबंधन

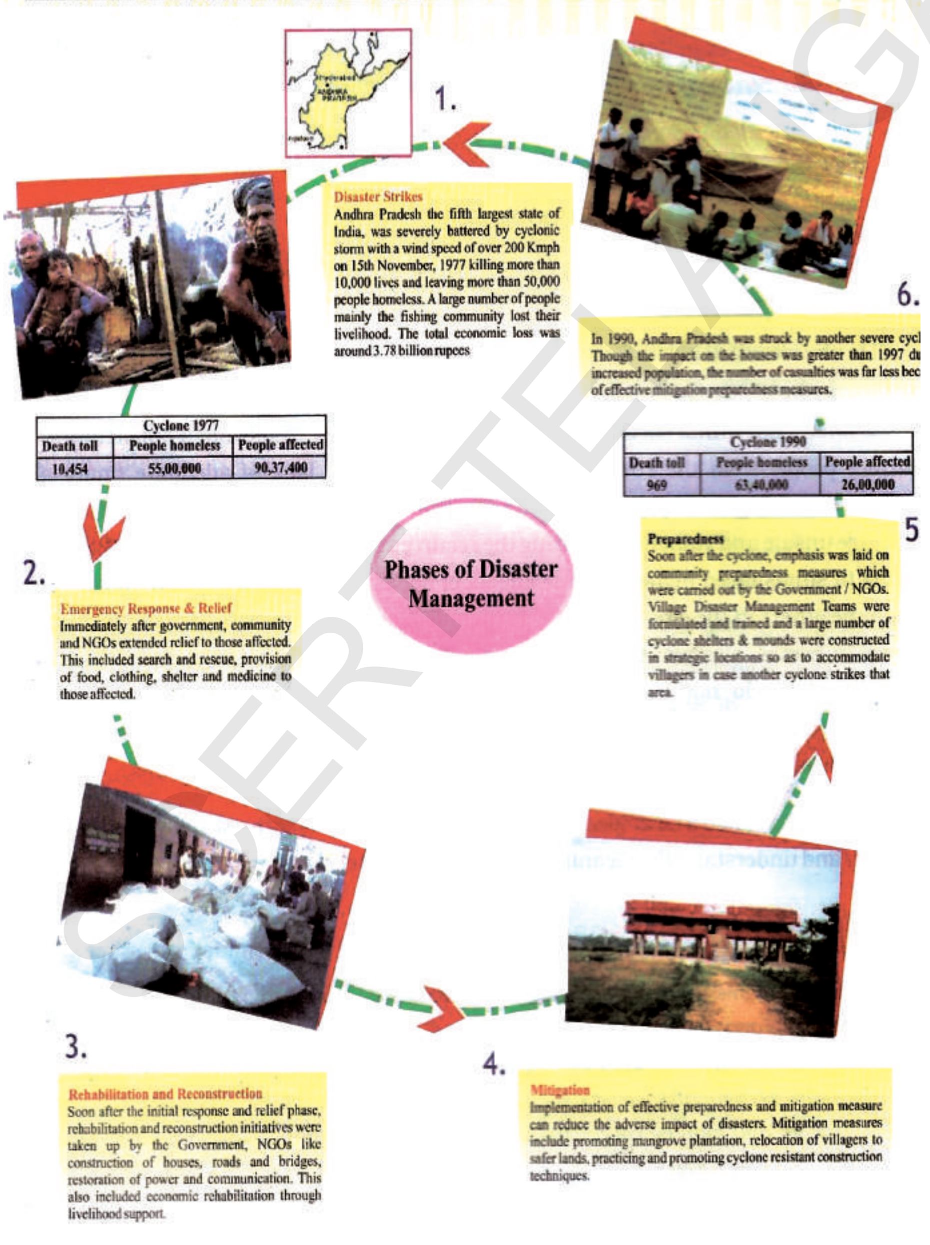

Getting Acquainted With Disaster Management - Becoming A Disaster Manager

Disaster Strikes
Andhra Pradesh the fifth largest state of India, was severely battered by cyclonic storm with a wind speed of over 200 Kmph on 15th November, 1977 killing more than 10,000 lives and leaving more than 50,000 people homeless. A large number of people mainly the fishing community lost their livelihood. The total economic loss was around 3.78 billion rupees

Cyclone 1977		
Death toll	People homeless	People affected
10,454	55,00,000	90,37,400

Emergency Response & Relief
Immediately after government, community and NGOs extended relief to those affected. This included search and rescue, provision of food, clothing, shelter and medicine to those affected.

Rehabilitation and Reconstruction
Soon after the initial response and relief phase, rehabilitation and reconstruction initiatives were taken up by the Government, NGOs like construction of houses, roads and bridges, restoration of power and communication. This also included economic rehabilitation through livelihood support.

Mitigation
Implementation of effective preparedness and mitigation measure can reduce the adverse impact of disasters. Mitigation measures include promoting mangrove plantation, relocation of villagers to safer lands, practicing and promoting cyclone resistant construction techniques.

Preparedness
Soon after the cyclone, emphasis was laid on community preparedness measures which were carried out by the Government / NGOs. Village Disaster Management Teams were formulated and trained and a large number of cyclone shelters & mounds were constructed in strategic locations so as to accommodate villagers in case another cyclone strikes that area.

Cyclone 1990		
Death toll	People homeless	People affected
969	63,40,000	26,00,000

In 1990, Andhra Pradesh was struck by another severe cycl
Though the impact on the houses was greater than 1997 du
increased population, the number of casualties was far less bec
of effective mitigation preparedness measures.

gZm_r

- क्या आपको पता है कि सुनामा क्या होता है?उनका निर्माण कैसे होता है। उनकी सूचना पहले के कैसे दी जा सकती है। अगर आप एक तटीय क्षेत्र के जिले में रहते हैं तो आप सुनामी से अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं?

सुनामी शब्द एक जापानी शब्द से बना है। **सु** का अर्थ है बंदरगाह और **नेम** का अर्थ है लहरे। सुनामी बहुत ही बड़ी लहरे होती हैं जिनका निर्माण भूकंप, ज्वालामुखी, समुद्र के भीतर के पास में होने वाले भूकंप के कारण लहरे तेजी से मिनटों में किनारों पर पहुँच जाती हैं । जब यह लहरे जल के उपरी स्तर पर पहुँचती है तब ये कई फीट ऊँची जाती है। कई बार ये दस फीट ऊँची उठती है तथा तट प तबाही मचाती है। भूकंप के कई घंटों बाद तक भी सुनामी का खतरा कई घंटो तक लहराता है।

- सुनामी से जुडे चित्र एवं जानकारी इकट्ठा करें। चर्चा करे और इन चित्रों का सूचना पट्ट पर लगाइए।

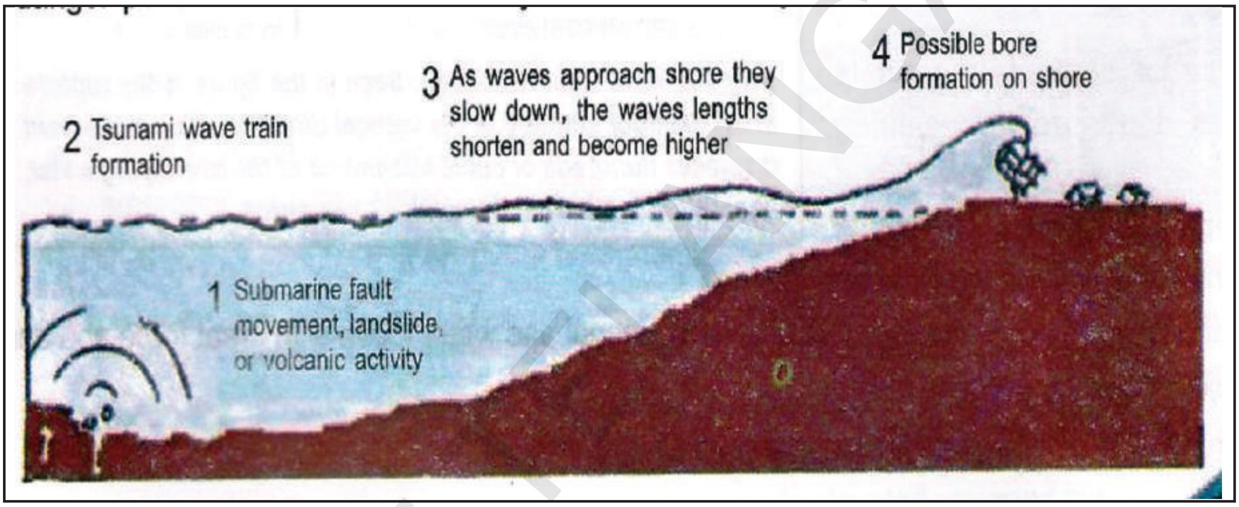
3 As waves approach shore they slow down, the waves lengths shorten and become higher
4 Possible bore formation on shore
2 Tsunami wave train formation
1 Submarine fault movement, landslide, or volcanic activity

चित्र 24.2: सुनामी लहरों का आलेखीय निरूपण

Š`m AmnH$m nVm h ?

A. सुनामी में क्रमांक से लहरे उठती है एवं पहली लहर ही सबसे बड़ी लहर नही हो सकती। पहली लहर आने के बाद भी सुनामी का खतरा की घंटों तक लगा रहता है।

B. सुनामी प्रति घंटा 50 कि.मी. तक बढती है। एक आदमी से भी अधिक तेज।

C. सुनामी कभी भी दिन या रात में आ सकती है।

gZm_r AmZ g nhb Amn Š`m H$aV h ...

1. यह पता कीजिए कि क्या आपका घर, पाठशाला या दूसरे स्थान जहाँ आप अधिकतर जाते हैं। सुनामी क्षेत्र में आते हैं ।
2. घर से पाठशाला एवं कार्य क्षेत्र में सुनामी से बच निकलने का रास्ता तैयार कीजिए।
3. इन रास्तों से जो आप बच निकलने के लिए बनाये हैं प्रतिदिन आने जाने का आदत डालिए।
4. विनाश से बचने का सामान अपने पास रखिय।
5. अपने परिवार वालों के साथ सुनामी पर बातचीत कीजिए।

सुनामी का पता लगाना :

उपग्रह तकनीक के प्रयोग के कारण आज आगामी सुनामी की सूचना तुरंत दी जा सकती है। विपत्ति की सूचना का समय तट से सुनामी केन्द्र की दूरी पर निर्भर करता है। । इस सूचना मे सुनामी अधिकतर किस समय पर आ सकती है और कौन तटीय प्रदेश में कितने घंटों में आ सकते हैं बताया जाता है।

तटीय ज्वरीय गेज तट के समीप सुनामी को रोक सकते हैं । किन्तु गहरे समुद्र में वे बेकार हैं। सुनामी सूचकांक जो पृथ्वी को पनडुब्बी केबल से जोड़ते हैं लगभग 50 कि.मी. तक समुद्र पर फैले होते है। सुनामी दूरी से समुद्री तल पर तैरने वाले यत्र लगा देते है जो खतरे की सूचना उपग्रह तक पहुँचा देते हैं ।

सुनामी के समय आप की क्या करना हैं :

- अगर आप घर पर बैठे है और सुनामी की चेतावनी सुनते हैं, आप तुरंत ही इसकी सूचना अपने परिवार के सारे सदस्यो को दे दीजिए। अगर आप सुनामी वाले क्षेत्र में हो तुरंत ही अपना घर छोड़ दें।सुनामी की सूचना की प्रतीक्षा न करे उन नदी एवं नहरों से दूर रहे जो समुद्र की ओर बहती हैं।
- अपने साथ विपत्ति में काम आने वाला सामाने ले जाये जिससे आपका घर खाली करने पर भी समस्या न हो ।
- घर छोड़ते समय अपने पशु भी साथ ले जायें ।
- अगर आप समुद्र तट पर हैं और भूकंप का आभास हो तब आप तुरंत ही किसी ऊँचे स्थान पर चले जाएं ।
- ऊँची इमारते एवं होटल जो निचले तटीय क्षेत्र में स्थित है उनको ऊपरी मंजिल सुरक्षित स्थान है।
- समुद्र के पास वाली चट्टाने एवं उथल स्थान सुनामी की तेज लहरों को तोड़ने में सहायक हो सकते हैं। किन्तु बड़ी खतरनाक लहरे तटीय क्षेत्र के रहने वाले लोगों के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। सुनामी की सूचना मिलने के बाद ऐसे क्षेत्र से दूर रहने में ही समझदारी है।
- रेडियो और टी.वी. पर समाचार देखते रहे और सुनामी की चेतावनी पर ध्यान दें।

gZm_r H$ CnamV Š`m H$a …

- रेडियो औ टी.वी. पर निरंतर समाचार सुनते रहे तथा सुनामी की आपातकालीन सूचना सुने। सुनामी के कारण सड़क, पुल इत्यादि टूट जाते हैं और यात्रा के लिए सुरक्षित नही होते ।
- अपने शरीर पर लगने वाली चोटो पर ध्यान दीजिए एवं उनका उपचार कीजिए । इसके उपरांत दूसरे घायलों की सेवा कीजिए और किसी सुरक्षित स्थान पर शांति से चले जाए।
- ऐसे लोगों की सहायता कीजिए जिन्हें आवश्यकता है। जैसे कि छोटे बच्चे, बूढे लोग जिनके पास यातायात का साधन न हो, बड़े परिवार जिन्हें सहायता की आवश्यकता

हो तथा अपंग लोगों की सहायता करें।

- विपत्ति वाले क्षेत्र में न जाएँ। आपकी उपस्थिति के कारण बचाव कार्य में बाधा आ सकती है या फिर आप दूषित जल, टूटी सड़के, भू-स्खलन, मिट्टी के बहाव आदि की चपेट में आ सकते हैं ।
- अपने टेलीफोन का उपयोग केवल आपात के समय ही करें। विनाश के समय टेलीफोन के लाईने भी सारी व्यस्त हो जाती है या ठीकसे काम नहीं करती। यह लाईने आपात के घंटी उठाने के लिए साफ होनी चाहिए।
- ऐसी इमारतों से दूर रहें जिनके चारों ओर पानी हो। सुनामी का जल बाढ के जल के समान ही इमारत की नींव को खोखला कर सकता है जिसके कारण इमारत ढह जाती है, जमीन तड़क जाती है और दीवारे गिर जाती है।
- अपने घर वापस जाने पर सावधानी से भीतर जाए। सुनामी की बाढ का जल आपकी इमारत को क्षति पहुँचा सकता है। अपना हर कदम सावधानी से उठाए ।
- लंबी आस्तीन वाला शर्ट पहने। लंबी पैंट तथा जूते भी। विनाश के समय सबसे आम दुर्घटना पैर कटने की हो सकती है।
- अपने घर की जाँच करते समय बैटरी वाली टार्च या कंदील का उपयोग करे। यह सबसे सुरक्षित एवं आसान है और इससे आग दुर्घटना से भी बच सकते है। मोमबत्ती का उपयोग बिल्कुल ही न करें ।
- दीवारे, फर्श, दरवाजे, सीढियाँ तथा खिड़कियों की जाँच करे यह जानने के लिए कि इमारत ढह जाने का खतरा न हो।
- नींव की अच्छी तरह जाँच कर ले और देखें कि उसमें कहीं दरारे न पड़ गई हो। नींब में अगर दरारे पड़ गई तो वह इमारत मनुष्य के रहने लायक नही है।.
- आसानी से होने वाली दुर्घटनाओं की जाँच करे। गैस की लाइने टूटी हुई या उसमे छेद के कारण गैस रिसती होगी उनकी जाँच करे। विजली की वायरिंग एवं बिजली के यंत्रों की भी जाँच करे। बाढ के तुरंत बाद होने वाली दुर्घटनाओं में आग की दुर्घटना अधिकतर होती है।
- जंगली जानवर या जहरीले सांप बाढ के जल के साथ घर के भीतर घुस सकते हैं। लकड़ी से गिरे हुए मलबे की अच्छी तरह से जाँच करे।

चित्र 24.3: सुनामी से क्षतिग्रस्त नावें

सुनामी के बाढ का जल इन जीव-जन्तुओं को उनके घर से बेघर कर देता है।

- सूखी हुई दीवारे, ढीले पालस्तर एवं छत की अच्छी तरह से जाँच करे ताकि वे गिरे नही।
- घर की खिड़कियाँ एवं दरवाजे खुले रखे ताकि इमारत सूख जाएं।
- बाढ के साथ आए हुए कीचड़ को सूखने से पहले साफ कर लें।

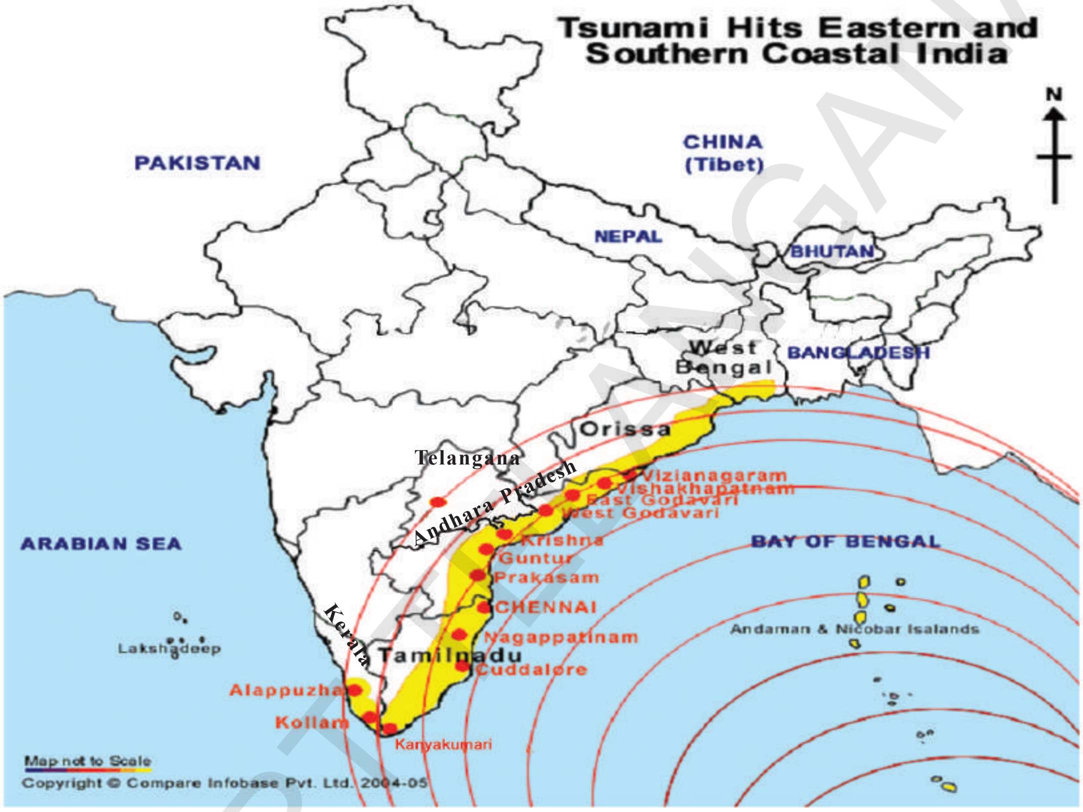
Tsunami Hits Eastern and Southern Coastal India
N
PAKISTAN
CHINA (Tibet)
NEPAL
BHUTAN
West Bengal
BANGLADESH
Orissa
Telangana
Andhara Pradesh
Vizianagaram
Vishakhapatnam
East Godavari
West Godavari
Krishna
Guntur
Prakasam
CHENNAI
Nagappatinam
Tamilnadu
Cuddalore
Kerala
Alappuzha
Kollam
Kanyakumari
ARABIAN SEA
BAY OF BENGAL
Lakshadeep
Andaman & Nicobar Isalands
Map not to Scale
Copyright © Compare Infobase Pvt. Ltd. 2004-05

Fig 24.4: Tsunami Hits Eastern and Southern Coastal India

g l m

वर्षा की कमी के कारण सूखा पड़ जाता है जो कि एक विनाश की स्थिति है। किसी वर्ष वर्षा ठीक होती है या फिर दो या तीन वर्ष तक निरंतर वर्षा नही होती जिसके परिणामस्वरूप फसले नहीं होती और इसे कृषि के क्षेत्र में सूखा कहा जाता है। इसीलिए ने केवल वर्षा का वितरण बल्कि उसका सही मात्रा में आना भी महत्वपूर्ण है।

अधिक मात्रा में या कम मात्रा मे वर्षा का निश्चय औसत वार्षिक वर्षा (70-100 वर्ष) के प्रतिशत से लिया जाता है:

अधिक वर्षा	+20 प्रतिशत या सामान्य वर्षा से अधिक
सामान्य वर्षा	+19 प्रतिशत -19 प्रतिशत तक

न्युनतम वर्षा -20 प्रतिशत से-59 प्रतिशत
अपर्याप्त वर्षा -60 प्रतिशत या सामान्य वर्षा से कम

कुछ क्षेत्र अपने भौगोलिक स्थिति के कारण कम वर्षा पाते हैं. इन क्षेत्रों को सूखाग्रस्त क्षेत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए रायलसीमा और तेलंगाना क्षेत्रों में प्रति पाँच वर्ष में दो बार सूखा पड़ सकता है।

g I H$ n[aUm_

सूखे के परिणाम अनुक्रमिक होते हैं :

- पेय जल की कमी
- कृषि की उपज में कमी।
- कृषि क्रियाओं की धीमी गति के कारण कृषि उद्योग में गिरावट
- कृषि में कार्यरत व्यक्तियों के खरीददारी की परिस्थिति में गिरावट।
- खाद्य पदार्थो में कमी।
- चारे में कमी ।
- पशुओं की कमी
- बच्चों में पोषक पदार्थ की कमी।
- बीमारियाँ जैसे कालरा, हैजा, अतिसार एवं दस्त, भूख से होनी वाली बीमारी।
- लोग परेशानी में अपनी जमीन गिरवी रख देते है या बेच देते है, अपने जेवर एवं निजी संपत्ति भी गिरवी रख देते हैं।
- लोग नौकरी की खोज में गाँव छोड़कर चले जाते हैं ।

g I H$m gm_Zm H$g H$a ...

सूखा एक धीमी गति से आने वाली विपत्ति है जो हमे इसका सामना करने का या स्थान बदलने का काफी समय देता है। जो कि दूसरे विपत्तियों में नही मिलता। इसकी चेतावनी देने से एवं पूर्व सूचना देने से निर्णय करने वालों को कोई ठोस कदम उठाने का सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं स्थानीय अधिकारी एवं अन्य मुख्य लोगों ने जनता में जल संरक्षण की भावना फैलाने का बीड़ा उठाया है।

~agmVr nmZr H$m gM` Ed nZ... Cn`mJ

शहरों में वर्षा का जल जो घर की छतों पर गिरता है उसका संरक्षण करना चाहिए। सबसे आसान उपाय है कि उन्हें पहले से तैयार किए गए गड्ढों में भर लिया जाए ताकि इसका उपयोग दुबारा हो सके। इसके टैंक एवं सम्प में भी भर सकते हैं। कुछ स्थानों पर वर्षा के जल को छान कर उसे पिया जाता है।

Ob {d^mOH$ {dH$mg (Integrated Watershed Management Programme)

सरकार ने एक नई योजना लागू की है यानि इनटिग्रटेड वाटर मैनेजमेंट योजना (IWMP) जो सूखाग्रस्त क्षेत्र में सूखा पड़ने पर नियंत्रण लगा सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य है समाज को मजबूत बनाना और उनमें प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करने की समझ पैदा करना। भूमि एवं जल का सही उपयोग किया जाए। इसके मुख्य क्रियाएं हैं खेतों में बरसाती जल इकट्ठा करना, वनों की कटाई पर रोक, कृषि की फसलों में प्रगति, ऐसे पेड़ लगाना जिन्हें कम पानी की आवश्यकता हो। ऐसी जीविकाएँ जिस पर सूखे का असर कम हो।

Š`m Amn Ob H$ gaj H$ h `m Ob H$m ì`` H$aZ dmb

नीचे दी गयी तालिका से पता कीजिए की आप जल संरक्षक हैं या जल को व्यय करने वाले। पता कीजिए की आप कितना जल संचय कर सकते हैं। क्या आप जल के नायक है या खलनायक।

क्रिया	उपभोक्ता1 (लीटर)	उपभोक्ता 2 (लीटर)	स्वयं उपयोग(लीटर)
दाँत साफ करना	पानी का बहना(19)	ब्रश गीला करना, पानी बंद करना (2)	
सब्जियाँ साफ करना	पानी का बहाना(11)	बर्तन में सब्जियाँ धोने पानी इकट्ठा करना (2)	
बर्तन धोना	पानी का बहना(114)	किसी बड़े बर्तन में बर्तन माँझ कर धोना (19)	
शौचालय जाने के बाद	टैंक के आकार पर (20) निर्भर	पन्द्रह बोतलों को पानी टैंक में डालना	
दाढी बनाना	पानी का बहना (18)	दाढी के लिए एक मग(0.5)	
पानी नहाना	पानी का बहना(95)	पहले शरीर भिगोना फिर साबुन से धोना (15)	
कार, मोटरसाईकिल या साईकिल धोना	पाईप से पानी का बहना (400/50/20)	बाल्टी (40/20/10)	
कपड़े धोना (मशीन द्वारा)	पूरी मशीन में पानी भरना (227)	छोटी साईकिल वाली मशीन (102)	
फर्श धोना	पाईप का पानी 5 मि.तक(200)	बाल्टी(40)	
हाथ एवं चेहरा धोना	पानी का बहाना(8)	पानी का उपयोग (4)	
योग	-	-	

आपके द्वारा खर्च किए गए जल का योग कीजिए एवं अपनी श्रेणी ज्ञात कीजिए।

- पर्यावरण के : <200 .,
- जल संरक्षक: 201 – 400 lt.,
- जल व्यय करने वाले: 400 – 600 lt.,
- जल खलनायक: >601 lt.

_l»` eãX

1. अनेक आपदाओं के क्षेत्र
2. मानव द्वारा निर्मित आपदा
3.अकाल
4. कीट संक्रमण
5. पर्यावरण पतन
6.सूखा

grI Zl _| gIYma

1. अपने आस-पास में कोई विनाशकारी घटना देखी हो या टीवी पर देखी हो तो उसका विवरण। उस घटना का सामना कैसे किया गया? (AS$_4$)
2. इन विपत्तियों को हम कैसे रोक सकते है या इनका सामना कर सकते हैं ? (AS$_1$)
3. अपने घर के बुजूर्गो से ऐसी विनाशकारी घटनाओं पर बातचीत करें और उन्होंने उसका सामना कैसे किया इसका अनुभव प्राप्त कर लिखिए । (AS$_3$)
4. आपदाओं का सामना करने के लिए आप लोगों के कोई पूर्वोपाय बताइए? (AS$_4$)
5. सूखे के प्रभावों की जानकारी दीजिए। (AS$_1$)
6. जहाँ जल की बर्बादी अधिक होती है उन अवसरों को दर्शाए और उसकी रोकथाम को सुजाइए।(AS$_6$)
7. एक एल्बम का निर्माण कर प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित चित्र लगाइए?(AS$_3$)

WORLD HEALTH ORGANIZATION
BMI CHART for age 14 and 15 – BOYS AND GIRLS

Years	Months	Malnourished (Underweight) Less than		Normal		Malnourished (Obesity) More than	
		GIRLS	BOYS	GIRLS	BOYS	GIRLS	BOYS
14	0	15.4	15.5	15.4 - 27.3	15.5 - 25.9	27.3	25.9
14	1	15.5	15.5	15.5 - 27.4	15.5 - 26.0	27.4	26.0
14	2	15.5	15.6	15.5 - 27.5	15.6 - 26.1	27.5	26.1
14	3	15.6	15.6	15.6 - 27.6	15.6 - 26.2	27.6	26.2
14	4	15.6	15.7	15.6 - 27.7	15.7 - 26.3	26.3	26.3
14	5	15.6	15.7	15.6 - 27.7	15.7 - 26.4	27.7	26.4
14	6	15.7	15.7	15.7 - 27.8	15.7 - 26.5	27.8	26.5
14	7	15.7	15.8	15.7 - 27.9	15.8 - 26.5	27.9	26.5
14	8	15.7	15.8	15.7 - 28.0	15.8 - 26.6	28.0	26.6
14	9	15.8	15.9	15.8 - 28.0	15.9 - 26.7	28.0	26.7
14	10	15.8	15.9	15.8 - 28.1	15.9 - 26.8	28.1	26.8
14	11	15.8	16.0	15.8 - 28.2	16.0 - 26.9	28.2	26.9
15	0	15.9	16.0	15.9 - 28.2	16.0 - 27.0	28.2	27.0
15	1	15.9	16.1	15.9 - 28.3	16.1 - 27.1	28.3	27.1
15	2	15.9	16.1	15.9 - 28.4	16.1 - 27.1	28.4	27.1
15	3	16.0	16.1	16.0 - 28.4	16.1 - 27.2	28.4	27.2
15	4	16.0	16.2	16.0 - 28.5	16.2 - 27.3	28.5	27.3
15	5	16.0	16.2	16.0 - 28.6	16.2 - 27.4	28.5	27.4
15	6	16.0	16.3	16.0 - 28.6	16.3 - 27.4	28.6	27.4
15	7	16.1	16.3	16.1 - 28.7	16.3 - 27.5	28.6	27.5
15	8	16.1	16.3	16.1 - 28.7	16.3 - 27.6	28.7	27.6
15	9	16.1	16.4	16.1 - 28.7	16.4 - 27.7	28.7	27.7
15	10	16.1	16.4	16.1 - 28.8	16.4 - 27.7	28.8	27.7
15	11	16.2	16.5	16.2 - 28.8	16.5 - 27.8	28.8	27.8

शैक्षणिक मापदंड (AS)

इस बात पर समय दीजिए कि छात्र दिए गए पाठ का ठीक से समाविष्ट कर सके । पाठ के मध्य आने वाले प्रश्न इसके लिए उपयोगी है। ये प्रश्न विभिन्न प्रकार के है जो छात्रों को सही ढंग से सोचने, तक-वितर्क करने, कारण जानने उसका असर जानने, न्याय करने, बुद्धि परीक्षण, विचारों का चित्रण,ध्यान विश्लेषण, सोचनी की कल्पना शक्ति, व्याख्या शक्ति चिंतन आदि है। मूल विचारों का हर पाठ में उदाहरण के साथ पुनः विचार किया गया है और उन्हें मुख्य शब्दों के रूप में दिया गया है।

1) **संकल्पना पर आधारित ग्रहण शक्ति (AS1):** पाठ के मौलिक सार का विकास, जाँच द्वारा, विचार विमर्श द्वारा, व्याख्या द्वारा चिंतन शक्ति द्वारा, ध्यान द्वारा किया जाए ।

2) **पाठ को पढाना, समझना एवं उसकी व्याख्या (AS2):** पाठ में कभी -कभार कृषकों के विषय में कारखानों के श्रमिकों के विषय में या चित्र होते हैं जो सीधी तरह से उस विचार या धारणा का नहीं पहुँचाती। छात्रों के पाठ के मुख्य विचार को समझने एवं चित्रों की व्याख्या करने का समय देना चाहिए।

3) **सूचनात्मक कौशल (AS3):** केवल पाठ्य पुस्तक सामाजिक अध्यय के विभिन्न कार्य विधियों को पूरी तरह के प्राप्त नहीं कर सकती । उदाहरण के लिए शहर में रहने वाले बच्चे अपने क्षेत्र के निर्वाचित सदस्यों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । वही गाँव में रहने वाले बच्चे उनके क्षेत्र में उनको लुप्त होने वाली सिंचाई, टैंक आदि सुविधाओ के विषय में बता सकते हैं । यह सूचनाएँ पाठ की सूचना से एकदम मेल न खाती होगी और उनका खुलासा करना पड़ता है। छात्रों ने प्राजेक्ट के द्वारा जो सूचना प्राप्त की हो वह भी काफी उपयोगी है । उदाहरण के लिए यदि छात्र किसी टैंक के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं तो वे लिखने के साथ-साथ उसका चित्र भी उतार सकते हैं या उन्होंने जो सूचना प्राप्त की है उसके दृश्य भी उतार सकते हैं। सूचना कौशल द्वारा हम सूचना तालिका निर्माण कर सकते है। उसके रिकार्ड एवं विश्लेषण इकट्ठा कर सकते हैं ।

4) **समकालीन विषयों पर प्रतिबंध एवं प्रश्न (AS4):** छात्रों को प्रेरित करें कि वे अपना जीवन स्तर की तुलना दूसरे क्षेत्रों में रहने वाले या प्राचीन समय में रहने वाले लोगों से करे। इन तुलनात्मक स्थिति के लिए हमें कोई भी उत्तर नहीं प्राप्त होगा। कुछ घटनाओं के कारण सूचना का न्यायबद्धता एवं चिंतन आदि।

5) **मानचित्र कौशल (AS5):** पुस्तक में विभिन्न प्रकार के मानचित्र एवं चित्र दिए गए है। मानचित्र उतारने की क्षमता का विकार सके। इसके लिए विभिन्न स्तर है जैसे सबसे पहले कक्षा का मानचित्र बनाना जिसकी ऊँचाई एवं दूरी भी दी गई है। पुस्तक में दृश्य, पोस्टर्स, फोटो इत्यादि भी दिए गए है जो पाठ से संबंधित होते है न सिर्फ देखने के लिए। कभी-कभी कुछ क्रियाएँ भी होती है जैसे शीर्षक लिखना या वास्तुकला से संबंधिच चित्र पढना।

6) **मानचित्रसराहना एवं संवेदनशीलता (AS6):** हमारे देश मे कई विभिन्नताएँ है जो कि भाषा के आधार पर सरकरा, जाति, धर्म, लिंग आदि है। सामाजिक अध्ययन इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए छात्रों को उनके प्रति संवेदनशील रहने को प्रोत्साहन देता है।

Appendix

This additional information and the maps are to be used wherever necessary.

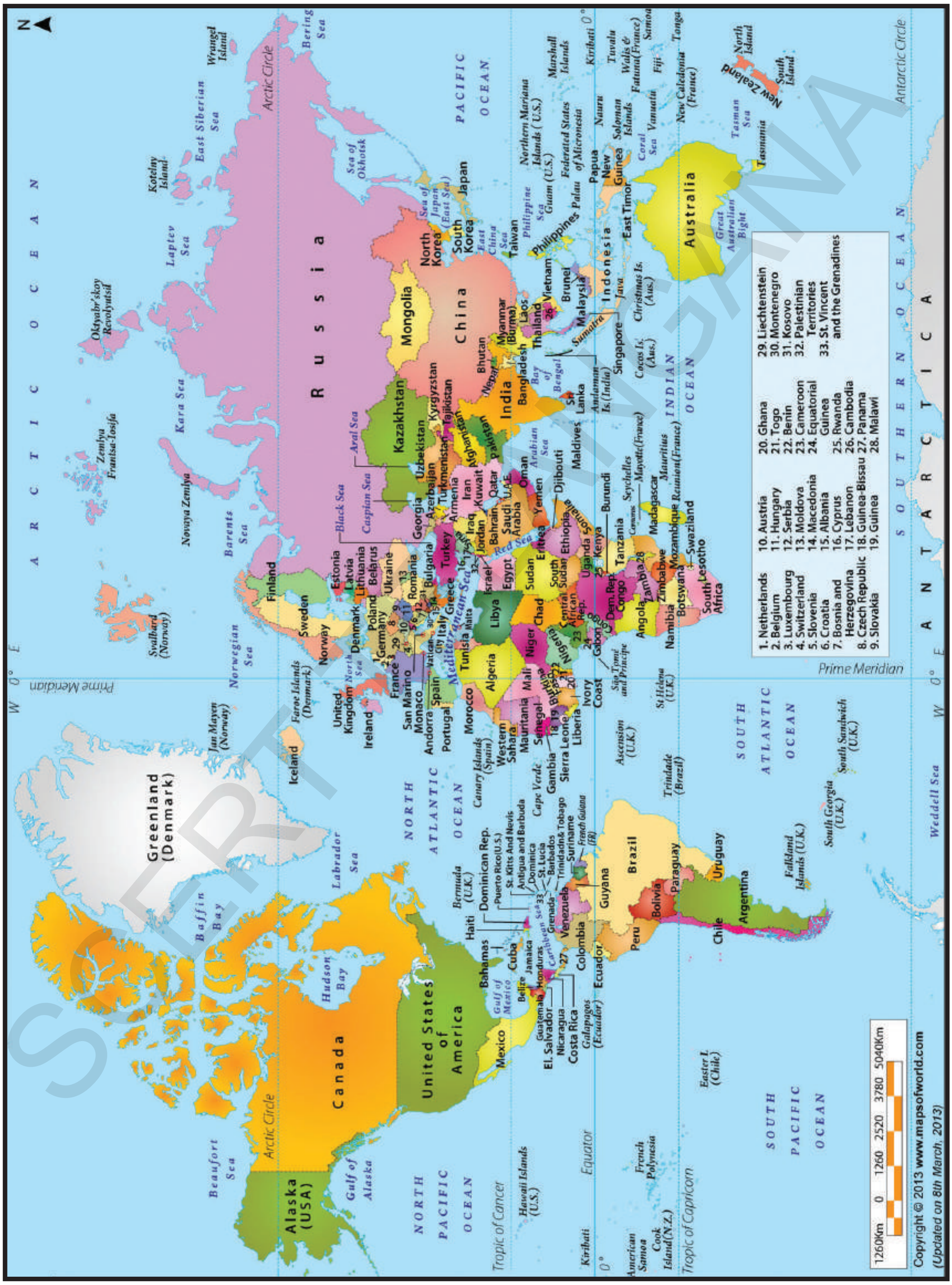
N
ARCTIC OCEAN
Arctic Circle
Alaska (USA)
Beaufort Sea
Gulf of Alaska
Canada
Hudson Bay
Baffin Bay
Labrador Sea
Greenland (Denmark)
Iceland
Jan Mayen (Norway)
Svalbard (Norway)
Faroe Islands (Denmark)
Norwegian Sea
Barents Sea
Novaya Zemlya
Kara Sea
Zemlya Frantsa-Iosifa
Oktyabr'skoy Revolyutsii
Laptev Sea
Kotelny Island
East Siberian Sea
Wrangel Island
Bering Sea
Sea of Okhotsk
Russia
United States of America
NORTH PACIFIC OCEAN
Tropic of Cancer
Hawaii Islands (U.S.)
Equator
Kiribati
French Polynesia
American Samoa
Cook Island (N.Z.)
Tropic of Capricorn
Easter I. (Chile)
SOUTH PACIFIC OCEAN
Mexico
Gulf of Mexico
Bahamas
Cuba
Haiti
Dominican Rep.
Puerto Rico (U.S.)
Jamaica
Belize
Guatemala
Honduras
El. Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Caribbean Sea
Bermuda (U.K.)
St. Kitts And Nevis
Antigua and Barbuda
Dominica
St. Lucia
Barbados
Grenada
Trinidad& Tobago
Venezuela
Suriname
French Guiana (Fr.)
Guyana
Colombia
Ecuador
Galapagos (Ecuador)
Peru
Brazil
Bolivia
Paraguay
Chile
Uruguay
Argentina
Falkland Islands (U.K.)
South Georgia (U.K.)
South Sandwich (U.K.)
Weddell Sea
NORTH ATLANTIC OCEAN
SOUTH ATLANTIC OCEAN
Canary Islands (Spain)
Cape Verde
Trindade (Brazil)
Ascension (U.K.)
St. Helena (U.K.)
Sao Tome and Principe
Prime Meridian
0° E
0° W
Ireland
United Kingdom
North Sea
Norway
Sweden
Finland
Denmark
Estonia
Latvia
Lithuania
Belarus
Poland
Germany
France
Spain
Portugal
Andorra
Monaco
San Marino
Vatican City
Italy
Malta
Greece
Ukraine
Romania
Bulgaria
Turkey
Black Sea
Caspian Sea
Aral Sea
Mediterranean Sea
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Uzbekistan
Turkmenistan
Kyrgyzstan
Tajikistan
Afghanistan
Pakistan
Iran
Iraq
Kuwait
Bahrain
Qatar
U.A.E.
Oman
Saudi Arabia
Yemen
Jordan
Israel
Red Sea
Arabian Sea
Morocco
Western Sahara
Algeria
Tunisia
Libya
Egypt
Mauritania
Mali
Niger
Chad
Sudan
South Sudan
Eritrea
Djibouti
Ethiopia
Somalia
Senegal
Gambia
Sierra Leone
Liberia
Ivory Coast
Burkina Faso
Nigeria
Central African Rep.
Gabon
Congo
Dem. Rep. Congo
Uganda
Kenya
Burundi
Tanzania
Angola
Zambia
Namibia
Botswana
Zimbabwe
Mozambique
Madagascar
Comoros
Mayotte (France)
Seychelles
Mauritius
Reunion (France)
Swaziland
Lesotho
South Africa
Maldives
India
Nepal
Bhutan
Bangladesh
Sri Lanka
Bay of Bengal
Andaman Is. (India)
Mongolia
China
North Korea
South Korea
Sea of Japan (East Sea)
Japan
East China Sea
Taiwan
Myanmar (Burma)
Laos
Thailand
Vietnam
Cambodia
Philippines
Philippine Sea
Malaysia
Brunei
Singapore
Sumatra
Java
Indonesia
East Timor
Cocos Is. (Aus.)
Christmas Is. (Aus.)
INDIAN OCEAN
Papua New Guinea
Australia
Great Australian Bight
Tasmania
Tasman Sea
Coral Sea
New Zealand
North Island
South Island
Guam (U.S.)
Northern Mariana Islands (U.S.)
Palau
Federated States of Micronesia
Marshall Islands
Nauru
Kiribati
Solomon Islands
Tuvalu
Vanuatu
Wallis & Futuna (France)
Fiji
Samoa
Tonga
New Caledonia (France)
PACIFIC OCEAN
SOUTHERN OCEAN
Antarctic Circle
ANTARCTICA
1. Netherlands
2. Belgium
3. Luxembourg
4. Switzerland
5. Slovenia
6. Croatia
7. Bosnia and Herzegovina
8. Czech Republic
9. Slovakia
10. Austria
11. Hungary
12. Serbia
13. Moldova
14. Macedonia
15. Albania
16. Cyprus
17. Lebanon
18. Guinea-Bissau
19. Guinea
20. Ghana
21. Togo
22. Benin
23. Cameroon
24. Equatorial Guinea
25. Rwanda
26. Cambodia
27. Panama
28. Malawi
29. Liechtenstein
30. Montenegro
31. Kosovo
32. Palestinian Territories
33. St. Vincent and the Grenadines
1260Km 0 1260 2520 3780 5040Km
Copyright © 2013 www.mapsofworld.com
(Updated on 8th March, 2013)

World Political Map

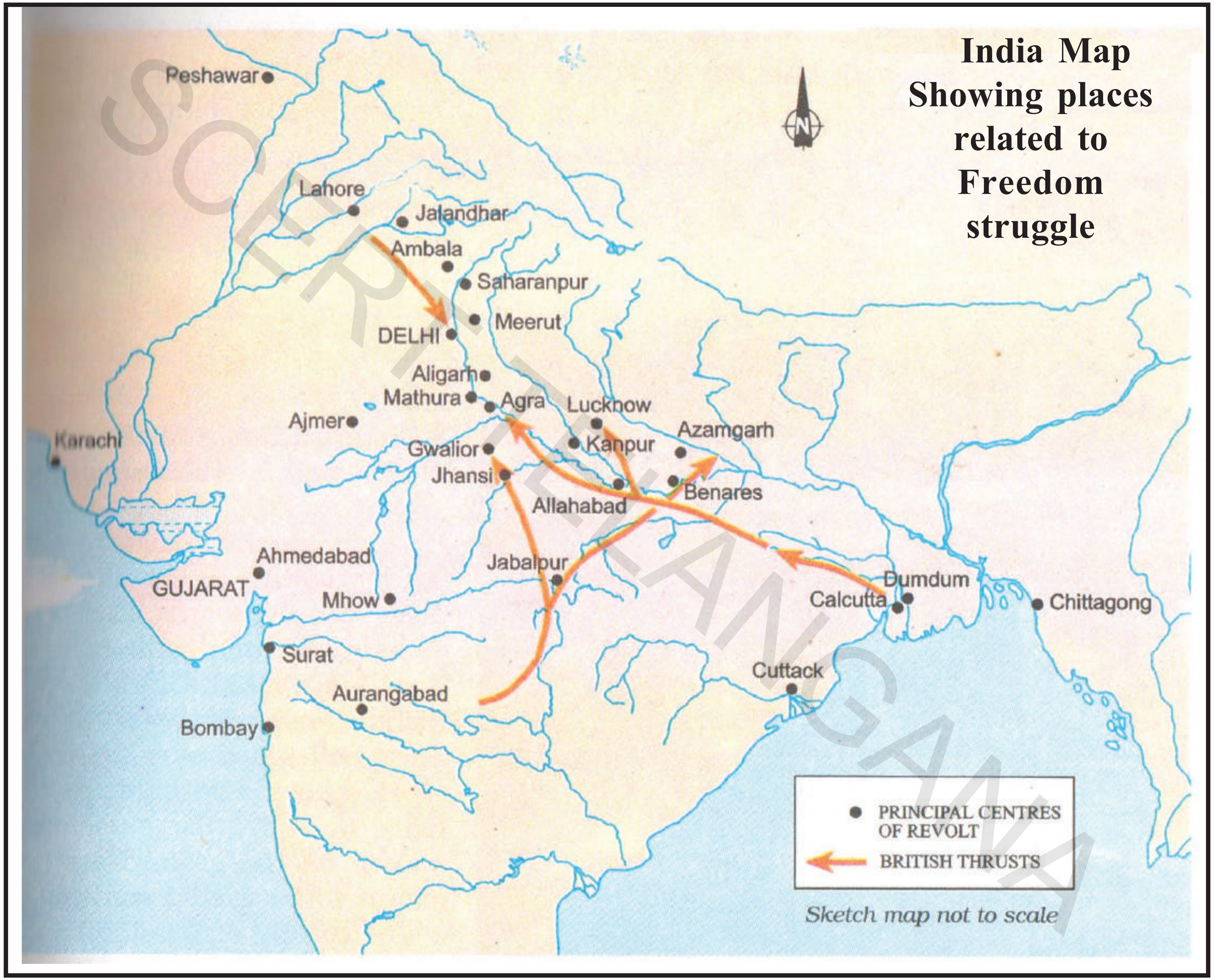

India Map Showing places related to Freedom struggle

Peshawar
Lahore
Jalandhar
Ambala
Saharanpur
Meerut
DELHI
Aligarh
Mathura
Agra
Lucknow
Kanpur
Azamgarh
Ajmer
Karachi
Gwalior
Jhansi
Allahabad
Benares
Ahmedabad
GUJARAT
Mhow
Jabalpur
Dumdum
Calcutta
Chittagong
Surat
Cuttack
Aurangabad
Bombay
N
● PRINCIPAL CENTRES OF REVOLT
BRITISH THRUSTS

Sketch map not to scale

World Outline Map

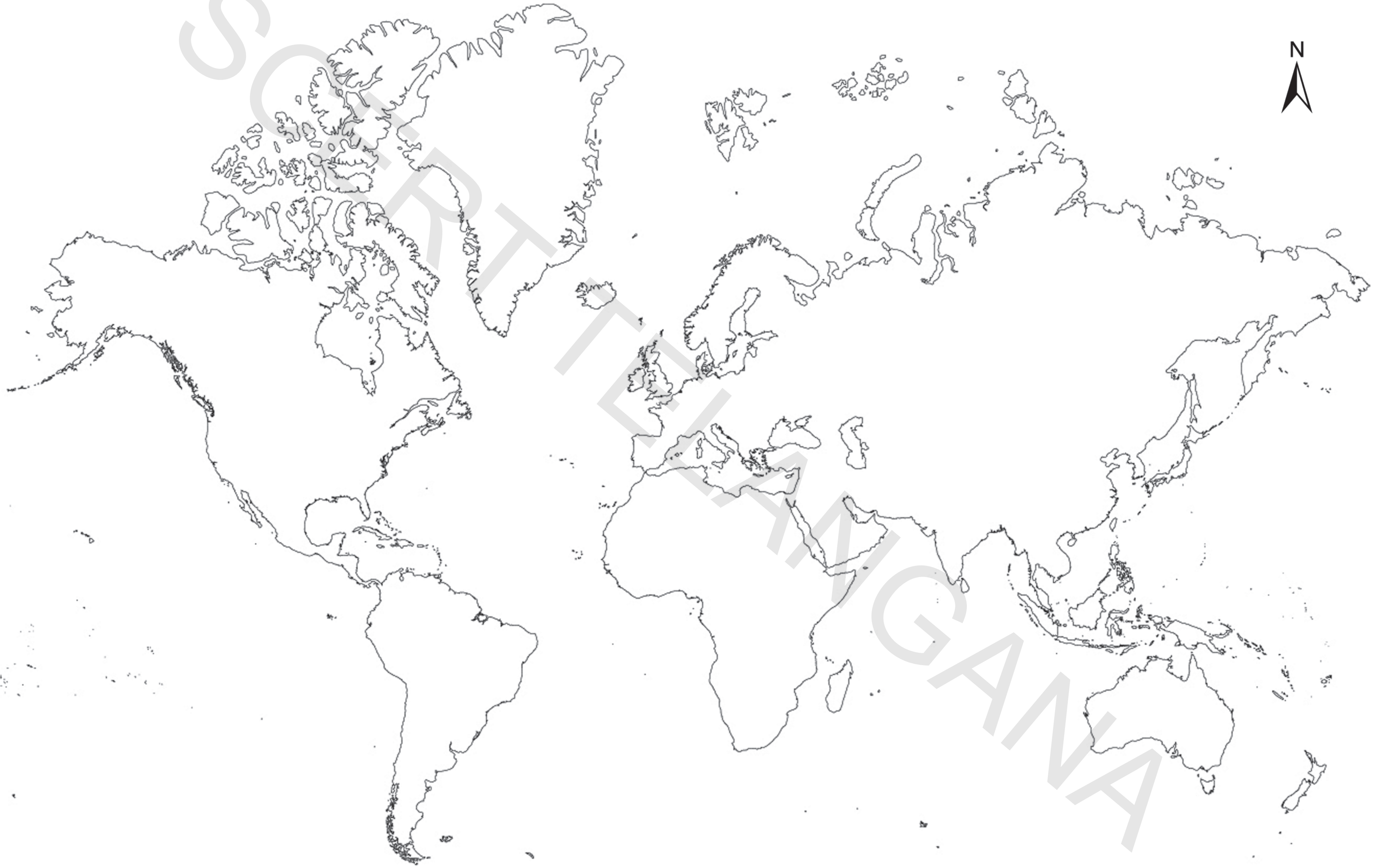

India Political Map

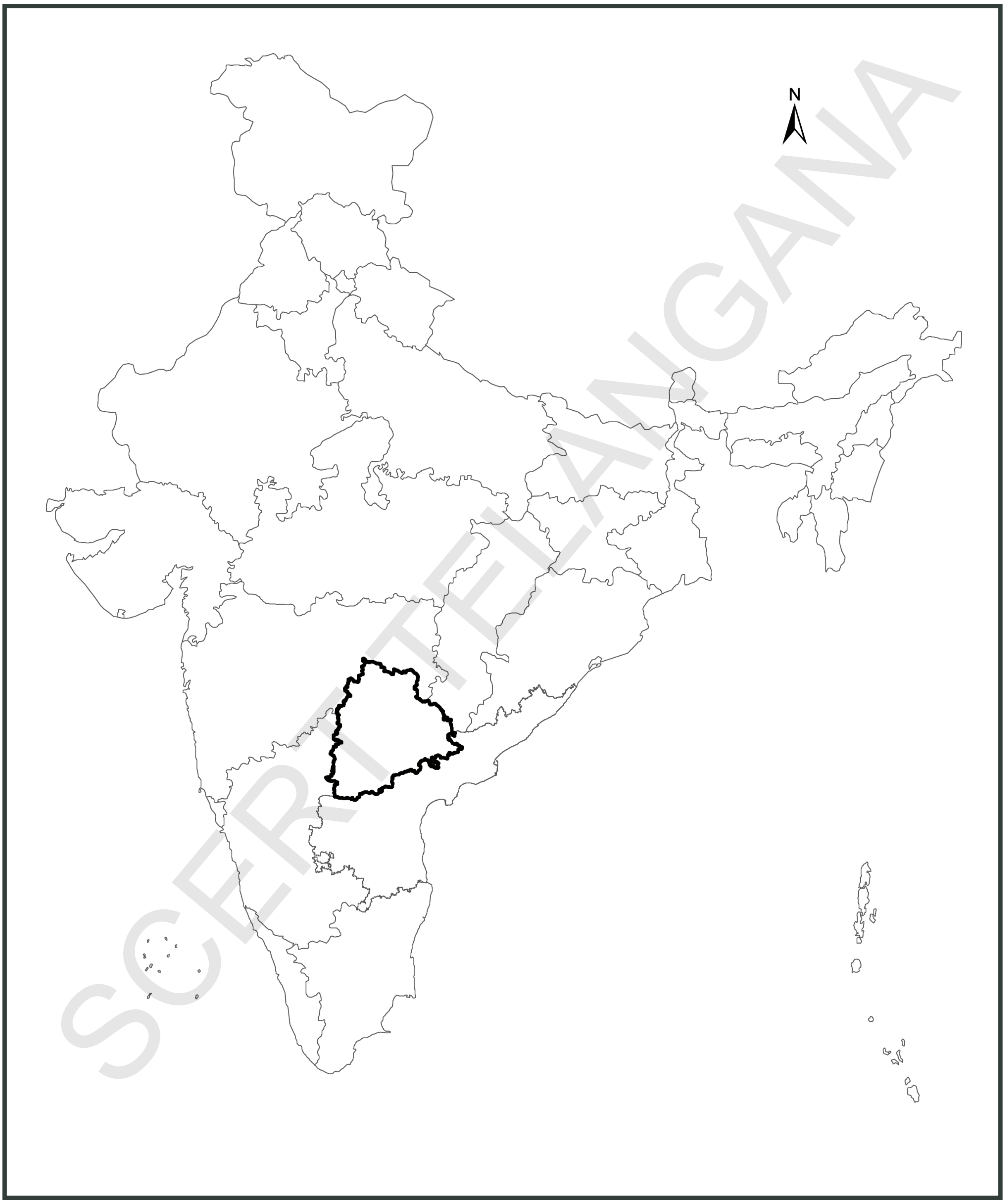

Telangana Political Map

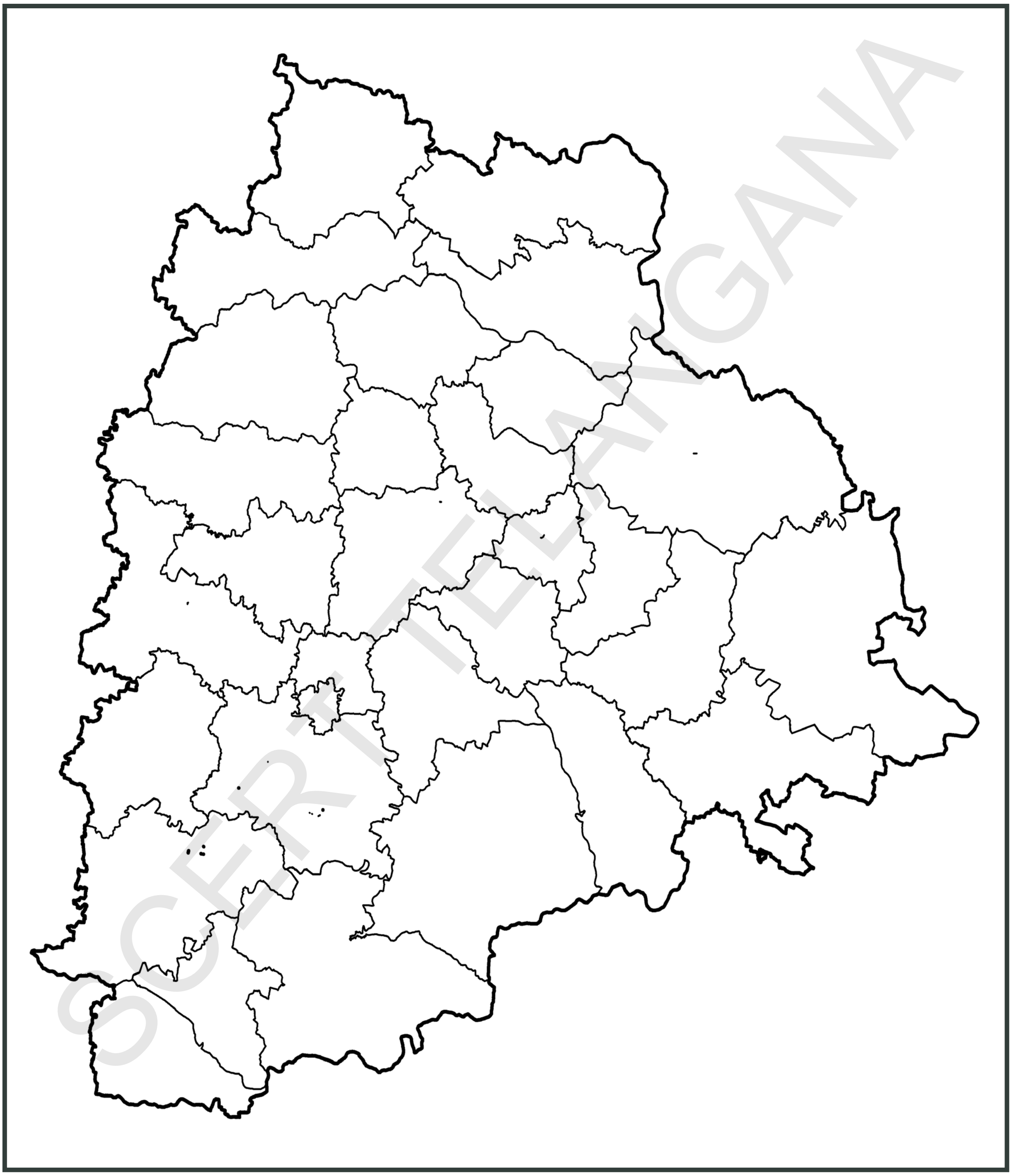

European Period in India - Timeline

1500-1700	European trading companies establish bases in India: the Portuguese in Panaji in 1510; the Dutch in Masulipatnam, 1605; the British in Madras in 1639, in Bombay in 1661, and in Calcutta in 1690; the French in Pondicherry in 1673
1757	Decisive victory of the British in the Battle of Plassey; the British become rulers of Bengal
1773	Supreme Court set up in Calcutta by the East India Company
1803	Lord Wellesley's Minute on Calcutta town improvement
1818	British takeover of the Deccan; Bombay becomes the capital of the new province
1853	Railway from Bombay to Thane
1857	First spinning and weaving mill in Bombay
1857	Universities in Bombay, Madras and Calcutta
1870s	Beginning of elected representatives in municipalities
1881	Madras harbour completed
1896	First screening of a film at Watson's Hotel, Bombay
1896	Plague starts spreading to major cities
1911	Transfer of capital from Calcutta to Delhi

National Movement - Timeline

1915	Mahatma Gandhi returns from South Africa
1917	Champaran movement
1918	Peasant movements in Kheda (Gujarat), and workers' movement in Ahmedabad
1919	Rowlatt Satyagraha (March-April)
1919	Jallianwala Bagh massacre (April)
1921	Non-cooperation and Khilafat Movements
1928	Peasant movement in Bardoli
1929	"Purna Swaraj" accepted as Congress goal at the Lahore Congress (December)
1930	Civil Disobedience Movement begins; Dandi March (March-April)
1931	Gandhi-Irwin Pact (March); Second Round Table Conference (December)
1935	Government of India Act promises some form of representative government
1939	Congress ministries resign
1942	Quit India Movement begins (August)
1946	Mahatma Gandhi visits Noakhali and other riot-torn areas to stop communal violence
14-15 August 1947	Pakistan is formed; India gains independence. Mahatma Gandhi tours Noakhali in East Bengal to restore communal harmony

Members of the Drafting Committee of the Constitution

The Drafting Committee for framing the constitution was appointed on 29 August 1947, . The committee comprised of a chairman and six other members. In addition a constitutional advisor was also appointed.

The committee members were:

Dr B. R. Ambedkar - Chairman
K M Munshi (Ex- Home Minister, Bombay)
Alladi Krishnaswamy Iyer (Ex- Advocate General, Madras State)
N Gopalaswami Ayengar (Ex-Prime Minister, J&K, member of Nehru Cabinet)
B L Mitter (Ex-Advocate General, India)
Md. Saadullah (Ex- Chief Minister of Assam, Muslim League member)
D P Khaitan (lawyer).

Sir Benegal Narsing Rao was appinted as the constitutional advisor.He later became First Indian Judge in International Court of Justice in 1950.

Other Committee members:

B L Mitter resigned from the committee. He was replaced by **Madhav Rao** (Legal Advisor of Maharaja of Vadodara).

D P Khaitan passed away and was replaced by **T T Krishnamachari**.

Socio - Religious Movements

Sl. No.	Organisation	Founder	Year of Foundation	Purpose
1.	Brahma Samaj	Raja Rammohan Roy	1828	The aim of these organisations (1&2) was to attack evils in Hinduism and purify Hinduism, social and economic reforms, inter caste marriages, western education,women education, widow remarriage.
2.	Prarthana Samaj	Dr.Atma Ram Pandurang	1867	
3.	Satya Shodhak Samaj	Jyotiba Phule	1873	Upliftment of lower to reform and protected orthodoxy.
4.	Mohammedan Literacy Society	Nawab Abdul Latif	1863	Spread of education, among Muslims.
5.	Arya Samaj	Swami Dayanand Saraswati	1875	Religious and social reforms, Vedic philosophy.
6.	Theosophical Society	Madam Blavatsky, Henry Olcott	1882	Revival of Vedic philosophy.
7.	Ramakrishna Mission	Swami Vivekananda	1887	Propagate teaching of Rama krishna and to do social work.
8.	Harijan Sewak Sangha	Mahatma Gandhi	1932	Upliftment of backward classes and provide education to them.

तेलंगाणा राज्य के दर्शनीय स्थल

जिला	दर्शनीय स्थल
जयशंकर जिला	व्यापक वन क्षेत्र, जनजाति जातरा मेडारम-सम्मक्का-सारक्का सारलम्मा, पालम पेट रामप्पा, कालेश्वरम के मुक्तेश्वर स्वामी, गणपुरम ज्ञक्कोफ्टगूल्लू, पांडवुला गुट्टा, लक्नवरम-तालाब, कोचंट नरसिंह स्वामी मंदिर, एटूरू नागारम-*ITDA*.
जनगाम जिला	जैनों के प्रभाव से जनगाम, पालकुर्ति सोमेश्वर लक्ष्मी नरसिंह स्वामी, जीडिकल वीराचल श्री सीतारामचंद्र स्वामी मंदिर, पेंबर्ति के हथकरघा, महाकवि बम्मेर पोतना का जन्म स्थान बम्मेर, पालकुर्ति सोमनाथ का जन्मस्थान पालकुर्ति।
वरंगल (शहर) जिला	मामुनूर का हवाई अड्डा, *NIT* इंजीनियरिंग कॉलेज, भद्रकाली मंदिर, हज़ार खंभा मंदिर, वरंगपल का मिट्टी का क़िला, पत्थर से बना क़िला, कुश महल, कालोजी स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, कालोजी जंक्शन।
वरंगल (ग्रामीण) जिला	पाकाला तालाब, पाकाला गुंडम शिव मंदिर, अइनवोलु मंदिर, भीमुनिपादम जलप्रपात *Waterfall*, कोम्माल जातरा, गंगा देवी पल्लि ग्राम पंचायत
महबूबाबाद जिला	कुरवि श्रीवीरभद्रस्वामी मंदिर, अनंताराम के श्रीवेंकटेश्वर स्वामी, डोर्नकल का चर्च, गुडूर का भीमुनि पादम, नरसिंहुलुपेट का श्रीवेंकटेश्वर स्वामी।
आदिलाबाद जिला	गायत्री कनकाय जलप्रपात पोच्चेर जलप्रपात *Waterfall*, सात्नाल बाँध, मत्तडि वागु जलाशय।
निर्मल जिला	बासर का ज्ञान सरस्वति देवी मंदिर, पापेश्वर मंदिर, आडेल्लि महापोचम्मा मंदिर, स्वर्ण गड्डेन्ना वागु, कडेम जलाशय, सदर्माट् बैरेज।
मंचिर्याल जिला	सिंगरेणी कोयला खान, गांधारी किला, गांधारी वन, जैपूर मंडल के मगरमच्छ अभयारण्य, कोटपल्ली लमुंडिपल का हिरणों का अभयारण्य, जन्नारम मंडल के बाघों का अभयारण्य, जैपूर मंडल के बिजली उत्पादन प्राजेक्ट।
कोमरमभीम जिला	जोडेघाट, सप्तगुंडाल जलप्रपात, समुतुल गुंडम जलप्रपात, शंकर लोद्दी व अर्जुन लोद्दी गुफाएँ, वांकिडी का शिवालय।
नल्गोंडा जिला	नागार्जुन सागर बाँध, मूसी प्राजेक्ट, चंदमपेट गुफाएँ, देवरकोंडा क़िला, एलेश्वरम का मल्लन्ना स्वामी मंदिर।
सूर्यापेट जिला	पल्लामर्रि का हज़ार साल पुराना चेन्नकेशव मंदिर।
यादाद्रि जिला	यादाद्रि लक्ष्मी नरसिंहास्वामी मंदिर, कोलनुपाक जैन मंदिर, एकशिला पर निर्मित हज़ार साल पुराना भुवनगिरि किला।

तेलंगाणा राज्य के दर्शनीय स्थलें

जिला	दर्शनीय स्थल
हैदराबाद जिला	गोलकोंडा किला, चारमीनार, हुसैनसागर, बिरला मंदिर, बिरला साईंस म्यूजियम, बिरला प्लानिटोरियम, पब्लिक गार्डन्स, असेंबली, हाईटेक सिटी, शिल्पारामम, ओशियन पार्क, नेहरु जुवाजिकल पार्क, कुतुबशाही गुंबज, इंदिरा पार्क, लुंबिनी पार्क, रवींद्र भारती, सालारजंग म्यूजियम।
जोगुलांबा जिला	जोगुलांबा मंदिर, पाँचवा मंदिर, अठारहवाँ शक्तिपीठ, गद्वाल एस्टेट, आंजनेय मंदिर बिचपल्ली, नेटमपाडु जुराला प्राजेक्ट (जलाशय)।
नागरकर्नूल जिला	नागार्जुन सागर, टाईगर सेंच्युरी, कलवकुर्ती लिफ्ट इरीगेशन, श्रीशैलम बाया कैनल सुरंग, नल्लामल्ला सेंच्युरी, उमामहेश्वरी मंदिर, वट्टेम वेंकटेश्वरस्वामी मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, सोमशिला मल्लेलतीर्थम जलप्रपात।
कामारेड्डी जिला	सिद्दारामेश्वर मंदिर बिक्नूर, कालभैरव मंदिर, लक्ष्मीनरसिंहा स्वामी मंदिर, बुग्गा रामेश्वर मंदिर, निजामसागर, पोचारम, कौलासानला प्रोजेक्ट, दोमकोंडा इस्टेट्स, पोचारम प्रोजेक्ट (जलाशय), पोचारम सेंच्युरी, गायत्री, मगी शक्कर (Sugar Mill)
वनपर्ति जिला	श्री रंगानायक मंदिर श्रीरंगापुरम, रामन्नापाडु Balancing रिजर्वायर, वनपर्ति इस्टेट।
महबूबनगर जिला	पिल्लमर्रि, श्री वेंकटेश्वर मंदिर मन्नेमकोंडा।
निजामाबाद जिला	श्रीरामसागर जलाशय, निजाम शक्कर (Mill) बोधन, बड़ापहाड़ दर्गा, Prison of Quila, कृषि अनुसंधान केंद्र रुदरूर, सिरनपल्ली की घड़ी, सारंगपुर, हनुमान मंदिर, डिचपल्ली किला राम मंदिर, देवल मस्जिद, कंदुकुर्ति त्रिवेणी संगम, रामडुगु जलाशय, गुत्प प्राजेक्ट, अलीसागर , अशोक सागर, जानकम पेट, अष्टमुखी कोनेरु, भीमुनिगुट्टलु।
खम्मम जिला	स्तंभाद्री लक्ष्मी नरसिंहा स्वामी, नेलकोंड पल्लि बौध स्तूप, सत्तुपल्लि कोयला खान, भक्त रामदास का निवास स्थल, खम्मम जिला।
मेदक जिला	एडुपायल वन दुर्गा जातरा, मेदक चर्च, मेदक क़िला, कोल्चारम जैन मंदिर, नरसापूर वन, पोचाराम अभयारण्य।
रंगारेड्डी जिला	अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चिल्कुरु बालाजी मंदिर, नर्कुडा का अम्मापल्लि, हिमायतसागर, उस्मान सागर (गंडीपेट) NRSL शादनगर, स्वयंभू रामलिंगेश्वर मंदिर।
सिद्दिपेट जिला	कोमरवेल्ली मल्लन्ना मंदिर, वर्गल सरस्वति मंदिर, नाचारम लक्ष्मीनरसिंहा स्वामी मंदिर, जगदेवपूर वरदराजु स्वामी, कोंड पोचम्म, पांडुरंगाश्रम, कर्कपट्ला औद्योगिक पार्क, कोटि लिंगेश्वर मंदिर, कोमटि चेरुवु।

Telangana State - Places to Visit

जिला	दर्शनीय स्थल
जगित्याल जिला	लक्ष्मीनारायणस्वामी मंदिर धर्मपुरी, कोंडागट्टु, आंजनेयस्वामी।
विकाराबाद जिला	अनंतगिरि की पहाड़ियाँ, पद्मनाभस्वामी मंदिर, बुग्गा रामेश्वरम, भूकैलास, एकांबरशवरम, जनटुपल्ली रामुड्डु, कोंडगल वेंकटेश्वरस्वामी, कोटीपल्ली के प्रोजेक्ट, लखनपुर, सरपनपल्ली, जनटुपल्ली।
राजन्ना जिला	राजेश्वर स्वामी मंदिर वेमुलवाड़ा, अपर मानेरु लेक।
मेडचल जिला	श्री रामलिंगेश्वरस्वामी मंदिर कीसरगुट्टा, जैन बुद्ध सेंटर।
भद्राद्रि जिला	श्री सीतारामस्वामी मंदिर भद्रकाली, भोक्ता वाटर फाल्स, पर्णशाला, पेद्दावागु वाटरफाल्स, मुखमामिड़ि, किन्नरसानी पालेमवागु, *KPTS, GENCO, Power plants, National Mining Development Organisation*
पेद्दापल्ली जिला	येल्लमपल्ली, येल्मड्डुगु लेक्स, रामगिरि किला, सबितम जल प्रपात।
संगारेड्डी जिला	*ICRISAT, BHEL,* सिंगुरु लेक, जारसंगम, केतकी संगमेश्वर मंदिर, यद्दुमैलारम आरिडेन्स फैक्टरी।
करीमनगर जिला	येलागनड्डुला पुराना नाम, लोवर मानेरु लेक, विश्वप्रसिद्ध सिल्वर फिलिगिरि एक्ट।